सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

परिणाम बजट

2014-2015

<u>विषय सूची</u>

क्रम सं.		पृष्ठ सं.	
		से	तक
	भूमिका निष्पादन सार	i ii	i iv
	<u>अध्याय</u>		
1.	**प्रस्तावना : अधिदेश, भावी कार्यों का विवरण, लक्ष्य एवं नीतिगत ढांचा**	**1**	**56**
2.	**बजट अनुमान का विवरण (एस बी ई) :**	**57**	**133**
(i)	*अनुदान सं. 53 – गृह मंत्रालय*	58	81
(ii)	*अनुदान सं. 55 – पुलिस*	82	116
(iii)	*अनुदान सं. 56 – गृह मंत्रालय का अन्य व्यय*	117	133
3.	**सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहलें :**	**134**	**159**
(i)	*केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) के लिए पूंजीगत अवसंरचना*	134	135
(ii)	*स्वतंत्रता सेनानी पेंशन*	135	136
(iii)	*भारत का महारजिस्ट्रार*	136	138
(iv)	*आपदा प्रबंधन*	138	148
(v)	*जेन्डर बजटिंग*	148	158
(vi)	*व्यय सूचना प्रणाली*	158	159
4.	**योजनाओं के वास्तविक निष्पादन सहित पिछला निष्पादन :**	**160**	**274**
(i)	*सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना और सड़क का निर्माण*	160	165
(ii)	*अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण*	166	166
(iii)	*तटीय सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण*	166	179
(iv)	*सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति की योजना*	179	187

क्रम सं.		पृष्ठ सं.	
		से	तक
(v)	*राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम पी एफ)*	187	193
(vi)	*पुलिस आवास योजना*	193	194
(vii)	*दिल्ली पुलिस*	195	199
(viii)	*वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना*	199	203
(ix)	*जेलों के आधुनिकीकरण की योजना*	203	206
(x)	*स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन सी बी)*	206	210
(xi)	*राजभाषा विभाग*	210	221
(xii)	*पुनर्वास योजनाएं/परियोजनाएं*	221	225
(xiii)	*पुलिस नेटवर्क (पोलनेट)*	225	226
(xiv)	*राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम*	226	230
(xv)	*भारत के महारजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं*	231	248
(xvi)	*केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं*	248	273
(xvii)	*आप्रवासन सेवाएं*	273	274
5.	**वित्तीय समीक्षा जिसमें बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति सहित बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियों तथा राज्य सरकारों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के विवरण को शामिल किया गया है**	**275**	**292**
6.	**सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा**	**293**	**327**
7.	**परिणाम बजट प्रस्तुत करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई**	**328**	**336**

भूमिका

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। संघ सरकार का दायित्व किसी आंतरिक अशांति अथवा बाह्य आक्रमण से राज्यों की सुरक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के कार्य भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाएं जाएं। संघ सरकार के मंत्रालयों के मध्य उत्तरदायित्व के आबंटन में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, केन्द्र-राज्य संबंध, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीमा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि से संबंधित जिम्मेदारियां गृह मंत्रालय को सौंपी गई हैं। इन जिम्मेदारियों का निर्वहन विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं को कार्यान्वित करके किया जा रहा है।

2. परिणाम बजट में, वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के दौरान प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यकलापों में की गई प्रगति की मुख्य बातों तथा वर्ष 2014-2015 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का समावेश है।

3. परिणाम बजट की विषय सूची को निम्नलिखित सात अध्यायों में विभक्त किया गया है :-

अध्याय-1 इसमें मंत्रालय के कार्यकलापों, इसके अधिदेश, लक्ष्यों एवं नीतिगत ढांचे, संगठनात्मक ढांचे तथा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं के बारे में एक संक्षिप्त परिचयात्मक नोट दिया गया है।

अध्याय-2 इसमें परिणामों की तुलना में व्यय बजट खंड-।। में सम्मिलित बजट अनुमानों का विवरण (एस बी ई) दिया गया है।

अध्याय-3 इसमें सुधारात्मक उपायों तथा नीतिगत पहलों का ब्यौरा दिया गया है।

अध्याय-4 इसमें मंत्रालय की योजनाओं के वास्तविक कार्य-निष्पादन सहित विगत का कार्य-निष्पादन दिया गया है।

अध्याय-5 इसमें बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति सहित बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियों और राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के विवरण को सम्मिलित करते हुए वित्तीय समीक्षा दी गई है।

अध्याय-6 इसमें सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा दी गई है।

अध्याय-7 परिणाम बजट प्रस्तुत करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई।

निष्पादन-सार

गृह मंत्रालय के लिए दस अनुदानें हैं। इनमें से पाँच अनुदानें (98, 99, 100, 101 और 102) विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी उन्हें प्रदत्त बजटीय आबंटनों के निष्पादन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार, अनुदान सं. 54-मंत्रिमंडल और अनुदान सं. 57-संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल युक्त) को अंतरण के लिए किए गए आबंटनों में भी गृह मंत्रालय सक्रिय रूप से शामिल नहीं है क्योंकि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली योजनाओं की जांच तथा स्वीकृति के लिए जिम्मेदार हैं।

2. अत: गृह मंत्रालय केवल तीन अनुदानों अर्थात् अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय, अनुदान सं. 55–पुलिस और अनुदान सं. 56–गृह मंत्रालय का अन्य व्यय के अन्तर्गत उपबंधित बजटीय आबंटनों के लिए ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है।

3. इन तीन अनुदानों के अंतर्गत बजटीय आबंटन निम्नानुसार हैं :-

(करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	**बजट अनुमान 2014-15**		**कुल**
	योजनागत	**योजनेतर**	
53-गृह मंत्रालय	794.00	850.67	1644.67
55-पुलिस	10427.00	49023.76	59450.76
56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	318.00	2171.83	2489.83
कुल योग	**11539.00**	**52046.26**	**63585.26**

4. अनुदान सं. 55–पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के लिए है तथा इसमें सर्वाधिक बजट आबंटन है। इस अनुदान में दिल्ली पुलिस के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

5. अध्याय-1 में गृह मंत्रालय के अधिदेश, भावी कार्यों के विवरण (विजन), लक्ष्यों और नीतिगत ढांचे का उल्लेख किया गया है।

6. परिणाम बजट का अध्याय-2, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित तीन अनुदानों में शामिल प्रमुख योजनाओं/कार्यकलापों के लिए किए गए बजटीय आबंटनों को प्रतिबिम्बित करता है। जहां कहीं व्यवहार्य है वहां इन आबंटनों को वास्तविक परिणामों तथा उनके संभावित परिणामों के साथ दर्शाया गया है। जहां कहीं व्यवहार्य है वहां संभावित परिणामों से संबद्ध जोखिमों को भी दर्शाया गया है।

7. अध्याय-3 में, विशिष्ट योजनाओं/कार्यकलापों के सेवा सुपुर्दगी तंत्र की प्रभावकारिता में सुधार के उद्देश्य से हाल के विगत में मंत्रालय द्वारा की गई विशिष्ट नीतिगत पहलों का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में जेंडर बजटिंग लागू करने के लिए हाल ही में की गई पहल को भी शामिल किया गया है ताकि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जैसे अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अंतर्गत विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लाभ के लिए किए गए बजट आबंटनों पर निगरानी रखी जा सके।

8. अध्याय-4 में, हाल के विगत की प्रमुख योजनाओं/गतिविधियों के वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादनों की समीक्षा की गई है। इसमें इन योजनाओं की उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है। अध्याय-5 में, बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा राज्य सरकारों एवं संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष राशियों की स्थिति का उल्लेख करते हुए हाल के वर्षों में आबंटनों एवं उपयोगों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है।

9. अध्याय-6 में, मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक एवं एक स्वायत्त निकाय अर्थात् राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की भूमिका एवं दायित्व पर प्रकाश डाला गया है।

10. अंत में, अध्याय-7 में ''पिछले वर्ष गृह मंत्रालय का परिणाम बजट प्रस्तुत करने के बाद मंत्रालय द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई'' का उल्लेख किया गया है।

11. गृह मंत्रालय की प्राथमिक भूमिका एवं जिम्मेदारी की प्रकृति पर गौर करते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारियों जैसे वैकल्पिक सेवा सुपुर्दगी तंत्र, इसके कार्यकलापों के लिए साधारणतया उपयुक्त और व्यावहारिक नहीं हैं। तथापि, कुछ सीमित क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी राज्य सरकार की एजेंसियों को सक्रिय रूप से सम्बद्ध करके निर्णय लेने

संबंधी प्रक्रियाओं के अधिक विकेन्द्रीकरण तथा निधियों के अंतरण पर बल दिया गया है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आबंटित निधियों के उपयोग की गति में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर किया जा सके और हितधारियों के संतुष्टि स्तर में वृद्धि की जा सके।

12. इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन के संबंध में संस्थागत एवं समन्वय तंत्र को सुदृढ़ बनाने को विशेष महत्व दिया गया है। अन्य पहलों में छात्र वीजा, पर्वतारोहण तथा चिकित्सा वीजा ऑन लाइन जारी करने की छूट तथा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के क्रियाकलापों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश शामिल हैं।

13. मंत्रालय, प्राप्तियों एवं संवितरणों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों तथा प्रमुख योजनाओं आदि के संबंध में अपनी वेबसाइट पर मासिक वित्तीय आंकड़े भी जारी करता है ताकि इसकी कार्रवाइयों में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। इस संबंध में विवरण परिणाम बजट के अध्याय-7 में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने विभिन्न एजेंसियों को जारी अनुदानों के दक्ष उपयोग के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों की निगरानी के संबंध में एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) विकसित की है। साथ ही व्यय के ताजा आंकड़े महालेखानियंत्रक की वेब आधारित व्यय सूचना प्रणाली-ई-लेखा पर रियल टाइम आधार पर उपलब्ध हैं।

अध्याय-1

<u>अधिदेश, भावी कार्यों का विवरण, लक्ष्य एवं नीतिगत ढांचा</u>

<u>अधिदेश</u> :

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है जिनमें आंतरिक सुरक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्‌यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-।। 'राज्य सूची' की प्रविष्टि सं. 1 और 2 के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं किन्तु संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। इन दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना स्थिति की निरंतर निगरानी करता है, उचित सलाह देता है, सुरक्षा, शांति तथा सद्भाव को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को मानवशक्ति एवं वित्तीय सहयोग, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है।

1.2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के निम्नलिखित घटक विभाग हैं :-

- पुलिस, कानून एवं व्यवस्था तथा पुनर्वास से संबंधित आन्तरिक सुरक्षा विभाग;
- केन्द्र-राज्य संबंधों, अन्तर-राज्य संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से संबंधित राज्य विभाग;
- राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति द्‌वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आदि से संबंधित अधिसूचना से संबंधित गृह विभाग;
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में संवैधानिक उपबंधों तथा विदेश मंत्रालय से संबंधित मामलों को छोड़कर राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों से संबंधित जम्मू एवं कश्मीर विभाग;
- तटीय सीमाओं सहित सीमाओं के प्रबंधन से संबंधित सीमा प्रबंधन विभाग;

- राजभाषा के संबंध में संविधान के उपबंधों और राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों का कार्यान्वयन करने वाला राजभाषा विभाग; और
- भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त का कार्यालय मुख्यत: जनगणना कार्यों, जिनमें जनगणना से संबंधित सभी आंकड़े होते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने से संबंधी मामलों को देखता है।

1.3 राजभाषा विभाग का एक अलग सचिव है और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू-कश्मीर विभाग और सीमा प्रबंधन विभाग केन्द्रीय गृह सचिव के अधीन काम करते हैं तथा आपस में एक-दूसरे से जुड़े हैं।

भावी कार्यों का विवरण :

1.4 व्यक्तियों के विकास, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एवं मजबूत, स्थिर एवं खुशहाल राष्ट्र के निर्माण के लिए शांति एवं सद्भावना अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं होती हैं। इस उद्देश्य के लिए यह परिकल्पना की गई है कि गृह मंत्रालय निम्नलिखित बातों के लिए पूरा प्रयास करेगा :-

- आंतरिक सुरक्षा को होने वाले सभी खतरों को समाप्त करना;
- समाज को अपराध-मुक्त वातावरण मुहैया कराना;
- सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नयन;
- कानून का शासन लागू करना और एक प्रभावी आपराधिक न्याय-प्रणाली उपलब्ध कराना;
- मानवाधिकारों के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखना;
- केन्द्र-राज्य संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाना तथा सुशासन को बनाए रखना;
- आंतरिक सीमाओं और तटीय सीमाओं का प्रभावशाली तरीके से प्रबंध करना;
- प्राकृतिक तथा मानव-जनित आपदाओं के परिणामस्वरूप कष्टों का प्रशमन करना; तथा
- सरकारी कामकाज में राजभाषा का प्रयोग आशानुकूल बनाना।

<u>लक्ष्य एवं उद्देश्य</u> :

1.5 गृह मंत्रालय के उत्तरदायित्व में विभिन्न प्रकार के विषय हैं। तथापि, मंत्रालय के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में, संक्षेप में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

- देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना;
- केन्द्र-राज्य संबंध को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में बढ़ावा देना;
- संघ राज्य क्षेत्रों का कुशल प्रशासन;
- राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का संरक्षण एवं संवर्धन;
- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का गठन, प्रशासन एवं तैनाती;
- राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण;
- मानवाधिकारों के सिद्धांतों का संरक्षण एवं उन्हें बढ़ावा देना;
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटवर्ती रेखा का प्रभावी रूप से प्रबंधन;
- आपदाओं से पैदा होने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा राहत प्रदान करना;
- स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए कार्य करना;
- दसवर्षीय जनगणना करना;
- मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं दुरुपयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण;
- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन; और
- भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) नियमों के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग का प्रशासन।

<u>नीतिगत-ढांचा :</u>

<u>आंतरिक सुरक्षा</u> :

<u>जम्मू और कश्मीर</u> :

1.6 वर्ष 2013-14 (31 मार्च, 2014 तक) में जम्मू एवं कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में आतंकवादी हिंसा के सभी मानदंडों के संदर्भ में काफी सुधार दिखाई दिया है। वर्ष 2013 में आतंकवादी हिंसा संबंधी आंकड़े/मानदंड, लगभग दो दशक पूर्व जम्मू एवं कश्मीर में विद्रोह के शुरू होने के बाद से अब तक न्यूनतम हैं। तथापि, वर्ष के दौरान

सुरक्षा बलों को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाली हमलों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यद्यपि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, तथापि निम्नलिखित प्रमुख कानून एवं व्यवस्था से संबंधित तथा सिविल उपद्रव हुए:

- 09 फरवरी, 2013 को अफजल गुरू की फांसी की खबर सार्वजनिक होने के फौरन बाद घाटी में स्वत: एवं व्यापक प्रदर्शन हुए।
- 18.07.2013 को जम्मू एवं कश्मीर में जिला रामवन के पुलिस थाना गूल में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और नागरिकों के बीच झड़प हुई जिसमें 4 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित 41 व्यक्ति घायल हुए।
- दिनांक 09.08.2013 को किश्तवाड़ कस्बे, जिला किस्तबाड़ में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगे भी हुए जो निकटवर्ती क्षेत्रों तक फैल गए तथा इनका जम्मू क्षेत्र के अन्य भागों में भी प्रभाव पड़ा; और
- 11 सितम्बर, 2013 को गागरन, शोपियां में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा फायरिंग में सिविलयन प्रदर्शनकारी की मौत से अलगाववादियों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं हुईं।

1.7 कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में 22.72 प्रतिशत की कमी आई है। तथापि सुरक्षा कार्मिकों की मौतों की संख्या में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में 253.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार की मौतों की संख्या में वृद्धि अफजल गुरु की फांसी के बाद उनके ऊपर हुए हमले में हुई। वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में नागरिकों की मौतों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013 में 67 आतंकवादियों को विभिन्न मुठभेड़ों/अभियानों में विफल कर दिया गया। वर्ष 2013 में घुसपैठ में वर्ष 2012 की तुलना में 4.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.8 राज्य सरकार के साथ मिलकर भारत सरकार ने सीमा पार से घुसपैठ पर नियंत्रण लगाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा और घुसपैठ के बदलते रहने वाले मार्गों पर बहु-मॉडल तैनाती, सीमा पर बाड़ का निर्माण, सुरक्षा बलों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण, बेहतर आसूचना और प्रचालन संबंधी समन्वय तथा घुसपैठ पर अंकुश लगाने और राज्य में आतंकवादियों के

विरुद्ध अग्र-सक्रिय कार्रवाई करने के लिए आसूचना के प्रवाह की सक्रियशीलता शामिल है। इस रणनीति के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार हैं:-

I. सीमाओं को सीमा-पार आतंकवाद से सुरक्षित रखने और आतंकवाद को रोकने के लिए सभी सुरक्षा बलों द्वारा अति सक्रिय रूप से समुचित उपाय करना।

II. राज्य में लंबे समय तक आतंकवाद के व्याप्त रहने के कारण पड़े प्रभावों से लोगों के समक्ष पैदा हुई सामाजिक-आर्थिक समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को स्थायी बनाए रखने तथा नागरिक (सिविल) प्रशासन की प्रमुखता को बहाल करने को सुनिश्चित करना।

III. स्थायी शांति प्रक्रिया सुनिश्चित करना और राज्य में अपने दृष्टिकोणों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ने वाले सभी वर्ग के लोगों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना तथा उनकी वास्तविक शिकायतों का निराकरण करना।

<u>विकास संबंधी प्रयास</u>

<u>जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना</u>

1.9 प्रधानमंत्री ने 17-18 नवम्बर, 2004 को जम्मू व कश्मीर के अपने दौरे के दौरान लगभग 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी जिसमें मोटे तौर पर जम्मू एवं कश्मीर में आर्थिक अवसंरचना एवं बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था का विस्तार करने, रोजगार एवं आय सृजन क्रियाकलापों पर जोर देने तथा आतंकवाद से प्रभावित विभिन्न समूहों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लक्ष्य वाली परियोजनाएं/योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना में शामिल सभी योजनाओं की वर्तमान अनुमानित लागत 36,418.47 करोड़ रु. है। उपगत व्यय 17284.55 करोड़ रु. है। जम्मू एवं कश्मीर के वर्ष 2013-14 के बजट में प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के लिए 600 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

1.10 पुनर्निर्माण योजना-2004 में परिकल्पित परियोजनाओं/योजनाओं को राज्य सरकार के परामर्श से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। योजना, जिसमें अर्थव्यवस्था के 11 क्षेत्रों को कवर करने वाली 67

परियोजनाएं/योजनाएं शामिल हैं, के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग गृह मंत्रालय एवं योजना आयोग द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। उपर्युक्त 67 परियोजनाओं/योजनाओं में से 34 परियोजनाएं/योजनाएं पूरी हो गई हैं। दो परियोजनाएं 'मुगल रोड' तथा 'उरी ।। एच ई पी' लगभग पूरी हो गई हैं। ग्रेटर जम्मू के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि तथा सुधार से संबंधित पूर्व-व्यवहार्यता संबंधी परियोजना तथा बाहरी सहायता से राज्य में स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण से संबंधित एक और परियोजना को प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना परियोजनाओं की सूची से हटा दिया गया है। शेष 29 परियोजनाओं में से 26 कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। तीन परियोजनाएं प्रारंभिक अवस्था में हैं:

<u>कुछ प्रमुख परियोजनाएं तथा उनकी प्रगति की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:-</u>

1.11 'जम्मू मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर के समान उन्नयन' संबंधी परियोजना पूरी कर ली गई है।

1.12 चुटक जल विद्युत परियोजना के सभी चार यूनिट शुरू हो गए हैं। निमू-बाजगो एच ई पी की सभी तीन यूनिटों की सफल शुरूआत के परिणामस्वरूप इन यूनिटों तथा स्टेशन का वाणिज्यिक प्रचालन 10.10.2013 से घोषित कर दिया गया। उरी ।। एच ई पी के सभी चारों यूनिट शुरू हो गए हैं तथा मार्च 2014 तक इनका वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो गया है। 'राज्य में सभी गांवों का विद्युतीकरण' नामक परियोजना के अंतर्गत नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन (एन एच पी सी) ने 3103 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है तथा गरीबी की रेखा से नीचे के 66,558 परिवारों को विद्युत कनेक्शन दे दिए गए हैं। 'जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में विद्युत ट्रांसमीशन एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण कार्य' संबंधी परियोजना के अंतर्गत 73 योजनाओं में से 43 योजनाएं (20 ग्रिड स्टेशन और 20 ट्रांसमिशन लाइन तथा 3 बे) पूरी की जा चुकी हैं।

1.13 नरबल-तंगमार्ग सड़क पूरी कर ली गई है। अन्य महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं अर्थात् बटोटे-किश्तवाड़ सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग 1बी) की डबल लेनिंग, कारगिल से होकर श्रीनगर-लेह सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग 1डी) की डबल लेनिंग, श्रीनगर-उरी-नियंत्रण रेखा सड़क का उन्नयन प्रगति पर है।

<u>जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यदल</u>

1.14 जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों के लिए दो विशेष कार्यदल, अवसंरचना की कमियों के विशेष संदर्भ में जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों की विकास संबंधी जरूरतों की जांच करने और समुचित सिफारिशें करने के लिए डॉ. अभिजीत सेन, सदस्य, योजना आयोग और डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में अक्तूबर, 2010 में गठित किए गए। विशेष कार्यदल ने फरवरी-मार्च, 2011 में अब अपनी रिपोर्टें दे दी है जिनमें उन्होंने जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों के लिए क्रमश: 497 करोड़ रुपये एवं 416 करोड़ रु. की कुल लागत से शीघ्र कार्यान्वयन हेतु अल्पकालिक परियोजनाओं की सिफारिश की है। एस टी एफ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान विशेष योजनागत सहायता के रूप में क्रमश: 250.00 करोड़ रुपये एवं 300.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

1.15 वर्ष 2013-14 के लिए राज्य योजना में जम्मू, लेह और कारगिल प्राथमिकता परियोजनाओं के लिए क्रमश: 70.00 करोड़ रु., 35.00 करोड़ रु. तथा 35.00 करोड़ रु. का आबंटन योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। अधिकांश योजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है। फरवरी 2014 तक इन परियोजनाओं पर 468.98 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

<u>**विशेष** उद्योग **पहल (एस आई आई जे एण्ड के)**</u>

1.16 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए एक रोजगार योजना प्रतिपादित करने हेतु डॉ. सी. रंगाराजन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल योजना की सिफारिश की है। जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल योजना का उद्देश्य पांच वर्ष की अवधि में जम्मू एवं कश्मीर के 40000 स्नातकों, स्नातकोत्तरों, व्यावसायिक डिग्री धारकों तथा तीन वर्षीय डिप्लोमा धारकों में कौशल विकास करना तथा उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रशिक्षित मानवशक्ति को अच्छी लाभदायक नौकरियां मुहैया कराना है। यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) तथा कॉर्पोरेट सैक्टर द्वारा पी पी पी मोड में कार्यान्वित की जा रही है। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित संशोधित मानदंडों के आधार पर योजना के विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर लिये गए हैं तथा जारी किए गए हैं।

1.17 परियोजना अनुमोदन समिति ने 61000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के 49 कॉर्पोरेटों के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। कॉर्पोरेटों द्वारा लगभग 8,661 उम्मीदवार छांटे गए हैं जिनमें से 4,497 उम्मीदवार पहले ही प्रशिक्षण में शामिल हो चुके हैं। पूरे राज्य के पुरूष एवं महिला दोनों वर्ग के चुने गए उम्मीदवार शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1,746 उम्मीदवारों ने अपना प्रशिक्षण पहले ही पूरा कर लिया है और उनमें से 1,101 को नौकरियों का प्रस्ताव किया गया है। अन्य कॉर्पोरेट्स उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में हैं और जल्दी ही प्रशिक्षण शुरू कर देंगे।

1.18 इस योजना में इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जून 2013 से हर समय सहायता के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। भागीदार कॉर्पोरेटों के साथ समन्वय करने और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए प्रत्येक कॉलेज में एक बैकएंड ढांचा स्थापित किया गया है जिसमें नोडल अधिकारी और छात्रों के दूत को शामिल किया गया है।

<u>जम्मू एवं कश्मीर में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भर्ती</u>

1.19 वर्ष 2011 के दौरान, विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जम्मू एवं कश्मीर के लिए आबंटित 3128 कांस्टेबल रिक्तियों के मुकाबले कर्मचारी चयन आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर के 502 उम्मीदवारों का चयन किया गया तथा 2234 उम्मीदवारों का चयन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा आयोजित की गई स्थानीय भर्ती रैलियों के माध्यम से किया गया है।

1.20 इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012 (2012-13) के लिए कांस्टेबल/जी डी की भर्ती भी पूरी कर ली गई है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए 3062 रिक्तियों की तुलना में अब तक 919 उम्मीदवारों का चयन कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तथा 1918 उम्मीदवारों का चयन भर्ती रैलियों के माध्यम से किया गया है।

<u>पूर्वोत्तर</u> :

1.21 पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इन संगठनों से बातचीत करने की इच्छा, बशर्ते कि ये हिंसा का परित्याग करें, भारत के संविधान

के दायरे में अपनी मांगों का समाधान कराएं तथा राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हों। इस नीति में हिंसा और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले तत्त्वों के विरुद्ध सतत् विद्रोह-रोधी अभियान भी शामिल हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघ सरकार भी, विद्रोह-रोधी अभियानों में राज्य प्राधिकारियों की सहायता करने तथा खतरे के आकलन के आधार पर सुभेद्य संस्थानों और प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है। सीमा पर बाड़, सीमावर्ती सड़कों के निर्माण तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने और सूचना का आदान-प्रदान करने सहित सीमा पर सतर्कता और चौकसी रखने के प्रयोजनों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। एस आर ई (सुरक्षा संबंधी व्यय) के अंतर्गत विद्रोह विरोधी अभियानों तथा भारतीय रिजर्व बटालियनों आदि के रूप में अतिरिक्त बल गठित करने के लिए सहायता के अलावा पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के अधीन स्थानीय पुलिस बलों एवं आसूचना एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1.22 सरकार की नीति के अनुसरण में तथा हिंसा की व्यर्थता को स्वीकार करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक उग्रवादी संगठन शांतिवार्ता के लिए आगे आए हैं तथा उन्होंने अपनी शिकायतों के समाधान की मांग की है। आतंकवादियों के समर्पण/गिरफ्तारियां होती रही हैं। इसके अतिरिक्त, भूमिगत गुटों के साथ संवाद/बातचीत की गई है तथा अभियानों का निलंबन संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सीमा पार के आतंकवाद पर नियंत्रण लगाने के लिए म्यांमार के साथ जिला स्तर पर सीमा सम्पर्क कार्यालयों (बी एल ओ) की बैठकों के अतिरिक्त प्रति वर्ष गृह सचिव के स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की बैठकें तथा संयुक्त सचिव के स्तर पर सैक्टोरल स्तर की बैठकें आयोजित की जाती हैं। बंगलादेश के संबंध में भी दोनों देशों के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रति वर्ष गृह मंत्री के स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।

<u>वर्ष 2013-14 में हासिल महत्वपूर्ण परिणाम</u>

1.23 असम में भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों के परिणामस्वरूप नेशनल डेमोक्रेटिव फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी)/प्रोग्रेसिव), एन डी एफ बी (रंजन दायमरी) और यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की गई। एन डी एफ बी/पी और एन डी एफ बी/आर डी के साथ अभियान निलंबन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा इसे क्रमश: 01.06.2005 और 29.11.2013 से

कार्यान्वित किया जा रहा है। एन डी एफ बी के साथ अभियान निलंबन करार को 30.09.2014 तक बढ़ाया गया है। उल्फा के साथ वार्ताओं में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा उनकी मांगों पर भी चर्चा करने के लिए असम सरकार और यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के प्रतिनिधियों को शामिल करके दिनांक 7.03.2013 और 26.06.2013 को त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिव सोलेडेरिटी (यू पी डी एस) तथा डी एच डी के गुटों के साथ भी त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर क्रमश: नवंबर, 2011 और अक्तूबर 2012 में हस्ताक्षर किए गए जिसमें क्षेत्र के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज सहित मौजूदा स्वायत्त परिषदों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। यू पी डी एस, डी एच डी (जे) और डी एच डी (एन) ने अपने संगठनों को भंग कर दिया है। यू पी डी एस तथा डी एच डी गुट के नेताओं ने जनवरी 2012 और मई 2013 में हुए स्वायत्त परिषदों के चुनाव में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, आदिवासी संगठनों अर्थात् आदिवासी कोबरा मिलेट्री ऑफ असम (ए सी एम ए), आदिवासी पीपल्स आर्मी (ए पी ए), संथाली टाइगर फोर्स (एस टी एफ), बिरसा कमांडो फोर्स (बी सी एफ) तथा ऑल आदिवासी नेशनल लिब्रेशन आर्मी (ए ए एन एल ए) और असम में कुकी और हमार के अन्य चार संगठनों ने अपने हथियार समर्पण कर दिए और वे शांति प्रक्रिया में शामिल हो गए।

1.24 मणिपुर में, दो बड़े संगठनों अर्थात् यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट (यू पी एफ) और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (के एन ओ) के अधीन कुल 19 भूमिगत संगठनों ने अभी भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ अभियान निलंबन करार किया हुआ है। बड़ी पहलों के परिणामस्वरूप मणिपुर में तीन मैतई विद्रोही संगठनों ने अपने कॉडरों और नेताओं के समर्पण के बारे में 13.02.2013 को भारत सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 30.08.2013 को कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (के एन ओ) तथा यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट (उल्फा) के साथ नई दिल्ली में अभियान निलंबन करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इन संगठनों के साथ अभियान निलंबन समझौते को 21.08.2014 तक बढ़ा दिया गया है। यूनाइटेड रिबोल्युशनरी फ्रंट (यू आर एफ), जिसमें कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी) और इसके सैन्य विंग, मणिपुर आर्मी (एम ए) शामिल हैं, ने आत्मसमर्पण कर दिया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा गुट के सी पी (लेंफेल) था, जिसमें इसके तीनों गुटों ने भी हथियारों का त्याग कर दिया। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा संगठन के वाई के एल (एम डी एफ) के दो संगठन थे।

इन्होंने भी हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इन संगठनों को कुल 197 कॉडरों ने 13.02.2013 को विभिन्न प्रकार के 138 हथियार समर्पण कर दिए। एक बड़े घटनाक्रम में यूनाइटेड पीपल्स पार्टी ऑफ कांगली पाक (यू पी पी के) ने 24.05.2013 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उग्रवादी संगठन के 80 कॉडर शांति प्रक्रिया में शामिल हुए तथा अपने हथियारों का समर्पण कर दिया। दिनांक 17.07.2013 को यूनाइटेड ट्राइबल्स लिब्रेशन फ्रंट (यू टी एल ए-एस के थडाउ ग्रुप) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए तथा उन्होंने 34 कॉडरों और 25 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। 09 सितम्बर, 2013 को जिला इम्फाल वेस्ट (मणिपुर) में कुल 155 भूमिगत कॉडरों {कुकी रिवोल्युशनरी फ्रंट (के आर एफ)-53, कुकी नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (के एन एल एफ)-50, कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी/नांगड्रेन्कखोम्बा)-44 और कांगली याओल कान्ना लुप (के वाई के एल)-08} ने 134 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। दिनांक 06.02.2014 को भारत सरकार, मणिपुर की राज्य सरकार और मणिपुर की यूनाइटेड नागा परिषद के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई। यू एन सी नेतृत्व द्वारा की गई मांग के अनुसार उनकी व्यापक मांगों पर विचार करने के लिए समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

125 नेशनल सोसोलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन/आई एम), एन एस सी एन/के तथा एन एस सी एन/के के, नागालैंड के प्रमुख संगठनों ने भारत सरकार के साथ युद्ध विराम किया हुआ है तथा उनके साथ हस्ताक्षरित अभियान निलंबन समझौता 31.03.2015 तक वैध है। मेघालय में अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल (ए एन वी सी), जिसने 23.06.2004 से सरकार के साथ अभियान निलंबन करार किया हुआ है, 23.01.2014 और 28.03.2014 को शिलांग में आयोजित त्रिपक्षीय बैठकों में शामिल हुईं। ए एन वी सी से अलग हुआ गुट ए एन वी सी (बी) भी भारत सरकार, मेघालय राज्य सरकार तथा ए एन वी सी के बीच अंतिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बोर्ड में आया। राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 28.02.2014 को हुई अपनी बैठक में भारत सरकार, मेघालय और ए एन वी सी के बीच हस्ताक्षरित समझौते के सहमत पाठ के कार्यान्वयन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

1.26 म्यांमार और भारत के बीच 20वीं सेक्टोरियल स्तर की बैठक (संयुक्त कार्यदल) 19-20 जून, 2013 को बागन, म्यांमार में हुई।

I. भारतीय पक्ष ने म्यांमार में भारतीय विद्रोही संगठनों की मौजूदगी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। इस संदर्भ में म्यांमार से यह अनुरोध किया गया कि वह भारत-म्यांमार सीमा पर विद्रोही संगठनों के अभियानों को न चलने दे।

II. दोनों पक्ष सशस्त्र संगठनों के सीमा पार से आवागमन को रोकने के लिए सूचना का आदान प्रदान करने तथा सहयोग करने पर सहमत हो गए।

III. दोनों पक्षों ने शस्त्रों की तस्करी, मादक द्रव्य के अवैध व्यापार को समाप्त करने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। म्यांमार पक्ष 2014 में दोनों पक्षों के बीच मादक द्रव्य नियंत्रण के बारे में सहयोग करने के लिए एक वरिष्ठ स्तर की बैठक आयोजित करने पर सहमत हो गया।

IV. सीमा प्रबंधन मुद्दों पर म्यांमार ने सीमा चौकी 79-81, सीमा चौकी-155 और सीमा चौकी 145-146 के निकट भारत-म्यांमार सीमा पर भारतीय निर्माणों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। यह स्पष्ट किया गया कि म्यांमार द्वारा उल्लेख किए गए ढांचों को पहले ही हटा दिया गया है तथा कुछ को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय पक्ष ने इस बार पर जोर दिया कि इंटरमीडियरी अतिरिक्त पिलर से अंतर-पिलर दृश्यता संभव हो पाएगी जिससे 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' के 10 मीटर के भीतर ढांचों की स्थापना से बचने में मदद मिलेगी।

V. इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में म्यांमार मछुआरों द्वारा अवैध मानव व्यापार तथा चोरी, वन्य जीव अंगों के अवैध व्यापार और म्यांमार पुलिस अधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर चर्चा की।

1.27 भारत और बांगलादेश के बीच संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक 18 जुलाई, 2013 को हुई। संयुक्त कार्यदल की इस बैठक के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री शंभू सिंह, संयुक्त सचिव ने किया और भारत और बांगलादेश के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता 19-23 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में हुई। गृह सचिव स्तर की वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री अनिल गोस्वामी, केन्द्रीय गृह सचिव ने किया और बांगलादेश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री सी. क्यू. के. मुस्ताक अहमद, वरिष्ठ सचिव, गृह मंत्रालय, बांगलादेश सरकार ने किया। इस बैठक में सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विभिन्न करारों के कार्यान्वयन, भू-सीमा करार के अनुसमर्थन, दंडित व्यक्तियों और मछुआरों के प्रत्यावर्तन, जाली मुद्रा के बारे में संयुक्त कार्यदल की

स्थापना, सीमा पर बाड़ का निर्माण, सीमा पर खंभों के रखरखाव के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने सीमावर्ती जिलों के जिला मजिस्ट्रटों/ डी सी के साथ नियमित बैठक आयोजित करने, मानवों और मादक द्रव्य के अवैध व्यापार पर नियंत्रण लगाने संबंधी तंत्र, सीमा पार से होने वाले आवागमन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने, वीजा और कंसूलर मामलों तथा क्षमता निर्माण आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1.28 01.01.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी संगठनों के कुल 711 कॉडरों ने 456 हथियारों/शस्त्रों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों के समर्पण करने वाले उग्रवादियों का राजय-वार और संगठन-वार सार निम्न प्रकार है:-

असम	वर्ष	उल्फा	एन डी एफ बी	एन एस सी एन	अन्य	कुल
आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	2013	41	28	02	21	**92**
	2014 (31.3.2014 तक)	01	27	-	06	**34**
समर्पण किए गए हथियार	2013	29	26	02	15	**72**
	2014(31.3.2014 तक)	-	11	-	03	**14**

मेघालय	वर्ष	एच एन एल सी	ए एन वी सी/बी	जी एन एल ए	अन्य	कुल
आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	2013	02	03	02	03	**10**
	2014(31.3.2014	01	-	01	01	**03**

	तक)					
समर्पण किए गए हथियार	2013	-	01	02	-	**03**
	2014(31.3.2014 तक)	-	-	01	01	**02**

त्रिपुरा	वर्ष	ए टी टी एफ	एन एल एफ टी/बी	एन एल एफ टी/एन	अन्य	कुल
आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	2013	02	19	-	01	**22**
	2014(31.3.2014 तक)	-	10	-	01	**11**
समर्पण किए गए हथियार	2013	-	09	-	01	**10**
	2014(31.3.2014 तक)	-	01	-	01	**02**

नागालैंड	वर्ष	एन एस सी एन (खोले)	एन एस सी एन(आई/एम)	एन एस सी एन(के)	अन्य	कुल
आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	2013	01	-	-	-	**01**
	2014(31.3.2014 तक)	-	-	-	-	**-**
समर्पण किए गए हथियार	2013	-	-	-	-	**-**
	2014(31.3.2014 तक)	-	-	-	-	**-**

मणिपुर	वर्ष	मैतई	कुकी	नागास	अन्य	कुल
आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	2013	326	186	-	01	**513**
	2014(31.3.2014 तक)	23	-	-	-	**23**
समर्पण किए गए हथियार	2013	168	160	-	01	**329**
	2014(31.3.2014 तक)	22	-	-	-	**22**

अरूणाचल प्रदेश	वर्ष	एन एस सी एन (के)	एन डी एफ बी	एन एस सी एन-आई/एम	अन्य	कुल
आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	2013	02	-	-	-	**02**
	2014(31.3.2014 तक**)**	-	-	-	-	**-**
समर्पण किए गए हथियार	2013	02	-	-	-	**02**
	2014(31.3.2014 तक)	-	-	-	-	**-**

1.29 असम और मणिपुर राज्यों में बड़ी तादाद में हिंसा की विद्रोह संबंधी घटनाएं जारी हैं। नागालैंड और मेघालय में हिंसा का स्तर पूर्व वर्ष से ऊँचा है। त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम में शांति बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में, कुछ घटनाओं को छोड़कर, माहौल सामान्य रूप से शांतिपूर्ण है।

<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र</u> :

1.30 अब पिछले कुछ वर्षों से देश के कुछ भागों में अनेक वामपंथी उग्रवादी संगठन सक्रिय बने हुए हैं। वर्ष 2004 में हुए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उस समय आंध्र प्रदेश में सक्रिय पीपल्स वार (पी डब्ल्यू) तथा बिहार और पड़ोसी क्षेत्रों में सक्रिय माओवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम सी सी आई) का सी पी आई (माओवादी) में विलय हो गया है। सी पी आई (माओवादी) एक प्रमुख वामपंथी

उग्रवादी संगठन है, जो हिंसा की अधिकांश घटनाओं और आम नागरिकों तथा सुरक्षा बल कार्मिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार है तथा इसे, इसके सभी गुटों और प्रमुख संगठनों सहित, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत राष्ट्र के विरुद्ध सी पी आई (माओवादी) का सशस्त्र विद्रोह का सिद्धांत हमारी संवैधानिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने हिंसा का त्याग करने तथा बातचीत के लिए आगे आने के लिए वामपंथी उग्रवादियों का आहवान किया है। इस अनुरोध को उनके द्वारा ठुकरा दिया गया है क्योंकि वे अपने उद्देश्य को हासिल करने के साधनों के रूप में हिंसा में विश्वास रखते हैं। इसके परिणामस्वरूप देश के अनेक भागों में हिंसा की घटनाएं होती रही हैं। आदिवासी जैसे गरीब और हाशिये पर आए वर्ग इस हिंसा की पीड़ा झेल रहे हैं। अनेक सदाशय तथा उदार बुद्धिजीवी, माओवादी विद्रोह के सिद्धांत, जो हिंसा का महिमामंडन करता है तथा तथाकथित वर्ग-शत्रुओं के विनाश में विश्वास करता है, के सभी स्वरूप को समझे बिना माओवादियों के प्रचार के झांसे में आ जाते हैं। वर्ष 2007 से सी पी आई (माओवादी) काडरों द्वारा 3000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। मारे गए नागरिकों में अधिकतर आदिवासी हैं जिनको निर्ममतापूर्वक यातना देने और मारे जाने से पूर्व 'पुलिस मुखबिरों' की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में आदिवासी तथा आर्थिक रूप से निर्धन वर्ग तथाकथित प्रतिबंधित पीपल्स वार ऑफ सी पी आई (माओवादी) के सबसे अधिक पीड़ित बने हैं।

<u>विजन/नीतिगत ढांचा</u> :

1.31 सरकार का दृष्टिकोण वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों से समग्र तरीके से निपटने का है जिसमें सुरक्षा, विकास, प्रशासन और जन अवबोधन के क्षेत्र शामिल हैं। इस दशकों पुरानी समस्या से निपटने में संबंधित राज्य सरकारों से विभिन्न उच्च स्तरीय विचार-विमर्श और बातचीत के बाद यह उचित समझा गया है कि एक ऐसे एकीकृत दृष्टिकोण से परिणाम निकलेंगे जिसमें अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए, वामपंथी उग्रवाद की हिंसा के विस्तार और प्रवृत्तियों का विस्तृत अध्ययन किया गया और विभिन्न योजनाएं तैयार करने, उनके कार्यान्वयन तथा निगरानी पर विशेष ध्यान देने के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नौ राज्यों के 106 प्रभावित जिलों को लिया गया। तथापि, चूंकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के

संबंध में कार्रवाई मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है और उनके प्रयासों में अनेक तरीकों से सहायता करती है। इनमें शामिल है- केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल तथा दृढ़ कार्रवाई कमांडो बटालियनें (कोबरा) मुहैया कराना; इण्डिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति प्रदान करना; विद्रोह-रोधी तथा आतंकवाद-रोधी स्कूलों की स्थापना; राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत राज्य पुलिस और उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन; सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति; वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना की योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण अवसंरचना की कमियों को पूरा करना; नक्सल रोधी अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराना; रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता; आसूचना का आदान-प्रदान; अन्तर-राज्य समन्वय को सुगम बनाना; सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा सिविक कार्रवाइयों में सहायता करना आदि। इसके पीछे जो सोच है वह ठोस तरीके से माओवादी खतरे से निपटने में राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि करने की है। यह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना तथा भारत सरकार की अन्य विभिन्न विकास और अवसंरचना पहलों के कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है।

1.32 प्रधानमंत्री ने 14 जुलाई, 2010 को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की अध्यक्षता की तथा वामपंथी उग्रवाद के बढ़ते खतरे पर अंकुश लगाने में प्रभावित राज्यों को अधिक सहायता प्रदान करने के संबंध में अनेक निर्णय लिए गए। इसके अनुसरण में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित नए कदम उठाए गए हैं :

(i) वामपंथी उग्रवादी हिंसा से सर्वाधिक रूप से प्रभावित छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में एकीकृत कमान की स्थापना की गई। इस एकीकृत कमान में सिविल प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले सिविल अधिकारियों के अतिरिक्त सुरक्षा स्थापना से अधिकारी होंगे तथा यह बड़ी सावधानी के साथ सुनियोजित नक्सल-रोधी अभियान चलाएगी।

(ii) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा राज्यों में कमान एवं नियंत्रण ढांचे की पुनर्संरचना की गई है

तथा इनमें से प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई है जो राज्य में महानिरीक्षक (नक्सल-रोधी अभियान) के गहन समन्वय में कार्य करेगा।

(iii) केन्द्र सरकार ने, मौजूदा आबंटनों के अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 80:20 के आधार पर वित्त पोषण की व्यवस्था से 2.00 करोड़ रु. प्रति पुलिस थाने की दर पर पूरी तरह से सुरक्षित 400 पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए एक नई योजना अनुमोदित की है।

(iv) त्वरित विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं और दशाओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न विकास कार्यक्रमों और फ्लैगशिप योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी मौजूदा अनुदेशों को अधिभावी बनाने अथवा उन्हें आशोधित करने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर अधिकारियों के एक अधिकार-प्राप्त दल का गठन किया गया है।

(v) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों से कहा गया है कि वे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी ई एस ए), जिसमें लघु वन उत्पादों पर ग्राम सभाओं को स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं, के उपबंधों को प्राथमिकता आधार पर प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करें।

<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं</u>

<u>सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) स्कीम</u> :

1.33 सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्य सरकारों को वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में मारे गए सिविलियनों/सुरक्षा बलों के परिवार को अनुग्रह भुगतान, पुलिस कार्मिकों के बीमा, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं, समर्पण नीति के अनुसार समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कॉडरों को मुआवजे के संबंध में 106 जिलों के व्यय की प्रतिपूर्ति करता है तथा बीमा, सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं, संबंधित राज्य सरकार की समर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुसार समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कॉडरों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था,

ग्राम रक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसंरचना और प्रचार सामग्री से संबंधित आवर्ती व्यय के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों को 207.08 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

<u>विशेष अवसंरचना योजना</u> :

1.34 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना अवसंरचना संबंधी महत्वपूर्ण कमियों, जिन्हें मौजूदा योजनाओं में शामिल नहीं किया जा सकता है, को पूरा करने के लिए 500.00 करोड़ रु. के परिव्यय से ग्यारहवीं योजना में अनुमोदित की गई थी। ये अगम्य क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों/मार्गों का उन्नयन करके पुलिस/सुरक्षा बलों के लिए सुरक्षा की आवश्यकताओं, दूरस्थ और अंदरूनी क्षेत्रों के रणनीतिक स्थलों पर सुरक्षित शिविर स्थलों और हेलीपैडों को उपलब्ध कराने, संवेदनशील क्षेत्रों में मौजूद पुलिस थानों/आउटपोस्टों की सुरक्षा को बढ़ाने संबंधी उपायों से संबंधित हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों को 445.82 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में के विशेष बलों के उन्नयन तथा उनकी अवसंरचना संबंधी गंभीर कमियों को पूरा के लिए अवसंरचना, प्रशिक्षण, हथियार, उपकरणों और वाहनों के वित्त पोषण के अतिरिक्त उद्देश्य से इस योजना का 12वीं योजना तक विस्तार किया गया है। 12वीं योजना अवधि के दौरान 75 (केन्द्रीय): 25 (राज्य) के वित्त पोषण के पैटर्न पर 373.00 करोड़ रु. की कुल लागत, जिसमें 280.00 करोड़ रु. केन्द्र का हिस्सा है तथा 93.00 करोड़ रु. राज्य का हिस्सा है, 02.04.2013 को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रभावित राज्यों को 74.13 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

<u>आतंकवादी, साम्प्रदायिक एवं नक्सली हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों/उनके परिवारों की सहायतार्थ केन्द्रीय योजना</u> :

1.35 भारत सरकार 'आतंकवादी/सांप्रदायिक/नक्सली हिंसा के सिविलयन पीड़ितों की सहायता संबंधी केन्द्रीय योजना' नामक एक योजना लागू कर रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित परिवार को प्रत्येक मृत्यु अथवा स्थाई अशक्तता (विकलांगता 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक) के लिए 3.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रारंभ में यह योजना आतंकवादी/सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए थी जिसे

22.06.2009 से नक्सली हिंसा के सिविलयन पीड़ितों के लिए भी लागू कर दिया गया है।

<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता:-</u>

1.36 योजना आयोग अन्य बातों के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 71 जिलों सहित 82 चुनिंदा जनजातियों और पिछड़े जिलों में एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रभावित/उससे सटे जिलों में लोक अवसंरचना और सेवाएं मुहैया कराना है। एकीकृत कार्य योजना वर्ष 2010-11 से शुरू की गई थी। एकीकृत कार्ययोजना के अंतर्गत् प्रारंभिक वर्ष में आबंटन 25.00 करोड़ रु. प्रति जिला था जिसे बढ़ाकर वर्ष 2011-12 और 2012-13 में 30.00 करोड़ रु. प्रति जिला कर दिया गया।

1.37 सरकार ने 01.08.2013 को ''वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता'' के रूप में एकीकृत कार्य योजना को जारी रखे जाने का अनुमोदन किया है जिसमें एकीकृत कार्ययोजना के अंतर्गत पूर्व में शामिल 82 जिलों सहित 88 जिले तथा 6 अतिरिक्त जिले (छत्तीसगढ़ के 4 और महाराष्ट्र के 2) शामिल होंगे। प्रत्येक जिले को वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए 30 करोड़ रु. वार्षिक रूप से आबंटित किए जाएंगे तथा इसके लिए धनराशि को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से अंतरित नहीं किया जाएगा। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार एकीकृत कार्य योजना/ए ए सी के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों को 6970.00 करोड़ रु. की केन्द्रीय निधि जारी की गई है।

<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क आवश्यकता संबंधी योजना</u> :

1.38 8 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 34 जिलों में सड़क सम्पर्क में सुधार के लिए फरवरी, 2009 में सड़क आवश्यकता योजना (आर आर पी) का प्रथम चरण-I अनुमोदित किया गया। मूल आर आर पी-I में 7,300.00 करोड़ रु. की लागत से 5,565 कि.मी. सड़क के विकास की परिकल्पना की गई थी। आर आर पी-I, जो अब कार्यान्वयनाधीन है, में 5,477 कि.मी. लंबी सड़कें शामिल हैं। 01.03.2014 की स्थिति के अनुसार 5477 किलोमीटर की कुल अनुमोदित लंबाई में

से कुल 2840 किलोमीटर का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इस पर कुल 3609.00 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई है।

<u>पूर्णत: सुरक्षित पुलिस थानों की योजना</u> :

1.39 पूर्णत: सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों तथा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत 80:20 (केन्द्रीय हिस्सा:राज्य हिस्सा) के आधार पर सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत शामिल 106 जिलों में 2.00 करोड़ रु. प्रति पुलिस थाने की दर से पूर्णत: सुरक्षित 400 पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव किया गया है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों को केन्द्रीय हिस्से की 489.65 करोड़ रु. की कुल राशि जारी की जा चुकी है।

<u>नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम</u> :

1.40 इस योजना के अंतर्गत, प्रभावित राज्यों में नागरिक (सिविक) कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वित्तीय अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं। यह एक सफल योजना है जिसका उद्देश्य स्थानीय जनता तथा सुरक्षा बलों के बीच सेतु का काम करना है। वर्ष 2013-14 के दौरान प्रभावित राज्यों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम चलाने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में तैनात किए गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 15.79 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

<u>निष्कर्ष</u>

1.41 भारत सरकार का यह विश्वास है कि विकास और सुरक्षा संबंधी पहलों दोनों के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद की समस्या से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है। तथापि, यह स्पष्ट है कि माओवादी कम विकास जैसे मुख्य कारणों का सार्थक तरीके से समाधान करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे विद्यालय भवनों, सड़कों, रेलवे, पुलों, स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना, संचार सुविधाओं आदि को व्यापक रूप से निशाना बनाने का सहारा लेते हैं। ये अपनी पुरानी विचारधारा कायम रखने के लिए अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में लोगों को हाशिये पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित देश के अनेक भागों में विकास की प्रक्रिया दशकों पीछे चली गई है।

सिविल समाज तथा मीडिया को यह बात समझनी होगी ताकि माओवादियों पर हिंसा छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने तथा इस तथ्य को समझने के लिए दबाव बनाया जा सके कि 21वीं सदी के भारत की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक प्रगति तथा आकांक्षाएं माओवादी नजरिए से पूरी होने वाली नहीं हैं। सरकार ऊपर स्पष्ट की गई रणनैतिक सोच के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद की समस्या को समाप्त करने के प्रति आशावादी है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण वामपंथी उग्रवादी हिंसा में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2011, 2012 और 2013 में काफी कमी आई है। सरकार के बहु-आयामी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।

<u>आतंकवाद का मुकाबला करना</u> :

1.42 सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि आतंकवाद का खतरा न तो समाप्त हुआ है और न ही कम हुआ है और तदनुसार 26.11.2008 के बाद से उठाए गए विभिन्न कदमों पर सतत रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की गई है, उनमें सुधार किया गया है तथा उन्हें समेकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार सभी राज्यों में आतंकवाद/उग्रवाद का सामना करने के लिए वचनबद्ध हैं क्योंकि कोई भी कारण, चाहे वह वास्ततिवक हो या काल्पनिक, किसी भी रूप में आतंकवाद या हिंसा को सही नहीं ठहरा सकता है। साथ ही, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी कटिबद्ध है कि न केवल बड़े आतंकवादियों बल्कि आतंकवादी कृत्य करने वालों, उनके मार्गदर्शकों और षडयंत्रकारियों को कानून के कटघरे में लाया जाए, उनको अभियोजित किया जाए तथा अधिकतम सज़ा दी जाए। वर्ष 2013-14 के दौरान सुरक्षा बलों को इंडियन मुजाहुद्दीन अर्थात् यासीन भटकल, असादुल्ला अख्तर, तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और जियाउररहमान उर्फ बकाश जैसे बड़े मास्टर माइंड की गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने सर्वाधिक रूप से वांछित आतंकवादी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को भी गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां आतंकवाद के खतरे से लड़ाई में एक बड़ी सफलता है तथा देश के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को सजा दिलाने के सरकार के संकल्प को भी दर्शाती है।

1.43 सरकार आतंकवाद के वित्तपोषण को समाप्त करने तथा ध्वस्त करने के लिए भी कटिबद्ध है। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (2008 में यथा संशोधित) की धारा 51क के उपबंधों के अंतर्गत 49 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। 01.02.2013 से प्रवृत्त विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप

(निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन करके कानूनी प्रणाली को और सुदृढ़ बनाया गया है।

1.44 उच्च गुणवत्ता वाली जाली भारतीय मुद्रा की प्रस्तुति अथवा तस्करी अथवा उसके परिचालन को "आतंकवादी कृत्य" घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012 के अंतर्गत ऐसे मामलों की जांच के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में 29.09.2013 को "उच्च गुणवत्ता वाली जाली भारतीय मुद्रा संबंधी अपराध की जांच संबंधी नियम, 2013" अधिसूचित किए गए हैं।

<u>जांच और अभियोजन एजेंसियां</u>

1.45 राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत एक सेंट्रल काउंटर लॉ एनफॉरशमेंट एजेंसी के रूप में किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को पर्यटन से संबंधित ऐसे अपराधों, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा तथा अखण्डता, राज्य की सुरक्षा तथा दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों, करारों, अभिसमयों और संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को लागू करने के लिए अधिनियमित अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराधों तथा उनसे संबंधित और आनुषांगिक मामलों की जांच करने तथा अभियोग चलाने का कार्य सौंपा गया है। इसके अधिदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवाद से संबंधी सूचनाएं इकट्ठी करती है, उनका मिलान और विश्लेषण करती है उनकी जांच करती है तथा सहयोगी आसूचना एजेंसियों तथा केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधि प्रवर्तन यूनिटों के साथ सूचनाओं को साझा करती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके शाखा कार्यालय हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ और कोचि में हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की नफरी 735 है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए मामलों के विचारण के लिए 28 राज्यों तथा 7 संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 38 विशेष न्यायालय गठित/अधिसूचित किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 31.03.2014 तक कुल 80 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें से 45 मामलों में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच किए गए और अभियोजन चलाए गए आठ मामलों में 27 अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया है।

पाकिस्तान से न्यायिक आयोग का दौरा

1.46 भारत में चार अभियोजन गवाहों से जिरह तथा फिर से पूछताछ के द्‌वारा पाकिस्तान में में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के संबंध में साक्ष्य दर्ज करने के लिए पाकिस्तान का न्यायिक आयोग 23-25 सितम्बर, 2013 को मुंबई आया। न्यायिक आयोग की कार्रवाईयां अपर मुख्य मेट्रो पोलिटन मजिस्ट्रेट, श्री पी वाई लाडेकर, एसप्लेंडे न्यायालय मुंबई में सफलतापूर्वक निष्पादित की गईं। अब उक्त न्यायिक आयोग की कार्रवाईयों, जिन्हें पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से पाकिस्तानी प्राधिकारियों को अग्रेषित किया जा चुका है, का प्रयोग 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान में गिरफ्तार 7 अभियुक्तों के विरुद्ध ए टी सी कोड, रावलपिंडी में अभियोजन द्‌वारा किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड: (नेटग्रिड)

1.47 सरकार ने गृह मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में नेटग्रिड की स्थापना की है जिसका कार्य आतंकवाद तथा आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों को कार्रवाई योग्य आसूचना उपलब्ध कराने के लिए डाटाबेसों को जोड़ना है। नेटग्रिड प्राधिकृत विधि प्रवर्तन और आसूचना एजेंसियों को संदिग्ध आतंक की गतिविधियों, व्यक्तियों, संगठनों, उनके लेनदेन के बारे में सूचना मुहैया कराकर दूरसंचार, बैंकिंग, एयरलाइंस आदि जैसे 80 से अधिक प्रदाता संगठनों को जोड़कर आसूचना संबंधी जानकारी के मिलान के लिए मौजूदा मेनुअल प्रक्रिया को स्वचालित बनाना है तथा इससे भारत की आतंकवाद से लड़ने की क्षमताओं में वृद्धि होगी। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 13.03.2014 को हुई अपनी बैठक में फाउंडेशन, हॉरिजन । तथा इस परियोजना के हॉरिजन ।। के कुछ तत्वों के कार्यान्वयन के लिए 30.06.2016 तक नेटग्रिड परियोजना के विस्तार की स्वीकृति प्रदान की है। अवसंरचना के निर्माण के लिए दिल्ली और बैंगलोर में भूमि आबंटित की जा चुकी है। निर्माण कार्य करने के लिए एन बी सी सी को नामित किया गया है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो:

1.48 14 नवम्बर, 1985 से प्रभावी स्वापक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन से एक केन्द्रीय प्राधिकरण का गठन करने के लिए इस

अधिनियम की धारा 4 (3) में स्पष्ट उपबंध किया गया। इस उपबंध के अनुसरण में भारत सरकार ने 17 मार्च, 1986 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया। राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण रणनीति में आपूर्ति और मांग न्यूनीकरण उपाय शामिल हैं। बहु-एजेंसी दृष्टिकोण में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद, डीआरआई, सीबीएन, सीमा रक्षक बल, राज्य पुलिस, आबकारी, वन विभागों आदि जैसी अनेक केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को उक्त अधिनियम, जिसमें कड़े कानूनी ढांचे का प्रावधान है (गैर-जमानती अपराध, 20 वर्ष तक कारावास, पुन: किए गए कतिपय अपराधों के लिए मृत्युदंड, त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय आदि), के विभिन्न उपबंधों को प्रवृत्त और कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान की गई है। मादक द्रव्य संबंधी मामलों में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय करारों/सहमति ज्ञापन के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय, नियंत्रित डिलीवरी और समन्वित अभियान भी मादक द्रव्य नियंत्रण रणनीति का मुख्य भाग है। केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन यह ब्यूरो निम्नलिखित के संबंध में उपाय करने के लिए केन्द्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कार्य करता है :-

- एन डी पी एस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम तथा एन डी पी एस अधिनियम, 1985 के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाईयों का समन्वय।
- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों (1961, 1971 और 1988) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के विरुद्ध प्रतिरोधी उपायों के संबंध में दायित्वों का निर्वहन।
- इन मादक द्रव्यों तथा पदार्थों के अवैध व्यापार के निवारण तथा नियंत्रण के समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए विदेशों में संबंधित प्राधिकारियों और संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता।
- मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा की गई कार्रवाई का समन्वय।

1.49 यह ब्यूरो निम्नलिखित कार्य कर रहा है :-

(i) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर स्वापक द्रव्य तथा मन:प्रभावी पदार्थों की तस्करी, व्यापार और दुरुपयोग से संबंधित आसूचना का संग्रहण, मिलान और प्रचार।

(ii) मादक द्रव्यों की तस्करी, व्यापार की कार्य प्रणाली, मूल्य ढांचे, विपणन के तरीके द्रव्यों के वर्गीकरण, उनके व्यापार और उपभोग का अध्ययन ताकि क्षेत्र कार्यालयों को सतर्क किया जा सके और कमियों को दूर किया जा सके।

(iii) केन्द्र और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाइयों का समन्वय तथा ऐसे मामलों की कार्रवाइयों में सहायता करना जो अन्तर-राज्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हों।

(iv) अन्य मादक द्रव्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पर्क, सहयोग और समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

(v) मादक द्रव्य संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में सदैव पूर्ण और विस्तृत तथा अद्यतन जानकारी रखना तथा कमियों को दूर करने और जहां-कहीं आवश्यक हो वहां कार्रवाई करने के लिए सरकार से सिफारिशें करना।

(vi) औपचारिक अथवा अनौपचारिक, अभिज्ञात अथवा विवक्षित क्रियाविधियों, प्रक्रियाओं, कार्यों, अभिसमयों तथा शर्तों (राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों) की मादक द्रव्यों की तस्करी से प्रासंगिकता और संबंध का पता लगाने के लिए समय-समय पर इनका व्यापक अध्ययन करना।

(vii) न्यायालय के निर्णयों का बारीकी से अध्ययन करना तथा अधिकाधिक दंड सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र कार्यालयों द्वारा मादक द्रव्यों के तस्करों के विरुद्ध चलाई गई जटिल अभियोजन कार्यवाहियों में मार्गदर्शन करना।

(viii) किसी एक एजेंसी से ऐसे अन्तर-एजेंसी अनुरोध प्राप्त करना जिन पर किसी दूसरी एजेंसी द्वारा कार्रवाई की जानी है तथा इष्टतम परिणाम हासिल करने के लिए ब्यूरो के पास अन्य कोई सूचना मुहैया कराने के बाद इसे आगे भेजना तथा आई.सी.पी.ओ. - इंटरपोल के विदेशी सदस्य देशों को भेजने के लिए इंटरपोल (सी बी आई) भारत को भी सूचना मुहैया कराना।

(ix) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और क्षेत्र कार्यालयों के अधिकारियों के लिए भारत के भीतर और भारत से बाहर प्रशिक्षण का प्रबंध करना तथा विदेशों में मादक द्रव्यों की तस्करी के चुनिंदा केन्द्रों पर जाकर ऑन द स्पॉट अध्ययन करना।

(x) मादक द्रव्यों की तस्करी की चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रतिरोधी उपायों पर चर्चा करने, विचार करने तथा उन्हें अपनाने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन और बैठकें आयोजित करना।

(xi) विभिन्न क्षेत्र कार्यालयों की व्यवहारिक प्रचालन आवश्यकताओं की समय-समय पर जांच तथा आकलन करना और सरकार को यह सलाह देना कि क्या मादक द्रव्यों के तस्करों द्वारा सामान्य रूप से अथवा विशेष क्षेत्र में अपनाए गए तकनीकी और प्रचालनात्मक साधनों से निपटने के लिए इन क्षेत्र कार्यालयों के पास उचित और पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं तथा सुधारों के बारे में सुझाव देना।

(xii) स्वापक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा इस विषय पर अन्य कानूनों के कार्यान्वयन के संबंध में क्षेत्र कार्यालयों और केन्द्र सरकार के प्रयासों में सहायता करना।

<u>सीमा प्रबंधन</u>

1.49 घुसपैठ, तस्करी तथा सीमा पार से होने वाली अन्य सीमाओं पर गश्त के लिए सड़कों के निर्माण सहित बाड़ लगाने, तेज रोशनी करने तथा सीमा चौकियों के निर्माण का कार्य शुरू किया है। गुजरात में कच्छ के रन के कुछ भाग को छोड़कर अधिकांश भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण तथा तेज रोशनी का कार्य पूरा कर लिया गया है। भारत-बंगलादेश सीमा पर लगभग 86.29 प्रतिशत सीमावर्ती बाड़ का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा व्यवहार्य भागों में शेष कार्य चल रहा है। भारत-पाक और भारत-बंगलादेश सीमाओं पर 509 अतिरिक्त सीमा चौकियां स्वीकृत की गई हैं। 93 सीमा चौकियों में निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा 114 दूसरी सीमा चौकियों में यह कार्य चल रहा है। भारत-म्यांमार सीमा पर मोरेह, मणिपुर में बांउड्री पिलर संख्या 79 से 81 के बीच बाड़ लगाने का कार्य चल रहा है। सीमा सड़क संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 4 किलोमीटर बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

स्थानीय लोगों, एन जी ओ, राजनीतिक दलों और मणिपुर सरकार द्वारा यह आरोप लगाते हुए, कि बाड़ का कार्य भारतीय भू-भाग में काफी अंदर किया जा रहा है, उनके विरोध को ध्यान में रखते हुए बाड़ लगाने के कार्य को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है।

1.51 भारत-चीन सीमा पर अपर्याप्त सड़क अवसंरचना की स्थिति का निराकरण करने के लिए भारत सरकार ने 1,937.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से लगभग 804 कि.मी. लंबी भारत-चीन सीमा पर 27 सड़कों के निर्माण का अनुमोदन कर दिया है। इस योजना को सितम्बर, 2014 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इस योजना के लिए सीमा सड़क संगठन (15 सड़कें), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (8 सड़कें), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (2 सड़कें) तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (2 सड़कें) निष्पादन एजेंसियां हैं। 27 सड़कों में से 03 सड़कों का कार्य पूरा कर लिया गया है, 24 सड़कों का कार्य प्रगति पर है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 576.50 किलोमीटर भाग पर फॉरमेशन कटिंग तथा 264.00 किलोमीटर भाग पर सर्फेसिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।

1.52 भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाएं राष्ट्र विरोधी, विद्रोही तथा समाज विरोधी तत्वों के लिए सुभेद्य हैं। अपर्याप्त सड़क अवसंरचना के कारण, सशस्त्र सीमा बल, जो इन सीमाओं के लिए सीमा रक्षक बल है, की इन सीमाओं पर सचलता तथा इसकी सीमा चौकियों से संपर्क सीमित है। सरकार ने 3853.00 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से भारत-नेपाल सीमा पर 1377 किलोमीटर लंबी सामरिक सीमावर्ती सड़कों, उत्तराखंड में 173 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 640 किलोमीटर तथा बिहार में 564 किलोमीटर के निर्माण/उन्नयन का अनुमोदन प्रदान किया।

1.53 उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने बिहार में 552.30 किलोमीटर लंबी सड़क के उन्नयन/निर्माण संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। समस्त भाग पर कार्य सौंप दिया गया है तथा सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है।

1.54 उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने 12 किलोमीटर लंबे भाग ककराली गेट-थुलीघाट सड़क के उन्नयन के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है। इस 12 किलोमीटर लंबे भाग पर सड़क के निर्माण का कार्य ठेकेदार को सौंप दिया गया है। उत्तराखंड में 135 किलोमीटर लंबी सड़कों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तकनीकी समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई हैं।

1.55 जहां तक उत्तर प्रदेश में सड़कों का संबंध है, तकनीकी समिति/उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने 248.23 किलोमीटर लंबी सड़कों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अनुमोदित कर दिया है तथा निर्माण कार्य शुरू हो गया है। शेष सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तकनीकी समिति/उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के विचाराधीन है। भारत नेपाल सीमा पर 466 सीमा बाह्य चौकियां हैं।

1.56 भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा परिदृश्य में सुधार करने के लिए सशस्त्र सीमा बल की 31 बटालियनों को सीमा रक्षक बल के रूप में तैनात किया गया।

1.57 भारत-भूटान सीमा पर सशस्त्र सीमा बल की 14 बटालियनें तैनात की गई हैं। 150 सीमा बाह्य चौकियां स्थापित की गईं हैं। भारत सरकार ने 01.04.2011 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि में भारत-भूटान सीमा पर असम में 1259.00 करोड़ रु. की लागत से 313 किलोमीटर सड़क के निर्माण को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने 61.80 किलोमीटर लंबी सड़क से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अनुमोदित कर दिया है। असम सरकार से कहा गया है कि वह भूमि के अधिग्रहण आदि पर आई लागत को वहन करे जैसाकि अन्य सभी राज्य सरकारों के लागू है।

1.58 भारत-पाकिस्तान सीमा पर कच्छ के रन में स्थित अनेक सीमा बाह्य चौकियां बहुत दूर, अगम्य तथा ऐसे क्षेत्रों में है जो एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। अत: कच्छ और पाटन जिलों को जोड़ने के लिए गधूली से संतालपुर तक सड़क के निर्माण की आवश्यकता है। अत: गुजरात राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के परामर्श से सड़क के निर्माण का प्रस्ताव किया है। तत्पश्चात सरकार ने 255 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण को अनुमोदित किया है जिसमें 123 किलोमीटर लंबी मौजूदा सड़क का उन्नयन तथा गुजरात राज्य में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 132 किलोमीटर लंबी नई सीमावर्ती सड़कों का निर्माण शामिल है। गुजरात सड़क एवं भवन निर्माण विभाग ने अब तक 132 किलोमीटर लंबी सड़कों के उन्नयन का कार्य पूरा कर लिया है। जहां तक उसी क्षेत्र में 123 किलोमीटर लंबी नई सीमा सड़कों के निर्माण का संबंध है, 26वीं उच्च स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति (विस्तारित) ने 26.03.2004 को हुई अपनी बैठक में 138.46 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 43.453 किमी. तक नई सड़क के निर्माण को अनुमोदित कर दिया है। निर्माण एजेंसी, अर्थात् गुजरात रोड्स एंड बिल्डिंग ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

1.59 भारत की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का निराकरण करने के लिए उत्तम सीमा प्रबंधन अनिवार्य है और इस उद्देश्य के लिए ऐसी प्रणाली स्थापित करना जरूरी है जिससे सुरक्षा संबंधी बातों का निराकरण हो तथा साथ ही जिससे व्यापार और वाणिज्य में सहायता मिले। एक ही परिसर में सभी सुविधाएं मुहैया कराने, व्यापार एवं वाणिज्य में सहायता करने तथा बढ़ावा देने तथा भू-सीमाओं पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण करने के उद्देश्य से सरकार ने नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान और म्यांमार के साथ लगी भारत की सीमा पर दो चरणों में 13 एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण को अनुमोदित किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्टें तैयार करने, भूमि अधिग्रहण आदि जैसी निर्माण पूर्व गतिविधियां पूरी कर ली गई हैं तथा अनेक एकीकृत जांच चौकियों का निर्माण 2010-11 से शुरू हो गया है।

1.60 एकीकृत जांच चौकी-अटारी तथा एकीकृत जांच चौकी-अगरतला क्रमश: 13.04.2012 तथा 17.11.2013 को शुरू हो गईं हैं। एकीकृत जांच चौकी-रक्सौल तथा एकीकृत जांच चौकी-जोगबनी को वित्त वर्ष 2014-15 की तीसरी और चौथी तिमाही में क्रियाशील बनाई जाने की संभावना है। एकीकृत जांच चौकी-पेट्रापोल के कारगो टर्मिनल को वित्त वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

1.61 17 राज्यों के 103 जिलों के 375 सीमा ब्लॉकों में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-2008 से 2011-2012) के दौरान राज्य सरकारों को 3544.22 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई।

1.62 वर्ष 2012-13 के दौरान राज्यों को 990.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई। वर्ष 2013-14 के लिए आबंटन 990.00 करोड़ रु. है। यह राशि राज्यों को 31 मार्च, 2014 तक जारी की जा चुकी है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को निधियां अवसंरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि से संबंधित तथा राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एस एल एस सी द्वारा यथा अनुमोदित अन्य संबद्ध क्षेत्रों की परियोजनाओं के निष्पादन के लिए मुहैया कराई जाती है।

<u>तटीय सुरक्षा</u>

1.63 भारत की तट सीमा 7,516.6 कि.मी. लम्बी है जो 9 राज्यों तथा 4 संघ शासित क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तट पर आपराधिक तथा देशद्रोही तत्वों की सीमा पार से होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि से तट की रक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए तटीय राज्यों की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक तटीय सुरक्षा योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत 204 नौकाओं और वाहनों के साथ 73 तटीय पुलिस थाने, 58 आउट पोस्ट तथा 30 बैरकों का अनुमोदन प्रदान किया गया है। जून, 2010 में सरकार द्वारा 95.00 करोड़ रु. (लगभग) के अतिरिक्त अनावर्ती परिव्यय से इस योजना का मार्च, 2011 तक विस्तार कर दिया गया है। अनावर्ती व्यय के लिए अनुमोदित परिव्यय 495.00 करोड़ रुपए (लगभग) तथा आवर्ती व्यय के लिए अनुमोदित परिव्यय 151.00 करोड़ रुपए है। इस योजना को मार्च, 2011 तक कार्यान्वित किया गया था। 26/11 की मुम्बई घटनाओं के बाद देश की तटीय सुरक्षा की विभिन्न स्तरों पर व्यापक समीक्षा की गई है। अन्य विभिन्न उपायों में तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने तटरक्षक के परामर्श से सुभेद्यता/कमी का विश्लेषण कर लिया है तथा पुलिस थानों, जांच चौकियों, आउट पोस्टों, वाहनों, नौकाओं आदि से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं के संबंध में अपने प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर तटीय सुरक्षा योजना के चरण-।। के नाम से एक व्यापक योजना तैयार की गई तथा उसे 1 अप्रैल, 2011 से कार्यान्वित किए जाने के लिए अनुमोदित किया। तटीय सुरक्षा योजना के चरण-।। को 1580.00 करोड़ रु. के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि में 1 अप्रैल, 2011 से लागू किया जा रहा है। दूसरे चरण के अंतर्गत तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 131 समुद्री पुलिस स्टेशन, 60 घाट, 10 मेराइन ऑपरेशन सेंटर, 150 नौकाएं (12 टन), 10 नौकाएं, (5 टन), 20 (19 मीटर) नौकाएं, 35 आर आई बी (रिजिड इंफ्लेटेबल बोट्स), 10 बड़े जलयान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप के लिए) 131 चार पहिए वाले वाहन तथा 242 मोटरसाइकिल मुहैया कराई जाएंगी।

1.64 तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए वैसल ट्रैकिंग और निगरानी प्रणालियों की स्थापना, मछुआरों को पहचान-पत्र जारी करने, सभी नौकाओं के पंजीकरण, ट्रांसपोन्डरों की स्थापना, तटीय गांवों के निवासियों को बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने तथा समुद्र में गहन गश्त जैसे विभिन्न अन्य उपायों को गृह मंत्रालय के गहन समन्वय से अन्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

1.65 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अगस्त, 2009 में 'समुद्री खतरों से समुद्री एवं तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति' का गठन किया गया। इस समिति में भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि तथा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक शामिल हैं। तटीय सुरक्षा के संबंध में सभी प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की राष्ट्रीय समिति द्वारा 4 सितम्बर, 2009, 22 जनवरी, 2010, 14 मई, 2010, 23 नवम्बर, 2010 और 29 जुलाई, 2011, 22 जून, 2012, 30 नवम्बर, 2012 और 06 सितम्बर, 2013 को हुई इसकी बैठक में समीक्षा की गई। तटीय सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में गठित संचालन समिति ने 26.09.2013 और 07.03.2014 को हुई अपनी बैठक में तटीय सुरक्षा योजना के चरण-।। के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

<u>साम्प्रदायिक सौहार्द</u> :

1.66 साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और सांप्रदायिक गड़बड़ी/दंगों को रोकना/उनसे बचना तथा इस प्रकार की कोई गड़बड़ी पैदा होने पर उन्हें नियंत्रित करने की कार्रवाई करना और प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षा और राहत मुहैया कराने के उपाय करना, राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

1.67 तथापि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार सूचना के आदान-प्रदान, सतर्कता संदेश भेजने, विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकारों को सांप्रदायिक स्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से गठित संयुक्त द्रुत कार्रवाई बल सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल भेजने और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण जैसे विभिन्न तरीकों से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करती है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार इस बारे में समय-समय पर परामर्शी पत्र भेजती है। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

<u>मानवाधिकार</u> :

1.68 भारत के संविधान में सिविल और राजनैतिक अधिकारों के लगभग पूरे दायरे की रक्षा करने के लिए उपबंध तथा गारंटियां हैं। राज्य नीति के निर्देशी सिद्धांतों में राज्यों को विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक, सांस्कृतिक और

आर्थिक अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण सुनिश्चित करना होता है ताकि एक ऐसी न्यायपूर्ण तथा साम्यपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके जिसमें समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में समग्र रूप से सुधार लाया जा सके। हमारे देश की सिविल और दंड विधियों में व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करने और समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है।

1.69 इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों के निवारण के लिए एक मंच (फॉरम) की स्थापना की है तथा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन की व्यवस्था की है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल :

1.70 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, असम राइफल्स और राष्ट्रीय जांच एजेंसी, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। केन्द्रीय पुलिस बलों के गठन तथा उनकी तैनाती की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। असम राइफल्स, सेना के प्रचालनात्मक नियंत्रण के अधीन है। तथापि, असम राइफल्स के गठन एवं प्रशासनिक/वित्तीय मामले, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियां हैं।

1.71 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा गार्ड हैं। असम राइफल्स को रक्षा मंत्रालय के प्रचालनात्मक नियंत्रण में भारत-म्यांमार सीमा पर तैनात किया जाता है। इन बलों को विद्रोह रोधी तथा आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए भी तैनात किया जाता है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हवाई अड्डों तथा दिल्ली मेट्रो सहित औद्योगिक स्थापनाओं, महत्वपूर्ण सरकारी स्थापनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी एवं संयुक्त क्षेत्रों की स्थापनाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, विशिष्ट स्थितियों का मुकाबला करने तथा खतरों को विफल करने, आकाश में, जमीन पर तथा जल में आतंकवाद-रोधी और विमान अपहरण रोधी अभियान चलाने तथा बंधकों को बचाने के अभियान चलाने के लिए एक कार्य-अभिमुखी बल है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को राज्यों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने तथा विद्रोह रोधी ड्यूटियों के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रमुख बल के रूप में नियुक्त किया जाता है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को विद्रोह-विरोधी अभियानों के लिए भी तैनात किया जाता है तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल-रोधी अभियानों के लिए केन्द्रीय

रिजर्व पुलिस बलों में दृढ़ कार्रवाई हेतु 10 कमांडो बटालियन (कोबरा) सृजित किए गए हैं।

1.72 विगत हाल में सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 116 अतिरिक्त बटालियन स्वीकृत किए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वर्ष 2009 में 38 बटालियनें स्वीकृत की गईं। 31.03.2014 तक 19 बटालियनें गठित की जा चुकी हैं। शेष बटालियनें 2018-19 गठित कर ली जाएंगी।
- सीमा सुरक्षा बल में वर्ष 2009 में 29 बटालियनें स्वीकृत की गईं। 31.03.2014 तक 21 बटालियनें गठित की गईं हैं। शेष बटालियनें 2015-16 तक गठित कर ली जाएंगी।
- सशस्त्र सीमा बल में वर्ष 2010 में 32 बटालियनें स्वीकृत की गईं। 31.03.2014 तक 24 बटालियनें गठित कर ली गईं हैं। शेष बटालियनें 2017-18 तक गठित कर ली जाएंगी।
- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में वर्ष 2011 में 13 बटालियनें स्वीकृत की गईं। 31.03.2014 तक 9 बटालियनें गठित कर ली गईं हैं। शेष बटालियनें वर्ष 2014-15 तक गठित कर ली जाएंगी।
- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में वर्ष 2008 और 2010 में 4 रिजर्व बटालियनें स्वीकृत की गईं। इनका गठन कर लिया गया।
- इन 116 बटालियनों में से 77 का गठन कर लिया गया है तथा 13 वर्ष 2014-15 में गठन की प्रक्रिया में है।

1.73 वर्ष 2009 में चैन्नई, कोलकाता, मुम्बई और हैदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के चार क्षेत्रीय हब स्वीकृत किए गए हैं। सभी चार हब कार्यशील हो गए है। इन क्षेत्रीय हबों के लिए अपेक्षित अवसंरचना जुटा ली गई है। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति में प्रत्येक हब की नफरी को 241 से बढ़ाकर 460 करके इन क्षेत्रीय हबों के लिए सैन्य टुकड़ियां अनुमोदित की हैं।

1.74 गृह मंत्रालय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध कराने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने रिहायशी भवन (योजनागत) के अंतर्गत पुलिस आवास के लिए 2500.00

करोड़ रु. का आबंटन अनुमोदित किया था। इन पांच वर्षों में वार्षिक योजना 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए बजट अनुमान स्तर पर आबंटन क्रमश: 250.00 करोड़ रु., 270.00 करोड़ रु., 297.40 करोड़ रु. और 487.90 करोड़ रु. था। वर्ष 2012-13 के दौरान 3602 मकान और 104 बैरक निर्मित किए गए। बजट अनुमान 2013-14 में रिहायशी भवन (योजनागत) के लिए 592.44 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान), और कार्यालय भवन (योजनागत) के लिए 1590.04 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान) उपलब्ध कराए गए थे और रिहायशी भवन (योजनागत) के अंतर्गत 546.72 करोड़ रु. तथा कार्यालय भवन (योजनागत) के अंतर्गत 1491.04 करोड़ रु. का उपयोग किया जा चुका है। वर्ष 2013-14 के दौरान, 1.3.2014 की स्थिति के अनुसार 2098 मकानों और 83 बैरकों का निर्माण हो चुका है।

<u>चिकित्सा ढांचा</u>

<u>केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान</u>

1.75 सरकार ने दिनांक 23.10.2013 के आदेश के तहत 1368.53 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से नई दिल्ली में एक 500 बिस्तर के सामान्य अस्पताल, 300 बिस्तर के एक सुपरस्पेस्लियटी हॉस्पिटल, एक नर्सिंग कॉलेज और एक स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का अनुमोदन किया है। गृह मंत्रालय के अधीन एक शासी निकाय तथा एक शासी परिषद केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान तथा संबद्ध संस्थानों के कार्यों का प्रबंधन तथा संचालन करेगी। इस संस्थान को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इन संस्थानों के सृजन से सेवाकालीन स्वास्थ्य चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए इन-हाउस प्रशिक्षण/विशेषज्ञता/पी जी/सुपरस्पेस्लियटी पी जी पाठ्यक्रम चलाने के अतिरिक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में प्रतिभाशाली चिकित्सा/स्वास्थ्य चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती में सहायता मिलेगी। इससे केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के व्यापक चिकित्सा ढांचे में प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती में भी मदद मिलेगी जिससे बल के कार्मिकों तथा उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।

<u>पुलिस बलों का आधुनिकीकरण</u> :

1.76 गृह मंत्रालय विशेष रूप से आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के रूप में आंतरिक सुरक्षा की उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस बलों के क्षमता

निर्माण की दिशा में वर्ष 1969-70 से ''पुलिस बलों के आधुनिकीकरण'' संबंधी एक योजनेतर स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को सुरक्षित थानों, चौकियों, पुलिस लाइन्स के निर्माण, वाहनों, सुरक्षा/चौकसी/संचार उपकरणों, आधुनिक हथियारों, विधि-विज्ञान उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं, पुलिस आवास आदि के उन्नयन के लिए सहायता अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम इस प्रकार से तैयार की गई है कि आतंकवाद एवं वामपंथी उग्रवाद की समस्याओं का सामना करने वाले राज्यों को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बलों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

1.77 पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना को आंशिक रूप से 'योजनेतर भाग' तथा आंशिक रूप से 'योजनागत' भाग के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना 'योजनागत' भाग के अंतर्गत 3,750.87 करोड़ रु. तथा 'योजनेतर भाग' के अंतर्गत 1,628.43 करोड़ रु. के कुल परिव्यय, जिसमें महानगर पुलिस व्यवस्था (योजनेतर) के लिए 432.90 करोड़ रु. की राशि शामिल है, से 5 वर्ष के लिए वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक अनुमोदित की गई है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए बजट अनुमान स्तर पर बजट प्रावधान 'योजनेतर' भाग के अंतर्गत 750.00 करोड़ रु. तथा 'योजनेतर भाग' के अंतर्गत 1,097 करोड़ रु. था। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए बजट प्रावधान को संशोधित अनुमान स्तर पर संशोधित करके 'योजनेतर भाग' के अंतर्गत 245.00 करोड़ रु. तथा 'योजनागत भाग' के अंतर्गत 1,097 करोड़ रु. कर दिया गया था। वर्ष 2014-15 के दौरान पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के 'योजनागत' शीर्षों के लिए 900.00 करोड़ रु. तथा 'योजनेतर' शीर्षों के लिए 600.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना-II:

1.78 सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा 3.5.2013 को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण की योजना अनुमोदित की गई है। इस योजना में 11009.19 करोड़ रु. का कुल वित्तीय भार शामिल है तथा इसे 2016-17 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना है।

1.79 किसी आधुनिकीकरण योजना की तरह यह प्रयत्न किया गया है कि आधुनिकीकरण का मुख्य बिंदु 'जवान' रहें और पुन: सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण और उपकरण प्राप्त हो सके। वामपंथी उग्रवाद, जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर के खतरों के लिए विद्रोह, आतंकवाद का मुकाबला करने तथा हिंसक व्यापक आंदोलनों का मुकाबला करने जैसे कम तीव्रता वाले संघर्षों से निपटने के लिए हथियार और उपकरणों के प्रयोग में विभिन्न विकल्पों की आवश्यकता है और इसके अतिरिक्त सामान्य आधुनिकीकरण पर ध्यान देने की भी जरूरत है। अत: प्रत्येक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने एक रणनीतिक योजना अभ्यास किया था जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं का पता लगाया, कमियों का विश्लेषण किया और उनके आधार पर उन्होंने अपने समग्र समाधानों की रणनीति तैयार की। आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मदें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्‌वारा स्वयं निर्धारित और अधिप्रमाणित की गई थीं। तकनीकी रूप से पुराने हो जाने के कारण 2,520.27 करोड़ रु. की मदों को बदला जाना तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में हानियों/कमियों को दूर करने के लिए सी सी एस के लिए 8,488.92 करोड़ रु. की मदों को आधुनिकीकरण योजना-।। में शामिल किया गया है।

1.80 आधुनिकीकरण योजना-।। के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- ✓ बेहतर हथियारों तथा गोलाबारूद, आधुनिक उपकरणों और अच्छे परिवहन वाहनों से बलों की मारक क्षमता में वृद्धि करना।
- ✓ संचार, निगरानी और सीमा चौकसी के लिए अत्याधुनिक प्रणालियां मुहैया कराना जोकि किसी अभियान रणनीति का मुख्य आधार होते हैं।
- ✓ प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराकर सैनिकों के कौशल में निरंतर सुधार करना।
- ✓ सैनिकों को अभियान के लिए फिट रखना और उन्हें उचित रूप से विश्राम और आराम की सुविधा प्रदान करना।

1.81 आधुनिकीकरण योजना के वित्तीय निहितार्थों का साथ (केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल-वार) तालिका में नीचे दिया गया है:

बल का नाम	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु. में)
असम रायफल्स	1545.47
सीमा सुरक्षा बल	4570.07
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	264.36

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	2619.16
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	686.87
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	664.62
सशस्त्र सीमा बल	658.64
कुल	11009.19

<u>आधुनिकीकरण योजना-।। की मुख्य विशेषताएं</u>

1.82 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना में कुछ नयी मदें प्रस्तावित हैं:-

(क) यू बी जी एल/एम जी एल, एंटी मैटैरियल रायफल्स, कम घातक हथियार, गन शॉट डिटेक्शन सिस्टम जैसे हथियार तथा मौजूदा कार्बाइन और पिस्टल आदि को बदला जाना।

(ख) जमीन भेदी राडार प्रणाली, मानवरहित हवाई वाहन, लक्ष्य केन्द्रित दूरबीन, कॉर्नर शॉट, एच एच टी आई/थर्मलसाइट/एन वी डी एस, अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर, उन्नत चिकित्सा उपकरण आदि।

(ग) बारूदी सुरंगों से सुरक्षित वाहन, बुलेटब्रुफ वाहन/नौकाओं आदि जैसे वाहन।

(घ) जैमर और अवरोधकों सहित संचार उपकरण।

1.83 संशोधित अनुमान 2013-14 में आधुनिकीकरण शीर्ष के अंतर्गत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 54.92 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। बजट अनुमान 2014-15 में 215.39 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। आबंटित बजट के भीतर मदों के प्रापण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

1.84 देश में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत कार्रवाई रहा है। आधुनिकीकरण योजना-।। का उद्देश्य बेहतर शस्त्रों एवं गोलाबारूद, सामरिक उपकरण तथा प्रभावी परिवहन वाहनों, आधुनिक संचार, निगरानी एवं सीमा रक्षक प्रणालियों, जो किसी अभियान रणनीति का मुख्य आधार हैं, से बलों की मारक क्षमता में वृद्धि करना है।

क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान:

1.85 जेल प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लए भारत सरकार ने केन्द्र से पूरी वित्तीय सहायता के साथ 1989 में चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ पूरे भारत के जेल कार्मिकों, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ आदि जैसे पड़ोसी राज्यों के जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

1.86 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की हैं जिनमें 729 जेल/पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

क्रम सं.	**पाठ्यक्रम/कार्यशाला का नाम**	**तारीख**	**प्रतिभागियों की सं.**
1.	'जेलों में ई-गवर्नेंस' पर पाठ्यक्रम	1-5 अप्रैल 2013	11
2.	'पब्लिक एंड प्रिजन इंटरफेस' पर कार्यशाला	26-27 अप्रैल 2013	21
3.	'महिलाओं के प्रति अपराधों के संदर्भ में जेंडर सेंशीटाइजेशन' के बारे में पाठ्यक्रम	20-24 मई 2013	16
4.	'कैदियों के कल्याण के लिए क्षमता निर्माण' के बारे में पाठ्यक्रम	27-31 मई 2013	09
5.	'मानवाधिकार और अभिरक्षा में होने वाली मौतों' के बारे में पाठ्यक्रम	17-21 जून 2013	21
6.	'कैदियों की अस्थाई रिहाई-सिद्वांत एवं प्रणाली' के बारे में कार्यशाला	21 जून 2013	15
7.	'प्रभावी पुलिस व्यवस्था संबंधी कौशल के बारे में परामर्श' पर पाठ्यक्रम	8-12 जुलाई 2013	22
8.	'सुधार संबंधी तकनीकों में परामर्श' पर पाठ्यक्रम	22-26 जुलाई 2013	18

9.	'अवैध मानव व्यापार' के बारे में पाठ्यक्रम	5-7 अगस्त 2013	45
10.	'स्वापक मामलों में वित्तीय जांच' के बारे में पाठ्यक्रम	19-23 अगस्त 2013	18
11.	'बाल अधिकार एवं बच्चों के लिए सुरक्षा कानून' के बारे में कार्यशाला	2 सितम्बर 2013	30
12.	'प्रशिक्षण आवश्यकता के विश्लेषण' के बारे में कार्यशाला	10-11 सितम्बर 2013	13
13.	'विचाराणाधीन कैदियों की अभिरक्षा प्रबंधन' पर पाठ्यक्रम	7-11 अक्तूबर 2013	26
14.	'अवैध मानव व्यापार' के बारे में पाठ्यक्रम	21-23 अक्तूबर2013	32
15.	'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के बारे में कार्ययशाला	30 अक्तूबर 2013	17
16.	'कंटेम्परारी एडवांसेज इन क्रिमीनोलॉजी एंड करेक्शन' पर पाठ्यक्रम	5-8 नवंबर 2013	14
17.	'तनाव प्रबंधन' पर पाठ्यक्रम	11-15 नवंबर 2013	19
18.	'पैनल रिफॉर्मस एंड रेस्टोरेटिव जस्टिस' पर सेमिनार	2-3 दिसम्बर 2013	100
19.	'बाल अधिकार एवं बच्चों के लिए सुरक्षा कानून' से संबंधित कार्यशाला	10 दिसम्बर 2013	35
20.	'नेतृत्व कौशल' के बारे में पाठ्यक्रम	16-19 दिसम्बर 2013	23
21.	'अवैध मानव व्यापार' के बारे में कार्यशाला	20 दिसम्बर 2013	33

22.	दंड न्याय प्रणाली के सभी विंगों, शिक्षाविदों, अभियोजकों तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए 'पैनल रिफॉमर्स एंड रेस्टोरेटिव जस्टिस' पर सेमिनार	दिसम्बर 2013	100
23.	दंड न्याय प्रणाली के सभी विंगों, शिक्षाविदों, अभियोजकों तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए 'भारत में दंड सुधार से संबंधित प्राथमिकताओं के निर्धारण' पर सेमिनार	फरवरी, 2014	91

1.87 इसके अतिरिक्त, वेल्लौर, तमिलनाडु में कार्यरत एक संस्थान अर्थात् जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन अकादमी को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने इस संस्थान की स्थापना करने के लिए एकबारगी अनुदान प्रदान किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ मिलकर हाल ही में कोलकाता में एक क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की है जिसके लिए भारत सरकार ने इस संस्थान को वित्तीय वर्ष 2009-10 में लगभग 1.55 करोड़ रु. का एकबारगी अनुदान प्रदान किया है।

<u>कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003</u> :

1.88 भारतीय जेलों में बंद विदेशी राष्ट्रिकों तथा विदेशी जेलों में बंद भारतीय राष्ट्रिकों के प्रत्यावर्तन के लिए भारत सरकार द्वारा कैदी सम्प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया था ताकि वे अपनी शेष सज़ा अपने मूल देशों में काट सकें। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए परस्पर हित वाले देशों के साथ इस तरीके से एक संधि/करार पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।

1.89 भारत सरकार ने अब तक 22 देशों, अर्थात् यू.के., मारीशस, बुल्गारिया, कम्बोडिया, मिस्र, फ्रांस, बंगलादेश, कोरिया, सउदी अरब, ईरान, श्रीलंका, यू.ए.ई., मालदीव, थाइलैंड, टर्की, इटली, बोस्निया और हर्जेगोविना, इजरायल, रूस, वियतनाम, कुवैत और ब्राजील के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा, हांगकांग और स्पेन की सरकारों के साथ भी बातचीत को अंतिम रूप दिया गया है।

1.90 इस अधिनियम के अंतर्गत अब तक जिन कैदियों को उनकी शेष सजा उनके अपने देशों में काटने के लिए प्रत्यावर्तित किया गया है उनकी संख्या निम्न प्रकार है:-

दूसरे देश को प्रत्यावर्तित किए गए विदेशी कैदी:-			**दूसरे देशों से प्रत्यावर्तित किए गए भारतीय कैदी:-**		
क्र. सं.	**देश**	**वापिस भेजे गए विदेशी कैदियों की सं.**	**क्र. सं.**	**देश**	**वापस लाए गए भारतीय कैदियों की सं.**
1	यू. के.	6	1	यू. के.	2
2	फ्रांस	1	2	मॉरिशस	13
3	इस्राइल	1	3	श्रीलंका	29
	कुल	**8**		**कुल**	**44**

<u>आपदा प्रबंधन</u> :

1.91 अपनी भू-जलवायु तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण भारत को अनेक प्राकृतिक तथा मानव-जनित आपदाओं से खतरा रहा है तथा यह विश्व के सर्वाधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है। इसको बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, भू-स्खलन, हिमस्खलन तथा वन आग से अत्यधिक खतरा है। वर्षों में हुआ विकास आपदाओं से प्रभावित हो जाता है। अत: विकास तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि 27 आपदा प्रशमन उपायों को विकास प्रक्रिया का भाग नहीं बनाया जाता है। देश में 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 27 आपदा प्रवण हैं। लगभग 58.6% भू-भाग सामान्य से लेकर बहुत अधिक तीव्रता तक भूकम्प प्रवण है; 12% भूमि बाढ़ एवं नदी अपरदन-प्रवण है; 7,516 कि.मी. में से 5,700 कि.मी. भाग चक्रवात और सुनामी-प्रवण है; 68% कृषि भूमि सूखा-प्रवण है तथा पहाड़ी क्षेत्रों को भू-स्खलन तथा हिमखंडों से खतरा है।

1.92 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाई है ताकि आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं, जैसे निवारण, प्रशमन, तैयारी, राहत, कार्रवाई और पुनर्वास को शामिल किया जा सके।

1.93 उपर्युक्त दृष्टिकोण के अनुसरण में सरकार ने 23.12.2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया था। इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन संबंधी नीतियां तथा योजनाएं तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने,

विभिन्न एजेंसियों द्वारा आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने तथा आपदा तथा आपदा जैसी किसी भी स्थिति में समग्र, समन्वित और त्वरित कार्रवाई करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न संस्थागत तंत्रों का प्रावधान है।

1.94 गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की पुनरीक्षा करने के लिए डॉ. पी.के. मिश्रा, अध्यक्ष, गुजरात विद्युत नियामक आयोग, गुजरात की अध्यक्षता में 23.12.2011 को एक कार्य दल गठित किया है।

1.95 इस कार्य दल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित अनेक मुद्दों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और केन्द्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एन आई डी एम, गैर-सरकारी संगठनों तथा संयुक्त राष्ट्र संगठनों आदि सहित अन्य स्टेकहोल्डरों से परामर्श किया है। प्रश्नावलियों तथा क्षेत्रीय परामर्श/कार्यशाला के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, गैर सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र संगठन आदि से विभिन्न स्टेकहोल्डरों के विचार मांगे गए हैं। इस प्रकार के उपर्युक्त परामर्शों के दौरान तथा कार्य दल द्वारा परिचालित की गई प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर में इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में परिवर्तनों के बारे में अनेक सुझाव दिए गए हैं। सुझाए गए परिवर्तनों को संकलित किया गया तथा इन पर 12 अक्तूबर, 2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में चर्चा की गई।

1.96 इस कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट 8 मार्च, 2013 को प्रस्तुत कर दी है। इस कार्य दल की रिपोर्ट को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों तथा संसद के सभी सदस्यों को कार्यदल की सिफारिशों के बारे में उनके विचार जानने के लिए परिचालित किया गया है। इस समय मंत्रालय इस कार्यदल की सिफारिशों पर विचार कर रहा है।

1.97 केन्द्र सरकार ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा अधिदेशित किए गए अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए), राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन ई सी) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तथा राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का गठन किया है।

1.98 आपदा प्रबंधन के बारे में राष्ट्रीय नीति केन्द्र सरकार द्वारा 22 अक्तूबर, 2009 को अनुमोदित कर दी गई है। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसरण में तैयार की गई है जिसमें निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई की संस्कृति के माध्यम से समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा अभिमुखी तथा प्रौद्योगिकी आधारित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित तथा आपदा-प्रतिरोधी भारत की परिकल्पना की गई है। इसमें अपंग व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और अन्य उपेक्षित समूहों सहित समाज के सभी वर्गों की चिंताओं का निराकरण है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के आधार पर अलग-अलग राज्य भी आपदा प्रबंधन के बारे में अपने स्वयं की राज्य नीति तैयार कर रहे हैं।

<u>आपदा प्रबंधन से संबंधित मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं :</u>

1.99 आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी) भारत सरकार की आपदा जोखिम प्रशमन पहल में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस परियोजना का चरण-I, चक्रवात की भविष्यवाणी, ट्रेकिंग और चेतावनी प्रणाली, चक्रवात जोखिम प्रशमन तथा बहु संकट जोखिम प्रबंधन में क्षमता निर्माण को अपग्रेड करने के लिए 1,496.71 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से आंध्र प्रदेश और ओड़िशा राज्य के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

1.100 अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण : देश में अग्निशमन और आपात सेवाओं को सुदृढ़ बनाने तथा अग्निशमन सेवाओं को सभी प्रकार की आपात स्थितियों में प्रथम कार्रवाईकर्ता के रूप में कार्य करने में समर्थ बहु-संकट कार्रवाई बल में उत्तरोत्तर रूप से परिवर्तित करने के लिए 2000 करोड़ रु. के परिव्यय से केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित एक स्कीम की योजना तैयार की गई। यह योजना सभी 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी। सचिव, व्यय विभाग की अध्यक्षता में 10.02.0214 को व्यय वित्त समिति की बैठक हुई। कार्यवृत्त का अनुमोदन व्यय विभाग से अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

1.101 नागरिक सुरक्षा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण की मुख्य धारा में शामिल करना: 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 600.00 करोड़ रु. के परिव्यय से एक केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीम की योजना तैयार की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य देश में नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना तथा उसे चुस्त-दुरुस्त बनाना है ताकि

वह आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

1.102 स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम - नीतिगत स्तर पर परिवर्तन, अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों तथा सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियां चलाने वाले अन्य पणधारियों के क्षमता निर्माण, ढांचागत प्रशमन उपायों के संवर्धन तथा कुछ विद्यालयों में प्रदर्शनात्मक ढांचागत मरम्मत के द्वारा विद्यालयों में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 48.47 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अनुमोदित किया गया था।

1.103 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के माध्यम से भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से 25.00 करोड़ रु. के परिव्यय से केन्द्रीय क्षेत्र की योजनेतर स्कीम (2007-12) के अंतर्गत राज्यों द्वारा नामित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं अथवा अन्य नोडल संस्थानों के आपदा प्रबंधन केन्द्रों के कार्यक्रम खर्चों के अतिरिक्त चार सदस्यों की फैकल्टी तथा दो सहायक स्टॉफ को मदद मिलती है। यह योजना अब 31.03.2012 को समाप्त हो गई है। सभी राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि 13वें वित्त आयोग द्वारा मुहैया कराई गई क्षमता निर्माण अनुदान का उपयोग राज्य ए टी आई में उनके आपदा प्रबंधन केन्द्रों की फैकल्टी के वेतन के भुगतान के प्रयोजनों के लिए भी किया जा सकता है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना कर ली है। भारत सरकार ने भी 11 राज्यों में अतिरिक्त केन्द्रों तथा विशिष्ट आपदाओं के बारे में 6 उत्कृष्ट केन्द्रों के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

1.104 भारत सरकार-यू एस सहायता आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना: भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय विकास संबंधी यू एस एजेंसी (यू एस ए आई डी) के साथ एक परियोजना अनुदान करार पर हस्ताक्षर किया है। आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी करार पर हस्ताक्षर वर्ष 2003 में हुए थे। करार की अवधि बढ़ाकर वर्ष 2015 तक कर दी गई है। इस परियोजना का कुल परिव्यय 4.715 मिलियन अमेरिकी डॉलर (प्रशिक्षण अध्ययन के लिए 420000 अमेरिकी डॉलर, उपकरण के लिए 500000 अमेरिकी डॉलर और तकनीकी सहायता के लिए 3.795 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है) तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन के एकीकरण के लिए 5.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

हाल में आई आपदाएं

उत्तराखंड में भारी वर्षा, तेज बाढ़ और भू-स्खलन

आपदा की प्रकृति:-

1.105 दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने से पहले ही उत्तराखंड राज्य में 15.06.2013 से 17.06.2013 के बीच असामान्य रूप से अत्यधिक बारिश हुई जिसके परिणामस्वरूप पूरे राज्य में भू-स्खलनों, बादल फटने तथा बाढ़ की अनेक घटनाएं घटी। भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार उत्तराखंड में 01.06.2013 से 18.06.2013 तक की अवधि के दौरान 71.3 मिमी. की सामान्य वर्षा की तुलना में 385.1 मिमी. वर्षा हुई, जो 440 प्रतिशत अधिक थी। भारी वर्षा से नदी में जल स्तर बढ़ गया और सभी नदियां खतरे के निशान को पार कर गईं। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में जीवन और संपत्ति की भारी क्षति हुई।

1.106 चश्मदीदों द्वारा बताए गए अनुसार और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस आपदा के संभावित कारण निम्नलिखित थे:

- पश्चिमी विक्षोभों का मानसूनी पूर्वी हवाओं से टकरा जाना।
- बहुत कम समय में बहुत अधिक वर्षा होना।
- 16.06.2013 तथा 17.06.2013 को पेड़ों की कतार (गांधी सरोवर तथा ग्लेशियर, जो 13000 फुट की ऊंचाई पर हैं) में भारी वर्षा।
- मलबा, मोरेन और बड़े पत्थरों का तेज गति से बहकर आना (बल, परिमाणxत्वरण होता है)

आपदा का पैमाना:-

1.107 राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार (06.03.2014 की स्थिति के अनुसार) क्षति का पैमाना निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मद	ब्यौरा
1.	प्रभावित जिलों की संख्या	13
2.	प्रभावित गांवों (आबादी वाले) की संख्या	1603
3.	उन व्यक्तियों की संख्या जिनका अंतिम संस्कार किया गया (लापता सहित)	3581
(4)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	

	(i) पूर्णत: क्षतिग्रस्त पक्के मकान	1572
	(ii) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान	1721
	(iii) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान	6534
	(iv) पूर्णत: क्षतिग्रस्त कच्चे मकान	359
	(v) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान	327
	(vi) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों की संख्या	1583
	(vii) क्षतिग्रस्त झोंपड़ियों की संख्या	460
8.	मारे गए पशु-:	
	(क) मारे गए बड़े पशुओं की संख्या	1604
	(ख) मारे गए छोटे पशुओं की संख्या	6982

तलाशी, बचाव और राहत अभियान

1.108 किसी भी आपदा में राज्य सरकार के पदाधिकारी सबसे पहले कार्रवाई करते हैं। जैसे ही यह मामला भारत सरकार के ध्यान में आया, सभी अपेक्षित केन्द्रीय मंत्रालय हरकत में आ गए। 16 जून, 2013 को गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल से अपनी टीमें तत्काल उत्तराखंड भेजने के लिए कहा गया ताकि राज्य में इनकी मौजूदा तैनाती में वृद्धि की जा सके। गृह सचिव ने 17.06.2013 और 18.06.2013 को राज्य सरकार के प्रतिनिधि सहित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सड़क संगठन, रक्षा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की। गृह सचिव ने 19 जून, 2013 को उत्तराखंड का दौरा किया और बचाव और राहत उपायों की मौके पर समीक्षा की। गृह मंत्री ने 22 और 28 जून, 2013 को राज्य का दौरा किया तथा उत्तराखंड मुख्यमंत्री के साथ प्रगति की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने राज्य में दिन-प्रतिदिन आधार पर स्थिति की समीक्षा की। समन्वय के स्तर में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने श्री वी. के. दुग्गल, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी संबंधित लोगों के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी सौंपी। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने दिनांक 1, 2, 3, 8 और 10 जुलाई, 2013 को चल रहे बचाव और राहत अभियानों की स्थिति की समीक्षा की। राज्य सरकार से फीडबैक प्राप्त करने और आवश्यकता पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने श्री वी. के. दुग्गल द्वारा किए जा रहे समन्वय की अवधि का 3 माह तक और विस्तार किया तथा साथ ही उन्हें नष्ट हुए/क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वास, पुनर्निर्माण के संबंध में योजना तैयार

करने में उत्तराखंड राज्य सरकार की सहायता करने और उन्हें सलाह देने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी।

<u>**फंसे हुए लोगों को निकालना**</u>

1.109 एन डी आर एफ ने उत्तराखंड में अभियान चलाने के लिए 14 टीमें तैनात की और 9657 व्यक्तियों को बचाया।

1.110 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने अभियान के लिए लगभग 1200 कार्मिकों की तैनाती की और 3300 से अधिक व्यक्तियों को बचाया।

1.111 भारतीय वायुसेना ने इस अभियान के लिए लगभग 45 हेलीकॉप्टरों की तैनाती की है और 23500 से अधिक व्यक्तियों को बचाया।

1.112 भारतीय सेना ने 150 विशेष बलों सहित 8000 कार्मिकों की तैनाती की और 38500 से अधिक व्यक्तियों को बचाया। सेना के 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए।

1.113 अभियानों में राज्य सरकार द्वारा 20 सिविल एयरक्राफ्टों का उपयोग किया गया और लगभग 12000 व्यक्तियों को निकाला गया।

1.114 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी ने 20 अनुदेशकों और स्थानीय युवकों के 5 बचाव दल बनाए और 6500 से अधिक फंसे हुए लोगों को निकाला।

1.115 सड़कों के व्यापक विनाश, कठिन भू-भाग और अत्यधिक प्रतिकूल मौसम के बावजूद 135000 से अधिक व्यक्तियों को प्रभावित क्षेत्र से अल्पतम संभव समय में निकाला गया।

1.116 उपर्युक्त एजेंसियों द्वारा बचाए गए व्यक्तियों की संख्या में ओवरलेपिंग हो सकती है क्योंकि उन्हीं व्यक्तियों को उनके अंतिम गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पूर्व सड़क, पुल और हवाई मार्गों के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों द्वारा बचाया गया हो सकता है।

राहत एवं आपूर्ति

1.117 जहां कहीं संपर्क बहाल हो गया वहां भोजन पेयजल, औषधियां, मिट्टी का तेल, कंबल आदि जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं की हवाई जहाज से गिराकर तथा सड़कों (परिवहन/खच्चर आदि) के माध्यम से निरंतर आपूर्ति की गई।

1.118 69 राहत शिविर लगाए गए जहां 151629 तीर्थयात्रियों/स्थानीय निवासियों की देखभाल की गई। अब इस क्षेत्र में कोई शिविर नहीं चलाए जा रहे हैं।

1.119 हेलीकॉप्टर द्वारा लगभग 500 टन राहत सामग्री (51 मदें) गिराईं गई। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 21522 कुंतल खाद्यान्न और 28 किलोलीटर मिट्टी के तेल की भी व्यवस्था की गई।

1.120 भारत संघ द्वारा उत्तराखंड राज्य को 21.06.2013 को कम लागत पर 2000 टन गेहूं और 2000 टन चावल आबंटित किया गया।

1.121 पेट्रोलियम मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपदा प्रबंधन ड्यूटियों के लिए उड़ानें भरने के लिए राज्य में पर्याप्त ईंधन का भंडार (ए टी एफ)/एम एस/एच एस डी/एस के ओ उपलब्ध है।

1.122 अन्य राज्यों से लगभग 900 ट्रक राहत सामग्री प्राप्त हुई और उसे देहरादून में स्थापित प्रमुख राहत केन्द्रों से प्रभावित जिलों में भेजा गया।

1.123 ऐसे स्थानों पर जहां संपर्क टूट गया वहां रहने वाले परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान करने के बारे में राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है।

अवसंरचना की तत्काल बहाली

1.124 **सड़कें:** आपदा के कारण नष्ट हुई 2420 सड़कों में से 2280 सड़कों को वाहनों के आने-जाने के योग्य बना दिया गया है तथा 10 अक्तूबर 2013 की स्थिति के अनुसार 140 सड़कों को अभी वाहनों के चलने के योग्य बनाया जाना है।

1.125 विद्युत: 3758 बस्तियों (गांवों और छोटे गांवों), जहां आपदा के कारण विद्युत आपूर्ति ठप्प हो गई थी, में से 27 सितम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार 3756

बस्तियों में विद्युत की सामान्य आपूर्ति बहाल कर दी गई है और 2 बस्तियों में सामान्य विद्युत आपूर्ति नहीं थी।

1.126 **पेयजल:** आपदा से क्षतिग्रस्त 968 पेयजल योजनाओं में से 27 सितम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार 957 योजनाओं में अस्थाई रूप से सामान्य आपूर्ति बहाल कर दी गई है तथा 11 योजनाओं को अभी शुरू किया जाना है।

<u>संचार:</u>

1.127 केदारनाथ, बद्रीनाथ, बारकोट और हर्सिल में टेलीफोन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संपर्क स्थापित किया गया।

1.128 राज्य में संचार को सुगम बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तत्काल आपदा प्रबंधन डयूटियों के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को 105 सैटेलाइट फोन वितरित किए गए हैं।

<u>राज्य को वित्तीय सहायता</u>

1.129 प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार ने 20 जून, 2013 को राज्य आपदा कार्रवाई कोष से 145.00 करोड़ रु. की राशि जारी की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 19 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष से 'ऑन अकाउंट' आधार पर 250.00 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

1.130 राज्य आपदा कार्रवाई कोष में उपलब्ध 90 प्रतिशत शेष राशि के समायोजन के अध्ययधीन उत्तराखंड सरकार को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष से 1187.87 करोड़ रु. की सहायता अनुमोदित की गई है।

1.131 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के विशेष घटक से उत्तराखंड सरकार को जारी किए जाने के लिए 20.00 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई।

<u>दीर्घकालिक पुनर्निर्माण:</u>

1.132 भारत सरकार ने उत्तराखंड में पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रयासों के बारे में व्यापक दिशानिर्देश देने के लिए और इस संबंध में सभी आवश्यक निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल समिति गठित की है। बाढ़ के बाद की

स्थिति में केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों को शामिल करके उत्तराखंड में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों में सहायता करने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के बारे में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालय समूह का भी गठन किया गया है। उत्तराखंड की मंत्रिमंडल समिति की 31.07.2013 को बैठक हुई और उसमें केदारनाथ मंदिर की बहाली और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को उचित सहायता मुहैया कराने के बारे में निर्णय लिए गए। अंतर-मंत्रालय समूह की भी कई बार बैठकें हुई हैं तथा न केवल राहत और बहाली बल्कि राज्य अवसंरचना के पुनर्निर्माण और पुनर्वास और कार्ययोजना तैयार करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाईयों की प्रगति की निगरानी की गई। योजना आयोग ने उत्तराखंड राज्य के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 1884.92 करोड़ रु. तथा विशेष योजनागत सहायता के अंतर्गत 1100.00 करोड़ रु. की स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन भेजा है।

<u>ओडिशा में चक्रवात 'फेलिन' और बाढ़</u>

1.133 दक्षिण चीन समुद्र में अवशिष्ट चक्रवाती प्रवाह से एक अत्यधिक तेज चक्रवाती तूफान फेलिन उठा। चक्रवाती प्रवाह निम्न दबाव के रूप में 6 अक्तूबर, 2013 को टेनासेरिम तट पर था। यह 7 अक्तूबर को उत्तरी अंडमान समुद्र में पहुंचा जो निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह 12.00 उत्तरी अक्षांश तथा 96.00 पूर्वी देशांतर के निकट 8 अक्तूबर को उसी क्षेत्र में संघनित हो गया। पश्चिम-पश्चिम-उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ यह 9 तारीख की सुबह तेजी से गहरे दबाव के रूप में बदल गया और यह उसी दिन शाम को चक्रवाती तूफान 'फेलिन' के रूप में प्रकट हुआ। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसने सुबह अत्यधिक तेज चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर लिया और 10 अक्तूबर की दोपहर को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भाग में यह अत्यधिक तेज चक्रवाती तूफान के रूप में सामने आया। अत्यधिक तेज चक्रवाती तूफान फेलिन 12 अक्तूबर 2013 को लगभग 22.30 बजे ओडिशा तथा ओडिशा में गंजम जिले के गोपालपुर के निकट उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचा जहां इसकी गति 200-210 किलोमीटर प्रति घंटा से 220 किमी/घंटा हो गई।

1.134 चक्रवात 'फेलिन' गंजम जिले के गोपालपुर में पहुंचा और ओडिशा के 30 जिलों में से 18 जिलों में इसने भारी तबाही मचाई। चक्रवात के बाद उत्तरी ओडिशा में भारी बाढ़ आ गई। कम दबाव के प्रभाव से 21 अक्तूबर 2013 से 26 अक्तूबर, 2013 तक

भारी वर्षा हुई जिससे रूसीकुलिया, वंशाधारा, बैतरनी, बुद्धाबालंगा, सुवर्णरेखा तथा अन्य नदियों में पुन: बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई जिससे 13 जिले अर्थात् गंजम, गजपति, पुरी, नयागढ़, खोरडा, कटक, जगतसिंहपुर, कंधमाल, केन्द्रापाडा, जाजपुर, भद्रक, बालासौर और मयूरभंज प्रभावित हुए।

क्षति का आकार

1.135राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार क्षति का आकार निम्न प्रकार है:

मारे गए व्यक्तियों की सं.	59
मारे गए मवेशी	4,502
कुक्कुट (पक्षी) की क्षति	1,70,979
क्षतिग्रस्त मकान/झोंपड़ियां	5,41,200
लगाए गए राहत शिविर	4,197
प्रभावित फसल क्षेत्र	18 जिलों में 11 लाख हैक्टेयर

भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई:-

1.136 ओडिशा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात 'फेलिन' तथा बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति तथा गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की नियमित रूप से बैठक हुई। अपेक्षित मदद और सहायता प्रदान करने के लिए गृह सचिव तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सरकारों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के निरंतर संपर्क में थे। गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष भी स्थिति की निरंतर निगरानी कर रहा था। भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग, नई दिल्ली के चक्रवात चेतावनी प्रभाग द्वारा 8 अक्तूबर, 2013 को भारतीय मानक समय 09.00 बजे से चक्रवात 'फेलिन' के बारे में चेतावनी जारी की गई तथा उसमें यह बताया गया कि चक्रवात उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट को पार करेगा।

1.137 चक्रवात से पहले का प्रथम वॉच बुलेटिन 8 अक्तूबर को भारतीय मानक समय के अनुसार 09.00 बजे जारी किया गया, प्रथम चक्रवात अलर्ट बुलेटिन 9 अक्तूबर को भारतीय मानक समय के अनुसार 0900 बजे जारी किया गया।

1.138 8-14 अक्तूबर 2013 के दौरान कुल मिलाकर 45 चेतावनी बुलेटिन जारी किए गए। गहरे दबाव की तीव्रता बने रहने तक प्रतिदिन 5 बुलेटिन और चक्रवाती तूफान के दौरान प्रतिदिन 3-3 घंटे के अंतराल 8 बुलेटिन जारी किए गए। ये बुलेटिन राष्ट्रीय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर विभिन्न हितधारियों को ई-मेल, फैक्स, एसएमएस तथा पर्सनल ब्रिफिंग सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से भेजे गए।

1.139 राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल कार्मिकों की 29 टीमें (नौकाओं और आवश्यकता बचाव उपकरणों सहित) तैनात कीं।

1.140 बैरकपुर और बागडोगरा में भारतीय वायुसेना के 6-8 हेलीकॉप्टर रखे गए और राज्य सरकार को हवाई सहायता के लिए चक्रवात 'फेलिन' और बाढ़ की अवधि के दौरान कलाई कुंडा एयरब्रिज पर भी कुछ हेलीकॉप्टर रखे गए। बचाव अभियान के दौरान कुल 11.55 लाख लोगों को निकाला गया।

<u>आंध्र प्रदेश में चक्रवात 'फेलिन' और बाढ़:</u>

1.141 चक्रवात के बाद आंध्र प्रदेश में भारी बाढ़ आई। कम दबाव के प्रभाव से 21.10.2013 से 27.10.2013 तक भारी वर्षा हुई जिससे 16 जिले अर्थात् श्रीकाकुलम, विजयनगरम्, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, नलगौंडा, महबूबनगर, हैदराबाद, रंगा रेड्डी, कुरनूल, वाई एस आर कड़ापा, वारंगल और करीमनगर प्रभावित हुए। लगभग 567 मंडल ओर 5186 गांव प्रभावित हुए।

<u>क्षति का आकार:</u>

1.142 राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार क्षति का आकर निम्न प्रकार है।:

मारे गए व्यक्तियों की सं.	60
मारे गए मवेशी	2185
कुक्कुट (पक्षी) की क्षति	25980
क्षतिग्रस्त मकान/झोंपड़ियां	54678
लगाए गए राहत शिविर	149
प्रभावित फसल क्षेत्र	16 जिलों में 12.83 लाख हैक्टे.

1.143 राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के कार्मिकों की 19 टीमें (नौकाओं एवं आवश्यक बचाव उपकरणें आदि सहित) तैनात की हैं इसके अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रों में इंजीनियरों, संचार विशेषज्ञों और चिकित्सा दल सहित सेना के कार्मिकों की 5 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। विशाखापट्टनम के प्रभावित मंडलों में नौसेना की 8 टीमें तैनात की गई हैं।

1.144 राज्य सरकार को आवश्यक हवाई सहायता प्रदान करने के लिए चक्रवात 'फेलिन' की तीव्रता वाली अवधि के दौरान भारतीय वायुसेना के दो हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। बचाव अभियान के दौरान कुल 1.34 लाख लोगों को निकाला गया।

<u>जनगणना अभियान तथा राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर तैयार किया जाना</u> :

1.145 भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

i. दस-वर्षीय जनगणना करना तथा जनसंख्या और जनसंख्या की जन सांख्यिकीय विशेषताओं के संबंध में आंकड़े इकट्ठे करना तथा उनका प्रसार करना।
ii. नमूना पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन्म और मृत्यु दर, प्रजनन, मृत्यु दर तथा जनसंख्या संबंधी अन्य संकेतकों के बारे में आंकड़े मुहैया कराना।
iii. देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का समन्वय तथा निगरानी करना तथा नागरिक पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से देश में वर्तमान आधार पर जन्म और मृत्यु के शत-प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य हासिल करने के नियम निर्धारित करना।
iv. देश में सामान्य नागरिकों का सामान्य जनसंख्या रजिस्टर तैयार करना।
v. बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम राज्यों में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना।
vi. सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना करने के लिए तकनीकी सूचनाएं मुहैया कराना।
vii. भारत का मातृभाषायी सर्वेक्षण करना।

<u>आयुध नीति:</u>

1.146 इस नीति का उद्देश्य देश में शस्त्र एवं गोलाबारूद के प्रसार को विनियमित करना तथा उनके दुरुपयोग को रोकना भी है। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा 6 अप्रैल 2010 को कार्यकारी अनुदेशों के रूप में व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए। आयुध नीति के मूल सिद्धांत आयुध अधिनियम 1959 और आयुध अधिनियम 1962 में निर्धारित हैं।

1.147 आयुध नियमों में संशोधन करने के प्रयोजन से दिनांक 24.07.2012 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 585 (अ) के द्वारा आयुध नियम, 1962 को संशोधित करने के बाद राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहभागिता से वर्ष 2012 में संबंधी राष्ट्रीय आयुध लाइसेंस डाटाबेस नामक एक योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय आयुध डाटाबेस एक ऑनलाइन वेब आधारित सेंट्रल एप्लीकेशन सिस्टम है जो सभी श्रेणी के लाइसेंसों के लिए आयुध लाइसेंसों के डाटाबेस तैयार करती है। यह पूरे देश में लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए/नवीकरण किए गए आयुध लाइसेंसों के ब्यौरे को प्रविष्ट करने में सहायता करती है। यह प्रणाली आंकड़ों का वैधीकरण करती है और प्रत्येक लाइसेंस धारक के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या देती है जिसे बाद में रजिस्टर और लाइसेंस में प्रविष्ट किया जाता है। इसमें शामिल स्टैक होल्डर्स जिला मजिस्ट्रेट, राज्य गृह विभाग, पुलिस आयुक्त तथा केन्द्रीय सरकार (गृह मंत्रालय) हैं। इस योजना को पूरा किए जाने की निर्धारित तारीख 1 अक्तूबर 2015 है। इस योजना का वित्त पोषण आंतरिक सुरक्षा-।। प्रभाग द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि इसे मंत्रालय के विदेशी विषयक प्रभाग के अधीन आई वी एफ आर टी-एम एम पी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

<u>मुख्य कार्यक्रम/ योजनाएं</u> :

1.148 गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

(i) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाना, सड़कों, सीमा चौकियों का निर्माण एवं तेज रोशनी करना, भारत की ओर निर्धारित प्रवेश स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों का निर्माण। तटीय सुरक्षा योजना, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

(ii) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति की योजनाएं।

(iii) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना।

(iv) पुलिस आवास की योजना।

(v) जेलों के आधुनिकीकरण की योजना।

(vi) भारत के महारजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं।

(vii) राजभाषा के प्रयोग के संवर्धन की योजनाएं।

(viii) ब्रू प्रवासियों के लिए पुनर्वास योजनाएं/ परियोजनाएं।

(ix) पुलिस नेटवर्क (पोलनेट)।

(x) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन/प्रशमन कार्यक्रम/परियोजनाए।

(xi) अग्निशमन और आपात सेवाओं का आधुनिकीकरण।

(xii) नागरिक सुरक्षा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण की मुख्य धारा में शामिल करना।

(xiii) आतंकवादी, नक्सली और साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना।

(xiv) स्वापक द्रव्यों तथा मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने में राज्यों की प्रवर्तन क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना।

(xv) पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग का सुदृढ़ीकरण।

(xvi) इण्डिया रिजर्व बटालियनों तथा विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व बटालियनों से संबंधित योजना।

(xvii) आप्रवासन, वीजा और विदेशी नागरिक पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (आई वी एफ आर टी) संबंधी मिशन मोड परियोजना।

(xviii) राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड)।

(xix) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान।

अध्याय-2

बजट अनुमानों का ब्यौरा

2.1 गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दस अनुदानों में से केवल तीन अनुदानों का नियंत्रण एवं प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये हैं अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय, अनुदान सं. 55-पुलिस तथा अनुदान सं. 56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय। इस अध्याय में दी गई सूचना का संबंध उपर्युक्त तीन अनुदानों के तहत शामिल विभिन्न कार्यकलापों/योजनाओं से संबंधित वित्तीय परिव्यय, अनुमानित भौतिक प्राप्तियों तथा अनुमानित परिणामों के विवरण से है।

2.2 बजटीय परिव्ययों के एक बड़े घटक का प्रयोग स्थापना संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें वेतन तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय शामिल हैं। ऐसे व्ययों के संबंध में वास्तविक प्राप्तियों को संलग्न प्रपत्र के उपयुक्त कॉलमों में नहीं बताया जा सकता है। तथापि, कुछ विशिष्ट योजनाओं तथा कार्यकलापों संबंधी गैर-स्थापना व्ययों के मामले में मात्रात्मक वास्तविक प्राप्तियों तथा प्रक्षेपी परिणामों को दर्शाया गया है।

2.3 संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा ऐसी योजनाओं/गतिविधियों पर व्यय निर्धारित ढंग से किया जाता है। समय-समय पर जारी हुए वित्त मंत्रालय के व्यय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण संबंधी आदेशों द्वारा भी इन कार्यकलापों पर किए जाने वाले व्यय की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। मंत्रालय की ओर से व्यय करने वाली अन्य सरकारी एजेंसियों, जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सीमा सड़क संगठन से भी नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। गृह मंत्रालय की ओर से परियोजनाओं का निष्पादन करते समय ये एजेंसियां अपनी प्रक्रियाओं को अपनाती हैं।

2.4 मंत्रालय का यह प्रयास होता है कि अनुदानों की मांगों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो।

(करोड़ रु. में)

अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
1.	**सचिवालय-सामान्य सेवाएं**	(i) गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों का स्थापना व्यय। (ii) यह गृह मंत्रालय के उन प्रशासनिक प्रभागों के व्यय हेतु हैं जो सामान्य सेवाएं और राजभाषा की प्रगति का कार्य देखते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के लिए शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षक के कार्यालय (मुम्बई एवं कोलकाता स्थित) का गृह मंत्रालय में विलय कर दिया गया है।	272.52	0.71	-	(i) स्थापना व्ययों के संबंध में डेलीवरेबल में वेतन, मजदूरी, चिकित्सा, घरेलू यात्रा व्यय, विदेश यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, किराया, दरें एवं कर, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक व्यय, विज्ञापन एवं प्रचार, लघु निर्माण कार्य, व्यावसायिक सेवाएं, अन्य प्रभार, आईटी-वेतन, आईटी-कार्यालय व्यय, तथा मशीन एवं उपकरण (पूंजीगत) जैसे विभिन्न शीर्ष शामिल हैं। (ii) जहां तक राजभाषा विभाग का संबंध है, तो इस संबंध में राजभाषा विभाग का यह प्रयास है कि भारत सरकार के कामकाज़ में हिन्दी के प्रयोग में क्रमिक रूप से प्रगति लाई जाए। अध्याय IV में राजभाषा की प्रगति संबंधी विशिष्ट परिणामों का उल्लेख किया गया है। (iii) जहां तक मुम्बई एवं कोलकाता में स्थित भारत के लिए शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षक का संबंध है, आबंटन मुख्य रूप से वेतन तथा कार्यालय के अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।	(i से iii) यह प्रावधान गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों के सचिवालय व्यय के लिए है। इसमें भारत के लिए शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षक, मुम्बई एवं कोलकाता हेतु प्रावधान भी शामिल है। इस व्यय में मुख्य रूप से वेतन तथा अन्य स्थापना संबंधी लागत शामिल हैं।	इस अनुदान के तहत होने वाली विशिष्ट गतिविधियों पर निर्णय लेने के लिए इन पर समय पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। यह संसाधनों की प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करने का प्रयास है।	- -

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग :								
	(i) मानव अधिकार भवन का निर्माण	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए कार्यालय भवन				मानव अधिकार भवन के लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) सहित अवशिष्ट अंदरूनी कार्य, आंतरिक कार्य।	मानवाधिकार भवन में स्थान आबंटन, मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों/यूनिटों/अनुभागों के लिए फर्नीचर-सामान मुहैया कराने सहित सभी आंतरिक कार्यों को पूरा करना। लैन नेटवर्किंग कार्य।	लगभग 3-4 माह	परिणाम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार संसद में यथा समय प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा।
	(ii) शिकायत निपटान प्रबंधन प्रणाली (सी एच एम एस)	सभी राज्य मानवाधिकार आयोगों (एस एच आर सी) में सी एच एम एस स्थापित करके बिना किसी दोहरेपन के शिकायतों के त्वरित, सटीक निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्षमता-निर्माण तथा सभी राज्य मानवाधिकार आयोगों के साथ नेटवर्क द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संपर्क स्थापित करना।				योजना फिलहाल बंद कर दी गई है।			
						-	-		
	(iii) योजनेतर	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत कार्यों का निर्वहन करने संबंधी व्ययों को वहन करना।							

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
2.	**जनगणना सर्वेक्षण एवं आंकड़े**	राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर वैयक्तिक अ.जा./अ.ज.जा., सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं प्रजनन मानदंडों के संबंध में जनगणना 2011 के परिणाम उपलब्ध कराना	265.59	659.97	-	(i) सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक सारणियां (ii) सामान्य जनसंख्या सारणियां और (iii) प्रजननता सारणियां	प्रकाशित आंकड़ों से योजना आयोग और विभिन्न मंत्रालय आदि नीतिगत पहल और स्कीम आदि बनाने में समर्थ होंगे	-	-
	(क) महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार	(i) **<u>सिविल पंजीकरण प्रणाली (सी.आर.एस.):</u>** देश में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्यों में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के स्तर में सुधार करना तथा उसे बनाए रखना ।	-		-	(i) विशेष रूप से कम रजिस्ट्रीकरण वाले राज्यों में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में सुधार । (ii) कम्प्यूटरीकरण तथा जन्म और मृत्यु के संकेतकों के माध्यम से जिला स्तर पर जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़ों की उपलब्धता । (iii) जन्म और मृत्यु के अभिलेखों को डिजीटाइज करना । (iv) आंकड़ों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने की स्कीम के साथ जोड़ना ।	(i) राज्य सरकारों द्वारा जिला और राज्य स्तरों पर प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रों, आदि की स्कीमों/कार्यक्रमों की बेहतर योजना बनाना । (ii) जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र इलैक्ट्रानिक रूप से तैयार करना । (iii) महत्वपूर्ण सांख्यिकी से संबंधित रिपोर्टे निर्धारित समय सीमा में प्रकाशित करना ।	(i) विभिन्न इलैक्ट्रानिक संचार माध्यमों से विज्ञापन जारी कर जागरूकता अभियान चलाना; स्कूल में प्रवेश के समय प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन जारी करना; अन्य प्रकार के प्रचार माध्यम । (ii) सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि करना । (iii) उन चिकित्सा संस्थानों की सूची की उपलब्धता जहां जन्म और मृत्यु होती है ।	परिणाम मुख्यतः राज्यों के निष्पादन पर आधारित हैं और यह निष्पादन जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण से जुड़े संबंधित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर आधारित हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के साथ लिंकेज राज्यों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
									कार्यान्वयन पर निर्भर है।
		(ii) सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.) : (i) राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रजननता और मृत्यु दरों के संकेतक नामतः जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजननता दर तथा प्रजननता और मृत्यु दर संबंधी अन्य संकेतकों के संबंध में वार्षिक अनुमान उपलब्ध कराना ।				ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तौर पर राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रजननता और मृत्यु दरों के संकेतकों अर्थात जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजननता दर, प्रजननता और मृत्यु दर संबंधी अन्य संकेतकों के वार्षिक अनुमान की उपलब्धता ।	योजना आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों को मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के लिए प्रजननता और मृत्यु दर संबंधी विभिन्न संकेतकों विषयक आंकड़ों पर आधारित हस्तक्षेप संबंधी उपयुक्त कार्यनीतियों/ स्कीमों की आयोजना करने में सक्षम बनाना ।	सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 1.5 मिलियन परिवारों को शामिल करते हुए 8861 सैम्पल इकाईयों में अर्द्धवार्षिक सर्वेक्षणों के दौरान जन्म और मृत्यु की घटनाओं तथा जोखिम कारकों सहित अन्य संबंधित जानकारी को सतत और पूर्वव्यापी रूप से दर्ज करना ।	2014-15 में प्रारम्भ किए जाने के लिए नई इकाइयों के संबंध में आधारभूत सर्वेक्षण के लिए समय से अर्धवार्षिक सर्वेक्षणों हेतु अनुमोदन अपेक्षित है।
		(iii) **मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण (एमसीसीडी):** (i) आईसीडी-10 के अनुसार मृत्यु के कारण को सही ढंग से दर्ज करने के लिए चिकित्सीय अधिकारियों और कोडकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में राज्यों की सहायता करना, (ii) मृत्यु के कारणों से संबंधित आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करना,				(i) बीमारियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण-10वां संशोधन के अनुसार मृत्यु के कारण के समुचित वर्गीकरण करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवर चिकित्सा एवं सांख्यिकी कार्मिकों की उपलब्धता । (ii) मृत्यु के कारण के संबंध में आंकड़ों के एकत्रण तथा संकलन से जुड़ी एजेंसियों से ठीक तरह से समन्वय बनाए रखने के लिए मुख्य	(i) नियमित आधार पर कारण-विशिष्ट मृत्यु दर से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े तैयार करना । (ii) केन्द्र तथा राज्य स्तर पर रोग विशिष्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों/स्कीमों की आयोजना करना ।	(i) मृत्यु का उचित वर्गीकरण करने के लिए चिकित्सा व्यवसायी एवं सांख्यिकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देना। (ii) सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण स्कीम की	-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
		(iii) एम.सी.सी.डी. योजना के कवरेज में सुधार करके उसे सभी अस्पतालों तक पहुंचाना ।				रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) के कार्यालयों में नोसोलोजिस्ट (रोग विज्ञानी) की नियुक्ति करना (iii) मृत्यु के कारण संबंधी आंकड़ों की नियमित आधार पर उपलब्धता ।	(iii) विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय संसाधनों का समुचित आबंटन ।	विस्तारित कवरेज । (iii) राज्यों में मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण प्रकोष्ठ का सृजन ।	

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
	(ख) जीपीएस सेटेलाइट पर आधारित नगरों का भूस्थानिक डाटाबेस (भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस) पर आधारित नगर मानचित्रण के अधीन)	**<u>घटक क</u> :** (i) 4041 सांविधिक नगरों के मानचित्रों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना । (ii) विद्यमान डिजिटल डाटाबेस को भू-संदर्भित करना । (iii) 33 राजधानी शहरों के भू-स्थानिक डाटाबेस को अद्यतन करना । **घटक ख :** 6 मेगा शहरों तथा एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 31 शहरों के 28 सेटेलाइट नगरों के मामले में वार्ड-वार विस्तृत मानचित्र तैयार करना ।	-	-	-	(i) 6 मेगा शहरों के 28 सेटेलाइट नगरों के मामले में सरकारी एजेंसियों से नगरों की सूक्ष्म स्तरीय जानकारी एकत्र करना । (ii) नवीनतम जानकारी के अनुसार संदर्भित मानचित्रों को अद्यतन करना। (iii) हाई रेजोल्यूशन सेटलाइट इमेजरी का उपयोग करते हुए आधार-मानचित्रों को तैयार करने के कार्य को निष्पादित करना । (iv) एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर अद्यतन कर दिए गए हैं तथा डिजिटाइजेशन के लिए तैयार हैं ।	(i) वार्ड स्तर पर जनगणना आंकड़ों पर आधारित मानचित्रों में सूक्ष्म स्तरीय नगरीय निर्मित क्षेत्र प्रदर्शित करना । (ii) जनगणना गणना ब्लाकों के उचित सीमांकन में भू-संदर्भित स्थानिक डाटाबेस से सहायता मिलेगी ।	(i) मेगा शहरों के 28 सेटेलाइट नगरों के मामले में सूक्ष्म स्तरीय जानकारी एकत्र करने का कार्य अप्रैल, 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा । (ii) 28 सैटेलाइट नगरों के मामले में अद्यतन करने संबंधी कार्य जून, 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा। (iii) अंतिम रूप से दी गई जानकारी डिजिटाइजेशन के लिए जून, 2014 तक सौंप दी जाएगी । (iv) एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर डिजिटाइजेशन के लिए तैयार हैं ।	-
	(ग) जनगणना आंकड़ों के आंकड़ा प्रसार कार्यकलापों का आधुनिकीकरण	जनगणना 2011 की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सारणियों तथा सामान्य जनसंख्या सारणियों इत्यादि के आंकड़ों का प्रसार करना ।	-	-	-	(i) मुद्रित रिपोर्टों, सी.डी. के रूप में तथा इंटरनेट पर भारत की जनगणना की वेबसाइट पर जनगणना, 2011 के आंकड़े जारी करना । (ii) विश्वविद्यालय/संस्थानों में	(i) सारणीकरण योजना के अनुसार जनगणना 2011 के आंकड़ों को प्रयोक्तानुकूल तरीके से आंकड़ा प्रयोक्ताओं को उपलब्ध करवाना । (ii) 2013-14 में 5	कार्यकलापों को निर्धारित ढंग से करवाना ।	-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
						अतिरिक्त 15 वर्कस्टेशन स्थापित करने की योजना । (iii) सभी के द्वारा डिजिटल फार्मेट में जनगणना रिपोर्टों एवं सारणियों तक पहुंच पाने के लिए प्रत्येक जनगणना कार्य निदेशालय में डिजिटल अभिलेखागार वर्कस्टेशन स्थापित करना । (iv) जनगणना, 2011 के प्रसार के लिए पुस्तक मेले में भाग लेना । (v) राष्ट्रीय आंकड़ा साझेदारी एवं आंकड़ों की सुगम उपलब्धता नीति (एन.डी.एस.ए.पी)-2012 का कार्यान्वयन । (vi) भारत के लगभग एक लाख विद्यालयों में जनगणना पर साहित्य और जनगणना 2011 से संबंधित मुख्य बातें भेजकर विद्यालय पाठ्यक्रम में जनगणना को स्थान देना ।	वर्कस्टेशन कार्य करने लग गए हैं जहां अध्येता अध्ययन के लिए सैंपल माइक्रो डेटा तक पहुंच सकते हैं और अन्य 10 विश्वद्यालयों के लिए धन आबंटित कर दिया गया है । (iii) 16 निदेशालयों में डिजिटल अभिलेखागार वर्कस्टेशन चालू कर दिया जाएगा । (iv) ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों द्वारा जनगणना संबंधी जानकारी साफ्टवेयर मॉडयूल शुरू करने से आंकड़ा प्रसार में सुविधा होगी । (v) साहित्य और आंकड़ों की मुख्य-मुख्य बातों से स्कूली छात्रों को जनगणना 2011 के बारे में सुविज्ञ बनाने में मदद मिलेगी।		

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
	(घ) प्रशिक्षण एकक की स्थापना	(i) क्षमता निर्माण और विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ाने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा निदेशालयों के मौजूदा पदाधिकारियों को प्रशिक्षण (ii) नव नियुक्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण और एक अभिविन्यास कार्यक्रम के द्वारा उन्हें भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के विभिन्न प्रभागों के कार्यों और जनगणना कार्य निदेशालयों से अवगत कराना । (iii) जनगणना 2011 के आंकड़ों के विश्लेषण के लिए पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण ।				(i) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और निदेशालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ।	(i) भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और निदेशालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की समझ और विश्लेषात्मक कौशलों में वृद्धि करना (ii) जनगणना 2011 के आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए और संगठन के अन्य कार्यों और कर्तव्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए अधिकारियों में क्षमता विकसित करना	-	-
	(ङ) भारत की मातृभाषाओं का सर्वेक्षण (एमटीएसआई)	(i) जनगणना 2011 में बताई गई अवर्गीकृत मातृभाषाओं का युक्तीकरण और भाषाई पहचान । (ii) पहले से वर्गीकृत मातृभाषाओं का भाषाई सर्वेक्षण	-	-	-	(i) पूर्ण वीडियोग्राफी के साथ गैर भाषाई फील्ड कार्यकर्ता का उपयोग करते हुए 150 वर्गीकृत/अवर्गीकृत मातृभाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण । (ii) श्रव्य-दृश्य भाषा आंकड़ों को अंतर्राष्ट्रीय भाषाई वर्ण (आई.पी.ए.) में प्रशिक्षित	युक्तियुक्त और वर्गीकृत मातृभाषाओं की जानकारी द्वारा भाषाई हलचलों, भाषाई संचलन और लोगों की भाषा संबंधी अभिलाषाओं के बारे में पता चलता है ।	(i)सर्वेक्षण हेतु मातृभाषाओं को निर्धारित करने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति (भाषा) की बैठक । (ii) गैर भाषाई फील्ड कार्यकर्ताओं का भाषाई आंकड़ा एकत्र करने के	चूंकि आंकड़ा लिप्यंतरण, विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन बाहय स्रोतों के माध्यम से लाए गए विद्वान करेंगे जिनका

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
						लिप्यंतरकर्ताओं द्वारा लिप्यंतर । (iii) 200 मातृभाषाओं के लिए प्रशिक्षित भाषाविदों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण । (iv) 10 मातृभाषाओं के लिए भाषाविद विद्वानों/प्रोफेसरों द्वारा रिपोर्ट लेखन । (v) 200 मातृभाषाओं के संबंध में आगे उपयोग हेतु वीडियो, आंकड़े और लिप्यंतिरत आंकड़ों को संभाल कर रखना ।		लिए प्रशिक्षण (iii)वीडियोग्राफी का प्रयोग करते हुए फील्ड आंकड़ों का एकत्रीकरण (iv) श्रव्य-दृश्य आंकड़ों को आई.पी.ए. में लिप्यंतरित करना (v) आंकड़ा विश्लेषण, पर्यवेक्षण ओर प्रशिक्षित भाषाविदों द्वारा रिपोर्ट लेखन ।	पर्यवेक्षण विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के प्रोफेसर करेंगे अत: वित्तीय वर्ष में इनकी उपलब्धता पर पूरे कर लिए गए कार्यों की संख्या निर्भर करेगी ।
	(च) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)	(i) **तटीय गांवों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने संबंधी स्कीम** 3331 तटीय गांवों में सामान्य निवासियों का डाटाबेस तैयार करना ।	-	-	-	65.53 लाख कार्डों को बनाने, वैयक्तीकरण करने और उन्हें वितरित करने के साथ तटवर्ती क्षेत्रों में एन.पी.आर. परियोजना का कार्य संपन्न हो गया है । इन क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों को स्मार्ट कार्ड रीडरों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । मुख्य सलाहकार (लागत) वित्त मंत्रालय से मंत्रिमंडल के अनुमोदनानुसार परियोजना की अंतिम लागत की पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया गया है ।	(i) सुरक्षा एजेंसियों को स्मार्ट कार्ड रीडर प्रदान करना । (ii) मुख्य सलाहकार लागत, वित्त मंत्रालय के कार्यालय द्वारा पुनरीक्षा के बाद परियोजना की लागत को अंतिम रूप देना	-	-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
		(ii) **देश का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए स्कीम:** देश के सभी सामान्य निवासियों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना ।				(i) डिजिटाइज जनसांख्यिकीय डाटाबेस और शेष आंकड़ा प्रविष्टि के मिलान का कार्य । (ii) एन.पी.आर. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामान्य निवासियों का बायोमेट्रिक लिया जाना । (iii) सीधे लाभ अन्तरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना (डीबीटी) योजना के लिए लाभार्थियों के नामांकन के लिए विशेष एनपीआर कैम्पों का गठन । (iv) यूआईडीएआई के एनीपीआर डाटाबेस के दोहराव को रोकना तथा आधार का सृजन । (v) एनआईसी सेंट्रल डाटा सेंटर में पूरे देश के जनांकिकी आंकड़ों और 30 करोड़ के बायोमीट्रिक विवरणों का भंडारण ।	(i) एनीपीआर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बायोमीट्रिक एकत्रीकरण का काम पूरा किया जाना । (ii) एनपीआर के माध्यम से इन राज्यों के निवासियों के लिए आधार संख्या सृजित करना और दोहराव को रोकना ।		

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
		(iii) एनपीआर (प्रस्तावित) के अंतर्गत देश के लिए पहचान (स्मार्ट) कार्ड				एनपीआर योजना के अंतर्गत 18 वर्ष और इससे से अधिक की आयु वाले सभी सामान्य निवासियों को आरआईसी जारी करने के प्रस्ताव को वित्त व्यय समिति (ईएफसी) द्वारा समीक्षा की गई है । ईएफसी ने 5552.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से योजना की सिफारिश की है 18 वर्ष और अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों को आरआईसी जारी करने के लिए मंत्रिमंडल ने मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) गठित किया है। 13.03.2013 और 26.04.2013 को जीओएम की दो बैठकें हुई हैं । योजना के अनुमोदन के लिए गृह मंत्री ने 06.09.2013 को प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है।	मंत्रियों के समूह द्वारा और उसके बाद मंत्रिमंडल द्वारा योजना की स्वीकृति। इस स्वीकृति को प्राप्त कर लेने के बाद पहचान (स्मार्ट) कार्ड बनाने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्यों के आरंभ हेतु कदम उठाए जाएंगे ।		
		(iv) एनपीआर केंद्रों का गठन				रखरखाव और अद्यतन बनाने के लिए तहसील स्तर पर एनपीआर केंद्रों के गठन का प्रस्ताव और एनपीआर डाटाबेस को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना अनुमोदित हो जाने के बाद एनपीआर डाटाबेस के रखरखाव और अद्यतन बनाने के लिए तहसील/तालुक स्तर पर एनपीआर केंद्रों का गठन करना ।		

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
3.	**<u>राजभाषा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान</u>** **(क) राजभाषा विभाग का अधीनस्थ कार्यालय** (i) हिन्दी भाषा (ii) हिन्दी टंकण (iii) हिन्दी आशुलिपि सिखाने का प्रशिक्षण देता है।	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि सीखने का प्रशिक्षण देना ताकि उन्हें कार्यालयों में काम करने का हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो।	47.09	8.31	-	(i)स्थापित किए गए पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र-162। (ii) लगभग 14.00 प्रतिशत कर्मचारियों को प्रति वर्ष हिंदी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है वर्ष 2013-14 के 36500 के लक्ष्य की तुलना में 31.12.2013 तक उपलब्धि 25636 (70.23 प्रतिशत) है। (iii) प्रतिवर्ष लगभग 24.00 प्रतिशत स्टाफ को हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाता है वर्ष 2013-14 के 4860 के लक्ष्य की तुलना में 31.12.2013 तक उपलब्धि 3148 (64.77 प्रतिशत) है। (iv) प्रतिवर्ष लगभग 16.00 प्रतिशत स्टाफ को हिंदी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2013-14 के 1470 के लक्ष्य की तुलना में	(i) वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग प्रशिक्षित होने के लिए रह गए स्टॉफ (178592) में से लगभग 37780 (21.15 प्रतिशत) स्टाफ को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। (ii) वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग 37780 (21.15 प्रतिशत) स्टाफ को अभी प्रशिक्षित किया जाना है। 17446 कर्मचारियों को हिंदी टंकण में प्रशिक्षित किया जाएगा। (iii) वर्ष 2014-15 के दौरान 1440 (16.84 प्रतिशत) कर्मचारियों को अभी प्रशिक्षित किया जाना है।		

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
						31.12.2013 तक उपलब्धि 265 (18.02 प्रतिशत) है।	8546 कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिया जाएगा।		
	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो **(ख) अधीनस्थ कार्यालय** (i) सरकारी दस्तावेज़ों का अनुवाद करना। (ii) अनुवाद में प्रशिक्षण प्रदान करना।	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग होने वाले कोडों, मैनुअलों, प्रपत्रों, प्रकार्यात्मक साहित्य आदि का हिन्दी अनुवाद प्रदान करना और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देना।				(i) हिन्दी अनुवाद-58,000 मानक पृष्ठ (ii) तीन माह का अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम-16 (250 प्रशिक्षणार्थी) (iii) 21-दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम-02 (30 प्रशिक्षणार्थी) (iv)अल्पकालिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कार्यक्रम-16 प्रशिक्षणार्थी-400 (v) एडवांस/पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कार्यक्रम-06 प्रशिक्षणार्थी-90	(i) पिछले 5 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने 2500 कोडों, मैनुअल्स आदि का अनुवाद किया है जिनके मानक पृष्ठ अनुवाद के लिए प्राप्त 181069 मानक पृष्ठों की कुल सामग्री की तुलना में 256,267 मानक पृष्ठ (141 प्रतिशत) हैं। ब्यूरो को प्रतिवर्ष अनुवाद के लिए लगभग 50000 पृष्ठ प्राप्त होते हैं। (ii)पिछले 5 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने लगभग 4145 प्रशिक्षणार्थियों को अनुवाद में प्रशिक्षित	इसका आयोजन निर्धारित तरीके से होगा	

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
							किया जिनकों विभिन्न कार्यालय द्वारा नामित किया गया था। आने वाले वर्षों में इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए प्रतिवर्ष लगभग 810 कर्मचारियों को नामित किए जाने की संभावना है।		
	<u>राजभाषा हिन्दी के तकनीकी पहलू</u> (i) हिन्दी में कम्प्यूटरों का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण देना। (ii) भाषा परिकलन प्रयोग उपकरणों का विकास। (iii)तकनीकी सम्मेलन/ सेमिनार।	कर्मचारियों को हिन्दी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना। कम्प्यूटरों पर हिन्दी के प्रयोग के लिए ऐसे उपकरणों को विकसित करना जो हिन्दी को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के लिए लाभकारी हो सकते हैं। द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा सॉफ्टवेयरों से संबंधित सूचना प्रदान करना ताकि हिन्दी में उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग किया जा सके।				(i) आयोजित किए गए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-27 शेष कार्यक्रमों पर कार्रवाई चल रही है। (ii) विभिन्न हिन्दी सॉफ्टवेयरों का विकास। (iii) मौजूदा हिन्दी सॉफ्टवेयरों में और सुधार	कम्प्यूटरों पर हिन्दी में प्रभावी रूप से कार्य करने की सुविधा प्रदान करना और प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकियों के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में तेजी आएगी।	वर्ष	कोई नहीं।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
	<u>संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन</u> (i) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (राजभाषा विभाग) (1 कार्यालय योजनागत के अंतर्गत तथा 7 कार्यालय योजनेतर के अंतर्गत) (ii) हिन्दी के सरकारी प्रयोग को प्रोन्नत करने के लिए पुरस्कार + 04 क्षेत्रीय सम्मेलन/सेमि-नार + नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों पर व्यय।	केन्द्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए पुरस्कार देना।				(i) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के 1095 कार्यालयों का निरीक्षण (दिसम्बर 2013 तक)। (ii) इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार 2011-12/क्षेत्रीय पुरस्कार (08 क्षेत्रों में)/राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार 2011 का वितरण। (iii) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (टीओएलआईसी) की 393 बैठकें। (iv) राजभाषा अधिनियम, 1963 के नियम 10 (4) के अंतर्गत और कार्यालयों को अधिसूचित किया गया।	(i) राजभाषा नीति का बेहतर एवं प्रभावी कार्यान्वयन। (ii) पूरे देश के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा को बढ़ावा देना।	वर्ष	कोई नहीं

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
	<u>राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार</u> (राजभाषा विभाग)	विभाग, कलैण्डरों, पोस्टरों, मानक हिन्दी पुस्तकों, गृह मंत्री के संदेश आदि के माध्यम से कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देता है तथा इसका प्रचार करता है।				राजभाषा के रूप में हिन्दी को बढ़ावा देने तथा इसका प्रचार करने के लिए पोस्टर, कलैण्डर, मानक हिन्दी पुस्तकों की सूची, गृह मंत्री का संदेश आदि तैयार किए जाते हैं तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों में इनका वितरण किया जाता है।	राजभाषा हिन्दी और इसकी नीति के बारे में सरकारी ढांचे में बेहतर जागरूकता।	वर्ष	कोई नहीं।
4.	**केन्द्रीय अधिनियमों एवं विनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान**	बजट प्रावधान में नागरिकता अधिनियम, विदेशियों का पंजीकरण एवं निगरानी तथा अन्य अधिनियमों/नियमों एवं विनियमों के प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल है।	61.49	0.00	-	यह आवंटन राज्य सरकारों को केन्द्रीय अधिनियमों के प्रशासन में लगे कर्मचारियों पर उनके द्वारा वहन किए गए स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए है।	इस आबंटन का परिणाम केन्द्रीय अधिनियमों तथा संबंधित नियमों एवं विनियमों को प्रशासित करना है।	राज्य सरकारों द्वारा मांग किए जाने पर उनकी प्रतिपूर्ति की जाती है।	-
5.	**नागरिक सुरक्षा** **नागरिक सुरक्षा के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति**	भारत सरकार, नागरिक सुरक्षा नीति तैयार करने तथा इसे कार्यान्वित करने में समन्वय तथा पर्यवेक्षण संबंधी उपायों के लिए उत्तरदायी है। गठन करने, प्रशिक्षित करने तथा सज्जित करने पर होने वाले व्यय को मौजूदा वित्तीय नीति के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है।	20.15	0.00	-	राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय प्रतिपूर्ति, 100 बहु-आपदा संवेदनशील जिलों सहित वर्गीकृत 259 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा के गठन, प्रशिक्षण और स्वयंसेवियों को सुसज्जित करने के लिए नागरिक सुरक्षा संबंधी उपाय आरंभ किए जाने हेतु है।	(क) केन्द्रीय सहायता से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों को बेहतर प्रशिक्षण देने तथा उन्हें सुसज्जित करने में सहायता मिलेगी। इससे सरकार द्वारा किए गए नागरिक सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में और जागरूकता फैलाने में भी सहायता प्राप्त होगी।	प्रतिपूर्ति दावों पर कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए की गई मांगों से जुड़ी हुई हैं। इनके साथ राज्यों के महालेखाकार का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संलग्न होता है।	नागरिक सुरक्षा स्वयं-सेवियों की संख्या और परिणाम-स्वरूप भारी संख्या में नागरिक सुरक्षा स्वयं-सेवियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें सुसज्जित करने में होने वाले कुल व्यय में वृद्धि होने की संभावना

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
		नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 पूरे देश में लागू है किंतु नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन केवल ऐसे क्षेत्रों/कस्बों/जिलों में किया गया है जिन्हें शत्रु के हमलों तथा आपदा की दृष्टि से सुभेद्य समझा जाता है। अब नागरिक सुरक्षा संबंधी क्रियाकलाप 259 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा कस्बों/जिलों से सीमित हैं। देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे को चुस्त-दुरुस्त बनाने की केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजना के अंतर्गत 100 बहु आपदा संभावित जिलों को नागरिक सुरक्षा ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए शामिल किया गया है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था। **नागरिक सुरक्षा के गठन की भूमिका/उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-** युद्ध, आपात स्थितियों तथा				वर्ष 2013-14 के दौरान 12.00 करोड़ रु. के आबंटित बजट की तुलना में राज्य सरकारों को **3,92,47,779** रु. जारी किए गए हैं। 9.00 करोड़ रु. की निधि को गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी 2014 के पत्र सं. 1/1/2014-बजट.। तथा दिनांक 11 दिसबर 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 10.44/2013-बजट.।, जो इस कार्यालय को 24.01.2014 को प्राप्त हुआ, के तहत संशोधित अनुमान 2013-14 के स्तर पर कम कर दिया गया है। 3,93,72,246 रु. की राशि के लिए आई एफ डी, गृह मंत्रालय की सहमति मांगी गई है, किंतु स्वीकृति आदेश जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि बजट अनुमान में आबंटित निधि को संशोधित अनुमान 2013-14 में 12.00 करोड़ रु. से कम करके 3.00 करोड़ रु. कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त 14,29,38,316 रु. के दावों	(ख) इस आबंटन से देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने में तथा उसे चुस्त-दुरूस्त करने में सहायता मिलेगी।		है।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
		प्राकृतिक/मानवजनित आपदाओं के दौरान नागरिक सुरक्षा संगठन अंतत: क्षेत्रों की चौकसी करने, सशस्त्र बलों की सहायता करने, नागरिकों को सक्रिय बनाने तथा निम्नलिखित कार्यों को करने में सिविल प्रशासन की सहायता करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है: जीवन-रक्षा; 1. संपत्ति की हानि को न्यूनतम करना; 2. उत्पादन में निरंतरता को बनाए रखना; 3. जनता के मनोबल को ऊंचा बनाए रखना; 4. आपात स्थितियों/आपदा के दौरान प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए और ज्यादा क्षमता पैदा करना; और				की जांच करने पर निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं:- (क) पूर्व वर्षों के अंतिम दावे राज्य सरकारों की ओर से लंबित हैं: (ख) लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ जोकि अंतिम दावों का निपटान करने के लिए अनिवार्य है। तथापि आई एफ डी, गृह मंत्रालय ने एक निदेश जारी किया कि किसी वर्ष विशेष के बिलों पर तभी कार्रवाई की जाए यदि पूर्व वर्ष के समस्त अंतिम दावे का निपटान कर दिया गया हो। **उपयोग प्रमाणपत्र इस योजनेतर स्कीम के अंतर्गत लागू नहीं है**			

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
		5. आपदा से पहले क्षमता निर्माण के द्वारा आपदाओं/आपात स्थितियों का सामना करने को तैयार रहने और आपदाओं के दौरान और आपदाओं के बाद बचाव एवं राहत प्रदान करने में जनता की सहायता करना।							
	नागरिक सुरक्षा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण की मुख्यधारा में शामिल करना	इस योजना का समग्र उद्देश्य निम्न प्रकार है:- (क) राज्यों में नागरिक सुरक्षा संगठन को चुस्त-दुरुस्त बनाने संबंधी पूर्व योजना के प्राप्त लक्ष्यों को सुदृढ़ करना और ऐसे राज्यों, जहां यह मौजूद नहीं हैं, ने नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना के विकास सहित नागरिक सुरक्षा संगठनों की स्थापना करना। (ख) सर्वाधिक रूप से				इस योजना के निम्नलिखित परिणाम होंगे:- (क) सरकारी भवनों में कार्यरत 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (सी डी टी आई) का सुदृढ़ीकरण। (ख) 3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में मौजूदा सी डी टी आई, जहां ये अभी किराए के भवन में हैं, का सुदृढ़ीकरण।	(क) सरकारी भवनों में कार्यरत 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा सी डी टी आई का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन किया जा रहा है। (ख) 3 राज्यों अर्थात् पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में वर्तमान में किराए के भवनों में कार्यरत	क्रियाकलापों के लिए आबंटन की प्रक्रिया योजना के अनुमोदन, बजट जारी किए जाने तथा राज्यों से लंबित उपयुक्त प्रमाणपत्र होने से जुड़ी हुई है।	(क) यह योजना इस समय ई एफ सी अवस्था में है। वास्तविक परिणाम योजना को स्वीकृत किए जाने के अध्यधीन होंगे। (ख) निर्माण, वाहनों और उपकरणों के प्रापण तथा प्रशिक्षण की लागत में वृद्धि

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
		निर्धारित सुभेद्य जिलों/एम एच डी में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा वोलंटियर की संख्या में वृद्धि करना। (ग) सामुदायिक स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन गतिविधियों में भागीदारी के लिए एम वी डी/एम एच डी में नागरिक सुरक्षा वालेंटियरों की अभिप्रेरित, प्रशिक्षित और सुसज्जित टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। (घ) विदेशों में स्थित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य स्तर के नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल में वृद्धि करके प्रशिक्षित मानव शक्ति का पूल तैयार करना। (ङ) देश की आपदा प्रबंधन रणनीति में नागरिक सुरक्षा को सबसे आगे रखने के उद्देश्य से नागरिक सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाना				(ग) सर्वाधिक रूप से सुभेद्य अतिरिक्त जिलों में नागरिक सुरक्षा ढांचे का सृजन। (घ) 100 मौजूदा बहु आपदा संभावित जिलों में नागरिक सुरक्षा ढांचे का सुदृढ़ीकरण। (ङ) सभी एम वी डी/एम एच डी में प्रशिक्षण शिविरों/नकली अभ्यास/ प्रदर्शनों/प्रदर्शनियों/रैलियों आदि के माध्यम से आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी। (च) देश में नागरिक सुरक्षा अभिविन्यास कार्यशालाएं आयोजित करना। (छ) विदेशों में स्थित नागरिक सुरक्षा संस्थानों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण, एम वी डी/एम एच डी में नागरिक सुरक्षा वोलंटियरों के दौरे एवं प्रशिक्षण (ज) देशभर में नागरिक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।	मौजूदा सी डी टी आई का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। (ग) सर्वाधिक रूप से सुभेद्य अतिरिक्त जिलों में नागरिक सुरक्षा ढांचे का सृजन तथा क्षमता निर्माण शुरू किया जा रहा है। (घ) 100 मौजूदा बहु जोखिम संभावित जिलों में नागरिक सुरक्षा ढांचे का सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण शुरू किया जा रहा है। (ङ) क्षेत्रीय अभिविन्यास कार्यशालाओं के आयोजन सहित सभी एम वी डी/एम एच डी में आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी संबंधी कार्यक्रम का आयोजन। (च) विदेशों में स्थित नागरिक सुरक्षा संस्थानों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण, नागरिक सुरक्षा अधिकारियों और		

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
		क्योंकि सबसे पहले जनता ही कार्रवाई करती है। (च) व्यापक मीडिया अभियान चलाकर तथा क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करके पूरे देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन में नागरिक सुरक्षा के क्रियाकलापों और नागरिक सुरक्षा की भूमिका के बारे में प्रचार करना तथा जागरूकता पैदा करना।					वालंटियरों के एक्सपोजर विजिट तथा नागरिक सुरक्षा वालंटियरों का प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। (छ) नागरिक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। (ज) एम एच डी/एम वी डी से नागरिक सुरक्षा वोलंटियरों का प्रशिक्षण (i) नागरिक सुरक्षा जागरूकता। (ii) परियोजना प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन		
	देश में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं का आधुनिकीकरण	राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक एवं उन्नत बनाना	-		-	चूंकि गृह मंत्रालय द्वारा योजना को अनुमोदित किया जाना शेष है इसलिए इस योजना से कोई वास्तविक परिणाम प्राप्त नहीं हो सका है।	शून्य। गृह मंत्रालय द्वारा योजना अनुमोदित की जानी है	लागू नहीं	योजना को गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है।
6.	**होम गार्ड्स** **होम गार्ड्स संसदीय और राज्य विधान सभा चुनावों के दौरान होम**	होम गार्डों का गठन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके अपने-अपने अधिनियमों के तहत किया जाता है। गृह मंत्रालय, होम गार्ड संगठन की	41.43	0.00	-	केन्द्रीय वित्तीय प्रतिपूर्तियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, होम गार्डों के गठन, प्रशिक्षण तथा सुसज्जित करने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर है।	कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस	कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा दावों की प्रतिपूर्ति के लिए उठाई गई मांगों से जुड़ी है।	--

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
	गार्डस की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	भूमिका, मारक क्षमता, गठन, प्रशिक्षण, सज्जा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में नीति का निर्धारण करता है। होम गार्डों पर होने वाले व्यय का भुगतान नियोक्ता विभाग/संगठन द्वारा किया जाता है। गठन, प्रशिक्षण एवं सज्जा पर होने वाले व्यय का वहन मौजूदा वित्तीय नीति के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है।					बलों को सहायता देकर उनके प्रयासों में योगदान देना तथा सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना।		
		होमगार्डों के गठन तथा उन्हें बनाए रखने की भूमिका/उद्देश्य (क) पुलिस के सहायक के रूप में सेवा करना और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में उसकी सहायता करना। **(ख)** हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़, महामारी जैसी किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में सामुदायिक सहायता करना। (ग) मोटर परिवहन, पाइनियर और इंजीनियर				जब कभी भारत सरकार द्वारा निधियां स्वीकृत की जाती हैं तो उनका उपयोग लोक सभा/विधान सभा चुनावों के सुगम आयोजन में सहायता प्रदान करने के लिए अन्य राज्यों से अतिरिक्त कंपनियों/बटालियनों की तैनाती पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए किया जाता है।	इस आबंटन से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुलिस बलों के सुदृढ़ीकरण में तथा इसके साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की प्रभावी रूप से रक्षा करने में सहायता मिलेगी।		

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
		ग्रुप्स, फायरबिग्रेड, नर्सिंग और प्राथमिक चिकित्सा, जल और विद्युत आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने के लिए क्रियाशील यूनिटों को संचालित करना है। (घ) सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना तथा समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने में प्रशासन की सहायता करना। (i)प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई विकास योजनाओं तथा उपयोगी समझे जाने वाले ऐसे अन्य कार्यों जैसी सामाजिक-आर्थिक तथा कल्याणकारी गतिविधियों में भाग लेना।							
7.	**अन्य मदें**	बजट प्रावधान में क्षेत्रीय परिषदों, अंतर-राज्य परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, विशेष जांच आयोग, आईसीपीओ, इंटरपोल तथा यू.एन. कन्वेशन ऑन क्राइम प्रिवेन्शन एंड क्रिमिनल जस्टिस फंड को अंशदान, क्राइम प्रिवेन्शन एंड क्रिमिनल जस्टिस फंड	142.40	0.01	-	सुपुर्दगी योग्य का परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवंटन मुख्यत: स्थापना संबंधी व्यय के लिए किए जाते हैं।			.

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	योजनागत बजट				
		का उन्नयन, एनसीडीसी का उत्कृष्टता कालेज के रूप में उन्नयन कबीर पुरस्कार तथा एन आई सी बैठकों, अयोध्या में अधिग्रहित सम्पत्तियों के संरक्षण एवं रखरखाव, अधिकृत व्यक्ति एवं दावा आयुक्त, अयोध्या के कार्यालय के कार्यालय संबंधी व्यय हेतु प्रावधान शामिल हैं।							
8.	**पुलिस स्मारक**	ये आबंटन पुलिस स्मारक के निर्माण के लिए है	0.00	50.00		-	-	-	-
9.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/ योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान ।**	यह आबंटन 'योजनागत स्कीमों के कार्यान्वयन' के प्रयोजन से भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में उपयोग किए जाने के लिए है।	0.00	75.00	-	निधियों का आबंटन, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों की जनता के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (राष्ट्रीय पहचान-पत्रों की सूची) तैयार करने के लिए है।	-	-	-
कुल योग: अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय			**850.67**	**794.00**	-			-	-

(करोड़ रु. में)

अनुदान सं. 55-पुलिस

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
1.	**केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल**	कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा विभिन्न आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के निष्पादन में राज्य सरकारों की सहायता करना।	12165.51	4.00	-	वर्ष 2013 के दौरान 29056 कार्मिकों (दिसम्बर 2013 की स्थिति के अनुसार) तथा वर्ष 2014 (जनवरी से मार्च 2014 तक) के दौरान 3963 कार्मिक को आतंकवाद, नक्सल-रोधी, विद्रोह-रोधी (अभियान), जंगल युद्ध और सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। के.रि.पु.ब. 2091 उग्रवादियों/ नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफल रहा और 110 को मार गिराया (31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार)। के.रि.पु.ब. ने सिविक एक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अभियान क्षेत्र में उदाहरण स्वरूप चिकित्सा शिविर, स्कूलों में 4793 समुदाय आदान-प्रदान कार्यक्रम, जैसे चिकित्सा शिविर, स्कूल, स्कूली बच्चों, ग्रामीणों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य समुदाय आदान-प्रदान कार्यक्रम भी आयोजित किए।	देश में कानून एवं व्यवस्था बेहतर बनाने से देश की सुरक्षा सुदृढ़ होगी।	योजनेतर व्यय बल के सुदृढ़ीकरण करने की सतत् एवं चालू कवायद है।	-
2.	**राष्ट्रीय सुरक्षा गारद**	आतंकवाद का हर तरह से मुकाबला करना तथा आतंकवादी हमलों के समय विशिष्ट कार्रवाई करना।	628.28	0.00	-	3996 कार्मिक सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने और आतंकवादी हमले के अधीन विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित किए गए (31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार)।	आधुनिकीकरण के अलावा बल की ज्यादा विश्वसनीयता तथा अधिक मारक क्षमता।	क्षमता में निरंतर उन्नयन करने तथा सुदृढ़ बनाने की सतत एवं जारी रहने वाली प्रक्रिया है।	

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
3.	**सीमा सुरक्षा बल**	भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बंगलादेश सीमाओं पर चौकसी रखना तथा विद्रोह-रोधी/आतंकवाद-रोधी अभियानों द्वारा आंतरिक सुरक्षा में सहायता प्रदान करना।	11240.52	1.50	-	वर्ष 2013-14 में (31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार) सीमा सुरक्षा बल के कुल 18559 कार्मिकों को आतंकवाद और नक्सल-रोधी, विद्रोह-रोधी (अभियान), जंगल युद्ध और सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। वर्ष के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा लगभग 5851 अपराधियों/आतंकवादियों/नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया (31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार) ।	यह बल की प्रभावकारिता को आधुनिक एवं सुदृढ़ करने में मदद करेगा।	योजनेतर व्यय बल के सुदृढ़ीकरण करने की सतत् एवं चालू कवायद है।	
4.	**भारत-तिब्बत सीमा पुलिस**	भारत-चीन सीमा पर चौकसी रखना तथा विद्रोह-रोधी/आतंकवाद-रोधी अभियानों में आंतरिक सुरक्षा को सहायता प्रदान करना।	3080.99	1.25	-	वर्ष 2013-14 के दौरान (31.03.2014 तक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में 18163 कार्मिक प्रशिक्षित किए गए। वर्ष 2013-14 के दौरान 213 की संख्या में अपराधी/आतंकवादी/नक्सली गिरफ्तार किए गए।	आधुनिकीकरण के अलावा बल की विश्वसनीयता एवं मारक क्षमता में वृद्धि।	योजनेतर व्यय बल के सुदृढ़ीकरण करने की सतत् एवं चालू कवायद है।	

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
5.	**केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल**	महत्वपूर्ण प्रतिष्ठापनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विरासत के महत्वपूर्ण स्मारकों की सुरक्षा प्रदान करना।	4727.22	0.00	-	वर्ष 2013-14 के दौरान 44745 कार्मिकों (जनवरी से दिसम्बर 2013 तक) तथा 27080 कार्मिक (जनवरी से मार्च 2014 तक) को आतंकवाद और नक्सल-रोधी, विद्रोह-रोधी (अभियानों), जंगल युद्ध में और सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। के. औ. सु. ब. द्वारा वर्ष 2013 के दौरान (जनवरी से दिसम्बर तक) लगभग 1778 तथा वर्ष 2014 के दौरान 373 (जनवरी से मार्च तक) की स्थिति के अनुसार) लगभग 1778 अपराधी/आतंकवादी/नक्सली गिरफ्तार किए गए।	बल की प्रभावकारिता को आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा।	योजनेतर व्यय बल के सुदृढ़ीकरण करने की सतत् एवं चालू कवायद है।	
6.	**असम राइफल्स**	असम राइफल्स आतंकवाद एवं विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आंतरिक सुरक्षा में सहायता करने के अतिरिक्त म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है।	3538.57	2.00	-	वर्ष 2013-14 के दौरान असम राइफल्स द्वारा 12915 कार्मिक (मार्च 2014 तक) आतंकवाद और नक्सल-रोधी, विद्रोह-रोधी (अभियानों), जंगल युद्ध के विभिन्न कौशलों तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षित किए गए। वर्ष 2013-14 के दौरान	आधुनिकीकरण के अलावा बल की विश्वसनीयता एवं मारक क्षमता में वृद्धि।	बल के क्षमता निर्माण को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया एक सतत और जारी रहने वाली प्रक्रिया है।	

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						(31.03.2014 तक) असम राइफल्स द्वारा 1092 अपराधी/आतंकवादी पकड़े गए।			
7.	**सशस्त्र सीमा बल**	भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमा पर चौकसी रखना तथा विद्रोह-रोधी/आतंकवाद-रोधी अभियानों में आंतरिक सुरक्षा को सहायता प्रदान करना और आंतरिक सुरक्षा संबंधी अन्य दायित्वों का निर्वहन करना।	3066.54	1.25	-	सशस्त्र सीमा बल में 2013-14 के दौरान (31.03.2014 तक) कुल 49230 कार्मिकों को आतंकवाद और नक्सल-रोधी, विद्रोह-रोधी अभियानों, जंगल युद्ध, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान (31.03.2014 तक) सशस्त्र सीमा बल ने अपने अभियान क्षेत्र में 5282 सामुदायिक आदान-प्रदान कार्यक्रम जैसे चिकित्सा शिविर, सिविक एक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल, स्कूली बच्चों, ग्रामीणों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य सामुदायिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष 2013-14 के दौरान (31.03.2014 तक) सशस्त्र सीमा बल द्वारा 31.03.2014 तक 6093 अपराधी/आतंकवादी/नक्सली गिरफ्तार किए गए ।	आधुनिकीकरण के अलावा बल की विश्वसनीयता एवं मारक क्षमता में वृद्धि।	योजनेतर व्यय बल के सुदृढ़ीकरण करने की सतत् एवं चालू कवायद है।	

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
8.	**केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का विभागीय लेखा संगठन**	यह आबंटन एकीकृत प्रशासनिक एवं प्रकार्यात्मक नियंत्रण के तहत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पुनर्गठित भुगतान एवं लेखा कार्यालयों के लिए है।	89.60	0.00	-	(i) अनुदान से संबंधित मासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण (ii) भुगतान एवं लेखा कार्यालय (के. रि. पु. ब) के कार्यालय भवन का निर्माण	(i) संगठन समय पर संवितरण सुनिश्चित करेगा और कॉम्पैक्ट (कम्प्यूटरीकृत लेखा, ई-लेखा एवं सी पी एस एम एस (केन्द्रीय योजना स्कीम मॉनीटरिंग प्रणाली) के माध्यम से मासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशित करेगा। (ii) भुगतान एवं लेखा कार्यालय (के. रि. पु. ब.) के लिए कार्यालय भवन और अवसंरचना का निर्माण।	(i) महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा यथा निर्धारित वित्तीय वर्ष के दौरान (ii) 24 माह	जोखिम मैट्रिक्स की गैर मौजूदगी एवं कमजोर जोखिम प्रबंधन क्रियाकलाप
9.	**राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड**	समग्र उद्देश्य: नेटग्रिड आसूचना और जांच एजेंसियों को जोड़ेगा जिसे यूजर एजेंसियां कहा जा सकता है (10 यू ए की संख्या में)। साथ ही इनको कतिपय डाटा बेसों के साथ स्वतंत्र रूप से जोड़ा जाएगा जिसे प्रदाता संगठन कहा जा सकता है (21 पीओ की संख्या में) जो	0.00	29.97	-	आवश्यकता के आधार पर अनुमोदित योजना के अनुसार संसाधनों की भर्ती	परियोजना को पूरा करने के लिए नेटग्रिड का क्षमता निर्माण	1.3.2015	(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती नियमों का अनुमोदन।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		आसूचना इन्पुट सृजित करेगा।							(ख) उपयुक्त संसाधनों की उपलब्धता।
						नेटग्रिड परियोजना की महत्वपूर्ण लीड्स को पूरा करना जैसे डाटा मेच्योरिटी एसेसमेंट, प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना, अवधारणा प्रमाण की शुरूआत (पी ओ सी) एप्लीकेशन डेवलपमेंट की शुरूआत		31.3.2015	अनुमोदन तथा प्रदाता संगठनों की प्रतिक्रिया के अध्यधीन।
						नई दिल्ली में डाटा सेंटर (डी सी), बिजनेस कंटीन्यूटी प्लानिंग डाटा सेंटर (बी सी पी) तथा कार्यालय परिसर और बंगलौर में डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर तथा कार्यालय परिसर सहित भौतिक अवसंरचना का सृजन।	दिल्ली में डी सी और बी सी पी परिसर का निर्माण	30.09.2014	विभिन्न प्राधिकारियों के अनुमोदन तथा एन बी सी सी द्वारा कार्य निष्पादन पर निर्भर
							-खुदाई तथा नींव अवस्था -आर सी सी ढांचा (75 प्रतिशत)	30.09.2014	

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
							बंगलौर में डी आर परिसर का निर्माण - खुदाई तथा नींव अवस्था - आर सी सी ढांचा (90 प्रतिशत), ईंट कार्य/प्लास्टरिंग (40 प्रतिशत)	31.03.2015	
10.	**भूमि पत्तन प्राधिकरण**	यह प्रावधान भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के स्थापना के लिए है ताकि ऐसी प्रणालियां स्थापित की जा सके जिनसे सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण होगा साथ ही यह प्रावधान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अभिहित स्थानों पर यात्रियों और सामान की सीमा पार से आवाजाही की सुविधाओं के विकास और प्रबंधन तथा उनसे जुड़े मामलों के लिए है।	19.85	0.00	-	सुपुर्दगी-योग्य का परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि आबंटन मुख्यत: स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।	आई सी पी/भूमि पत्तनों का स्वामित्व, विकास और प्रबंधन।	वित्तीय वर्ष के दौरान	
11.	**आसूचना ब्यूरो**	बजट प्रावधान में स्थापना, यात्रा व्यय, मशीनरी उपकरण आदि पर व्यय शामिल हैं।	1196.43	0.00	-	व्यय में मुख्यत: वेतन एवं स्थापना संबंधी अन्य मामले शामिल हैं। व्यय में कोलकाता, जोधपुर में दो आर टी सी के निर्माण तथा द्वारका में आसूचना अकादमी के लिए 93.65 करोड़ रु. का पूंजीगत परिव्यय शामिल है।	परिणाम नीतियां बनाने और मंत्रालय के चार्टर के अनुसार उनके कार्यान्वयन/मॉनीटरिंग के रूप में होंगे।	यह कार्य आसूचना ब्यूरो के चार्टर के अनुसार संचालित किया जाता है।	

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
12.	**आप्रवासन ब्यूरो:** **आप्रवासन एवं पंजीकरण कार्यों का आधुनिकीकरण**	प्रावधान आप्रवासन सेवाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन तथा आसूचना ब्यूरो द्वारा संचालित सीमा जांच चौकियों के लिए स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।	241.20	0.00	-	परिणामों की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि आबंटन मुख्यत: स्थापना संबंधी व्यय के लिए हैं।			
13.	**स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)**	प्रावधान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के सचिवालय व्यय के लिए है। दोनों मुख्यालयों, 3 डी डी जी (आर) कार्यालयों एवं फील्ड यूनिटों अर्थात् 13 जोन, 12 उप जोन	54.80	0.00	-	(1) नई यूनिटों की स्थापना एवं प्रचालन (2) नई एवं मौजूदा यूनिटों में व्यक्तियों की भर्ती एवं तैनाती (3) नए कार्यालय सह आवासीय परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण (4) निगरानी उपकरणों, वाहनों एवं अन्य संभारतंत्रों का अधिग्रहण (5)देशों के साथ स्वापक मामलों में समझौता ज्ञापन के द्विपक्षीय करार में शामिल होना।	(1) प्रवर्तन तथा समन्वय एजेंसी दोनों के रूप में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण। (क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में आसूचना ढांचे का उन्नयन। (ख) प्रौद्योगिकी तकनीक का उन्नयन (2) नशीली दवाओं की तस्करी तथा इसके दुरुपयोग को नियंत्रित करने में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण। (3) स्वापक पदार्थों	3 चरण अर्थात 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 (तीसरा चरण अभी स्वीकृत नहीं किया गया है। 5 वर्षीय कार्यक्रम (2009-14) यह	(1)(i) यह मादक द्रव्यों के दुरुपयोग संबंधी मामलों में अन्य संबंधित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के गहन आपसी समन्वय पर आधारित बहु-एजेंसी दृष्टिकोण है। (ii) निधियों की उपलब्धता 2(i) निधियों की उपलब्धता

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
							की अवैध तस्करी से निपटने संबंधी उपायों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतर्राष्ट्रीय/संयुक्त राष्ट्र अभिसमय प्रोटोकॉलों के अंतर्गत बाध्यताओं का कार्यान्वयन। (4) बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। (5) औषध संबंधी मामले में अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (6) औषध (ड्रग) का पता लगाने और अभियोजन की कार्रवाई करने की क्षमता में वृद्धि (7) औषधों के इन्टरडिक्शन/जब्ती/ अपराधियों की गिरफ्तारी में वृद्धि (8) प्रचालनात्मक क्षमता एवं प्रभावकारिता में वृद्धि	क्रियाकलाप गहन निगरानी में किया जाता है। सतत प्रक्रिया -तदैव- -तदैव- -तदैव- -तदैव-	(ii) कुछ राज्यों के लिए कम प्राथमिकता। (3) डीसीजीआई/ राज्य ड्रग्स कंट्रोलर्स से आंकड़े प्राप्त करने में कठिनाई। (4) भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय हितों तथा राजनयिक संबंधों में विभिन्नता।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
14.	**राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण**	यह प्रावधान, संसद के एक अधिनियम द्वारा गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थापित 'राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)' की स्थापना संबंधी व्यय को वहन करने के लिए है।	101.03	0.00	-	आबंटन मुख्य रूप से स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को पूरी तरह से क्रियाशील बनाना है।	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, स्वीकृत पदों को भर कर, इसे सौंपे मामलों की पेशेवर जांच के लिए अपेक्षित सुविधाओं का सृजन करके क्रियाशील होगा।	यह एक सतत प्रक्रिया है।	
15.	**केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान**	सी ए पी एफ कार्मिकों एवं उनके परिवारों को तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (सी ए पी एफ आई एम एस) और 800 बिस्तर वाला अनुसंधान एवं रेफरल अस्पताल (500 बिस्तर वाला जनरल अस्पताल + 300 बिस्तर वाला सुपर स्पेशिएल्टी अस्पताल), एक नर्सिंग कॉलेज एवं परामेडिक्स स्कूल की स्थापना				ये आबंटन मुख्यतया केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापना संबंधी व्यय के लिए हैं। 2720 पदों के सृजन के लिए एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्रालय परियोजना निगरानी ईकाई के लिए 20 पदों को सृजित करने पर सहमत हो गया है और स्वीकृति पत्र 30.04.2014 को जारी किया गया है।	यह संस्थान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों को और उनके परिवारों को उचित स्तर की चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसके अतिरिक्त इससे केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में प्रतिभाशाली चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भर्ती और उन्हें बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इसके साथ-साथ यह सेवाकालीन स्वास्थ्य चिकित्सा विशेषज्ञों को इन-हाउस प्रशिक्षण/विशेषज्ञता/ पीजी/सुपरस्पेस्लिटी		

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
							पीजी पाठ्यक्रमक भी चलाएगा।		
16.	**विशेष सुरक्षा समूह (एस पी जी)**	प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री एवं उनके निकट पारिवारिक सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना।	408.98	0.00		-	-	-	-
17.	**शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान**	सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जैसे प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय को कवर करता है। आबंटनों में केन्द्र सी ए पी एफ के आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से स्थपना संबंधी व्यय शामिल है।	289.25	63.90	-	अपनी ड्यूटियों के निष्पादन में केन्द्रीय पुलिस संगठनों की अधिक विश्वसनीयता तथा प्रभावकारिता। केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, भोपाल और दो और केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना करने, बी पी आर एंड डी मुख्यालय के अतिरिक्त बी पी आर एंड डी में ट्रेनिंग इंटरवेंशन्स और अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के लिए प्रावधान भी शामिल है।	बेहतर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के जरिए केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा राज्य पुलिस की जिम्मेदारियों के निष्पादन में अधिक प्रभावकारिता। पूर्वोत्तर लोक कार्मिकों (सहायक उप निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक) को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना।	संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार।	
18.	**आपराधिक जांच एवं सतर्कता**	इसमें भोपाल, पुणे एवं गुवाहाटी में केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर होने वाला व्यय शामिल हैं।	64.36	11.66	-	इस व्यय में मुख्य रूप से वेतन, पुणे, भोपाल एवं गुवाहाटी में केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण तथा अन्य स्थापना संबंधी को शामिल किया गया है।	केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला की जांच क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए।		

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
19.	**अन्तर्राज्य पुलिस बेतार योजना-पोलनेट योजना**	समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार को कानन्‌ एवं व्यवस्था अर्ध कानून एवं व्यवस्था, वी आई पी/वी वी आई पी सुरक्षा, न्यायालय, अपराध संबंधी तथा अन्य महत्वपूर्ण संदेश भेजने के लिए दो राष्ट्रीय स्तर के कैप्टिव नेटवर्क, सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन नेटवर्क (पोलनेट) तथा हाई फ्रीक्वेंसी (एच एफ) रेडियो नेटवर्क के माध्यम से पुलिस संप्रेषण मुहैया कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।	68.72	8.00	-	आबंटन ट्रांसपोन्डर रेंटल, वार्षिक एन ओ सी सी प्रभार, स्पेक्ट्रम प्रभार, लायसेंस शुल्क, पोलनेट हब के ए एम सी प्रभारों और स्थापना के रखरखाव पर किए जाने वाले भुगतान के लिए हैं।	विश्वसनीय एवं प्रभावी संचार तंत्र ।	अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष के दौरान आबंटनों का पूर्णत: उपयोग कर लिया जाएगा।	योजनागत स्कीम के अंतर्गत संचार नेटवर्क आधारित सैटेलाइट का उन्नयन एवं विस्तार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की अंतिम अवस्था में है।
20.	**राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो**	यह प्रावधान देश में हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों से संबंधित डाटा के संग्रहण/संकलन और प्रस्तुतीकरण के लिए है।	21.53	0.00	-	सुपुर्दगी-योग्य का परिणाम निर्धारित नहीं किया जा सकता।	-	-	-
21.	**दिल्ली पुलिस**	योजनेतर आबंटन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने एवं प्रवर्तन हेतु हैं। **1. दिल्ली पुलिस के यातायात एवं संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण:**	4585.29	40.59	-	गैर योजनागत व्यय अवस्थापना संबंधी लागत को पूरा करता है। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ योजना के अंतर्गत योजनागत व्यय सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में और अधिक जागरूकता प्रदान करने तथा योतायात के सुचारू प्रवाह के लिए वाहन मालिकों तथा पैदल यात्रियों को सुगमता प्रदान	दिल्ली पुलिस के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करना। यातायात यूनिट यातायात विनियम और यातायात नियमों और कानूनों के गुणवत्ता प्रवर्तन की चुनौतियों का		-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		सड़क सुरक्षा सैल (i) यातायात प्रबंधन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाकर वाहन स्वामियों और पैदल चलने वालों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना। (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/बड़े शहरों में यातायात एवं संचार नेटवर्क तथा यातायात प्रबंधन की आदर्श प्रणाली को विकसित करना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/बड़े शहरों में यातयात एवं संचार नेटवर्क तथा यातायात प्रबंधन की आदर्श प्रणाली प्रदान करना। (iii)यातायात सिंगनलब्लींकर्स महत्वपूर्ण कॉरीडोर में इष्टतम मात्रा में यातायात सिंगनल/ब्लींकर्स लगाना।				करने के लिए है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आबंटित बजट का उपयोग निम्नलिखित किया जाना है:- गंट्री माउंटेड स्पीड चैक डे एंड नाइट कैमरा, रेड लाइट और गति उल्लंघन जांच कैमरा प्रणाली, यातायात विधि प्रवर्तन यूनिट, ट्रैफिक काउंटर यूनिट, सहित्य, चालान बुक, रोड साइनेज, फोटोग्राफी सामग्री, रोड मैप्स, विभिन्न रिपोर्टों तथा विश्लेषण के मुद्रण के लिए विविध प्रकार की कच्ची सामग्री तथा यातायात प्रबंधन, प्रभावी अभियोजन के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रापण। आम जनता में सड़क सुरक्षा जागरूकरता पैदा करने के लिए आकाशवाणी/एफ एम/टी वी और समाचार पत्रों आदि जैसे मासमीडिया के माध्यम से वर्ष भर विज्ञापन दिए जाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर मौजूदा सिंगनलों/ब्लीकर्स के रखरखाव के लिए भी व्यय किया जाता है।	सामना करने के लिए आधुनिकीकरण एवं प्रगतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए विभिन्न कदम उठाएगी। वार्षिक प्रभारों, मानवशक्ति प्रभारों, बैडवित्त और 46 स्थानों पर बढ़ी हुई बैडवित्त के अग्रिम भुगतान तथा सी सी टी एन एस के लिए 24 नए डब्ल्यू ए एन की स्थापना, निवेश पूर्व कार्य की प्रीमियम वारंटी और 17 साइबर हाइवे लोकेशन के परिवर्तन प्रभारों के लिए एम टी एन एल को भुगतान किया जाना है। साइबर हाइवे प्रोजेक्ट के विस्तार की लागत के लिए भी भुगतान किया जाना है।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/महानगरों आदि में बेहतर यातायात एवं संचार नेटवर्क प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली में यातायात (ट्रैफिक) को काफी पेशेवर ढंग से विनियमित करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग	

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
							राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नई ट्राफिक लाइटों और सिंगनलों की स्थापना, दिल्ली में पेलीकन सिंगनल/व्हीकल एक्चएटेड सिंगनल/माइक्रोप्रोसेसर वेस्ट फिक्स टाइम ट्रैफिक सिंगनल लगाना और नए ब्लिंकर्स लगाना। चौड़ी की गई सड़कों पर सेंटीलेवर तथा सड़कों के आसपेक्ट्स को बदलना मौज्दा सिंगनल/ब्लिंकर्स का उन्नयन, चौबीसों घंटे सिंगनल चालू रहने के लिए बैटरी वेकअप या सौलर वेकअप तथा हाउसिंग बैटरी, कार्मिकों के ठहराने अथवा सौलर पैनल लगाने के लिए बूथ का निर्माण।	करने के प्रयास किए जाएंगे।	

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		2. दिल्ली पुलिस भवन निर्माण कार्यक्रम: 'दिल्ली पुलिस भवन निर्माण कार्यक्रम' मूलभूत रूप से अधिक से अधिक क्रमश: दिल्ली पुलिस कार्मिकों को रिहायशी और कार्यालय भवन मुहैया कराने तथा दिल्ली पुलिस के सभी पुलिस थानों/कार्यालयों के लिए नियमित भवनों के स्वामित्व हेतु बनाई गई है। 3. नवीनतम प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण का समावेशन: इस योजना के दो निम्नलिखित संघटक हैं:				उद्देश्य 7 भवनों अर्थात् पी पी मौर्या एन्क्लेव, पी पी यमुना विहार, पंजाबी बाग के पुलिस थाना तथा स्टाफ क्वार्टरों तथा पुलिस चौकी सी ब्लॉक, जनकपुरी के चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करना है। निधियों की कमी के कारण प्रोजेक्ट सब्सिडी द्वारका बिंदापुर का गृह मंत्रालय द्वारा आस्थगित रखा गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान नई परियोजनाओं अर्थात् पुलिस आवास सैक्टर 11 रोहिणी, पुलिस लाइंस, पौंडली चैकपोस्ट, पुलिस चौकी भिकाजीकामा पैलेस, पुलिस चौकी गुलमोहर पार्क, ए सी पी ऑफिस-सह-पुलिस थाना एवं स्टाफ क्वार्टरों सैक्टर 5 रोहिणी, पुलिस थाना दिलशाद गार्डन में क्वार्टर, पुलिस थाना मंडावली, फजलपुर में क्वार्टर, खजूरी खास में पुलिस थाना और क्वार्टर, पुलिस थाना बवाना, पुलिस हाउसिंग मंडौली (360 क्वार्टर टाइप 3) पुलिस थाना हौज खास और पुलिस थाना आनंद पर्वत को पूरा किये जाने की संभावना है। यातायात नियमों/कानूनों के	वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।		-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		i) दिल्ली पुलिस में नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेशन: दिल्ली पुलिस की दक्षता एवं प्रभावकारिता के स्तर को उन्नत करने के लिए दिल्ली में ट्रैफिक नियंत्रण एवं अपराध निवारण हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक महसूस किया गया है। (ii) दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण का स्तरोन्नयन प्रशिक्षण के स्तरोन्नयन के लिए अवसंरचना प्रदान करना। 4. दिल्ली पुलिस आवास संबंधी लोक भागीदारी की पहल उद्देश्य सार्वजनिक निजी				विनियम तथा गुणवत्ता परख प्रवर्तन के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाना। एलोकोमीटर/ब्रीथ एनेलाइजर, रैड लाइट और गति उल्लंघन जांच कैमरा प्रणाली का प्रापण आदि का प्रापण। निधियों का उपयोग कलर प्रिंटिंग मशीन, क्लासरूप में उन्नयन, मैस के उन्नयन स्वचालित चपाती मैकर, आटा गूथने की मशीन, पी टी सी कॉम्प्लैक्स के लिए सी सी टी वी के प्रापण, कम्प्यूटर लैब के उन्नयन, खेलकूद सामान के प्रापण, ड्रील सैड के निर्माण तथा हाईमास्ट लाइट लगाने के संबंध में शेष राशि के भुगतान पर किया जाना है।	आबंटित निधियों का उपयोग यातायात नियमों/कानूनों के विनियम तथा गुणवत्ता परख प्रवर्तन के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाने पर किया जाना है। प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रशिक्षण उपकरण एवं सुविधाएं मुहैया कराने के आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। इससे दिल्ली पुलिस को बढ़ती चुनौतियों से सुसंगत प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन को विकसित करने में मदद मिलेगी।		

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत	परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
		भागीदारी (पी पी पी मोड) के जरिए कार्य करने का है।				दिल्ली पुलिस ने पी पी पी मोड के माध्यम से धीरपुर में 5202 स्टॉफ क्वार्टरों तथा संसद मार्ग पर नए पुलिस मुख्यालय भवन के निर्माण की कार्रवाई आरंभ की है।	धीरपुर में 5202 स्टॉफ क्वार्टरों एवं संसद मार्ग में नया पुलिस मुख्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है।		
22.	**अन्य पुलिस व्यय**	यह प्रावधान सीमा सुरक्षा बल के अंतर्गत अश्रु गैस यूनिट, क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेज़ तैयार करने और अन्य सरकारी विभागों को अदा किए गए अन्य प्रभारों के लिए है।	50.67	0.00	-	वर्ष 2013-14 के दौरान सी ए पी एफ के लिए पांच लाख टियर स्मोक म्यूटेशन (टी एस एम) का प्रापण किया गया है।	2014-15 के दौरान पांच लाख टी एस एम का उत्पादन किया गया है।	-	-
23.	**कल्याण अनुदानें**	केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सभी कार्मिकों को उनके कल्याण के लिए कल्याण अनुदानें प्रदान की गई	70.01	0.00	-	आबंटित की गई कल्याण अनुदान का निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग किया जाएगा:- (i) **पहली प्राथमिकता**-ड्यूटी पर रहते हुए मारे जाने वाले जम्मू एवं कश्मीर के पुलिस कार्मिकों और इंडिया रिजर्व बटालियनों सहित केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के निकट संबंधियों	-	कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। तथापि, वित्त वर्ष के अंत तक सम्पूर्ण निधि का उपयोग कर लिया जाएगा।	अनुदान का उपयोग केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स तथा जम्मू एवं कश्मीर के पुलिस के मृतक

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						को मुआवजे के रूप में एक मुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान; (ii) **दूसरी प्राथमिकता**-अपनी बोनाफाइड ड्यूटी के निर्वहन के दौरान अशक्त हुए तथा सेवा से हटाए गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा असम राइफलस के कार्मिकों को एक मुश्त अनुग्रह पूर्वक मुआवजे का भुगतान। (iii) **तीसरी प्राथमिकता**-केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा असम राइफल्स द्वारा खाली फायर कास्तूर को जमा कराने से प्राप्त राशि के 75 प्रतिशत राशि को विशेष कल्याण अनुदान के रूप में जारी किया जाना। (iv) **चौथी प्राथमिकता-** केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों में एच आई वी/एड्स की रोकथाम से संबंधित कार्य योजना तथा तनाव से संबंधित पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स तथा राज्य पुलिस के खिलाड़ियों को पुरस्कार के लिए अनुदान जारी करना।			कार्मिकों के निकट संबंधियों को एक मुश्त अनुग्रह मुआवजे के भुगतान तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कार्मिकों के मनोबल को ऊंचा रखने वाली अन्य कल्याण गतिविधियों पर किया जाता है।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						(v) **पांचवी प्राथमिकता**- सामान्य कल्याण अनुदान और अन्य आवश्यक			
24.	**अनुसंधान**	अनुसंधान कार्यों पर किया गया व्यय	1108.82	0.00	-	-	-	-	-
25.	**राज्यों को सहायता**	(i) आधुनिकीकरण योजना-।। का उद्देश्य निम्नलिखित है- बेहतर हथियार और गोलाबारूद, आधुनिक उपकरण और दक्ष परिवहन वाहनों के जरिए बलों की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। अत्याधुनिक संचार, चौकसी और सीमा रक्षक प्रणालियों को उपलब्ध कराना जो किसी भी प्रचालनात्मक रणनीति का मुख्य आधार होती हैं। प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराके टुकड़ियों के कौशल को निरंतर बेहतर बनाते रहना। प्रचालन की दृष्टि से टुकड़ियों को चुस्त-दुरुस्त रखने के साथ-साथ उन्हें उचित आराम और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना।	1741.68	0.00	-	वर्ष 2014-15 के लिए सुपुर्दगी योग्य निम्नानुसार हैं- (क) लाइट सपोट हथियार, कंपास आदि जैसे हथियार (ख) एच एच टी आई, नाइट विजन वाइनाक्यूलर्स, एच आर विनो, वेलेस्टिक गागल्स, लांग रेंज सर्विलेंस कैमरा आदि जैसे चौकसी उपकरण (ग) रेडियो सैट, एस डी आर, वी जी ए एन, एम सी आर आर आदि जैसे संचार उपकरण (घ) 500 एम ए एक्सरे, एनेस्थिया वर्क स्टेशन आदि जैसे चिक्त्सा उपकरण (ङ) सौर ऊर्जा आधारित वाटर हीटर और	आधुनिकीकरण योजना-।। का आशय बेहतर हथियार और गोलाबारूद, रणनीति संबंधी उपकरण और प्रभावी परिवहन वाहनों, अत्याधुनिक संचार, चौकसी और सीमा रक्षक प्रणालियां, जो किसी भी प्रचालन संबंधी रणनीति का मुख्य आधार होती हैं, के साथ बलों की मारक क्षमता को बढ़ाना है।	आधुनिकीकरण योजना 31 मार्च, 2017 तक पूरी की जानी है।	निधियों की उपलब्धता/ आबंटन

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		(ii) सुरक्षा संबंधी व्यय, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, विशेष अवसंरचना, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों, अपराध एवं अपराधिक ट्रेकिंग नेटवर्क प्रणाली (सी सी टी एन एस) के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता/विद्रोह रोधी एवं आतंकवाद-रोधी स्कूलों के लिए सहायता, भारतीय रिजर्व बटालियनों, नक्सल प्रबंधन को सहायता, सुदृढ़ पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण, गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के लिए सहायता ताकि संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके।				प्यूरीफायर, लाइट वैट जूते और रक सैक आदि बी पी हेल्मेट और विशेषीकृत ट्रैक्टर आदि 1.सभी पुलिस स्टेशनों तथा उच्चतर कार्यालयों में सी सी टी एन एस हार्डवेयर (ग्राहक (क्लाइंट) प्रणाली, पेरिफेरल्स, नेटवर्क एवं संचार उपकरण, कनेक्टिविटी, हैंडहोल्डिंग आदि सहित) को चालू करने के कार्य को शुरू करने हेतु एस आई एस 2. राज्य डाटा केन्द्रों तथा संबंधित आपदा बचाव केन्द्रों में सी सी टी एन एस हार्ड वेयर को चालू करने के कार्य को पूरा करने हेतु एस आई एस 3. ब्रांड बैंड, विमैक्स एवं वी एस ए टी कनेक्टिविटी की स्थापना को सभी उच्चतर कार्यालयों एवं पुलिस स्टेशनों के लिए पूरा किया जाएगा। 4. सी सी टी एन एस के अंतर्गत चालू किए गए सभी टॉल साइट्स के लिए क्षमता निर्माण एवं डाटा डिजिटाइजेशन को पूरा	1.सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शेष जिलों में एस आई एस द्वारा 'बंडल ऑफ सर्विसेज' का कार्यान्वयन	1.सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शेष जिलों में एस आई एस द्वारा 'बंडल ऑफ सर्विसेज' का कार्यान्वयन 2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शेष पुलिस स्टेशनों/उच्चतर कार्यालयों की कनेक्टिविटी 3. आर एफ पी प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद	1. उन राज्यों के लिए जोखिम जिन्होंने पहले ही एस आई एस संविदाएं हस्ताक्षरित कर दी हैं। एस आई एस द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप जैसे कि हार्डवेयर प्रापण और डाटा डिजिटाइजेशन अपेक्षित समय सीमा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						किया जाना। 5. एजेंसियों का कार्यान्वयन, विशेषीकृत सोल्यूशनों एवं अवसंरचना के कार्यान्वयन हेतु प्रतिष्ठापन एवं चालू करना। पुलिस स्टेशनों, उच्चतर कार्यालयों एवं डाटा केन्द्रों में अवसंरचना के लिए ओ एवं एम तथा ए एम सी		विशेषीकृत सोल्यूशनों एवं अवसंरचना का कार्यान्वयन शुरू करने के लिए एजेंसियां	के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि एस आई अभी भी ओ ई एम तथा वेंडरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। 2.उन राज्यों के लिए जोखिम जिन्होंने अभी भी एस आई संविदाओं पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एस पी एम यू एवं एस आई के हस्ताक्षर होने का कार्य

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
									संशोधित एस पी एम यू संविदाओं पर निर्भरता या गृह मंत्रालय द्वारा आंबंटित आंकड़ों पर पहुंचने के लिए एस आई एवं राज्य के बीच वार्ता के विफल रहने के कारण काफी विलंबित हो रहा है। 3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कम उपयोग के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नई निधियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
									जारी नहीं की जा रही हैं।
26.	**संघ शासित क्षेत्रों को सहायता**	दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु सहायता; संघ शासित क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) में पुलिस संगठनों को मजबूत करना तथा संघ शासित क्षेत्रों (विधानमंडल रहित) में पुलिस संगठनों का आधुनिकीकरण।	0.43	0.00	-	संचार, वाहनों, उपस्करों, कंप्यूटरीकरण, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक हथियारों, नए पुलिस स्टेशन भवनों एवं पुलिस आवास, आदि के क्षेत्रों में दिल्ली पुलिस एवं संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस संगठनों को आधुनिक बनाने में सहायता करेगा।	यह वित्तीय सहायता, दिल्ली पुलिस एवं संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस बलों की प्रभावकारिता और विश्वसनीयता के साथ-साथ उनकी क्षमताओं में अभिवृद्धि करेगी।	संघ शासित क्षेत्रों हेतु पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2006-07 से 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी तथा वित्तीय सहायता, वार्षिक कार्य योजना के आधार पर प्रति वर्ष प्रदान की जाती है।	
27.	**आप्रवासन सेवाएं**	सुरक्षित और एकीकृत डिलीवरी ढांचा विकसित करना जिससे सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ वैध यात्रियों को सुविधा हो सके।	6.00	145.00	-	i. विदेश में 40 इंडियन मिशनों/पोस्टों में एकीकृत ऑनलाइन वीजा अप्लीकेशन सिस्टम लागू करना	1. इंटेलिजेंट डाक्यूमेंट स्कैनर्स तथा बायोमेट्रिक्स के माध्यम से मिशनों, आप्रवासन जांच चौकियों, विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफ आर आर ओ) तथा विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफ आर ओ) में यात्रियों की पहचान और	वर्ष 2013-14 के दौरान विदेशों में स्थित 30 भारतीय मिशनों में नए साफ्टवेयर स्थापित किए गए हैं। 2010 से मार्च 2014 तक 139 भारतीय मिशनों में नई प्रणाली	1. सहयोग करने में विभिन्न सरकारी एजेंसियों की अनुपलब्धता / अनिच्छा।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						ii. सी-एफ आर ओ मॉड्यूल के कार्यान्वयन से 500 जिला विदेशी विषयक पंजीकरण कार्यालयों में ऑनलाइन वीजा विस्तार प्रणाली की परिकल्पना की गई है। iii. विदेश में 40 भारतीय मिशनों में दो बायोमेट्रिक्स विशेषताओं (फिंगर प्रिंट एवं फेसियल) वाले बायोमेट्रिक्स का प्रयोग शुरू करना।	अधिप्रमाणन। 2. वीजा प्रदान करने के समय विदेशी नागरिकों का ऑनलाइन पंजीकरण तथा प्रवेश एवं प्रस्थान स्थानों पर विदेशी नागरिकों के विवरणों का ऑटोमेटेड अपडेशन। 3. विदेशी यात्रियों के बारे में निर्णय लेने तथा संबंधित एजेंसियों के साथ सूचना के आदान-प्रदान की केन्द्रीयकृत प्रणाली उपलब्ध होना।	कार्यान्वित की गई है तथा क्रियाशील बनाया गया है। वर्ष 2013-14 में 180 एफ आर ओ, 4 पुलिस मुख्यालयों, 4 आई सी पी तथा 7 राज्य गृह कार्यालयों में सी-एफ आर ओ कार्यान्वित किया गया है। वीजा आवेदकों के बायोमैट्रिक निशान लेने के लिए वर्ष 2013-14 में विदेशों में स्थित 29 भारतीय मिशनों में बायोमैट्रिक	2. भागीदारों के प्रमुख कार्मिकों की अनुपलब्धता। 3. सभी एजेंसियों की आवश्यकता को पूरा करने से इस कार्यक्रम के मूल तत्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 4. गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय,

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
								एनरोलमेंट साफ्टवेयर लागू किया गया है।	एन आई सी, वी ओ आई से प्रमुख कार्मिकों का स्थानान्तरण
						iv. 40 नए मिशनों/पोस्टों तथा सभी विमानपत्तन आई सी पी मिशनों/पोस्टों के लिए वी पी एन कनेक्टिविटी	4. मिशनों में वीजा जारी किए जाने के दौरान आई सी पी में आप्रवासन जांच के दौरान तथा एफ आर आर ओ/एफ आर ओ में पंजीकरण के दौरान प्राप्त सूचना के एकीकरण तथा आदान-प्रदान के द्वारा विदेशी नागरिकों की बेहतर ट्रैकिंग।	वर्ष 2013-14 में 30 भारतीय मिशनों में वी पी एन कनेक्टिवटी स्थापित की गई है। बी ओ आई के परामर्श से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कार्य पूरा किया गया	5. बजटीय आबंटनों में विलंब।
						v. सभी विमानपत्तनों एवं एफ एफ आर ओ में सी सी टी वी	5. अंतर-एजेंसी सूचना तथा अलर्ट शेयरिंग सेवाएं।	कार्य पूरा किया गया वर्ष 2013-14 में 200 एफ	6. बायोमैट्रिक्स देने में आगंतुकों की अनिच्छा।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						कैमरे का प्रतिष्ठापन vi. एकीकृत जांच चौकियों के लिए 371 पी आर एम की प्रापण और प्रतिष्ठापन vii. भारत आने वाले प्रत्येक विदेशी के संबंध में यू सी एफ मॉड्यूल का कार्यान्वयन viii. सभी एफ आर आर ओ एवं 20 एफ आर ओ में ऑनलाइन सी फार्म भरने के लिए ix. सभी एफ आर ओ एवं 20		आर ओ में सी-फॉर्म लागू किया गया। वर्ष 2013-14 में 180 एफ आर ओ में एस-फॉर्म लागू किया गया।	

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						एफ आर ओ में विदेशी छात्र सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन			
28.	**आप्रवासन, वीजा एवं विदेशी नागरिक पंजीकरण और ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) पर मिशन मोड परियोजना**	(i) ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन प्रणाली और 7 एफ आर आर ओ एवं 5 एफ आर ओ का ऑटोमेशन शुरू करना। (ii) सभी 77 आई सी पी के लिए बी एल/एल ओ सी मॉड्यूल के केन्द्रीयकृत आदान-प्रदान करने की व्यवस्था का कार्यान्वयन। (iii) आई सी पी/एफ आर आर ओ/एफ आर ओ की सहायता के लिए केन्द्रीय प्रोसेसिंग कार्यालय की स्थापना एवं प्रचालन	0.00	60.00	-	बैकएंड ऑटोमेशन के साथ सभी एफ आर आर ओ कार्यालयों में ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल का कार्यान्वयन। बैकएंड ऑटोमेशन के साथ एक एफ आर ओ (गुड़गांव) में ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल का कार्यान्वयन। बैकएंड ऑटोमेशन के साथ 4 एफ आर ओ (पुणे, हरिद्वार, शिमला एवं गोवा) में ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल का कार्यान्वयन।	सभी एफ आर आर ओ में प्रचालित कार्य पूरा किया गया कार्य पूरा किया गया विकसित एल ओ सी मोड्यूल सभी एकीकृत जांच चौकियों के लिए लागू किया गया है। तथापि, क्षेत्रीय हब के माध्यम से जुड़ी कुछ छोटी एकीकृत जांच चौकियां (दालू, डावकी, गौरीफंटा, रूपीईडिहा, रक्सौल और जोगबनी) नेटवर्किंग/विद्युत समस्याओं के कारण इन आंकड़ों की जांच करने में समर्थ नहीं		

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
							हैं। यह मामला संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से प्रक्रियाधीन है। कार्य पूरा कर लिया गया है।		
29.	***आवास*** **केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों हेतु रिहायशी आवास का निर्माण**	यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों आसूचना ब्यूरो तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण हेतु रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए है।	34.48	1711.39	-	वर्ष 2013-14 के दौरान 31.3.2014 तक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 2246 मकान निर्मित किए गए है। वर्ष 2013-14 के दौरान (31.3.2014 तक), आवासीय भवन (योजना) योजना के अंतर्गत 592.44 करोड़ रु. के आबंटन (संशोधित अनुमान) के मुकाबले 577.90 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया गया है।	रिहायशी आवास के निर्माण के परिणामस्वरूप आवास संतुष्टि स्तर में वृद्धि होगी।	रिहायशी परियोजनाओं के निष्पादन में समय लगता है तथा किसी वर्ष विशेष में परियोजनाओं पर स्वीकृत व्यय को चरणबद्ध करके यह परवर्ती वर्षों में अंतरित करना अपेक्षित है।	
30.	**लोक निर्माण कार्य** **केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के लिए हेतु भवनों का निर्माण**	इसमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, आसूचना ब्यूरो तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए सीमा चौकियों, भवनों के निर्माण पर व्यय शामिल है।	2.00	2905.98	-	1611.60 करोड़ रु. के आबंटन (संशोधित अनुमान) की तुलना में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, आसूचना ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए भवनों/भवन अवसंरचना के निर्माण कार्य पर मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 1645.98 करोड़ रु. का	इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए बुनियादी सुविधाएं सृजित होंगी।	अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन में समय लगता है, तथा किसी वर्ष विशेष में,	

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						व्यय हुआ। कार्यालय भवन शीर्ष के अंतर्गत मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 894 निर्माण कार्य निष्पादित किए गए।		परियोजनाओं पर स्वीकृत व्यय को चरणबद्ध करके यह परवर्ती वर्षों में अंतरित करना अपेक्षित है।	
31.	**<u>सीमा प्रबंधन</u>** (i) भारत-बंगलादेश सीमा कार्य • कंटीले तारों की बाड़ का निर्माण • सड़कों तथा सीमा जांच चौकियों का निर्माण • तेज रोशनी की व्यवस्था संबंधी कार्य	अवैध आप्रवासन/राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ का निर्माण, सड़कों का निर्माण, बीओपी तथा तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य।	0.00	2150.00	-	चरण-।। के अंतर्गत लगभग **535.22** कि.मी. बाड़ लगाने तथा लगभग **482.72** कि.मी. सड़कों के निर्माण का शेष कार्य हाथ में लिया जाएगा। चरण-।।। के अंतर्गत लगभग **68** कि.मी. बाड़ लगाने के शेष कार्य को भी हाथ में लिया जाएगा। भारत-बंगलादेश सीमा तथा भारत- पाकिस्तान सीमा पर लगभग 129 सीमा जांच चौकियों का निर्माण तथा लगभग **1077** कि.मी. में तेज रोशनी की व्यवस्था के कार्य को भी हाथ में लिया जाएगा।	सीमा प्रबंधन की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए।	- -	प्राकृतिक आपदाओं जैसे- बाढ़ के रूप में जोखिम हो सकता है जो कार्य की गति को प्रभावित कर सकते हैं। यह संविदाकारी एजेंसियों द्वारा, प्रदत्त कार्य के निष्पादन की असफलता, भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरियों एवं 150 गज के भीतर निर्माण हेतु संयुक्त करार में देरी के

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
									रूप में भी हो सकता है।
	(ii) भारत-पाक सीमा कार्य	सीमा पार से घुसपैठ एवं हथियारों व गोला बारूद के अन्तर-प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए भारत-पाक सीमा पर कंटीले तारों की बाड़, सड़कों का निर्माण तथा तेज रोशनी की व्यवस्था।	0.00	300.00		गुजरात क्षेत्र में लगभग 79 कि.मी. में बाड़ लगाने, तेज रोशनी करने तथा सड़कों के निर्माण के शेष कार्य को हाथ में लिया जाएगा।	सीमा प्रबंधन की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए।	-	प्राकृतिक आपदाओं जैसे- बाढ़ के रूप में जोखिम हो सकता है जो कार्य की गति को प्रभावित कर सकते हैं। यह संविदाकारी एजेंसियों द्वारा, प्रदत्त कार्य के निष्पादन की असफलता, भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरियों एवं 150 गज के भीतर निर्माण हेतु

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
									संयुक्त करार में देरी के रूप में भी हो सकता है।
	(iii) भारत-चीन सीमा कार्य	भारत-चीन सीमा पर प्रचालनात्मक महत्व की संपर्क सड़कों का निर्माण। ये सड़कें आई.टी.बी.पी. सीमा चौकियों के लिए संपर्क मुहैया कराएगी।	0.00	367.00		भारत-चीन सीमा पर लगभग 200 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया जाएगा।	प्रभावी सीमा प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए भारत-चीन सीमा पर सड़क अवसंरचना को बेहतर बनाना।	--	निर्माणाधीन सड़कें 9000 से 14000 फीट के मध्य उच्च शिखर पर अवस्थित हैं। आक्सीजन क्षय सीमाएं श्रमिक/ कार्मिक की कार्य क्षमता। अन्य अवरोध हैं, वायु सहायता, ठोस चट्टान प्राकृतिक विपदाएं और सीमित कार्य मौसम।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
	(iv) एकीकृत जांच चौकी की स्थापना	व्यक्तियों, वाहनों और सामानों के सीमापार से निर्बाध रूप से आवागमन के लिए एकीकृत प्रणाली की व्यवस्था करने हेतु सिंगल विंडों के रूप में एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना करना।				व्यक्तियों, वाहनों और सामानों के सीमापार से निर्बाध रूप से आवागमन के लिए एकीकृत प्रणाली की व्यवस्था करने हेतु सिंगल विंडों के रूप में 13 एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना करना।	सीमा पार व्यापार का भरपूर उपयोग हो सकेगा तथा कार्गो, लोगों, वाहनों का निर्बाध परिचालन संभव हो सकेगा।		2 एकीकृत जांच चौकियों अर्थात् अटारी एकीकृत जांच चौकी तथा अगरतला एकीकृत जांच चौकी की क्रमशः 2012 और 2013 में स्थापना की गई है।
	(v) भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर प्रचालनात्मक और रणनीति के रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का विकास		0.00	510.00			प्रभावी सीमा प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए सीमा पर सड़क अवसंरचना को बेहतर बनाना।	-	-
	भारत-म्यांमार सीमा कार्य	प्रभावी सीमा प्रबंधन हेतु भारत-म्यांमार सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना।	0.00	15.00		भारत-म्यांमार सीमा पर मोरेह सेक्टर में 10 कि.मी. बाड़ लगाने का कार्य चल रहा है।	घूसपैठ, भूमिगत विद्रोही गतिविधियों तथा तस्करी को रोकने के लिए सीमा पार से होने वाले आवागमन पर अंकुश	-	वित्त वर्ष 2013-14 में उपयोग प्रमाणपत्रों के लंबित रहने के

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
							लगाना।		कारण कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।
32.	**<u>तटीय सुरक्षा</u>** तटीय समुद्र सहित तटीय क्षेत्रों की गश्त और चौकसी के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ बनाकर तटीय सुरक्षा में वृद्धि करने संबंधी तटीय सुरक्षा योजना।	निकटवर्ती तटीय जलक्षेत्रों सहित तटीय क्षेत्रों की गश्त एवं निगरानी के लिए राज्य पुलिस की क्षमताओं में अभिवृद्धि करना।	0.00	150.00	-	तटीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को फर्नीचर और उपकरणों के अतिरिक्त सी पी एस, घाटों, चार पहियों वाले वाहनों तथा दुपहिया वाहनों से सुसज्जित करने के लिए तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाएगी।	प्रभावकारी निगरानी के लिए तटीय क्षेत्रों की गश्त के लिए तटीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना।	-	चूंकि केवल 100 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध है, इसलिए 4.00 करोड़ रु. की दर से 150 (12 टन) नौकाओं की आपूर्ति पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए 500 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
33.	**सीमावर्ती निर्माण कार्यों का अनुरक्षण**	इसमें भारत-बांग्लादेश तथा भारत-पाक सीमा पर बाड़, तेज रोशनी एवं सड़क निर्माण कार्यों के अनुरक्षण संबंधी प्रावधान शामिल हैं।	120.00	0.00	-	व्यय, भारत-बांग्लादेश तथा भारत-पाक सीमा पर बाड़, तेज रोशनी की व्यवस्था एवं सड़कों के अनुरक्षण पर किया जा रहा है।	सीमावर्ती प्रबंधन की प्रभावकारिता को सुधारना।	-	-
34.	**सीमा चौकियां**	विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा प्रभावी सीमा प्रबंधन	0.00	287.70	-	191.00 करोड़ रु. के आबंटन (संशोधित अनुमान) की तुलना में 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार 194.64 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया गया है। 62 सीमा चौकियों के लिए भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 193 सीमा वाह्य चौकियां पर निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।		सीमा वाह्य चौकी से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन में समय लगता है तथा वर्ष विशेष में इन परियोजनाओं पर स्वीकृत व्यय को चरणबद्ध होना होता है तथा यह अगले वर्षों में चला जाता है।	--

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/ सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम/ सीमा	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
35.	**विविध मदें**	मैसर्स एच ए एल से 8 ए एल एच/ ध्रुव हेलीकाप्टरों की खरीद तथा इंडिया रिजर्व बटालियनों को ऋण एवं अग्रिम।	236.00	91.50	-	राज्य सरकारों द्वारा गठित इंडिया रिजर्व बटालियनों के संबंध में राज्य सरकारों के दावों की प्रतिपूर्ति। सीमा सुरक्षा बल द्वारा 7 ए एल एच/ध्रुव हेलीकॉप्टरों का प्रापण किया गया है तथा शेष एक का प्रापण कर लिया गया है तथा अक्तूबर, 2012 के दौरान सौंप दिया गया है।	इसमे राज्य सरकारों को उनकी सुरक्षा जरूरतों के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने में मदद मिलेगी। किन्हीं भी आकस्मिकताओं में नक्सलरोधी प्रचालन, पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने एवं और अधिक दल-बल प्रदान करने के कार्य के दौरान बल कार्मिकों की आवाजाही को सुगम बनाना।	राज्यों को, उनकी सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनेतर व्यय एक चालू एवं सतत प्रक्रिया है।	
36.	**बटालियनों की तैनाती हेतु राज्यों को प्रतिपूर्ति**	बटालियनों की तैनाती हेतु राज्यों को प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रावधान	18.00	0.00	-	यथा विद्यमान नीति के अनुसार राज्यों को प्रतिपूर्ति की जाती है।	गृह मंत्रालय के निदेशानुसार चुनाव अथवा अन्य कार्यों हेतु बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	-	-
कुल योग : अनुदान सं. 55-पुलिस			**49023.76**	**10427.00**	-				

(करोड़ रु. में)

अनुदान सं. 56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
1.	***<u>सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण</u>*** **<u>पुनर्वास:</u>** **श्रीलंकाई** शरणार्थियों का पुनर्वास	श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए राहत का प्रावधान।	68.09	0.00	-	113 शिविरों में ठहरे लगभग 65570 श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता। श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत तथा तमिलनाडु तक शरणार्थी शिविरों में अवसंरचना के विकास संबंधी शेष दावे पर समस्त व्यय।	यह व्यय, शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु है ।	-	-
2.	**जम्मू एवं कश्मीर के प्रवासियों के लिए राहत और पुनर्वास कार्य।**	यह योजना, कश्मीरी प्रवासियों, सीमावर्ती प्रवासियों को सहायता प्रदान करने तथा उग्रवाद आदि से लड़ते हुए मारे गये सुरक्षा बलों के कार्मिकों के निकटतम रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए आशयित है।	660.00	0.00	-	परिमाण योग्य नहीं	विस्थापित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास तथा मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिकों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राहत।	वित्तीय वर्ष के दौरान राहत एवं पुनर्वास कार्य किया जाएगा।	इस योजना को, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सीमा पार आतंकवाद के प्रभावकारी दमन के बाद, सभी प्रवासियों के पुनर्वासित होने तक चालू रखा जाना है।

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
3.	**अन्य देशों के प्रत्यावासी**	इस प्रावधान में तिब्बत, भूतपूर्व पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों तथा भूमि के अधिग्रहण और पूर्ववर्ती-पाकिस्तान से विस्थापित हुए लोगों को स्वामित्व विलेखों के वितरण पर व्यय शामिल है। यह योजना अन्य देशों से आए भारतीय कैदियों के प्रत्यावासन के लिए भी है।	8.36	0.00	-	परिणाम न्यायालयों के आदेशों पर निर्भर है ।	विस्थापित व्यक्तियों को भुगतान की अदायगी ।	-	विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम, जिसके अंतर्गत विस्थापित लोगों को भुगतान किए गए, दिनांक 6.9.2005 से निरसित हैं। इस प्रावधान को, न्यायालय आदेशों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए रखा गया है।
	(i) तिब्बती शरणार्थियों के लिए पुनर्वास	तिब्बती शरणार्थियों के लिए पुनर्वास उपलब्ध करना।		-	-	उत्तराखण्ड में तिब्बती शरणार्थियों के लिए आवासीय परियोजना	तिब्बती शरणार्थियों के लिए आवासीय परियोजना	-	(i) तिब्बती शरणार्थियों के लिए पुनर्वास
	(ii) दण्डकारण्य के बाहर नए प्रवासियों का गैर-कृषि व्यवसाय में पुनर्वास	पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को राहत एवं पुनर्वास		-	-	माणा शिविर, जिला रायपुर में 1 और 3 पी एल होम के रिहायशी टिन शैडों की विशेष मरम्मत।	सांकेतिक प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से स्पष्टीकरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।	-	
	(iii) पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित एवं पश्चिम बंगाल में बसे व्यक्तियों के लिए अवसंरचना सुविधाएं विकसित करना।		-	-	पश्चिम बंगाल राज्य सरकार योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना को मार्च 2015 तक पूरा किया जाना था। 79.10 करोड़ रु. के कुल		-	-

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
	(पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिए ग्रामीण प्लॉटों में अवसंरचना सुविधाओं का विकास)					परियोजना अनुमान में से 2012-13 तक 31.00 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार बजट अनुमान 2014-15 में 0.01 करोड़ रु. की राशि का अनुमान लगाया गया है।			
	(iv) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अंतर्गत भुगतान			-	-	सांकेतिक प्रावधान किया गया है क्योंकि कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।		-	-
	(v)निष्कासित संपत्तियों एवं सरकार निर्मित संपत्तियों की बिक्री का प्रबंधन			-	-	सांकेतिक प्रावधान किया गया है		-	-
	(vi) छम्ब विस्थापित व्यक्तियों को पुन: बसाना-राहत एवं पुनर्वास			-	-	सांकेतिक प्रावधान किया गया है	-	-	-

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
	(vii) पाक अधिकृत कश्मीर और छम्ब-नियाबत क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति			-	-	सांकेतिक प्रावधान किया गया है	-	-	-
	(viii)1965 के युद्ध के दौरान एवं इसके बाद पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई सम्पत्तियों के लिए भारतीय नागरिकों को अनुग्रह भुगतान।	भारतीय नागरिकों एवं कम्पनियों, जो पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) में थीं, को 25.00 लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन, छोड़ी गई सम्पत्तियों के सत्यापित दावों के 25 प्रतिशत तक अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति।		-	-	वर्ष 2011-12 के दौरान ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स को 12.64 लाख रु. का भुगतान किया गया।	यदि भुगतान के लिए दावे प्राप्त होंगे तो वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान भुगतान किया जाएगा।	हां	नहीं
4.	**अन्य पुनर्वास कार्यक्रम**	1971 के भारत-पाक युद्ध में प्रभावित व्यक्तियों, रियांग शरणार्थियों, बोडो-संथाल झगड़ों से पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास एवं पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, असम तथा मिजोरम को ऐसी अन्य सहायता प्रदान करना। राज्य सरकारों द्वारा 1984 के दंगा पीड़ितों को बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति देने पर हुए व्यय को वहन करने के लिए तथा असम समझौते के	49.00	0.00	-	बजट प्रावधान भारत-पाक युद्ध 1971 द्वारा प्रभावित व्यक्तियों, रियांग शरणार्थियों, बोडो-संथाल झगड़ों से पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास देने तथा 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए रखा गया है।	विस्थापित व्यक्तियों का प्रभावी पुनर्वास।	-	-

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान। गुजरात में वर्ष 2002 के साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों तथा भागलपुर दंगा पीड़ितों को अतिरिक्त राहत एवं पुनर्वास के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान।							
5.	**स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं अन्य लाभ** **5.01** स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-	राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान/बलिदानों के लिए उन्हें सम्मानित करना।	738.19	0.00	-	लगभग 39000 पेंशन भोगियों/ आश्रितों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कोषागारों के माध्यम से केन्द्रीय सम्मान पेंशन प्रदान की जाती है।	स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान/बलिदानों के लिए उन्हें सम्मानित करना ।	पात्र स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को पेंशन जीवनपर्यन्त है।	-
	5.02 स्वतंत्रता सेनानियों को नि:शुल्क रेल पास	स्वतंत्रता सेनानियों को रेल द्वारा मुफ्त यात्रा करने के लिए समर्थ बनाना।		-	-	रेलवे बोर्ड द्वारा 7000-7500 रेलवे पास जारी किए जा रहे हैं तथा रेलवे बोर्ड को इस राशि की प्रतिपूर्ति गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है।	स्वतंत्रता सेनानियों को मुफ्त यात्रा करने के लिए समर्थ बनाना।	पासों का वार्षिक आधार पर नवीकरण किया जाता है।	-
6.	***<u>नागर विमानन</u>*** **पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सहायता**	पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन हेतु सहायता के भुगतान के लिए प्रावधान।	76.45	0.00	-		पूर्वोत्तर क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों हेतु उन्नत कनेक्टिविटी।	-	-

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
7.	***<u>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</u>*** **जम्मू व कश्मीर में ऋण लेने वालों हेतु त्रण राहत योजना**	जम्मू व कश्मीर ग्रामीण बैंक द्वारा योजना के अंतर्गत 2037 किसानों के पक्ष में दावे के निपटारे के लिए प्रावधान	0.00	0.00	-	-	-	-	-
8.	**अन्य मदें**	बजट प्रावधान में जागीरों के बदले पेंशन, राष्ट्रीय एकता स्कीमों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रतिपूर्ति, राष्ट्रीय पहचान-पत्र स्कीम, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रचार और प्रसार आदि का प्रावधान शामिल है। इसमें असम समझौते के अंतर्गत अशोक पेपर मिल्स के पुनरूद्धार हेतु प्रावधान भी शामिल है।	43.43	8.00	-	बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र हेतु एक पायलट परियोजना नवम्बर, 2003 से 12 राज्यों नामत: आन्ध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के विभिन्न जिलों के कुछ अभिज्ञात उप-जिलों में करीब 31 लाख की जनसंख्या को शामिल करते हुए कार्यान्वित की जा रही है। संबंधित तकनीकी विनिर्देशनों तथा मानकों के साथ-साथ प्रक्रियाओं को देश में ही विकसित करने के उद्देश्य से यह पायलट परियोजना लागू की गई है जिसके पश्चात् जब कभी भी इस क्रियान्वित करने का निर्णय लिया जाए तब	राष्ट्रीय पहचान पत्र के नमूने पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है तथा इसे तैयार किया जा रहा है।	-	परिवारों की जनगणना का कार्य करने के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता सत्यापित करने हेतु यह परियोजना काफी हद तक राज्य सरकार की सहायता पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जल्दी से उपलब्ध न होने के कारण नागरिकता सत्यापित करने का कार्य काफी कठिन है।

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने हेतु इसे विस्तृत आकार दिया जा सके। नागरिकता अधिनियम, 2003 को अधिनियमित करके आवश्यक विधिक आधार प्रदान कर दिया है। नियम बना लिए गए हैं।			
9.	**जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल**	योजनाओं का उद्देश्य 5 वर्षो की अवधि में जम्मू एवं कश्मीर के 40000 स्नातकों/स्नातकोत्तरों/3-वर्षीय इंजीनियरी डिप्लोमा धारकों को कौशल प्रदान करना और उनकी की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है।	0.00	90.00		8000 उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की शुरूआत।		2014-15	

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
10.	<u>**आपदा प्रबंधन**</u> **(क) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**	प्रावधान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों (प्राकृतिक आपदाओं तथा मानवजनित आपदाओं, दोनों) पर व्यय के लिए है। इसमें मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं परामर्श सेवाएं, अध्ययन, अभिलेखीकरण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रही क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बातचीत करने जैसी क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए सहायता भी शामिल है। इसमें विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना के लिए प्रावधान शामिल हैं।	528.31	220.00	-	योजनेत्तर बजट प्रावधान मुख्यतः वेतन, मजदूरी, यात्रा व्यय, व्यावसायिक सेवाएं, लघु निर्माण कार्य, विज्ञापन और प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने तथा निम्नलिखित गतिविधियां चलाने के लिए है :- **(i) दिशानिर्देश तैयार करना:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सक्रिय विभिन्न संस्थानों की मदद से अनेक पहलें (प्रशासनिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी) शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य पणधारियों के साथ परामर्श करने के पश्चात् दिशानिर्देश तैयार किए जाते हैं। ये दिशानिर्देश आपदा विशिष्ट होते हैं तथा संबंधित मंत्रालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन दिशानिर्देशों के आधार पर	नीति एवं दिशानिर्देशों से विभिन्न मंत्रालयों/ केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सुविधा होगी।		**-**

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						कार्य योजना तैयार करें। **(ii) जागरूकता और तैयारी अभियान:** वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में सामुदायिक तैयारी के लिए भूकंप, चक्रवात, बाढ़ तथा आपदा प्रबंधन के अन्य मुद्दों के बारे में मीडिया जागरूकता अभियान जारी रखा जाएगा। इन अभियानों से समुदाय और अन्य पणधारियों में जागरूकता पैदा होगी। **(iii) मॉक अभ्यास** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार की आपदाओं के संबंध में आम लोगों को तैयार करने के लिए पूरे देश में मॉक अभ्यास भी करता है। (ii)आई आर एस अन्य क्षेत्रों के संबंध में क्षमता विकास कार्यक्रम तथा विभिन्न राज्यों में टेबल टॉप एवं मॉक अभ्यास		भूकंप के बारे में मॉक अभ्यास परिदृश्य का निर्माण (पायलट अध्ययन	

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
								परियोजना) 31 अगस्त, 2013 को समाप्त हो गई।	
	(ख) **एन.डी.एम.ए. की परियोजनाएं** (i) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी) (विश्व बैंक की सहायता से) (ii) विद्यालय सुरक्षा सहित अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (इसमें राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना, बाढ़ जोखिम प्रशमन	एन सी आर एम पी का उद्देश्य चक्रवात आपदा संभावित 13 तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खतरे को कम करना तथा अवसंरचना को तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के साथ आपदारोधी बनाना है। क्षमता निर्माण तथा मॉक अभ्यासों के अतिरिक्त प्राकृतिक/मानव जनित आपदा जोखिम प्रशमन के विभिन्न पहलुओं पर ओ डी एम पी पायलट अध्ययन/परियोजनाएं				1. बहु उद्देश्य चक्रवात आश्रयों का निर्माण और उनका स्थाई रखरखाव। 2. बस्तियों तथा आश्रय स्थलों तक सड़कों का निर्माण। 3. पुलों का निर्माण 4. तटीय लवणीय (सिलाइन) तटबंध का निर्माण इस समय चलाई जा रही ओ डी एम पी योजना निम्न प्रकार हैं: 1. राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा	बहु उद्देश्य चक्रवात आश्रयों का रखरखाव 2. सड़कें 3. पुल 4. तटबंध	यह परियोजना जनवरी 2011 से शुरू हुई तथा इसे अक्तूबर 2015 तक पूरा किया जाना है। 1. एन एस एस पी 2014 में पूरा किया जाएगा। 2. अन्य ओ डी एम पी योजनाओं के लिए एक से	

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
	योजना, भू-स्खलन जोखिम प्रशमन योजना और राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क तथा 12वीं योजना की नई योजनाएं-एस डी आर एफ, एस डी एम ए/डी डी एम ए का सुदृढ़ीकरण भी शामिल है।					कार्यक्रम 2. प्राकृतिक/मानव जनहित आपदा जोखिम प्रशमन के विभिन्न पहलुओं पर पायलट अध्ययन/परियोजनाएं 3. क्षमता निर्माण कार्यक्रम		तीन वर्ष की समय-सीमा है।	
	(i) राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना **(ii) बाढ़ जोखिम प्रशमन योजना** **(iii) भू-स्खलन जोखिम प्रशमन योजना**	प्रशमन उपायों से आमूल-चूल परिवर्तन आएगा और पूर्व में आपदा के पश्चात राहत केन्द्रीय दृष्टिकोण के विपरीत अब पहले से योजना और प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें निवारण/प्रशमन तथा तैयारी संबंधी पहलू शामिल होंगे।				(i) भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन तथा निर्माण के लिए विनियामक ढांचे का सुदृढ़ीकरण भागीदार संस्थानों की संस्थागत क्षमता का संवर्धन 750 प्रैक्टिस इंजीनियर तथा 1050 प्रैक्टिस कर रहे वास्तुकारों और 1500 दस्तकारों का क्षमता निर्माण भूकंप के बारे में तथा इनसे कैसे निपटा जाए और भूकंप जोखिम प्रशमन संबंधी पहलों को कार्यान्वित करने के बारे में जनजागरूकता पैदा करना।	एक बार इन परियोजनाओं के कार्यान्वित हो जाने से जीवन, आजीविका तथा संपत्ति को होने वाली हानि में कमी आएगी तथा विकास संबंधी कार्यों में मदद मिलेगी।	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (प्रारंभिक चरण) 24.87 करोड़ रु. के परिव्यय से केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजनागत स्कीम के रूप में अनुमोदित की गई है जिसे दो वर्ष की अवधि (2013-15) के भीतर कार्यान्वित किया जाना है।	

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
	(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं **(i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान**					राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की योजना में निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे: 1. रणनीतिक एवं प्रचालनात्मक स्तर के कार्मिकों, मास्टर ट्रेनर्स तथा प्रथम कार्रवाईकर्ताओं का प्रशिक्षण। 2. आपदा कार्रवाई प्रक्रिया का मानकीकरण 3. आपदा से जुड़े सभी विषयों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक पाठ्यक्रम आयोजित करने संबंधी नोडल केन्द्र का विकास 4. आपदा कार्रवाई के क्षेत्र में प्रथम कार्रवाईकर्ताओं, प्रशिक्षकों तथा एजेंसियों का प्रमाणन और आपदा कार्रवाई की बैंच मार्किंग में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता करना। 5. अनुसंधान और विकास के माध्यम से बेहतर आपदा कार्रवाई।			

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						6. आपदा गतिविधियों के लिए नॉलेज पूल की स्थापना। 7. आपदा कार्रवाई संबंधी उपकरणों के डाटाबेस का सृजन। 8. सार्क देशों के लिए आपदा कार्रवाई में प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान।			
	(ii)डिजास्टर नॉलेज नेटवर्क और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान					इस योजना में नीति-निर्माताओं, आपदा प्रबंधकों और अन्य स्टेक होल्डरों को सही और अपेक्षित सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नॉलेज रिपोज्टरी तथा नेटवर्कों के बीच एकीकरण, सहयोग, सूचना का आदान प्रदान होगा।			
	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ)	एन डी आर एफ बटालियनों की परिकल्पना एक बहु-विषयक, बहु-कुशल, हाईटेक बल के रूप में की गई है, जो सभी प्रकार			-	एन डी आर एफ बटालियनों ने वर्ष 2006 से देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक विपत्तियों/आपदाओं में	एन डी आर एफ को प्राकृतिक तथा मानवजनित आपदाओं के		

(करोड़ रु. में)

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">योजना/कार्यक्रम का नाम</th><th rowspan="2">उद्देश्य/परिणाम</th><th colspan="3">परिव्यय 2014-15</th><th rowspan="2">परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम</th><th rowspan="2">संभावित परिणाम</th><th rowspan="2">प्रक्रिया/समय सीमा</th><th rowspan="2">टिप्पणियां/ जोखिम कारक</th></tr>
<tr><th>योजनेतर बजट</th><th>योजनागत बजट</th><th>पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>की आपदाओं में प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। क्षेत्र एवं जनता की सुभेद्यता की स्थिति के आधार पर, ये देश के विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं, ताकि उन्हें भेजने की कार्रवाई में लगने वाले समय को कम किया जा सके। इस समय, 04 विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से 10 बटालियनों का गठन किया गया है। प्रत्येक बटालियन में 18 कार्रवाई दल हैं जिनमें से प्रत्येक में 45 सदस्य हैं जो आपदा प्रवण क्षेत्र में तुरन्त कार्रवाई करते हैं।</td><td></td><td></td><td></td><td>कार्रवाई की है। एन डी आर एफ आपदा दलों ने प्रभावित लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए नागरिक प्रशासन के साथ काम किया है। एन डी आर एफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कई हजार असहाय लोगों को बचाया है। एन डी आर एफ टीम ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपदा संबंधी गतिविधियों के दौरान बखूबी काम किया है। वर्ष 2010-11 से आगे की अवधि में कार्य निष्पादन निम्नवत है:-
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>निकाले गए शवों की सं.</th><th>बचाए गए व्यक्तियों की सं.</th></tr>
<tr><td>2010-11</td><td>-</td><td>21801</td></tr>
<tr><td>2011-12</td><td>42</td><td>18530</td></tr>
<tr><td>2012-13</td><td>129</td><td>32632</td></tr>
<tr><td>2013-14</td><td>711</td><td>45124</td></tr>
</table></td><td>प्रभावों के न्यूनीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्मिकों को दिए गए प्रशिक्षण तथा बटालियनों द्वारा रखे गए उपकरणों से उपलब्ध प्रशिक्षित जनशक्ति के साथ सभी प्रकार की घटनाओं से प्रभावी तरीके से निपटा जाएगा। इसके परिणामस्वरूप बहुत सी जानों तथा सम्पत्तियों को प्रभावी तरीके से बचाया जा सकता है।</td><td></td><td></td></tr>
</table>

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						हाल के वर्ष में मार्च 2014 तक एन डी आर एफ की उपलब्धि परिशिष्ट ख में संलग्न है।			
	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम)	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम)-आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।				(ii) एन आई डी एम 83 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करेगा केन्द्र, राज्य सरकारों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के लगभग 2075 वरिष्ठ तथा मध्यम स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। इनमें से 46 कार्यक्रम राज्यों में आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एन आई डी एम 15 वेब आधारित ऑन लाइन पाठ्यक्रम आयोजित करेगा, आपदा प्रबंधन तथा जनजागरूकता के बारे में अनुसंधान प्रलेखन तथा प्रकाशन संबंधी कार्य करेगा।	(ii)आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास तथा इस क्षेत्र में प्रशिक्षकों का विकास। प्रशिक्षण का मानकीकरण, प्रमुख आपदाओं का प्रलेखन तथा जानकारी और दक्षताओं का प्रसार-प्रचार। विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति राज्यों की सुभेद्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य/जिला/स्थानीय निकाय स्तरों पर अधिकारियों एवं अन्य पणधारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण		

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
							संस्थान एन आई डी एम के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली तकनीकी एवं वित्तीय सहायता का उपयोग करेंगे। एन आई डी एम का नया परिसर इसे पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराएगा ताकि यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इसके अधिदेश का अधिक प्रभावी तरीके से पालन कर सके ।		
	एन आई डी एम पर पूंजीगत परिव्यय	संस्थान के लिए एक समर्पित परिसर की स्थापना करना।				एन आई डी एम परिसर के लिए भवन की योजना तैयार करना तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि पर निर्माण शुरू करना।	दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जून 2013 में भूमि आबंटित की है। अत: विकास कार्य 2013-14 में शुरू नहीं हो सका। अब डिजिटल सर्वे, मिट्टी के परीक्षण तथा	योजना तैयार की जा रही है।	

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
							चारदीवारी/परिसर के निर्माण के लिए बजट अनुमान 2014-15 में 8.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।		
कुल योग: अनुदान सं. 56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय			**2171.83**	**318.00**	-				

अध्याय-3

<u>सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहलें</u>

3.1 गृह मंत्रालय मुख्यत: देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। सेवा प्रदान करने संबंधी तंत्र की प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने कुछ सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहलें शुरू की हैं जिन्हें निम्नलिखित पैराओं में उजागर किया गया है। इसी तरह, जहां भी संभव है, अधिक विकेन्द्रीकरण पर भी विचार किया जा रहा है।

<u>केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए पूंजीगत अवसंरचना:-</u>

3.2 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों के लिए आवास सुविधा/बैरक के प्रावधान का इस बल के मनोबल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बल काफी लम्बे समय तक दूर दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं, हाल ही के वर्षों में बल कार्मिकों के लिए परिवार आवास की मांग काफी बढ़ी है।

3.3 राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्री दल ने अन्य रैंकों के लिए संतुष्टि के स्तर को 14% से बढ़ाकर 25% करने की सिफारिश की थी। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों में आवास की कमी की समस्या को हल करने के लिए, एक अलग योजना अर्थात् रिहायशी आवास (योजनागत) है, जिसके अंतर्गत सरकार के अनुमोदन के अनुसार के लो नि वि/पी डब्ल्यू ओ के माध्यम से मकान निर्मित किए जाते हैं।

3.4 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूंजीगत अवसंरचना के निर्माण के लिए योजना आयोग ने मद-शीर्षों कार्यालय भवन (योजनागत), रिहायशी भवन (योजनागत) और सीमा चौकियों (योजनागत) के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में 20260.01 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। रिहायशी आवास (योजनागत) की योजना के अन्तर्गत निधियों के आबंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 2012-13 (संशोधित अनुमान स्तर पर) के 917.80 करोड़ रु. से बढ़ाकर 987.35 करोड़ रु. (बजट अनुमान स्तर) कर दिया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान मार्च 2014 तक 01.03.2014 की स्थिति के अनुसार 2142 मकानों तथा 186 बैरकों का निर्माण किया गया है।

3.5 गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल के लिए ई पी सी मोड के माध्यम से 9089 आवासों और 49 बैरकों के निर्माण की एक आवास परियोजना अनुमोदित की है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आवास की परियोजना के

अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के लिए 32 स्थानों पर 6249 आवासों और 39 बैरकों तथा असम राइफल्स के लिए 6 स्थानों पर 840 मकानों और सशस्त्र सीमा बल के लिए 12 स्थानों पर 2000 मकानों और 10 बैरकों के निर्माण को भी अनुमोदित किया गया है।

3.6 वर्ष 2013-14 के दौरान बजट अनुमान स्तर पर कार्यालय भवन (योजनागत), रिहायशी भवन (योजनागत) तथा सीमा चौकी (योजनागत) शीर्षों के लिए क्रमश: 2194.91 करोड़ रु., 987.35 करोड़ रु. और 234.00 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई है जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर संशोधित करके क्रमश: 1611.60 करोड़ रु., 592.44 करोड़ रु. तथा 191.00 करोड़ रु. कर दिया गया है। कार्यालय भवन और बैरकों की अवसंरचना से संबंधित कार्य कार्यालय भवन (योजनागत) शीर्ष के माध्यम से जबकि आवासीय भवनों का निर्माण आवासीय भवन (योजनागत) योजना के अन्तर्गत किया जाएगा। सीमा चौकियों के संवर्धन तथा उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण सीमा चौकी (योजनागत) शीर्ष के तहत किया जाता है।

3.7 के लो नि वि/अन्य पी डब्ल्यू ओ के माध्यम से निष्पादित अवसंरचना संबंधी कार्यों की प्रगति की निगरानी गृह मंत्रालय द्वारा नियमित अन्तरालों पर की जाती है।

<u>स्वतंत्रता सेनानी पेंशन :</u>

3.8 स्वतंत्रता सेनानियों तथा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के पति/पत्नी की मूल पेंशन रु. 6330 तथा 165 प्रतिशत मंहगाई राहत को मिलाकर 1.8.2013 से 16775 रु. प्रतिमाह थी। स्वतंत्रता सेनानियों की सभी श्रेणियों के लिए 01.08.2013 से मूल पेंशन पर महंगाई राहत को 165% से बढ़ाकर 193% कर दिया गया है। इस वृद्धि के साथ ही, कुल पेंशन अब रु.18547/- प्रति माह हो गई है। वर्ष 1972 में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के प्रारंभ से 31.3.2014 तक कुल 1,71,578 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान की गई है।

3.9 स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अनुसार, स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके पात्र आश्रितों को पेंशन का संवितरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विभिन्न शाखाओं और देशभर में स्थित राज्य कोषागारों के माध्यम से किया जाता है। चूंकि आश्रित परिवार पेंशन को अंतरित करने की शक्ति संवितरण प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई है, इसलिए जीवित तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कोषागारों से पेंशन आहरित करने वाले केन्द्रीय सम्मान पेंशनभोगी/पात्र आश्रितों के आंकड़े वर्ष 2010 में प्राप्त किए गए थे और गृह मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.nic.in) पर अपलोड किए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भेजे गए कुछ आंकड़ों की संवीक्षा की गई थी। पेंशन के संवितरणों में पाई गई विसंगतियों के बारे में बैंकों को सूचित किया गया तथा उन्हें आंकड़ों का निराकरण करके उन्हें गृह मंत्रालय को भेजने की सलाह दी गई।

3.10 पिछले कुछ महीनों में मंत्रालय ने पेंशन संवितरित करने वाले सभी 25 बैंकों और 22 राज्य सरकारों के साथ अनेक बैठकें की हैं। अथक प्रयासों के बाद अंतत: मंत्रालय केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानियों के आंकड़ों तथा उनके विस्तृत ब्यौरे का पता लगाने में सफल हुआ। इस समय जीवित तथा पेंशन आहरित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों/पात्र आश्रितों की संख्या 38,669 है (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 34,306 तथा राज्य कोषागारों से 4363)। इससे पहले वर्ष 2011 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा राज्य कोषागारों द्वारा सूचित किए गए अनुसार यह संख्या लगभग 49000 थी।

3.11 संख्या में उक्त अंतर को देखते हुए तथा इस बात पर गौर करते हुए कि केन्द्रीय सम्मान पेंशन पर खर्च होने वाली वार्षिक राशि लगभग 750 करोड़ रु. है, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया कि पात्र लाभभोगियों को पेंशन का संवितरण इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए। इस प्रयोजन के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से केन्द्रीय सम्मान पेंशन के संवितरण के मामले में एजेंसी बैंकों तथा राज्य कोषागारों की लेखापरीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

<u>भारत के महाराजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं:</u>

3.12 भारत की जनगणना संसार में विशालतम प्रशासनिक कवायद है । इसे सफलतापूर्वक सम्पन्न करके, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ओ.आर.जी. एण्ड सी.सी.आई.) जनांकिकी, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक सारणियों के रूप में परिणामों को तैयार करने, प्रकाशित करने और प्रचारित करने की तैयारी कर रहा है । आंकड़ा-संसाधन के लिए नवोन्नत छाया-चित्र पहचान प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से समय और लागत की पर्याप्त बचत हुई है । पंचवर्षीय और क्षेत्रीय योजनाएं तैयार किए जाने के समय पर, आंकड़ों की समयोचित उपलब्धता की सभी ने प्रशंसा की है ।

3.13 इस कार्यालय द्वारा शुरू की गई अन्य महत्वाकांक्षी परियोजना देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) तैयार करना है। 118 करोड़ व्यक्तियों से संबंधित रिकार्ड की डाटा प्रविष्टि करके इस योजना के मुख्य घटक - सभी सामान्य निवासियों का इलेक्ट्रोनिक रजिस्टर तैयार करने का कार्य पर्याप्त रूप से पूरा कर लिया गया है । शेष चरणों में बायोमेट्रिक का संग्रहण, यू.आई.डी.ए.आई. के माध्यम से बायोमेट्रिक दोहराव को रोकना, प्रकाशन, दावों और आपत्तियों का निपटारा तथा एन.पी.आर. का पुनरीक्षण करके अन्तिम रूप देना शामिल है । अन्य संघटकों में और निवासी पहचान पत्र जारी करने एन.पी.आर. को अद्यतन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना शामिल है । यह संसार में इस प्रकार का विशालतम डाटाबेस है और देश में एक सुदृढ़ और विश्वसनीय पहचान डाटाबेस तैयार करने में सुविधा प्रदान करेगा । यह ई-शासन पहल को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने से संबंधित संगठनों की क्षमता को भी बढ़ाएगा।

3.14 सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सी.आर.एस.) के अन्तर्गत, चिकित्सा संस्थानों, जहां जन्म और मृत्यु होती है, का एक डाटाबेस 2012-13 के दौरान बिल्कुल पहली बार तैयार किया गया है । एक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) भी तैयार की जा रही है । जनशक्ति की भर्ती के प्रावधानों सहित कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रत्येक जिले के स्तर पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं । जन्म और मृत्यु के इलेक्ट्रोनिक रजिस्ट्रीकरण के लिए एक साफ्टवेयर भी विकसित किया जा चुका है और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाना प्रारम्भ किया जा रहा है । इन उपायों से सी.आर.एस. के दोषरहित होने और जन्म-मृत्यु की महत्वपूर्ण घटनाओं के सर्वव्यापी रजिस्ट्रीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त होने की आशा की जा जाती है।

3.15 सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.) के अन्तर्गत नवीनतम जनगणना (2011) के आधार पर रूपरेखा में परिवर्तन का कार्य आरम्भ करके पूरा किया जाना शेष है । इसके लिए तैयारियां पूरे जोर-शोर से हो रही हैं । एस.आर.एस. की विशिष्ट विशेषता है कि एक पूर्ण संघटित ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने की समग्र योजना के एक भाग के रूप में इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए फील्ड से प्रत्यक्ष डाटा संग्रहण की योजना बनाई जा रही है । यह अर्ध-वार्षिक और वार्षिक रिपोर्टों को प्रकाशित करने में समय कम करने में सहायक होगा।

3.16 देश में पहली बार संसार के सबसे विस्तृत सैम्पल सर्वेक्षणों में से एक वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए.एच.एस.) को कार्यान्वित किया जा रहा है । इस प्रतिष्ठित परियोजना में जिला स्तर के आधारभूत जन्म-मृत्यु और स्वास्थ्य संकेतक उपलब्ध कराने के साथ-साथ इनमें आए वार्षिक परिवर्तनों का खाका भी उपलब्ध कराता है । इसके अतिरिक्त, क्लीनिकल, एनथ्रोपोमेट्रिक और बायो-केमिकल (सी.ए.बी.) घटकों पर इस समय कार्यान्वित किया जा रहा अन्य सर्वेक्षण, समूह के उचित स्तरों पर 9 वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण राज्यों के सभी 284 जिलों में अल्प और अधि-पोषण, बृहत् पोषण कमी, उच्च रक्तचाप और खाली पेट शर्करा की मात्रा पर सूचना उपलब्ध कराएगा । ए.एच.एस. से उत्पन्न जिला स्तर के विखण्डित आंकड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बेहतर योजना तैयार करने के लिए अपेक्षित तथ्य उपलब्ध कराते हैं और तथ्य-आधारित हस्तक्षेप के लिए रास्ता तैयार करते हैं ।

3.17 एक जी.आई.एस. आधारित नगर मानचित्रण परियोजना, देश के 6 मेगा शहरों और 31 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के ग्रोथ पोल केन्द्र में जनांकिकी परिवर्तन के पैटर्न के अध्ययन के लिए बनाई गई है । इससे अन्य संगठनों जैसे राष्ट्रीय आपदा आपात-प्रबन्धन (एन.डी.ई.एम.), राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य विभागों को अपनी परियोजनाओं की योजना बनाने और कार्यान्वयन में लाभ मिलेगा ।

3.18 लोक निधि के प्रयोग से संग्रहित जनगणना आंकड़ों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जनगणना 2001 और जनगणना 2011 की सैम्पल माइक्रो डाटा फाइलों पर अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों और संस्थानों में वर्कस्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं । देश के सभी 640 जिलों में से प्रत्येक में 150 स्कूलों को जनगणना से संबंधित साहित्य से युक्त स्कूल किट उपलब्ध करवाकर, स्कूल विद्यार्थियों को जनगणना 2011 की मुख्य बातों के प्रति जागरूक करने की एक वृहद पहल

भी की जा रही है । जनगणना-आंकड़ा-प्रचार गतिविधियों के अन्तर्गत अन्य नीतिगत पहल भारत की जनगणना वेबसाइट पर जनगणना 2011 पर प्रकाशित सारिणयों की सॉफ्ट प्रतियां उपयोग करने और फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय आंकड़ा साझेदारी और पहुंच नीति के अधीन भारत सरकार के आंकड़ा-पोर्टल के साथ जनगणना सारणियों को साझा करना है ।

3.19 राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषकर विभिन्न दक्षिणी एशियाई देशों के भागीदारों को जनगणना पद्धति और इसके परिचालन से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए 2012-13 के दौरान भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय में जनसंख्या संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (सी.आर.टी.सी.) की स्थापना की गई है । केन्द्र ने अभी तक म्यांमार और भूटान के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया है । इस संगठन के कुछ अधिकारियों ने जनगणना संबधी गतिविधियों में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा भी की है । केन्द्र परामर्श और उपयोग के लिए 1865 से प्रकाशित सभी जनगणना प्रकाशनों के भंडार के रूप में भी कार्य करेगा;

3.20 भाषाओं के श्रव्य-दृश्य आंकड़ों के विश्लेषण की इन-हाउस क्षमता विकसित करने के लिए 12वीं योजना अवधि के दौरान भारत के मातृभाषा सर्वेक्षण (एम.टी.एस.आई.) के अन्तर्गत एक श्रव्य और दृश्य प्रयोगशाला चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने के लिए योजना बनाई गई है । यह मातृभाषाओं के कच्चे विवरणों के युक्तिकरण और वर्गीकरण में सहायक होगा और भाषाविदों को लोगों की भाषा संबंधी महत्वाकांक्षाओं तथा वर्तमान भाषा आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि प्रदान करेगी ।

<u>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम:</u>

3.21 देश में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ एवं संस्थागत बनाए जाने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को केन्द्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन 22 अक्तूबर, 2009 को प्राप्त हुआ। योजना आयोग के परामर्श से आपदा प्रबंधन से संबंधित एक अध्याय को भी 11वें योजना दस्तावेज में शामिल किया गया है। इस नीति में "निवारण/उपशमन, तैयारी तथा कार्रवाई के संवर्धन के जरिए एक समग्रतावादी, पूर्वसक्रिय, बहु आपदा उन्मुखी तथा प्रौद्योगिकी संचालित कार्यनीति तैयार करके एक सुरक्षित एवं आपदा से निपटने के लिए तैयार भारत का निर्माण" करने के लिए राष्ट्रीय विज़न पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, घटना कार्रवाई प्रणाली, पी ओ एल टैंकरों के परिवहन की सुरक्षा और संरक्षा का सुदृढ़ीकरण, नगरपालिका जलापूर्ति और जलाशयों को खतरे, भारत में विकिरणीय खतरों का पता लगाने, निवारण और कार्रवाई संबंधी तंत्र, सुनामी, सूखा, आपदा के पश्चात् मृतक के संबंध में आपदा प्रबन्धन, शहरी बाढ़ प्रबन्धन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और राहत के न्यूनतम मानदंड-राहत शिविरों में खाना, आपदा राहत में सफाई और स्वच्छता, राहत शिविरों

में जलापूर्ति, राहत शिविरों में मेडिकल कवर आदि से संबंधित अनेक दिशानिर्देश और अन्य रिपोर्टें जारी की गईं हैं।

<u>प्रशमन परियोजनाएं:</u>

3.22 निम्नलिखित प्रशमन परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं:-

(क) राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
(ख) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन योजना चरण-I

(क) <u>राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (प्रारंभिक चरण)</u>

3.23 24.87 करोड़ रु. के परिव्यय से केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजनागत स्कीम के रूप में राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (प्रारंभिक चरण) अनुमोदित की गई है जिसे दो वर्ष की अवधि (2013-15) में कार्यान्वित किया जाना है। राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (प्रारंभिक चरण) के मुख्य घटक तथा उनकी लागतें निम्न प्रकार हैं:

(i) तकनीकी विधिक प्रणाली जिसमें संबंधित शहरों/राज्यों में तकनीकी विधिक को अपनाना, उसका प्रवर्तन और उसे अद्यतन बनाया जाना शामिल है-8.20 करोड़ रु.
(ii) संस्थागत सुदृढ़ीकरण जिसमें कॉलेजों और संस्थानों में शिक्षा और अनुसंधान का क्षमता-निर्माण शामिल है-9.52 करोड़ रु.
(iii) भूकंप रोधी निर्माण तकनीकों में पेशेगत वास्तुकारों, अभियंताओं और राज मिस्त्रियों का क्षमता निर्माण-3.85 करोड़ रु.
(iv) राष्ट्रीय स्तर पर तथा सभी सुभेद्य राज्यों में जन जागरूकता तथा जानकारी-1.88 करोड़ रु.
(v) परियोजना प्रबंधन-1.42 करोड़ रु.

3.24 उक्त परियोजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/अन्य संस्थानों के समन्वय से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना देश में भूकंप जोन IV और V में आने वाले 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान/ अरुणाचल प्रदेश/ असम/ बिहार/ चंडीगढ़/ दिल्ली/ गुजरात/ हरियाणा/ जम्मू एवं कश्मीर/ हिमाचल प्रदेश/ महाराष्ट्र/ मेघालय/ मिजोरम/ नागालैंड/ मणिपुर/ पंजाब/ सिक्किम/ त्रिपुरा/ उत्तर प्रदेश/ उत्तराखंड/ पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही है।
इस परियोजना के मुख्य परिणाम निम्नलिखित हैं:-

(i) आदर्श भवन निर्माण संबंधी उप-नियमों तथा भूकंपरोधी निर्माण और योजना मानकों को अपनाने की आवश्यकता के बारे में प्रमुख की स्टेकहोल्डरों में और अधिक जानकारी।

(ii) भूकंप जोन V और VI में आने वाले लक्षित सभी 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शहर और राज्य स्तर पर आदर्श भवन-निर्माण उप-नियमों को अपनाने के लिए जोर देना।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र में सी एन बी 2005 को उपलब्ध कराने पर जोर देना।

(iv) निर्माण उपरान्त मरम्मत संबंधी दिशानिर्देश तैयार करना।

(v) भूकंप रोधी निर्माण प्रणालियों का संवर्धन।

(vi) परियोजना के प्रयासों को कायम रखने के लिए राज्य/शहर स्तर पर क्षमता निर्माण।

(vii) 210 फैकल्टी/शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम।

(viii) 450 प्रशिक्षकों का एक सप्ताह का अभिविन्यास।

(ix) लक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 750 सिविल अभियंताओं, 1050 वास्तुकारों और 1500 राजमिस्त्रियों का क्षमता निर्माण।

(x) प्रतिभागी संस्थानों की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (विशेष रूप से जिला स्तर पर आई टी आई/पॉलीटेक्नीक)।

(xi) लक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूकंप जागरूकता अभियानों पर ध्यान केन्द्रित करना।

<u>राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन परियोजना</u>

3.25 परियोजना के चरण I को 1496.71 करोड़ रु. की लागत से केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजना के रूप में आंध्र प्रदेश और ओडिशा की राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ मिलकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 31.10.2015 तक 5 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। इस परियोजना को 1198.44 करोड़ रु. की राशि के इंटरनेशनल डेवलेपमेंट एसोसिएशन क्रेडिट से अडेप्टेबल प्रोग्राम लोन के रूप में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। 298.27 करोड़ रु. की शेष राशि का योगदान आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सरकारों द्वारा (केवल घटक ख) के अंतर्गत किया जाएगा। अन्य घटक 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाएंगे।

3.26 चरण I से हुए प्रारंभिक अनुभव तथा समय के साथ इसके प्रभाव में वृद्धि करके एन सी आर एम पी को अन्य तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा। चरण II में पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को लिया जा रहा है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चरणा III में लिया जाएगा। ए पी एल के कार्यक्रम-परक

दृष्टिकोण से, पूर्व चरणों से सीखे गए सबक, नए तरीकों तथा जोखिम के प्रबंधन में तकनीकी संबंधी उन्नति को परियोजना के अगले चरणों में शामिल करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम-परक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अन्य राज्य नोडल एजेंसियों की क्षमताओं की निगरानी और मूल्यांकन के धीरे-धीरे होने वाले सुदृढ़ीकरण में भी मदद मिलेगी।

लक्ष्य:

इस परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित ढांचागत तथा गैर ढांचागत उपाय करके अपने मिशन को पूरा करना है:

(i) अंतिम स्थल तक संपर्क में सुधार करके पूर्व चेतावनी और संचार प्रणाली।

(ii) बहु-उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण एवं उनका स्थायी रूप से रखरखाव, सड़कों और पुलों का निर्माण करके इन आश्रय स्थलों तथा पहले से मौजूद आश्रय स्थलों तक पहुंचने में सुधार तथा वहां लोगों का बसाना और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में तूफान, बाढ़ और तेज तूफानी हवाओं से सुरक्षा के लिए चुनिंदा स्थानों पर तटीय तटबंधों का निर्माण

(iii) आपदा आने पर कार्रवाई करने के लिए स्थानीय समुदायों के लोगों की क्षमता में वृद्धि करना, और

(iv) जोखिम प्रशमन उपायों को समग्र विकास के एजेंडे में शामिल करने के उद्देश्य से केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर आपदा जोखिम प्रशमन क्षमता का निर्माण।

(v) इस परियोजना के चार प्रमुख घटक उनके लिए आबंटनों सहित नीचे दिए गए है:-

घटक-क	पूर्व चेतावनी तथा प्रचार प्रणाली के अभियान संबंधी सामुदायिक क्षमता निर्माण सहित तटीय समुदायों में पूर्व चेतावनी प्रणाली का प्रचार	72.75 करोड़ रु.
घटक-ख	चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना बहु-उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय स्थल निष्क्रमण सड़कें और मार्ग लिंकिंग एंड मिसिंग ब्रिज तटीय तटबंध	1164 करोड़ रु.
घटक-ग	चक्रवात आपदा जोखिम प्रशमन क्षमता निर्माण तथा जानकारी सृजन के लिए तकनीकी सहायता	29.10 करोड़ रु.
घटक-घ	परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन सहायता समस्त लागत की 10 प्रतिशत की दर से अनाबंटित आकस्मिकता	95.06 करोड़ रु. 135.80 करोड़ रु.

उपर्युक्त में से घटक क, ग और घ पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्‌वारा वित्तपोषित होंगे तथा घटक-ख को केन्द्र तथा राज्यों द्‌वारा 75:25 के अनुपात में वित्तपोषित किया जाएगा। विश्व बैंक एन सी आर एम पी के लिए केन्द्र सरकार की सहायता आई डी ए अडेप्टेबल प्रोग्राम लोन के रूप में करेगा और केन्द्र भागीदार राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में निधियां मुहैया कराएगा।

<u>ओ डी एम पी (अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं) के अंतर्गत योजनाएं/कार्यक्रम</u>

<u>राष्ट्रीय</u> <u>विद्यालय</u> **<u>सुरक्षा कार्यक्रम - एन डी एम ए की एक प्रदर्शन-परियोजना</u>**

3.27 भारत सरकार ने जून, 2011 में 100% केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना के रूप में 48.47 करोड़ रु. की कुल लागत से राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम - एक प्रदर्शन परियोजना अनुमोदित की थी जो 24 माह की समय-सीमा के भीतर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्‌वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कूलों में सुरक्षा की संस्कृति विकसित करने की एक समग्र परियोजना है और इसमें सिसमिक जोन IV और V में आने वाले देश के 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों के 8600 स्कूल शामिल हैं। इस परियोजना की डिजायन जांची तथा सत्यापित की जाएगी ताकि पूरे देश में इसे बढ़ाने तथा कार्यान्वयन के लिए इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा जा सके। वर्तमान में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

3.28 (क) भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के भवनों की सूची तैयार करने का कार्य तथा भवन सूचियों में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए सुभेद्‌यता संबंधी कार्य आई आई टी, बंबई को सौंपे गए जिसने समन्वयकर्ता संस्थान के रूप में आई आई टी, बंबई के साथ 26 करोड़ रु. के हस्ताक्षर एक लागत समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 126 लाख रु. की अनुमानित लागत से देश के विभिन्न भागों में पांच विभिन्न नोडल संस्थानों अर्थात् (1) आई आई टी रुड़की-उत्तरी जोन, (2) आई आई टी खड़गपुर-पूर्वी जोन, (3) आई आई टी गुवाहाटी-उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, (4) आई आई टी बंबई-पश्चिमी जोन तथा (5) आई आई टी मद्रास-दक्षिणी जोन की सहायता से उक्त परियोजना पर कार्य किया था। आई आई टी, बंबई ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्‌वारा स्वीकार कर लिया गया है।

3.29 (ख) देश में भूकंप खतरा मानचित्र तैयार करने संबंधी परियोजना 76.83 लाख रु. की अनुमानित लागत से बी एम टी पी सी को सौंपी गई। तथापि चूंकि भारतीय जनगणना कार्यालय को अभी प्रशासनिक जिला सीमा संबंधी डाटा देना है, इसलिए यह परियोजना अभी

पूरी नहीं की जा सकी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस मामले में भारत के महापंजीयक के कार्यालय के साथ नियमित रूप से पैरवी कर रहा है। ओ आर जी आई को अपेक्षित डाटा एन आई सी सर्वर पर अपलोड करने हैं और उसके बाद आई डी तथा पासवर्ड के माध्यम से (यह संवदेनशील सूचना होने के कारण) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा बी एम टी पी सी की अपेक्षित पहुंच मुहैया कराएगा। यह भी उल्लेख किया जाता है कि बी एम टी पी सी को डाटा उपलब्ध कराए जाने के बाद, वह इस परियोजना को पूरा करने के लिए 6 और माह का समय लेगा।

3.30 (ग) केरल के हाई लैण्ड और फुट-हिल्स वाले भागों में सॉइल पाइपिंग पर अनुसंधान संबंधी परियोजना 49.79 लाख रु. की लागत से पृथ्वी विज्ञान केन्द्र केरल को सौंपी गई है।

3.31 (घ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 40.95 लाख रु. की लागत से आपदा प्रबंधन विभाग, केरल सरकार के लिए केरल में मीनांचल और मनीमाला नदियों में तेज बाढ़ के लिए पूर्व चेतावनी हेतु मिशन फॉर जियोस्पेटियल एप्लीकेशन्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव को वित्तपोषित कर रहा है। एम जी ए को 16.38 लाख रु. की पहली किश्त जारी कर दी गई है। 6 ए डब्ल्यू एस खरीद लिए गए हैं तथा 5 और खरीदे जाने हैं। एक उपकरण लगा दिया गया है तथा उससे ऑनलाइन डाटा मिलना शुरू हो गया है। डिस्चार्ज मीटर लगाने के लिए स्थल सर्वेक्षण तथा स्थल निर्धारण पूरा कर लिया गया है तथा फेब्रेकेशन का कार्य चल रहा था। अक्तूबर 2013 में हुई बैठक में यह बात सामने आई कि एन आर एस सी तथा केरल सरकार से डाटा प्राप्त न होने के कारण यह परियोजना समय सीमा के अनुसार नहीं चल रही है। एम जी ए को भुगतान की गई अग्रिम राशि प्राप्त होने के बाद इस परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया गया।

3.32 (ङ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रेडियोलोजीकल आपात स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी के अपने कार्यक्रम के रूप में 50 से अधिक राजधानी और मैट्रो शहरों तथा देश के अन्य प्रमुख शहरों में निर्धारित पुलिस थानों के चौकसी वाहनों को साधारण निगरानी उपकरणों और पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर से सुसज्जित करने का निर्णय लिया है। मोबाइल रेडिएशन डेटेक्शन सिस्टम (एम आर डी एस) नामक परियोजना को 7.48 करोड़ रु. की कुल लागत के साथ अनुमोदित किया गया। तथापि, उपकरणों के प्रापण तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मदद करने वाली बी ए आर सी की रिपोर्ट के अनुसार नए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संशाधित एस एफ सी तैयार किया जा रहा है।

3.33 (च) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुभेद्यता का पता लगाने के लिए एम 8.7 शिलांग भूकंप परिदृश्य के विकास के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन किया है ताकि बड़े भूकंप के प्रभाव को

समझा जा सके तथा सी एस आई आर-पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहट और अन्य संस्थानों के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र को योजना के रूप में इस प्रकार की घटना के लिए क्षमता निर्माण तथा बहु-राज्य तैयारी को सुकर बनाया जा सके।

3.34 इस परियोजना प्रस्ताव में 1897 के भूकंप के लिए परिदृश्य विकास तथा रेपिड विज्युल स्क्रीनिंग वर्कशॉप, स्कूल छात्रों को जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशालाएं, जागरूकता पैदा करने जैसी अन्य गतिविधियों के लिए राज्यों के साथ समन्वय शामिल है। सी एस आई आर एन ई आई एस टी के माध्यम से क्षमता विकास कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें 10 और 13 मार्च 2014 को दो बड़े मॉक अभ्यास किए गए हैं। इस परियोजना की कुल लागत 5.6036 करोड़ रु. है तथा इस परियोजना को 18 माह की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है।

3.35 अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2012-13 और 2013-14 में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं।

(i) <u>इग्नू परियोजना</u>

सरकारी कर्मचारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण को एक पायलट परियोजना सरकारी कर्मचारियों, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों सहित कुल 16479 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। यह परियोजना जून 2013 में पूरी हो गई।

(ii) <u>बहु-राज्य अभ्यास परियोजना</u>

प्रस्तावित कालका भूकंप आपदा परिदृश्य पर टेबल टॉप अभ्यास सहित परिदृश्य भवनों के बारे में बहु-राज्य अभ्यास आयोजित करना। यह परियोजना 31 अगस्त, 2013 को पूरी की गई। परियोजना के परिणाम के बारे में अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(iii) <u>आपदा प्रबंधन के बारे में आई ए एस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एल बी एस एन ए ए का प्रस्ताव</u>

इस परियोजना में फाउंडेशन और इन्डक्शन स्तर के अधिकारियों को आपदा प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा एल बी एस एन ए ए में आई ए एस और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या और अभिविन्यास कार्यक्रमों नियमित रूप से उनकी जानकारी को अद्यतन बनाना है। अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा एल बी एस एन ए ए ने सूचित किया कि 1048 प्रतिभागियों ने आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों/मॉड्यूलों में भाग लिया। यह परियोजना मई/जून 2013 में पूरी हो गई।

(iv) <u>भारत में एडवान्स्ड लाइफ स्पोर्ट के लिए क्षमता निर्माण के बारे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रॉमा केन्द्र की पायलट परियोजना</u>

इस परियोजना का उद्देश्य प्रारंभ में इसके पायलट चरण में असम, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे सुभेद्य और आपदा संभावित राज्यों में प्रभावी ट्रॉमा संबंधी इलाज मुहैया कराना तथा आपदा प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रॉमा लाइफ स्पोर्ट समर्पित और सुप्रशिक्षित चिकित्सा, नर्स और पराचिकित्सक तैयार करना था। यह परियोजना जून 2013 में पूरी हो गई। आम जनता के लिए अंतिम परियोजना रिपोर्ट अपलोड कर दी गई है।

(v) उन्नत भूकंप आपदा मानचित्र तैयार करना:

देश में उन्नत भूकंप आपदा मानचित्र तैयार करने संबंधी परियोजना 76.83 लाख रु. की लागत से बी एम टी पी सी को सौंपी गई। तथापि भारतीय जनगणना कार्यालय को अभी प्रशासनिक जिला सीमा संबंधी आंकड़े प्रदान करने हैं, इसलिए यह परियोजना पूरी नहीं की जा सकी। भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस मामले में नियमित रूप से भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय से संपर्क कर रहा है। भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने बताया है कि वे अपेक्षित डाटा एन आई सी सर्वर पर लगभग दिसम्बर 2013 तक अपलोड कर देंगे और तत्पश्चात यूजर आई डी और पासवर्ड के माध्यम से (क्योंकि यह एक संवेदनशील सूचना है) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बी एम टी पी सी की इन आंकड़ों तक पहुंच की व्यवस्था करेगा। यह भी उल्लेख किया जाता है कि बी एम टी पी सी को डाटा उपलबध कराए जाने के बाद उसे इस परियोजना को पूरा करने में 6 महीने और लगेंगे।

(vi) सॉइल पाइपिंग परियोजना:

सॉइल पाइपिंग अभी हाल ही में केरल में देखी गई एक नई चीज है। यह सब सर्फेस मृदा अपरदन की प्रक्रिया है जोकि एक खतरनाक आपदा है क्योंकि मृदा अपरन मिट्टी (सॉइल) के नीचे होता है। केरल सरकार ने पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र (सी ई एस एस) के माध्यम से तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से इसका अध्ययन करने और आपदा से बचने के उपाय सुझाने के लिए सॉइल पाइपिंग परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अंशदान 4973100/- रु. तथा केरल सरकार का अंशदान 373900/- रु. है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 3 जुलाई, 2012 को 3267000 रु. की प्रथम किश्त जारी कर दी है। 3267000 रु. में से 306000 रु. रेसिस्टिविटी मीटर और इमेजिंग सॉफ्टवेयर, पुश कैमरा, जियोफोन, हाइड्रोफोन, लैपटॉप,

डाटा लॉगर और डेस्कटॉप जैसे उपकरणों की खरीद के लिए है तथा शेष 207000/-रु. मानव संसाधन तथा अन्य व्ययों के लिए है।

(vii) <u>**केरल में मीनांचल तथा मनीमाला नदियों में तेज बाढ़ के बारे में पूर्व चेतावनी प्रणाली**</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन विभाग, केरल सरकार को केरल में मीनांचल और मनीमाला नदी बेसनों में तेज बाढ़ की आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नदी की निगरानी, मॉडलिंग और पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु 40.95 लाख रु. की लागत से मिशन फॉर जियोस्पेटियल एप्लीकेशन मिशन (एम जी ए), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है। एम जी ए को 16.38 लाख रु. की पहली किश्त जारी कर दी गई है। 6 ए डब्ल्यू एस की खरीद कर ली गई है तथा 5 और खरीदे जाने हैं। इनमें से एक उपकरण लगा दिया गया है तथा इससे ऑन लाइन आंकड़े मिलने शुरू हो गए हैं। डिस्चार्ज मीटरों के लिए स्थल सर्वेक्षण और स्थल निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया गया तथा फेब्रीकेशन का कार्य चल रहा है।

<u>**जागरूकरता पैदा करने संबंधी अभियान**</u>

3.36 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने श्रव्य-दृश्य स्पॉट्स, प्रेस विज्ञापन, मुद्रित सामग्री आदि जैसे संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न आपदाओं के बारे में जोखिम अवधारणा, तैयारी और स्वयं आत्मनिर्भरता में सुधार करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। इस वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए कुछ मुख्य क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं:-

(i) भूकंप, बाढ़, भू-स्खलन, चक्रवात और जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा सुरक्षा किट के बारे में श्रव्य-दृश्य अभियान तथा दूरदर्शन, निजी टी वी चैनलों, आकाशवाणी तथा डिजिटल कैमरा पर प्रसारण

(ii) समाचार पत्रों में आपदा के बारे में विज्ञापन देकर प्रिंट मीडिया अभियान चलाना। भूकंप अभियान के बारे में हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 60 लाख अंतरदेशीय पत्र छापे गए हैं।

(i) कार्यक्रम: क) ग्लोबल प्लेटफार्म फॉन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में भागीदारी
ख) 4 अक्तूबर, 2013 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 9वां स्थापना दिवस मनाना

3.37 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) ने नीतिगत पहल के रूप में आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाना है। ब्यौरा निम्न प्रकार है:

<u>आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी राष्ट्रीय प्लेटफार्म का प्रथम सत्र, 13-14 मई, 2013 विज्ञान भवन, नई दिल्ली।</u>

3.38 आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी राष्ट्रीय प्लेटफार्म का प्रथम सत्र 13-14 मई, 2013 को आयोजित किया गया। इसका उदघाटन भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने किया। इस सत्र में केन्द्र, राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र, सी बी ओ तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों (डेलीगेट्स) ने भाग लिया। इस सत्र के बाद एक पूर्ण सत्र (प्लेनरीसेसन) हुआ जिसका विषय (थीम) ''मेनस्ट्रीमिंग डी आर आर इन डेवलपेमेंट : अचीवमेंट एंड वे अहेड'' थी जिसके बाद 6 विषय संबंधी (थीमेटिक) सत्र हुए:

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्रौद्योगिकी का प्रयोग;
- अपने शहरों को सुरक्षित बनाना;
- जोखिम वित्त पोषण तंत्र;
- दीर्घकालिक बहाली और पुनर्वास;
- लोक नीति तथा शासन; और
- बहु-हितधारियों के बीच परामर्श

3.39 पूर्ण और थीमेटिक सत्रों के दौरान, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और विभिन्न हितधारियों के बीच विचारों का आदान-प्रदान हुआ। प्लेनरी सत्र 2 में 7 राज्यों से माननीय मंत्रियों तथा राज्य आपदा प्रंधन प्राधिकरण के 2 उपाध्यक्षों ने भी अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

3.40 विज्ञान भवन परिसर में एफ आई सी सी आई के साथ मिलकर आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित विभिन्न उत्पादों/सामग्री को दर्शाने वाली एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें एन डी आर एफ, एन आई डी एम, जी एस डी एम ए, बी एस डी एम ए आदि सहित अनेक स्टेकहोल्डरों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित विभिन्न औजारों, प्रकाशनों और आई ई सी सामग्री का प्रदर्शन किया। एन आई डी एम स्टॉल ने आगन्तुकों को सैकड़ों आई ई सी सामग्री वितरित की जिसकी माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे द्वारा बहुत सराहना की गई। एन आई डी एम की स्टॉल सहित चार स्टॉलों को प्रदर्शनी में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया।

<u>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना:</u>

3.41 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संबंधी योजना का मसौदा तैयार करने में गृह मंत्रालय की सहायता की है। इस योजना को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति

द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है।

<u>आपदा न्यूनीकरण दिवस:</u>

3.42 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, जो प्रतिवर्ष अक्तूबर में मनाया जाता है, की तरह 9 अक्तूबर, 2013 को नई दिल्ली में ''आपदा न्यूनीकरण दिवस'' मनाया।

3.43 ए एस एन स्कूल, मयूर विहार, नई दिल्ली के छात्रों द्वारा विद्यालय सुरक्षा पर एक स्किट प्ले प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदा तथा शिक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में सकूली छात्रों ने अनुभव का आदान-प्रदान किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशभर में स्कूलों के विभिन्न छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया।

<u>जेंडर बजटिंग:</u>

3.44 महिलाओं के लाभ के लिए गृह मंत्रालय में की गई पहलों का वर्णन निम्नलिखित पैराओं में किया गया है:

(क) <u>केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल</u>

- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने योजनागत स्कीम के अंतर्गत निधियों का उपयोग करके अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए रिजर्व बटालियन और प्रशिक्षण संस्थानों जैसी अपनी सभी स्थापनाओं में परिवार कल्याण केन्द्र के निर्माण की पहल शुरू की है।
- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की लगभग सभी स्थापनाओं में इस प्रकार के परिवार कल्याण केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं तथा ये कार्य कर रहे हैं (केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की चौथी बटालियन सिवगंगई (तमिलनाडु) में परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण 30.09.2013 को पूरा कर लिया गया है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की दूसरी बटालियन, रांची में परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया तथा यह 2014-15 तक पूरा कर लिया जाएगा।

3.45 ये परिवार कल्याण केन्द्र अनन्य रूप से महिलाओं के लिए हैं ताकि वे सिलाई, दस्तकारी तथा खाने के सामान के उत्पादन जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार की आय में वृद्धि करने की नई चीजें सीख सकें।

3.46 विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की संख्या निम्न प्रकार हैं:-

समूह क	**समूह ख**	**समूह ग**	**समूह घ**
38	**764**	**5094**	**5896**

3.47 अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ की योजनाएं तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के संबंध में वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान उनके लिए किए प्रावधान निम्न प्रकार हैं:-

(करोड़ रु. में)

योजना का विवरण	**बजट अनुमान 2013-14**	**संशोधित अनुमान 2013-14**	**बजट अनुमान 2014-15**
कोड शीर्ष 50 अन्य प्रभार (योजनेतर) के अंतर्गत क्रेच सुविधाएं	00.45	00.41	00.65

(ख) <u>पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो</u>

3.48 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो पुलिस समस्याओं का अध्ययन कर रहा है तथा पुलिस प्रशिक्षण आदि के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार कर रहा तथा उनका समन्वय कर रहा है। **बजट अनुमान 2013-14 में 132.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।** महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:-

- पुलिस में महिलाओं के लिए छठा महिला राष्ट्रीय सम्मेलन (09.00 लाख)-जिसमें 212 कार्मिकों ने भाग लिया है।
- अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान अध्ययन (2.00 लाख रु.)
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अपराध एवं पुलिस विज्ञान में डॉक्टोरल कार्य के लिए भारत सरकार की फेलोशिप स्कीम (1.00 लाख रु.)
- हिंदी में पुस्तकों के लिए पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना (1.00 लाख रु.)
- 'स्व-विकास एवं संघर्ष प्रबंधन, महिलाओं के प्रति अपराध एवं अवैध मानव व्यापार' के बारे में महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम (107 लाख रु.)।
- आई पी एस और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम वी आई सी तथा जेंडर सेंसीटाइजेशन के बारे में कार्यशालाएं/सेमीनार (3.00 लाख रु.)
- भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा में सुधार के बारे में कार्यशाला (9.00 लाख रु.)

महिलाओं के लाभ के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा की गई अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां निम्नलिखित हैं:-

- 26.02.2014 से 28.02.2014 तक 9.00 लाख रु. के व्यय से गुवाहाटी में पुलिस में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जिसमें 200 महिला पुलिस कार्मिकों ने भाग लिया।
- वर्ष 2013-14 के दौरान 'जेल प्रबंधन एवं कैदियों के पुनर्वास में भारतीय जेल शिक्षा की दक्षता एवं प्रभाव' पर 163333/-रु. की पहली किश्त डॉ. निघट बसु, प्रोफेसर ऑफ एडूकेशन, डीन तथा प्रमुख, फैकल्टी ऑफ एडूकेशन, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर को जारी की गई।
- पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सहायक उप निरीक्षक तक के रैंक की महिला पुलिस अधिकारियों के लिए 'स्व-विकास एवं संघर्ष प्रबंधन' के बारे में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन (7.00 लाख रु.) 05 (पांच) पाठ्यक्रम आयोजित किए गए तथा 127 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- जेंडर सेंसीटाइजेशन तथा महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में वर्ष 2013-14, 2014-15 के दौरान 100.00 लाख रु. के व्यय से 90 (नब्बे) कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- वर्ष 2013-14 के दौरान 2.00 लाख रु. के व्यय से अवैध मानव व्यापार पर 01 (एक) कार्यशाला आयोजित की गई।
- वर्ष 2013-14 के दौरान 9.00 लाख रु. के व्यय से 'महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा' के बारे में 02 (2) कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- वर्ष 2013-14 के दौरान पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुलिस संबंधी विषय पर हिंदी में पुस्तकों के लिए महिलाओं को कुल 60000/- रु. की राशि के 02 (दो) पुरस्कार प्रदान किए गए।

(ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

3.49 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सरकार ने प्रारंभ में 1985 में एक महिला बटालियन अनुमोदित की। थोड़े ही समय में दो और महिला बटालियनें शामिल की गईं और अब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तीन महिला बटालियनें कार्य कर रही हैं।

3.50 इस बल ने महिलाओं के लाभ के लिए परिवार कल्याण केन्द्रों के निर्माण की पहल शुरू की है। इन परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण अनन्य रूप से महिलाओं के लिए किया गया है ताकि वे सिलाई, दस्तकारी और खाने के सामान तैयार करने आदि जैसे नए कार्य सीखकर अपने परिवार की आय में वृद्धि कर सकें।

3.51 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं:-

(i) महिला होस्टल।
(ii) मनोरंजन/कॉमन स्टॉफ रूप में महिला उन्मुखी पत्रिकाएं, पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं।
(iii) अनन्य रूप से महिलाओं के लिए शारीरिक गतिविधियों हेतु व्यायामशाला तथा अन्य सुविधाएं।
(iv) महिला कक्ष में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी और डी वी डी आदि का प्रावधान।
(v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए आया के प्रावधान सहित डे केयर सेंटर/क्रच।
(vi) अतिरिक्त हुनर सीखने के लिए अनन्य रूप से महिलाओं को कढ़ाई की मशीनें मुहैया कराना।

3.52 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हों, का त्वरित निराकरण करने के लिए सेक्टर स्तर पर चार सदस्यीय शिकायत समिति गठित की है।

3.53 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं को पृथक विश्राम कक्ष, मनोरंजन कक्ष, सचल शौचालय की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तैनाती के दौरान यूनिट वाहनों में भी महिलाओं के लिए पृथक शौचालय उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पेंट शर्ट और वेब वेल्ट पहनने से छूट दी गई है। महिला कार्मिकों की समस्या का समाधान करने के लिए सभी स्तरों पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जेंडर सेंसीटाइजेशन भी किया जा रहा है तथा साक्षात्कारों, रोल कॉल, सैनिक सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से नियमित बातचीत करके महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। क्षेत्र स्तर के अधिकारी अपनी कमान में कार्यरत महिला कार्मिकों की गतिविधियों तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहन नजर रखते हैं।

3.54 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तीन अनन्य महिला बटलियनें हैं जिनमें एक दिल्ली में, एक गांधीनगर (गुजरात) में तथा एक नागपुर (महाराष्ट्र) में है। प्रशिक्षित बटालियनों की महिला कार्मिकों को कानून एवं व्यवस्था संबंधी विभिन्न ड्यूटियों के लिए तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्तरों पर ग्रुप केन्द्रों तथा आर ए एफ में नियुक्त महिला कर्मचारी देश में कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी तथा अन्य पुलिस ड्यूटियां कर रही हैं। एक ओर महिला बटालियन के गठन को भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा इसे 2014-15 के दौरान गठित किए जाने की संभावना है।

3.55 वर्ष 2015-16 और 2016-17 में गठन के लिए स्वीकृत 2 सामान्य ड्यूटी वाली बटालियनों को संबद्ध पैटर्न पर महिला बटालियन में परिवर्तित किए जाने के लिए 11.3.2014 को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

3.56 विभिन्न समूह (ग्रुपों) में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्न प्रकार है:-

समूह क	**समूह ख**	**समूह ग**	**कुल**
277	720	4931	5928

3.57 प्रथम इंडियन फीमेल फार्म्ड पुलिस यूनिट (एफ एफ पी यू), जिसमें 125 महिला पुलिस अधिकारी हैं, 30.01.2007 को मोनरोविया, लाइबेरिया पहुंची और 2.2.2007 से 5.2.2007 तक भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के पश्चात इस सैन्य टुकड़ी की 8.2.2007 को यूनिटी कांफ्रेस सेंटर पर प्रथम तैनाती की गई। एफ एफ पी यू की तैनाती अब तक जारी है और वर्ष 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014 में अनुवर्ती बैच तैनात किए गए हैं। वर्तमान बैच, अर्थात् एफ एफ पी यू की 8वीं टुकड़ी, जिसमें 125 अधिकारी/महिलाएं शामिल हैं, फरवरी 2014 में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत मोनरोविया, लाइबेरिया में तैनात है।

3.58 अनन्य रूप से महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों के नाम और वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान इनमें से प्रत्येक के लिए किए गए प्रावधान निम्न प्रकार हैं:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**योजना**	**आबंटन**	
		2012-13	**2013-14**
1.	डे केयर सेंटर	8.00	8.50
2.	महिलाओं को जागरूक बनाना	3.00	2.00
3.	स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र	8.00	10.00
4.	इम्प्रोवाइज्ड सर्विस	10.00	11.00
5.	पोषाहार देखभाल केन्द्र	8.00	10.00
6.	महिला होस्टल/परिवार आवास	40.00	100.00
	कुल	77.00	141.50

3.59 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के संबंध में अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ की योजनाएं तथा वर्ष 2013-14 और 2014-15 में उनके लिए किए गए प्रावधान निम्न प्रकार हैं:

(करोड़ रु. में)

योजना का विवरण	बजट अनुमान 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट अनुमान 2014-15
कोड शीर्ष 50 अन्य प्रभार (योजनेत्तर) के अंतर्गत क्रेच सुविधाएं	00.50	00.45	00.50

(घ) <u>सशस्त्र सीमा बल</u>

3.60 सशस्त्र सीमा बल में अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं हैं:

(i) सीमा चौकियों में तैनात महिलाओं के लिए शौचालयों, स्नानागारों, कुक हाउस एवं डाइनिंग हॉल की सुविधा से युक्त पृथक आवास।

(ii) सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत महिलाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए आया सहित क्रेच की सुविधाएं

(iii) कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लिए पृथक शौचालय

(iv) कार्यरत महिलाओं के लिए पृथक मनोरंजन सुविधाएं, अर्थात् मनोरंजन कक्ष/पुस्तकालय में म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन और डी वी डी आदि तथा महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं।

(v) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हों, का त्वरित निराकरण करने के लिए बल सशस्त्र सीमा बल में बल मुख्यालय/फ्रंटियर मुख्यालय स्तर पर एक समिति है

(vi) महिलाओं के लिए उदारीकृत स्थानांतरण नीति:- जहां तक संभव है, सभी महिला कर्मचारियों को उनके जन्म स्थान के निकट यूनिटों/फ्रंटियर में तैनात किया जाएगा और यदि पत्नी और पति दोनों सशस्त्र सीमा बल के कर्मचारी हों, तो उन्हें एक ही स्थान पर तैनात किया जाएगा।

3.61 विभिन्न समूहों (ग्रुपों) में कार्यरत महिलाओं की संख्या निम्न प्रकार है:-

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
34	64	1068	1166

3.62 सशस्त्र सीमा बल में अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ की योजनाएं तथा वर्ष 2013-14 और 2014-15 में उनके लिए किए गए प्रावधान निम्न प्रकार हैं:

(करोड़ रु. में)

योजना का विवरण	बजट अनुमान 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट अनुमान 2014-15
कोड शीर्ष 50 अन्य प्रभार (योजनेतर) के अंतर्गत क्रेच सुविधाएं	00.42	00.15	00.42

(ङ) **सीमा सुरक्षा बल**

3.63 सीमा सुरक्षा बल द्वारा अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं/परियोजनाएं पूरी की गई हैं:

(i) उत्तरी/दक्षिण बंगाल फ्रंटियर की 09 और 10 सीमा बाह्य चौकियों में शौचालय, कुक हाउस-सह-डाइनिंग हॉल युक्त अनन्य महिला आवास।

(ii) एस टी सी सीमा सुरक्षा बल उत्तरी बंगाल में शौचालय युक्त महिला आवास

3.64 विभिन्न समूहों (ग्रुपों) में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्न प्रकारर हैं:-

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
90	311	2239	2640

3.65 सीमा सुरक्षा बल में अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ की योजनाएं तथा वर्ष 2013-14 और 2014-15 में उनके लिए किए गए प्रावधान निम्न प्रकार हैं:-

(करोड़ रु. में)

योजना का विवरण	बजट अनुमान 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट अनुमान 2014-15
कोड शीर्ष 50 अन्य प्रभार (योजनेतर) के अंतर्गत क्रेच सुविधाएं	00.10	00.09	00.30

(च) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

3.66 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक हिमवीर वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन (एच डब्ल्यू डब्ल्यू ए) चला रहा है। यह एसोसिएशन भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में कार्य कर रही है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, बटालियनों में उप कार्यालय और विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में हैं जहां भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिकों

के परिवारों की सक्रिय भागीदारी से विभिन्न प्रकार की कल्याण गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इन केन्द्रों में ये परिवार उन्हीं सामानों की बुनाई, हॉजरी के सामान, जेम/जूस तैयार करने तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों की वर्दी के सामान तैयार का कार्य कर रहे हैं। इन गतिविधियों से न केवल भारत-तिब्बत सीमा पुलस के कार्मिकों के परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है, बल्कि बल के सभी रैंक के सदस्यों तथा उनके परिवारों के बीच सामंजस्य बनाने में भी मदद मिलती है। एच डब्ल्यू डब्ल्यू ए की आय के स्रोत, स्वेच्छा से दिए जाने वाले दान, अनुदान तथा संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले अंशदान तथा एच डब्ल्यू डब्ल्यू ए द्वारा आयोजित प्रदर्शनी से प्राप्त आय, सेल्स आउटटेट्स आदि हैं। एच डब्ल्यू डब्ल्यू ए की समस्य आय का उपयोग केवल महिलाओं के कल्याण के लिए तथा भारत-तिब्ब्त सीमा पुलिस कार्मिकों के बच्चों के लिए उच्चतर तकनीकी और व्यासवायिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए किया जाता है।

3.67 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की अनन्य रूप से महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

(i) 05 फ्रंटियर, 14 सेक्टर मुख्यालयों, 50 यूनिटों (बटालियन मुख्यालयों), 03 भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र, 13 प्रशिक्षण केन्द्रों तथा संभारतंत्र एवं संचार सेक्टर मुख्यालय की 04 विशेषीकृत बटालियनों में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की सभी कार्यरत महिलाओं के लिए शौचालयों, कुक हाउस-सह-डाइनिंग हॉल से युक्त पृथक महिला बैरक आबंटित किए गए हैं।

(ii) पुस्तकालय तथा कॉन स्टॉफ रूम में महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाओं का व्यवस्था की जा रही है, अर्थात् मुक्ता, सरस सलिल, गुड हाउसकीपिंग, फेमिना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बेटर होम, एली, वीमन एरा।

(iii) पेट संबंधी व्यायाम आदि के लिए महिलाओं को जिम तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

(iv) महिला बैरकों तथा डाइनिंग हॉल में महिलाओं के मनोंरजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी तथा डी वी डी आदि का प्रावधान किया गया है।

(v) निम्नलिखित स्थानों पर सात क्रेच डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं:-

(क) सेक्टर मुख्यालय (देहरादून), डा. सेमाद्वार, जिला देहरादून (उत्तराखंड)।

(ख) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी, डा.-मसूरी, जिला देहरादून (उत्तराखंड)।

(ग) एम एंड एस आई ऑली, डा.-जोशीमठ, जिला चमोली (उत्तराखंड)

(घ) टी पी टी बटालियन, डा.-एयरपोर्ट, चंडीगढ़

(ङ) 11वीं बटालियन, डा.-पीगांग (सिक्किम)

(च) 12वीं बटालियन, डा. माटली, जिला उत्तरकाशी (उत्तराखंड)

(छ) 37वीं बटालियन, डा. चुगलमसार, जिला लेह (लद्दाख)

(vi) महिलाओं को कढ़ाई और सिलाई मशीनें प्रदान की जाती हैं ताकि अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।

3.68 महिलाओं को पृथक विश्राम कक्षों, सचल शौचालयों की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तैनाती के दौरान यूनिट वाहनों में भी पृथक शौचालय महिलाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैन्ट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट दी गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित स्तर पर सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को सुविज्ञ भी बनाया जा रहा है और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। क्षेत्र स्तर के अधिकारी अपनी कमान में महिला कार्मिकों की गतिविधियों तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहन नजर रख रहे हैं। महिला अधिकारियों तथा जवानों के यौन उत्पीड़न के मामलों का समाधान करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

3.69 प्रत्येक पद समूह (ग्रुप) में कार्यरत महिलाओं की संख्या निम्न प्रकार है:-

समूह क	**समूह ख**	**समूह ग**	**कुल**
67	222	802	1091

इस समय भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की 08 महिलाएं कांगो/अफगानिस्तान में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

3.70 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ की योजनाएं तथा वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान उनके लिए किए गए आबंटन निम्न प्रकार हैं:-

(करोड़ रु. में)

योजना का विवरण	**बजट अनुमान 2013-14**	**संशोधित अनुमान 2013-14**	**बजट अनुमान 2014-15**
कोड शीर्ष 50 अन्य प्रभार (योजनेतर) के अंतर्गत क्रेच सुविधाएं	00.10	00.09	00.10

3.71 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने वर्ष 2014-15 के लिए महिलाओं के लाभ वाली योजनाओं के लिए 16.00 लाख रु. का प्रस्ताव किया है जिनमें क्रेच सुविधा, डे केयर सेंटर खोलना आदि तथा अनन्य रूप से महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।

(छ) **<u>एस वी पी एन पी ए, हैदराबाद में अवसंरचना का संवर्धन</u>**

3.72 राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, भारतीय पुलिस सेवा में आने वाले नए अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण तथा आवधिक सेवाकालीन पाठ्यक्रमों के जरिए सेवारत् अधिकारियों के कौशल का स्तरोन्नयन कर रही है जिससे अपनी ड्यूटियों के निर्वहन में उनकी कार्यकुशलता बेहतर हुई है और वे पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में नवीनतम एवं अद्यतन प्रावधानों और प्रौद्योगिकीयों तथा तकनीकी उपकरणों से अवगत हो सकें हैं। पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, पुलिस संबंधी विषयों पर अनुसंधान भी कर रही है। व्यय में मुख्यत: भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों (पुरुष एवं महिला) के वेतन और प्रशिक्षण से जुड़े स्थापना संबंधित अन्य मामले शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अपनी अवसंरचना के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को 58.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

3.73 राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने 66 आर आर की 28 महिलाओं सहित भारतीय पुलिस सेवा के 146 प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों के लिए इस अकादमी में 46 सप्ताह का चरण-I प्रशिक्षण का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों सहित 182 महिला कर्मचारियों ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की विद्यमान योजना का लाभ उठाया है।

3.74 जहां तक महिलाओं के लिए लाभ हेतु बजट प्रावधान का संबंध है, इस उद्देश्य के लिए बजट अनुमान 2013-14 में अनन्य रूप से 9.78 करोड़ रु. रखे गए हैं जिसमें से 3.05 करोड़ रु. का उपयोग प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों सहित महिला कर्मचारियों के वेतन/दैनिक मजदूरी के भुगतान के लिए तथा शेष धनराशि का उपयोग निम्नलिखित लाभों के लिए किया जाएगा:-

- अनन्य रूप से महिलाओं के लिए शारीरिक व्यायाम हेतु जिम्नेशियम और अन्य सुविधाएं।
- आई पी एस मेस में अपने हॉस्टल के कमरों में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्युजिक सिस्टम, टी वी और डी वी डी आदि का प्रावधान।
- आई पी एस मेस में मनोरंजन/कॉमन हॉलों में महिला उन्मुखी पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तकें और जर्नल।
- जिम्नेशियम में महिलाओं द्वारा प्रयोग लाए जाने हेतु विशिष्ट रूप से महिलाओं से संबंधित मदें और एब्डोमिनल एक्सरसाइज़ मशीनों जैसे उपकरणों का प्रावधान।
- महिला कर्मचारियों तथा कर्मचारियों के परिवारों की चिकित्सा जांच के लिए एक विशेष महिला डॉक्टर, जिनकी सहायता के लिए 4 महिला स्टाफ नर्स मौजूद हैं, की नियुक्ति की गई है।

3.75 अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ संबंधी योजनाओं के लिए बजट अनुमान 2014-15 में 14.47 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिसमें से 11.98 करोड़ रु. की धनराशि का उपयोग, अकादमी में कार्यरत/प्रशिक्षणाधीन भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों सहित महिला कर्मचारी के लिए वेतन/मजदूरी के भुगतान पर किया जाएगा।

(ज) **<u>पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण</u>**

3.76 पूर्वोत्तर राज्यों तथा देश के अन्य पुलिस संगठन और केन्द्रीय पुलिस कार्यालयों के पुलिस अधिकारियों के लाभार्थ अकादमी बुनियादी और सेवाकालीन पाठ्यक्रम दोनों आयोजित कर रही है। आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों से लाभ उठाने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं।

3.77 नेपा (एन ई पी ए) के बजट अनुदानों का लाभ अनुपातिक आधार पर अकादमी द्वारा आयोजित किए जा रहे पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं को भी दिया गया है। सरकार ने नेपा में बुनियादी प्रशिक्षण ले रहे प्रति प्रशिक्षणार्थी के लिए 1000 रु. मासिक की दर से मेस सब्सिडी स्वीकृत की है। तदनुसार, बुनियादी प्रशिक्षण ले रही 33 महिला पुलिस प्रशिक्षाणर्थियों को अकादमी के स्वीकृत बजट से 1000 रु. प्रतिमाह की दर से मेस सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है।

3.78 वर्तमान में अकादमी में नियमित आधार पर केवल 10 महिला कर्मचारी तैनात हैं जो कुल स्टाफ नफरी का मात्र 3.84% है। अत: महिलाओं के लाभ के लिए वास्तविक लक्ष्य विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों सहित वार्षिक आधार पर लगभग 15-20% है।

3.79 वर्तमान में पाठ्क्रम प्रतिभागियों सहित 43 महिला कर्मचारी नेपा की मौजूदा योजनाओं अर्थात महिला कैडैट मैस का निर्माण, शॉपिंग कम्पलैकस, स्विीमिंग पूल, अस्पताल इनडोर स्पोर्टस कम्पलैक्स आदि का लाभ उठा रही हैं।

3.80 अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ से संबंधित योजनाओं के लिए बजट अनुमान 2014-15 में 52.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 3.00 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग अकादमी में कार्यरत/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए उनके वेतन/मजदूरी तथा अन्य आवश्यक उन्नयन के भुगतान पर किया जाएगा।

<u>व्यय सूचना प्रणाली :</u>

3.81 व्यय सूचना प्रणाली, महानियंत्रक लेखा के कार्यालय की वेब आधारित इ-गवर्नेंस पहल ई-लेखा के माध्यम से गृह मंत्रालय के विभागीय लेखाकरण संगठन द्वारा प्रयोग की जा रही

है। निर्णय लेने के लिए कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए रिपोर्टों की कवरेज और कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है। व्यय की रिपोर्टिंग लगभग वास्तविक समय आधारित है। असम राइफल्स में, डी डी ओ से पी ए ओ तक और मंत्रालय में प्रधान लेखा कार्यालय तक सूचना के सुचारू ट्रांसमिशन के लिए व्यापक डी डी ओ सॉफ्टवेयर लगाया गया है। अशंदान करने वाले सभी व्यक्तियों को सामान्य भविष्य निधि अंशदान सूचना का एक संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में इ-समर्थ नाम से एक वेब आधारित पहल की गई है। सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के लेखाकरण संगठनों ने भी इ-लेखा प्रणालियों में नियमित रूप से ट्रांजेक्शन विवरण अपलोड करना शुरू कर दिया है जिससे व्यय सूचना प्रणाली का ब्यौरा पूर्ण और अद्यतन बन जाता है। इसके अतिरिक्त, योजनागत निर्मुक्तियों के प्रवाह की निगरानी संबंधी एक वेब आधारित प्रणाली भी गृह मंत्रालय में लागू की गई है जिसमें विभिन्न योजनागत स्कीमों के अंतर्गत की गईं सभी निर्मुक्तियों पर नजर रखी जाती है। बेहतर समन्वय के लिए व्यय लेखा सॉफ्टवेयर तथा सीमा सुरक्षा बल के इंटरनेट प्रहरी के वित्त मॉड्यूल के बीच एक कड़ी भी तैयार की गई है। दिल्ली पुलिस में सेवा प्रदान करने में सुधार करने के लिए दिल्ली पुलिस में एक नया भुगतान एवं लेखा कार्यालय क्रियाशील बनाया गया है।

3.82 ई-लेखा की कवरेज का विधानमंडल रहित चार संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया है। इन संगठनों के लिए गृह मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन द्वारा काम्पैक्ट और ई-लेखा के बारे में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि उनका सुगम एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

3.83 इ-लेखा और सी पी एस एम एस पर तैयार की गई रिपोर्टों का उपयोग बजट के बेहतर प्रतिपादन, निष्पादन और रिपोर्टिंग को सुगम बनाने के लिए किया जाता है।

3.84 ये रिपोर्टें आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन की भी सहायता करती हैं जिसे विभिन्न आश्वासन और परामर्शी कार्यकलापों को निष्पादित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं पर नजर रखने तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर मंत्रालयों के विभिन्न प्रभागों और क्षेत्र कार्यालयों (फील्ड फॉर्मेशन्स) द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक आंतरिक लेखा परीक्षा समिति, जिसमें मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में मुख्य लेखा नियंत्रक शामिल हैं, कार्य कर रही है।

*****

अध्याय-4

पिछले निष्पादन की समीक्षा

I. <u>सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी करना तथा सड़कों का निर्माण</u>

4.1 घुसपैठ, विद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार ने भारत-बंगलादेश तथा भारत-पाकिस्तान सीमाओं के सुभेद्य भागों पर बाड़ लगाने, तेज रोशनी करने तथा सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया है।

प्रभावी सीमा प्रबंधन के संबंध में प्रमुख पहलें

<u>बाड़ लगाना, तेज रोशनी करना तथा सीमावर्ती सड़कें</u>

<u>बाड़ लगाना और सड़कें (चरण-I और चरण-II)</u>

4.2 सीमापार से अवैध आप्रवासन और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारत-बंगलादेश सीमा पर दो चरणों में बाड़ लगाने और सड़कों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना का पहला चरण **<u>1986-2000</u>** की अवधि के दौरान चलाया गया था और यह पूरा हो चुका है। चरण-II के कार्य 2000 में शुरू हुए थे।

4.3 सरकार ने भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को पूरा किए जाने को वरियता और अधिक ध्यान दिया है। **31.03.2014** की स्थिति के अनुसार बाड़ और सड़कों के निर्माण की स्थिति निम्नानुसार है:

<u>बाड़ लगाना</u>

(लंबाई कि. मी. में)

राज्य का नाम	चरण-I		चरण- II	
	स्वीकृत	पूरा किया	स्वीकृत	पूरा किया
पश्चिम बंगाल	507	507	964.00	**729.15**
असम	152.31	149.29	76.72	74.94

मेघालय	198.06	198.06	264.17	**148.60**
त्रिपुरा	-	-	848.00	**782.47**
मिजोरम	-	-	349.33	**233.54**
कुल	**857.37**	**854.35**	**2502.22**	**1968.70**

<u>सीमावर्ती सड़कें</u>

(लंबाई कि.मी. में)

राज्य का नाम	**चरण-I**		**चरण- II**	
	स्वीकृत	**पूरा किया**	**स्वीकृत**	**पूरा किया**
पश्चिम बंगाल	1770	1616.57	0.00	0.00
असम	186.33	176.50	102.42	**82.56**
मेघालय	211.29	211.29	320.00	**169.04**
त्रिपुरा	545.37	480.51	637.00	**512.27**
मिजोरम	153.40	153.06	481.30	**294.67**
कुल	**2866.39**	**2637.93**	**1540.72**	**1059.54**

चरण-II के कार्य वर्ष 2000 में शुरू हुए थे और इन्हें मार्च 2014 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। तथापि, कार्य समय सीमा से आगे चला गया है।

<u>बाड़ लगाना - चरण-III परियोजना (चरण-I के अंतर्गत निर्मित बाड़ को बदला जाना)</u>

4.4 चरण-I के दौरान लगाई गई बाड़ प्रतिकूल मौसम दशाओं के कारण खराब हो गई हैं और उन्हें बदले जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने 861 कि.मी. लंबी चरण-I की बाड़ बदले जाने के लिए एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। यह कार्य मुकदमेबाजी, 150 गज के मुद्दे और अव्यवहार्य क्षेत्रों से संबंधित कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य को चरण-II परियोजना में विलय कर दिया गया है।

(i) **<u>तेज रोशनी करने से संबंधित परियोजना</u>** :

4.5 भारत सरकार ने गहन चौकसी, विशेष रूप से रात्रि में भारत-बांगलादेश सीमा पर तेज रोशनी से संबंधित कार्य शुरू किए हैं। पश्चिम बंगाल में 277 कि.मी. के क्षेत्र में तेज रोशनी

करने से संबंधित एक पायलट परियोजना पूरी कर ली गई है। सरकार ने 1327 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारत-बंगलादेश सीमा पर लगभग 2840 कि.मी. में तेज रोशनी करने से संबंधित एक परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की है। यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन पी सी सी) और इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (आई) लिमिटेड (ई पी आई एल) को सौंपा गया है।

4.6 **31.3.2014** की स्थिति के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में **1763.06** किमी. लंबे क्षेत्र में (पश्चिम बंगाल-**809.00** किमी., मेघालय-**159.20** किमी., त्रिपुरा-**642.26** किमी., असम-**114.40** किमी. तथा मिजोरम-**38.20** किमी.) तेज रोशनी करने का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा **1077.84** किमी. क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है।

4.7 तेज रोशनी करने संबंधी निर्माण कार्यों को 31.03.2015 तक पूरा किया जाना है।

(ii) <u>भारत-पाकिस्तान सीमा</u>:

4.8 भारत की पाकिस्तान के साथ 3323 कि.मी. की भू-सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के साथ लगी हुई है। भारत-पाकिस्तान सीमा में विविध भू-भाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने तथा शस्त्र, गोलाबारूद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, नियंत्रण रेखा, सीमा का सबसे ज्यादा सक्रिय हिस्सा है।

4.9 नदीय क्षेत्रों में कुछेक अंतरालों को छोड़कर संपूर्ण पंजाब सेक्टर में 462.45 कि.मी. और 460.72 कि.मी. के कुल क्षेत्र में क्रमश: बाड़ लगाई गई है तथा तेज रोशनी की व्यवस्था की गई है। राजस्थान क्षेत्र में भी, कतिपय परिवर्तनशील बालू के टीलों को छोड़कर 1,048.27 कि. मी. और 1,022.80 कि.मी. के क्षेत्र में क्रमश: बाड़ निर्माण का कार्य तथा तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया है। जम्मू सेक्टर में 186 कि.मी. क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। 176.40 कि.मी. में तेज रोशनी का कार्य भी पूरा कर लिया गया है और बाड़ का कार्य पुन: व्यवस्थित करने के बाद 9.60 कि.मी. में यह कार्य शुरू किया जाएगा।

4.10 सरकार ने भारत-पाक सीमा से लगे गुजरात क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के लिए बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने और सीमावर्ती/सम्पर्क सड़कों और सीमा चौकियों का

निर्माण करने के लिए व्यापक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस क्षेत्र में स्वीकृत 340 कि.मी. की लंबाई में से 261.28 कि.मी. में बाड़ लगाने, 293.03 कि.मी. में तेज रोशनी की व्यवस्था करने और 261.28 कि.मी. में सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करने का कार्य पूरा हो चुका है। 70 स्वीकृत सीमा चौकियों में से 54 सीमा चौकियां स्थापित की जा चुकी हैं।

4.11 अनापेक्षित परिस्थितियों और 2001 के विनाशकारी भूकंप सहित प्राकृतिक आपदाओं, 2003 एवं 2006 में अभूतपूर्व वर्षा और इसके परिणामस्वरूप बाढ़ के कारण परियोजना पूरी करने में अधिक समय लगा। मूल्य वृद्धि, कार्य में वृद्धि, सड़कों और बिजली के कार्यों इत्यादि के लिए विनिर्देशन के उन्नयन के कारण परियोजना की लागत में भी काफी वृद्धि हुई है।

4.12 सरकार ने बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने संबंधी परियोजना को पूरा करने के लिए समय-विस्तार तथा 380.00 करोड़ रु. की मूल स्वीकृति की तुलना में 1,201.00 करोड़ रु. की राशि की बढ़ी लागत को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस परियोजना को मार्च, 2012 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य था । तथापि, कार्य पूरे नहीं हो सके हैं।

4.13 **31 मार्च, 2014** की स्थिति के अनुसार, भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था की प्रगति की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

<u>बाड़ लगाना</u>

(लम्बाई कि. मी. में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लंबाई	उस सीमा की कुल लंबाई जिस पर बाड़ लगाई जानी है	सीमा की कुल लंबाई जिस पर अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है	बाड़ लगाए जाने के लिए प्रस्तावित सीमा की शेष लंबाई
पंजाब	553	461	462.45*	---
राजस्थान	1,037	1,056.63	1048.27*	---
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210	186	186	---
गुजरात	508	340	261.78	79.22
कुल	**2308**	**2043.63**	**1958.50**	**79.22**

* **लम्बाई में भिन्नता स्थलाकृति कारणों/बाड़ के संरेखण के कारण है।**

<u>**तेज रोशनी की व्यवस्था**</u>

(लंबाई कि.मी. में)

राज्य का नाम	**सीमा की कुल लंबाई**	**उस सीमा की कुल लंबाई जिस पर तेज रोशनी करनी है**	**सीमा की कुल लंबाई जिस पर अब तक तेज रोशनी की जा चुकी है**	**तेज रोशनी किए जाने के लिए प्रस्तावित सीमा की शेष लंबाई**
पंजाब	553	460.72	460.72	---
राजस्थान	1,037	1,022.80	1022.80	---
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210	186	176.40	9.60
गुजरात	508	34	288.00*	52.00
कुल	**2308**	**2009.52**	**1947.92**	**61.60**

*इसमें **116.00** कि.मी. में तेज रोशनी की व्यवस्था करना शामिल है जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे ओ एच लाइनों/केबलों के साथ पुन: बहाल किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) <u>भारत-म्यांमार सीमा</u> :

4.14 भारत की 1643 किमी. लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है। असम रायफल्स भारत म्यांमार सीमा की चौकसी कर रहा है।

(iv) <u>मोरेह (मणिपुर) में सीमा चौकी संख्या 79 और 81 के बीच सीमावर्ती बाड़ लगाना</u>

<u>**भारत-म्यांमार सीमा**</u>

4.15 भारत और म्यांमार की 1643 किमी. बिना बाड़ लगी सीमा है जो पूर्वोत्तर राज्यों, अरुणाचल प्रदेश (520 किमी.), नागालैंड (215 किमी.), मणिपुर (398 किमी.) और मिजोरम (510 किमी.) से लगी हुई है तथा सीमा पर 16 किमी. तक मुक्त आवागमन प्रणाली है। इससे यह अंतरराष्ट्रीय सीमा बहुत ही सुभेद्य है। यह सीमा पर्वतीय और दुर्गम भू-भाग से होकर गुजरती है जिसमें बुनियादी सुविधाओं की नितांत कमी है और इससे विभिन्न भारतीय विद्रोही गुटों को पर्याप्त आड़ मिलती है।

4.16 भारत-म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्र में बढ़ी हुई उग्रवादी गतिविधियों की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा (लगभग 10 किमी.) पर सीमा चौकी सं.

79 से 81 तक के बीच के क्षेत्र में बाड़ लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने बाड़ लगाने के लिए 30.96 करोड़ रु. का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। उच्चतम न्यायालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। भूमि के अधिग्रहण के लिए मणिपुर सरकार को 503.68 रु. के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। बाड़ लगाए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र में जीरो लाइन सर्वे अर्थात् रिकनेंसेंस सर्वे एंड ट्रेस कट (आर एस टी सी) पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2012-13 में 4.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई। सीमा सड़क संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 4 किमी. भाग में बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण इस वित्त वर्ष में कोई निधि जारी नहीं की गई है। अत: संशोधित अनुमान 2013-14 इसे कम करके 5.00 करोड़ रु. कर दिया गया। मणिपुर सरकार के विरोध के कारण बाड़ लगाने का कार्य रोक दिया गया है क्योंकि यह भारतीय सीमा के काफी अंदर तक किया गया था। राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यह कार्य पुन: शुरू किया जाएगा।

(v) भारत-नेपाल, भारत-भूटान तथा भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर प्रचालनात्मक एवं सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण

4.17 भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमाएं राष्ट्र विरोधी, विद्रोही एवं असामाजिक तत्वों के प्रति सुभेद्य हैं। अपर्याप्त सड़क अवसंरचना के कारण इन सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा सड़क बल (बी जी एफ) इन सीमाओं पर सीमित रूप में गतिशील होते हैं और इन सीमा चौकियों तक उनका सम्पर्क भी सीमित होता है। अत: इन सीमाओं पर सड़क अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता है। अत: भारत सरकार, सशस्त्र सीमा बल तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम सरकारों के मध्य गहन विचार विमर्श के उपरान्त इन दो सीमाओं पर सड़क निर्माण के लिए इन सभी राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

4.18 सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर उत्तराखंड (173 कि.मी.), उत्तर प्रदेश (640 कि.मी.) तथा बिहार (564 कि.मी.) में कुल 1377 कि.मी में और असम राज्य में भारत-भूटान सीमा पर 313 कि.मी. में सामरिक महत्व की सीमा सड़कों के निर्माण/स्तरोन्नयन को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

II. <u>भारत-बंगलादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर अतिरिक्त सीमा चौकियों (बी ओ पी) का निर्माण:</u>

4.19 भारत-बंगलादेश सीमा पर पहले ही 802 बी ओ पी और भारत-पाकिस्तान सीमा पर 609 बी ओ पी पहले ही मौजूद हैं ताकि इन सीमाओं का प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए अंतर-बी ओ पी के बीच की दूरी कम करने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 16 फरवरी, 2009 को 1,832.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 509 अतिरिक्त बी ओ पी (भारत-बंगलादेश सीमा पर 383 और भारत-पाकिस्तान सीमा पर 126) का निर्माण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इन अतिरिक्त बी ओ पी का निर्माण किए जाने से भारत-बंगलादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात बी एस एफ की टुकड़ियों को आवास, संभार सहायता और रोकथाम करने संबंधी कार्यों के लिए सभी आवश्यक आधारभूत अवसंरचनाएं मिलेंगी। इस परियोजना को वर्ष 2013-14 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य बनाया गया है।

4.20 के लो नि वि, एन पी सी सी तथा ई पी आई एल को कार्य सौंपा गया है। **93** सीमा चौकियों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा **123** अन्य सीमा चौकियों में यह प्रगति पर है।

4.21 इसके अतिरिक्त, भारत-पाक सीमा के गुजरात सैक्टर के लिए संयुक्त योजना (कम्पोजिट स्कीम) के अंतर्गत 70 और सीमा चौकियां स्वीकृत की गईं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा एन बी सी सी को क्रमश: 46 और 24 सीमा चौकियों का निर्माण कार्य सौंपा गया है। **54** सीमा चौकियों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। 3 अन्य सीमा चौकियों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 13 सीमा चौकियों के लिए भूमि में जल भरा हुआ है।

III. <u>तटीय सुरक्षा:</u>

<u>भारत की तटरेखा</u>:

4.22 मुख्य भूमि और द्वीपों से लगी भारत की तट रेखा 7516.6 कि.मी. लंबी है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर है। तट पर नौ राज्य अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा अंडमान

एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**लंबाई (कि.मी. में)**
1.	गुजरात	1214.70
2.	महाराष्ट्र	652.60
3.	गोवा	101.00
4.	कर्नाटक	208.00
5.	केरल	569.70
6.	तमिलनाडु	906.90
7.	आंध्र प्रदेश	973.70
8.	ओडिशा	476.70
9.	पश्चिम बंगाल	157.50
10.	दमण एवं दीव	42.50
11.	लक्षद्वीप	132.00
12.	पुडुचेरी	47.60
13.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1962.00
	कुल	**7516.60**

समुद्री तथा तटीय सुरक्षा ढांचा

4.23 तटीय पुलिस का क्षेत्राधिकार समुद्र (प्रादेशिक समुद्र) में 12 नॉटीकल माइल्स तक फैला हुआ है और तट रक्षक का क्षेत्राधिकार बेसलाइन से अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई ई जेड) की सीमाओं तक, अर्थात् समुद्र में 0 से 200 नॉटीकल माइल्स तक है। 200 नॉटीकल माइल्स से आगे का क्षेत्र भारतीय नौसेना के अधिकार क्षेत्र में आता है।

4.24 हमारे तट की त्रि-स्तरीय तटीय सुरक्षा रिंग की व्यवस्था समुद्री पुलिस, भारतीय तट रक्षक और भारतीय नौ सेना द्वारा की जाती है।

4.25 भारतीय नौ सेना को समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में अभिहित किया गया है, जिसमें तटीय सुरक्षा तथा अपतटीय सुरक्षा शामिल है।

4.26 तट रक्षा को, तट रक्षा अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारत के सभी समुद्री जोनों में भारत के हितों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय तट रक्षक को तटीय पुलिए द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित प्रादेशिक समुद्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में भी अभिहित किया गया है।

4.27 महानिदेशक, तट रक्षक को कमांडर, तटीय कमान के रूप में अभिहित किया गया है तथा उसे तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केन्द्र और राज्य की एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

4.28 सरकार ने, तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, बेहतर चौकसी तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा और अधिक गश्त शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों सहित विभिन्न एजेंसियों को शामिल करके विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा सतत समीक्षा और निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है।

4.29 तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में सरकार द्वारा उठाए जा रहे अन्य कदमों में मछुआरों सहित तटीय जनसंख्या को बायोमेट्रिक पहचान पत्र जारी करना और भारतीय समुद्र में चलने वाली सभी प्रकार की नौकाओं/जलयानों का पंजीकरण शामिल है।

4.30 एकीकृत तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत, तटरक्षक स्टेशन हबों के रूप में तथा तटीय पुलिए स्टेशन स्पोक्स के रूप में कार्य करते हैं। तट रक्षक को तट पर कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बनाने तथा आसूचना के आदान-प्रदान के लिए संस्थागत प्रबंध करने हेतु तट के लिए प्रमुख (लीड) आसूचना एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

IV. <u>तटीय सुरक्षा योजना</u>

4.31 तटीय सुरक्षा योजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से तट के निकट के उथले क्षेत्रों की गश्त और चौकसी के लिए समुद्री पुलिए बल की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है। इस योजना में तट रक्षक और नौ सेना सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत प्रबंध करना भी शामिल है।

4.32 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई संदर्श योजनाओं के आधार पर तैयार की गई तटीय सुरक्षा योजना (चरणI) 646.00 करोड़ रु. के परिव्यय से वर्ष 2005-06 से 2010-11 तक कार्यान्वित की गई। इस योजना के अंतर्गत तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 73 तटीय पुलिस स्टेशन, 97 जांच चौकियां, 58 आउटपोस्ट, 30 बैरक, 204 अवरोधक नौकाएं, 153 जीप और 312 मोटर साइकल मुहैया कराई गई। इस योजना का कार्यान्वयन 31 मार्च, 2011 को पूरा कर लिया गया है।

4.33 तटीय सुरक्षा योजना (चरण II), 26/11 को मुंबई की घटनाओं के बाद के तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य तथा उसके बाद तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सुभेद्यता/कमी विश्लेषण, जिसमें तटीय सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की अतिरिक्त आवश्यकताओं को दर्शाया गया, के संदर्भ में **तैयार** की गई है। इस समय तटीय सुरक्षा योजना का चरण-II 1580.00 करोड़ रु. के परिव्यय से 1 अप्रैल, 2011 से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे चरण के अंतर्गत तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 131 मेराइन पुलिस स्टेशन, 60 घाट (जेटी), 10 मेराइन ऑपरेशन सेंटर, 150 नौकाएं (12 टन), 10 नौकाएं (5 टन), 20 (19 मीटर) नौकाएं, 35 आर आई बी (रिजिड इनफ्लेटेबल नौकाएं), 10 बड़े जलयान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह), 131 चार पहिए वाले वाहन और 242 मोटर साइकल मुहैया कराए गए हैं। तटीय राज्य/संघ राज्य वार घटक नीचे दिए गए हैं:

<u>तटीय सुरक्षा योजना (चरण II) राज्य-वार भौतिक घटक</u>

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तटीय पुलिए स्टेशन	नौकाएं/जलयान		घाटों की सं.	चार पहिए वाले वाहन	मोटर साइकिल	टिप्पणी
			12 टन	अन्य				
1	गुजरात	12	21	10 (5 टन)	5	12	24	
2	महाराष्ट्र	7	14		3	7	14	
3	गोवा	4	4		2	4	8	
4	कर्नाटक	4	12		2	4	8	
5	केरल	10	20		4	10	20	
6	तमिलनाडु	30	--	20 (19 मी.)	12	30	60	
7	आंध्र प्रदेश	15	30		7	15	30	
8	ओडिशा	13	26		5	13	26	
9	पश्चिम बंगाल	8	7		4	8	16	
10	दमण एवं द्वीप	2	4		2	2	4	

11	लक्षद्वीप	3	6	12 *	2	3	6	
12	पांडिचेरी	3	6		2	3	6	
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20		10 एल वी 23*	10	20	20	10** एम पी ओ सी
	कुल	**131**	**150**	**75**	**60**	**131**	**242**	

* एल वी-बड़े जलयान*आर आई बी-रिजिड इनफ्टेटेबल वोट्स **मेराइन पुलिस ऑपरेशन सेंटर

4.34 चौकसी उपकरणों, कम्प्यूटर सिस्टम तथा फर्नीचर के लिए 15.00 लाख रु. की एकमुश्त सहायता भी प्रदान की जाती है।

4.35 तटीय सुरक्षा योजना (चरण I और चरण II) के अंतर्गत मानवशक्ति संबंधित तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मुहैया कराई जानी होती है। भारत सरकार प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करती है।

<u>नौकाओं का प्राप्ण</u>:

4.36 तटीय सुरक्षा योजना (चरण II) की नौकाओं, जलयानों और रिजिड इंनफ्टेड नौकाओं (आर आई बी) का प्रापण गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय तौर पर किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कुल 180 नौकाओं में से 150 (12 टन) नौकाओं के विनिर्देशनों को अंतिम रूप दिया गया है तथा प्रापण के लिए निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के लए अन्य श्रेणी की नौकाओं के लिए भी विनिर्देशनों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है तथा इनके प्रापण की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है।

<u>पी ओ एल प्रभारों की प्रतिपूर्ति</u>:

4.37 तटीय सुरक्षा योजना (चरण-I) के अंतर्गत आपूर्ति की गई नौकाओं के लिए पी ओ एल संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति 12 टन की नौका के लिए 5.00 लाख रु. प्रतिमाह तथा 5 टन की नौका के लिए 4 लाख रु. प्रतिमाह के आवर्ती व्यय से की गई है।

<u>राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन पी आर)/मछुआरों के पहचान पत्र</u>

4.38 दो प्रकार के पहचान पत्र हैं अर्थात् तटीय क्षेत्र की जनसंख्या के लिए भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए एन पी आर आई डी कार्ड तथा पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य विभाग, भारत सरकार द्वारा मछुआरों को जारी किए गए मछुआरा पहचान पत्र। भारत के महारजिस्ट्रार ने 12 वर्ष और उससे अधिक की उम्र के 67,50,719 व्यक्तियों के बायोमेट्रिक विवरण के लिए हैं तथा 65,72,523 एन पी आर आई डी कार्ड वितरित कर दिए हैं। पशु पालन एवं डेयरी तथा मत्स्य विभाग ने 11,21,814 मछुआरा पहचान पत्र तैयार करके वितरित कर दिए हैं।

(i) <u>समुद्र से होने वाले खतरों से निपटने के लिए समुद्री और तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति</u>

4.39 देश की तटीय सुरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगस्त 2009 में मंत्रिमंडल द्वारा मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में 'समुद्र से होने वाले खतरों से निपटने के लिए समुद्री और तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। समिति की पिछली बैठक 6 सितम्बर, 2013 को हुई। इस बैठक में किए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए गहन अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(ii) <u>स्टीयरिंग कमेटी की बैठक</u>:

4.40 सचिव (बी एम) की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में तटीय सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी गठित की गई है जिसने अपनी पहली बैठक 26.9.2013 को की। इस बैठक में तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और तटीय सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में फीडबैक मुहैया कराते हैं। तटीय सुरक्षा की समीक्षा के लिए स्टीयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक 7.03.2014 को हुई। इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर बहुत सक्रियता से कार्रवाई की जा रही है।

<u>समुद्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना (एम पी टी आई):</u>

4.41 दो समुद्र पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट पर एक-एक की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

IV. <u>भारत-चीन सीमा पर परिचालनात्मक महत्व की संपर्क सड़कों का निर्माण</u> :

4.42 खराब सड़क संपर्क, जिसके कारण भारत-चीन सीमा पर तैनात सीमा चौकसी बलों की परिचालन क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है, के कारण पैदा हुई स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने 1,937.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भारत-चीन सीमा के साथ के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 804 कि.मी. के 27 सड़क संपर्कों का चरण-वार निर्माण करने का निर्णय लिया है।

<u>विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना:</u>

4.43 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की 27 सड़कों के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) (15 सड़कें), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) (8 सड़कें), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन पी सी सी) (2 सड़कें) और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एच पी पी डब्ल्यू डी) (2 सड़कें) को सौंपा गया है।

<u>आई टी बी पी सड़कों के निर्माण की स्थिति</u>

निर्माण कार्य चल रहा है	24
सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है	3

V. **<u>एकीकृत जांच चौकियों का विकास:</u>**

4.44 भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण उत्तम सीमा प्रबंधन अनिवार्य है और अत: ऐसी प्रणालियां स्थापित करना आवश्यक है जिनसे इन चिंताओं का निराकरण हो और साथ ही व्यापार और वाणिज्य में भी सुगमता हो सके। देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अनेक निर्धारित प्रवेश और प्रस्थान स्थल है जिनसे होकर व्यक्तियों, सामानों और यातायात का सीमा पार से आवागमन होता है। इन स्थानों पर विभिन्न शासकीय कार्यों का निर्वहन करने के लिए मौजूद

अवसंरचना न तो पर्याप्त अथवा एकीकृत है और न ही समन्वित। कोई एक अकेली एजेंसी इन स्थानों पर विभिन्न सरकारी कार्यों तथा सेवाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार नहीं है। इन कार्यों में सुरक्षा, आप्रवासन, सीमा शुल्क, मानवीय, पौधा एवं पशु संगरोध आदि कार्य तथा सरकारी कर्मचारियों तथा आप्रवासियों दोनों के लिए वेयर हाउसिंग, पार्किंग आदि जैसे सहायक सुविधाओं का प्रावधान शामिल है।

4.45 हमारी भू-सीमाओं पर इन स्थानों पर सीमा शुल्क, आप्रवासन और अन्य विनियामक एजेंसियों के पास मौजूद अवसंरचना सामान्यत: अपर्याप्त है। वेयरहाउसिंग, पार्किंग लॉट्स, बैंक, होटल आदि जैसी सहायक सुविधाएं भी या तो अपर्याप्त हैं अथवा हैं ही नहीं। सभी नियामक और सहायक कार्य सामान्यत: अपर्याप्त हैं और सामान्यत: एक परिसर में उपलब्ध नहीं हैं। जब ये आस-पास भी स्थित हों तो भी विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों/सेवा प्रदाताओं के समन्वित कार्यकरण के लिए कोई एक अकेली एजेंसी जिम्मेदार नहीं है।

4.46 इस स्थिति का निराकरण करने की आवश्यकता को सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा स्वीकार किया गया है। एक उपाय, जिस पर सहमति हुई, वह हमारी भू-सीमाओं पर प्रमुख प्रवेश स्थलों पर एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना करना है। इन एकीकृत जांच चौकियों में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक ही परिसर में पार्किंग, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, होटल आदि जैसी सहायक सुविधाओं से युक्त आप्रवासन, सीमा शुल्क, सीमा सुरक्षा आदि जैसी सभी नियामक एजेंसियां एक साथ स्थित होंगी।

4.47 तदनुसार, 635.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजनागत स्कीम के रूप में भारत-पाकिस्तान, भारत-नेपाल, भारत-बंगलादेश, और भारत-म्यांमार सीमाओं पर 13 स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना करने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। इन 13 एकीकृत जांच चौकियों की स्थिति निम्न प्रकार है:

- अटारी में एकीकृत जांच चौकी का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इसे 13 अप्रैल, 2012 से क्रियाशील बना दिया गया है।
- अगरतला में एकीकृत जांच चौकी का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 17.11.2013 को इसका गृह मंत्री ने उद्घाटन किया।

- अन्य एकीकृत जांच चौकियां, अर्थात् पेट्रापोल, रक्सौल, जोगबनी और मोरेह निर्माण की विभिन्न अवस्था में हैं।
- डावकी में एकीकृत जांच चौकी के संबंध में निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहीत की जा रही है।
- चरण ।। में शुरू की जाने वाली छः एकीकृत जांच चौकियों के मामले में उत्तर प्रदेश में रुपाईडीहा एकीकृत जांच चौकी के मामले में भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। सुनौली एकीकृत जांच चौकी के लिए भूमि अधिग्रहीत की जा रही है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में हिली और चन्द्रबंधा, मिजोरम में क्वारपुचिया तथा असम में सुतारखंडी में भूमि के चयन की प्रकिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

<u>एकीकृत जांच चौकियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं</u>

4.48 एकीकृत जांच चौकियों द्वारा एकीकृत परिसर में व्यक्तियों, वाहनों और सामान के सीमा पार से सुगम आवागमन को समर्थ बनाने के उद्देश्य से शासकीय और गैर-शासकीय कार्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित सभी सुविधाएं मुहैया कराने की परिकल्पना की गई है। इनसे आप्रवासन, सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध आदि की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। इसके लिए एकीकृत जांच चौकियों द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाएं निम्न प्रकार हैं:

यात्री टर्मीनल भवन	मुद्रा का विनिमय
इंटरनेट सुविधा	कार्गो प्रोसेस बिल्डिंग
कार्गो निरीक्षण शैड	वेयर हाउस/कोल्ड स्टोरेज
संगरोध प्रयोगशाला	क्लीयरिंग एजेंट्स
बैंक	स्केनर
डी एफ एम डी/एच एच एम डी	सी सी टी वी/पी ए सिस्टम
इसोलेशन बे	पार्किंग
केफेटेरिया	अन्य जन सुविधाएं

<u>भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण</u>

4.49 भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण की स्थापना भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत 1 मार्च, 2012 को की गई है। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है जिसमें विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, राजस्व विभाग तथा अन्य स्टेकहोल्डरों का प्रतिनिधित्व होगा। यह इस कार्य में राज्य सरकारों तथा सीमा रक्षक बलों के साथ भी समन्वय करेगा।

VI. <u>सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम</u> :

4.50 सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, अन्तरराष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूरवर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा केन्द्रीय/राज्य/बी ए डी पी/स्थानीय योजनाओं की समाभिरुपता तथा भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को अधिकतम रूप से जुटाने और सीमावर्ती लोगों में सुरक्षा और कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीमा प्रबंधन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में, राज्य सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ लगे 17 राज्यों के **103** सीमावर्ती जिलों के **375** सीमावर्ती ब्लॉक आते हैं। यह कार्यक्रम 100% केन्द्रीय आधार पर प्रायोजित योजना है। आधारभूत संरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए व्यपगत न होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) के रूप में राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

<u>सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) के दिशानिर्देश</u> :

4.51 बी ए डी पी का कार्यान्वयन, योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के तहत किया जा रहा है। योजना आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं, जिन्हें (i) अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई (कि.मी.); (ii) सीमावर्ती ब्लॉक की जनसंख्या और (iii) सीमावर्ती ब्लॉक के क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती राज्यों को पुन: आबंटित किया जाता है। उन राज्यों को कुल आबंटन का लगभग 15% अतिरिक्त अधिमान

(वेटेज) दिया जाएगा जिनके पास पहाड़ी/रेगिस्तानी/कच्छ क्षेत्र हैं। ये निधियां, सामान्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त हैं और इन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के सामने आ रही विशेष समस्याओं को दूर करने के लिए आबंटित किया जाता है। राज्यों को दो किस्तों में निधियां जारी की जाती हैं। पहली किस्त राज्य के कुल आबंटन का 90% होती है और दूसरी किस्त बाकी 10% होती है।

4.52 इस कार्यक्रम की योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा इनका निष्पादन किया जाता है। सीमा रक्षक बल भी सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं का सुझाव दे सकते हैं किंतु इस प्रकार की योजनाओं पर व्यय वर्ष विशेष में कुल आबंटन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सीमा क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, कौशल विकास और रोजगार सृजन इस कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की वार्षिक योजना में अपने आबंटन की राशि की कम से कम 5 प्रतिशत राशि से इस प्रकार की योजनाओं को शामिल करें। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का प्रयोग केवल निर्धारित सीमा ब्लॉकों की योजनाओं के लिए किया जाना होता है।

4.53 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का और अधिक गुणात्मक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और सीमा के निकट स्थित गांवों में योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों में सीमा से '0 से 10 किमी.' के दायरे में आने वाले गांवों में विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक तथा अवसंरचना संबंधी विकास पर जोर दिया गया है। गांवों को जीरो लाइन से 10 किमी. तक एक क्रम में रखा गया है। प्रत्येक गांव के विकास की प्रोफाइल तैयार की जा रही है। पक्की सड़क संपर्क, विद्युत, स्वच्छ पेयजल, टेलीफोन सुविधा, प्राथमिक विद्यालय भवन, पी डी एस शॉप तथा सामुदायिक केन्द्र जैसी सभी प्रमुख विकास संबंधी बुनियादी सुविधाएं एक योजनाबद्ध तरीके से विकसित की जा रही हैं। ब्लॉक योजना तथा प्रत्येक गांव की ग्राम योजना तैयार की जा रही हैं। सीमा से जीरो से लेकर 10 किमी. तक के बीच आने वाले गांवों के पूर्ण विकास के बाद, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 10-15 किमी. से 15-20 किमी. तक के बीच आने वाले गांवों के अगले सेट को लिया जाएगा। राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है कि तदर्थ योजनाएं बिल्कुल भी शुरू नहीं की

जानी चाहिए। दूरवर्ती गांवों के उचित और स्थाई विकास के लिए गांव योजनाओं को जिला योजना के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। अत: आशा की जाती है कि परियोजनाओं का चयन और अधिक संगठित तथा सीमावर्ती लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

4.54 12वीं योजना में, अन्य चल रही योजनाओं की डॅव-टेलिंग तथा बॉटम-अप क्षेत्र योजना वाला दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है ताकि अवसंरचना और सामाजिक-आर्थिक सेवाओं का उन्नयन करने के लिए संसाधनों में वृद्धि की जा सके। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की समीक्षा और निगरानी जिला और राज्य स्तरों पर तथा गृह मंत्रालय में की जा रही है। राज्यों और भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा आवधिक दौरे किए जा रहे हैं।

<u>अधिकार प्राप्त समिति</u>:

4.55 कार्यक्रम के क्षेत्र संबंधी नीतिगत मामले, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं के वे क्षेत्र जिनमें योजनाओं को शुरू किया जाना है, राज्यों को निधियों का आबंटन और कार्यक्रम के उचित निष्पादन की कार्यविधि सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

<u>निधियों का प्रवाह</u> :

4.56 वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 100322.00 लाख रु. तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 99000.00 लाख रु. का आबंटन किया गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान बी ए डी पी के लिए 99000.00 लाख रु. का आबंटन किया गया जो पिछले वर्ष के आबंटन के समान है। वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान बी ए डी पी के तहत राज्यों को आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		कम/अधिक राशि जारी किए जाने के कारण
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	
अरुणाचल प्रदेश	15433.00	15433.00	12451.35	12451.35	9277.00	6594.05	**वर्ष 2011-12 के उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया जाना**

असम	1980.01	1980.01	1032.74	1032.74	3480.00	--	वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया जाना
बिहार	5577.00	5577.00	6664.00	6664.00	6084.00	6084.00	--
गुजरात	3616.82	3616.82	4505.00	4505.00	4505.00	4505.00	---
हिमाचल प्रदेश	2000.00	2000.00	2320.00	2320.00	2100.00	2100.00	--
जम्मू एवं कश्मीर	12462.40	12462.40	13394.00	13394.00	12800.00	15800.00	अतिरिक्त राशि बचतों में से जारी की गई
मणिपुर	2000.00	2000.00	1929.48	1929.48	2200.00	2200.00	--
मेघालय	3140.00	3140.00	2989.25	2989.25	2100.00	2897.00	अतिरिक्त राशि बचतों में से जारी की गई
मिजोरम	3839.73	3839.73	4017.00	4017.00	4017.00	5446.94	अतिरिक्त राशि बचत में से तथा कंटीले तारों की बाड़ लगाने के कारण विस्थगित गांवों के पुनर्वास की राशि के लिए रिजर्व रखी गई राशि में जारी की गई
नागालैंड	2015.00	2015.00	2000.00	2000.00	2000.00	3000.00	अतिरिक्त राशि बचतों में से जारी की गई
पंजाब	3292.00	3292.00	4069.88	4069.88	3526.00	3217.76	वर्ष 2011-12 की पूरी कार्य योजना तथा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया जाना
राजस्थान	11509.00	11509.00	13973.00	13973.00	13773.00	13773.00	--
सिक्किम	2085.00	2085.00	2000.00	2000.00	2000.00	2400.00	अतिरिक्त राशि बचतों में से जारी की गई

त्रिपुरा	9635.00	9635.00	4825.00	4825.00	4825.00	4825.00	--
उत्तर प्रदेश	4876.00	4876.00	4982.00	4982.00	4982.00	5293.59	अतिरिक्त राशि बचतों में से जारी की गई
उत्तराखंड	3298.00	3298.00	3365.00	3365.00	3565.00	4651.16	अतिरिक्त राशि आपदा प्रभावित योजनाओं के लिए आरक्षित रखी गई राशि में से जारी की गई
पश्चिम बंगाल	13563.04	13563.04	14482.30	14482.30	15835.00	16212.50	अतिरिक्त राशि बचतों में से जारी की गई
कुल	100322.00	100322.00	99000.00	99000.00	97069.00	99000.00	
आपात आदि स्थितियों के लिए आरक्षित किया गया					1931.00		
कुल योग					**99000.00**		

4.57 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में प्रबंधन सूचना प्रणाली से संबंधित साफ्टवेयर विकसित कर लिया गया है और यह मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। वित्तीय राशि जारी किए जाने, मानीटरिंग तथा ई-फाइलिंग सहित सभी गतिविधियां एम आई एस के माध्यम से की जाएंगी। इससे ई-ऑफिस का कार्यान्वयन होगा और राज्यों के साथ त्वरित संपर्क होगा।

<u>सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति की योजना :</u>

<u>पूर्वोत्तर राज्य</u> :

4.58 गृह मंत्रालय, विद्रोह/उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना कार्यान्वित करता रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्रभावी विद्रोह-रोधी कार्रवाई करने तथा आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने के पात्र राज्य सरकारों की सहायता करना है। यह योजना असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम में प्रतिपूर्ति के लिए पात्र मदों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं – (क) आतंकवादी हिंसा में मारे गए राज्य पुलिस बल कार्मिकों और नागरिकों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करना (ख) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को संभार तंत्र सहायता प्रदान करना, (ग) आतंकवादी संगठनों, जिनके साथ केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार

ने अभियानों को स्थगित करने का करार किया है, के नामित शिविरों का रख-रखाव, (घ) अनुमोदित योजना के अनुसार आतंकवादियों का आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास (ङ) विद्रोह-रोधी कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस कार्मिकों का विशेष प्रशिक्षण, (च) इंडिया रिजर्व बटालियनों आदि का गठन। वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान इस योजना के अंतर्गत छह पूर्वोत्तर राज्यों को क्रमश: 261.00 करोड़ रु. एवं 290.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

<u>पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम</u> :

4.59 पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह का मुकाबला करने हेतु स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए और आम जनता के अभिरक्षक के रूप में अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए, सेना और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल सिविल एक्शन कार्यक्रम चलाते रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न कल्याण/विकास संबंधी गतिविधियां जैसे चिकित्सा शिविर, सफाई अभियान, खेल प्रतियोगिताएं, बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण, स्कूली इमारतों, सड़कों, पुलों आदि की छिटपुट मरम्मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदि चलाई जाती हैं। सिविक एक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय पुलिस बलों द्वारा की गईं अन्य पहलों में चिकित्सा शिविर चलाना, औषधियों, चिकित्सीय उपकरणों, अस्पतालों में साफ-सफाई का प्रावधान करना, कलपुर्जों सहित कम्प्यूटर का प्रावधान करना, खेलकूद का सामान, सिलाई मशीन, सीटीवी, डीवीडी तथा गांवों में जैनरेटर सैटों का वितरण शामिल है। इस कार्यक्रम में ज़ोर दिए जाने वाले क्षेत्र पर पुनर्विचार किया गया है और अब इसे युवा-अभिमुखी बना दिया गया है। चालू वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान 9.50 करोड़ रु. के बजट प्रावधान में से इस योजना के अंतर्गत छ: पूर्वोत्तर राज्यों को 8.48 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

<u>असम में विदेशियों विषयक अधिकरणों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति</u>

4.60 विदेशी अधिनियम, 1946 के उपबंधों के अंतर्गत असम राज्य में छत्तीस विदेशी अधिकरण (एफटी) संस्थापित किए गए हैं जो उन मामलों पर निर्णय देते हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह राय लेने के लिए अधिकरण को भेजे जाते हैं कि अमुक व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं। विदेशी विषयक अधिकरणों में लंबित मामलों का त्वरित निपटान करने के उद्देश्य से 64 अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना करने संबंधी असम सरकार के प्रस्ताव को जून 2013 में अनुमोदित कर दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा इन अतिरिक्त 64 अधिकरणों की

स्थापना से संबंधित कार्रवाई की जा रही है। असम सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विदेशी विषयक अधिकरणों ने 1986 से जुलाई 2013 की अवधि के दौरान 1,92,825 मामलों का निपटान किया। वर्ष 2007-08 और 2008-09 एवं 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में विदेशियों विषयक अधिकरणों पर हुए व्यय को वहन करने के लिए असम सरकार को क्रमश: 6.13 करोड़ रु. और 4.00 करोड़ रु., 4.00 करोड़ रु., 3.41 करोड़ रु., 5.50 करोड़ रु., 5.50 करोड़ रु. तथा 8.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

(i) <u>त्रिपुरा-ब्रू प्रवासियों को राहत</u> :

<u>त्रिपुरा से मिजोरम में ब्रू प्रवासियों का प्रत्यावर्तन</u>

4.61 मिजो ग्रामीणों द्वारा अल्पसंख्यक रियांग जनजाति के लोगों पर किए गए हमले के कारण अक्तूबर 1997 में अनेक ब्रू (रियांग) परिवार पश्चिमी मिजोरम से पूर्वोत्तर त्रिपुरा चले गए। त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में स्थित छ: राहत शिविरों में आश्रय प्राप्त ब्रू प्रवासियों की संख्या लगभग 30,000 (5000 परिवार) है।

4.62 गृह मंत्रालय, विभिन्न राहत शिविरों में ठहराए गए ब्रू लोगों के भरण-पोषण के लिए चावल, राशन, नकद राशि आदि मुहैया कराने के लिए त्रिपुरा सरकार को 1997-98 से तथा ब्रू प्रवासियों के पुनर्वास और प्रत्यावर्तन के लिए मिजोरम सरकार को 2004-05 से सहायता-अनुदान प्रदान करता आ रहा है। जहां ब्रू परिवारों के पुनर्वास के लिए अब तक मिजोरम सरकार को लगभग 38.71 करोड़ रु. का सहायता-अनुदान जारी किया गया है, वहीं विभिन्न राहत शिविरों में ब्रू लोगों के भरण-पोषण के लिए त्रिपुरा सरकार को 221.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। गृह मंत्रालय, ब्रू प्रवासियों के त्रिपुरा से मिजोरम में प्रत्यावासन के लिए उनकी सहायता हेतु मिजोरम सरकार को निम्न प्रकार सहायता-अनुदान प्रदान करता है:

(i) प्रत्येक परिवार को आवास सहायता: 38,500 रु.

(ii) प्रत्येक परिवार को नकद सहायता: 41500/- रु.

(iii) प्रत्येक प्रौढ़ तथा अवयस्क सदस्य को एक वर्ष तक मुफ्त राशन

(iv) मिजोरम सरकार द्वारा वहन की गई परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति

(v) प्रत्येक ब्रू परिवार को कम्बल और बर्तन

4.63 गृह मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के कारण तथा मिजोरम और त्रिपुरा राज्य सरकारों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप मिजोरम सरकार ने पहली बार में प्रत्यावर्तन के लिए मतदाता सूची में दर्ज निर्धारित पत्र 4730 परिवारों में से चरणों में त्रिपुरा से मिजोरम में प्रत्यावर्तित किए जाने के लिए 2786 मिजोरम ब्रू परिवारों को भेजने की योजना तैयार की। प्रत्यावर्तन प्रक्रिया नवंबर 2010/दिसम्बर 2010 तथा लगभग 940 ब्रू परिवार (लगभग 5000 लोग) मिजोरम में पुनर्वासित किए गए।

4.64 नवंबर 2010/दिसम्बर 2010 में शुरू हुई पुनर्वास की प्रक्रिया उत्तरी त्रिपुरा के सखन हिल्स से आकर त्रिपुरा में रह रहे मिजोरम के कुछ ब्रू लोगों, जहां वे मूल रूप से बस गए थे, द्वारा कथित रूप से विस्थापित लगभग 83 मिजो परिवारों के पुनर्वास के लिए कुछ मिजो गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए विरोध के कारण मई/जून 2011 में रोक दी गई। सखन हिल्स, उत्तरी त्रिपुरा के विस्थापित मिजो लोगों ने अब उसी प्रकार के पर्याप्त पुनर्वास पैकेज की मांग की जो मिजोरम के विस्थापित लोगों को दिया जा रहा है। सखन मिजो के मामले को उत्तरी त्रिपुरा के सखन हिल्स के 83 विस्थापित मिजो परिवारों में से प्रत्येक को 1.50 लाख रु. का पुनर्वास पैकेज संवितरित करके (जुलाई 2012 में) सौहार्दपूर्वक हल कर लिया गया है।

4.65 मिजोरम राज्य सरकार ने प्रत्यावासन योजना का चौथा चरण तैयार किया जिसमें 669 ब्रू परिवारों को प्रत्यावर्तित करके मिजोरम में पुनर्वासित किया गया। इस मंत्रालय ने मिजोरम में प्रत्यावत्रन/पुनर्वास प्रयासों में सहायता करने के लिए जून, 2012 में 7.87 करोड़ रु. का सहायता-अनुदान जारी किया है। तथापि, मिजोरम ब्रू डिसप्लेस्ड प्यूपल्स फॉरम (एम बी डी पी एफ) के नेताओं के विरोध तथा दुष्प्रचार अभियान के कारण चौथे चरण में केवल 7 ब्रू परिवारों को ही प्रत्यावर्तित किया जा सका। त्रिपुरा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है वह ब्रू समुदाय को मिजोरम में अपने निवास स्थान को लौटने के लिए राजी करे और ब्रू समुदाय में डर और आशंका फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करे।

4.66 मिजोरम और त्रिपुरा सरकार पर इस बात के लिए जोर डाला गया है कि वे ब्रू लोगों के प्रत्यावर्तन को शीघ्र पूरा करने के लिए एक नई समय-सीमा निर्धारित करे। निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, ब्रू प्रत्यावर्तन का 5वां बैच नियंत्रित स्व-प्रत्यावर्तन के रूप में 30

सितम्बर, 2013 को शुरू हुआ। 5वें बैच के दौरान 11 अक्तूबर 2013 तक कुल 103 परिवारों को प्रत्यावर्तित किया गया जिससे 31 मार्च 2014 तक कुल 1040 ब्रू परिवारों का प्रत्यावर्तन हुआ।

4.67 ब्रू प्रवासियों के लिए मिजोरम और त्रिपुरा में पुनर्वास योजनाओं के लिए व्यय और जारी की गई निधि (सहायता-अनुदान) का वर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	वर्ष	त्रिपुरा राज्य के लिए	मिजोरम राज्य के लिए
1.	2005-06	11.00	00.05
2.	2006-07	10.00	03.22
3.	2007-08	12.00	00.16
4.	2008-09	14.96	01.61
5.	2009-10	31.60	05.00
6.	2010-11	12.50	12.40
7.	2011-12	29.35	शून्य
8.	2012-13	18.63	11.39
9.	2013-14	10.46	1.21 (किराए के मुआवजे के लिए)

(ii) <u>एन एल एफ टी के साथ समझौता ज्ञापन-विशेष आर्थिक पैकेज</u>

4.68 नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) के साथ दिनांक 17.12.2004 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन में त्रिपुरा में क्षमता निर्माण तथा जनजातीय विकास के लिए 55.00 करोड़ रु. के एक विशेष पैकेज की व्यवस्था है। कम्पोजिट मार्केट स्टॉल के निर्माण, क्षमता निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, मत्स्य पालन, पशुपालन, रबड़ बागान तथा बागवानी क्षेत्रों में परिवार उन्मुखी कार्यक्रमों शिक्षा के संवर्धन, जनजातीय भाषा संवर्धन तथा जनजातीय क्षेत्रों में खेलों के संवर्धन के लिए सहायता अनुदान शामिल है। उपर्युक्त समझौता ज्ञापन के अनुसरण में विशेष पैकेज के कार्यान्वयन के लिए त्रिपुरा सरकार को 2006-07 से 2011-12 के बीच 55.00 करोड़ रु. की समस्त पैकेज की राशि जारी कर दी गई है। किंतु राज्य सरकार ने दो आई टी आई (पैकेज में शामिल), लागत में वृद्धि के कारण जिनकी निर्माण लागत बढ़ गई थी, को पूरा करने के लिए 9.63 करोड़ रु. के

अतिरिक्त अनुदान की मांग की। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पैकेज की राशि को बढ़ाकर 64.63 करोड़ रु. कर दिया गया था इसमें से 63.37 करोड़ रु. की राशि (वर्ष 2012-13 के दौरान 8.37 करोड़ रु.) जारी की जा चुकी है।

<u>पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवा</u>:

4.69 दूरस्थ क्षेत्रों से कनेक्टिविटी के साथ-साथ शेष भारत के साथ इन क्षेत्रों की हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से छूट सहित योजनेतर स्कीम के तहत छः राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा मिजोरम में हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन किया जा रहा है। यह आर्थिक सहायता यात्रियों से की गई वसूली को घटाकर प्रचालन लागत के 75 प्रतिशत तक सीमित है। उस आर्थिक सहायता (सब्सिडी) को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक हेलीकाप्टर के लिए उड़ान के घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित कर दी गई है।

4.70 छः राज्यों में हैलीकाप्टर सेवाओं के संचालन का ब्यौरा:-

राज्य सरकारों द्वारा वेट-लीज पर हेलीकाप्टर	**हेलीकॉप्टर का प्रकार**	**प्रति वर्ष स्वीकृत उड़ान घंटों की संख्या**
त्रिपुरा	डाफिन दो-इंजन	480
अरूणाचल प्रदेश	प्रथम एम आई-172	960
	द्वितीय एम आई-172	1200
	बेल-412 दो-इंजन	1300
सिक्किम	बेल-406 एकल इंजन/दो-इंजन	1200
मेघालय	डॉफिन-दो इंजन	720
नागालैंड	डॉफिन/बेल दो-इंजन	480
मिजोरम	डॉफिन दो इंजन	960

4.71 आर्थिक सहायता (सब्सिडी) को सीमित करने के उद्देश्य से ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्यों में हैलीकॉप्टर सेवा प्रचालन के लिए वार्षिक उड़ान घंटों की सीमा तय कर दी गई है। तथापि, राज्य सरकारों को उड़ान घंटों की सीमा से अधिक हैलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता को

घटाने के उपरांत हैलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन की शेष लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है।

4.72 उपर्युक्त हैलीकॉप्टर सेवाओं के अलावा गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए गुवाहाटी में स्थित दो ईंजन वाले हैलीकॉप्टर का प्रचालन करता है। इस सेवा की लागत गृह मंत्रालय वहन करता है।

4.73 पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकाप्टर सेवाओं पर हुए व्यय/जारी की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा-

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**वर्ष**	**व्यय/जारी की गई निधि**
1.	2005-06	20.00
2.	2006-07	17.54
3.	2007-08	24.08
4.	2008-09	25.00
5.	2009-10	34.99
6.	2010-11	44.99
7.	2011-12	59.18
8.	2012-13	25.00
9.	2013-14	**37.49**

<u>विज्ञापन और प्रचार</u>

4.74 पूर्वोत्तर की विशिष्ट समस्याओं, अर्थात् उग्रवाद, घुसपैठ और अलगाववाद की भावना को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय इस क्षेत्र में शांति के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों को हाईलाइट करने के उद्देश्य से तथा यह बताने के लिए भी कि 'शांति का लाभ होता है' पूर्वोत्तर राज्यों में विज्ञापन और प्रचार की एक योजनागत स्कीम कार्यान्वित करता है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा अंग्रेजी, असमिया, मणिपुरी और बंगाली भाषाओं में एक मासिक पूर्वोत्तर न्यूजलेटर प्रकाशित किया जाता है जिसमें पूर्वोत्तर में सरकार की योजनाओं और विकास संबंधी गतिविधियों को हाईलाइट किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, एन वाई के एस के तत्वाधान में पूर्वोत्तर राज्यों के युवकों के शेष भारत के दौरों तथा विलोमतः, पूर्वोत्तर राज्यों में पत्रकारों के दौरों, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण आदि सहित अन्य विभिन्न पहलें भी की जाती हैं। एन ई न्यूजलेटर ***http:mha.nic.in*** पर उपलब्ध हैं। इस

योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 में क्रमश: 6.00 करोड़ रु. तथा 2.00 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है।

<u>जम्मू एवं कश्मीर-जम्मू एवं कश्मीर के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना</u>:

4.75 जम्मू एवं कश्मीर में गंभीर उग्रवाद/विद्रोह को देखते हुए सरकार को शांति एवं अमन बनाए रखने के लिए अधिक व्यय करना होता है। इससे इसके बजट पर अतिरिक्त भार पड़ा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए तथा राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त आतंकवाद का मुकाबला करने तथा उग्रवाद पर नियंत्रण लगाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक पृथक एस आर ई योजना शुरू की गई थी। इसमें मुख्यत: जम्मू एवं कश्मीर के पुलिस बल की संभारतंत्र संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुलिस पर होने वाले व्यय तथा उग्रवाद के समय घाटी से वेघर हुए कश्मीरी प्रवासियों के राहत और पुनर्वास पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

4.76 सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत पुलिस, सामग्री एवं आपूर्ति के परिवहन/ढुलाई सुरक्षा बलों के लिए किराए पर लिए गए आवास के किराए, सीमा चौकियों, विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन, वैकल्पिक आवास का निर्माण हवाई सेवा प्रभार, पुलिस विभाग द्वारा किए गए सुरक्षा निर्माण कार्य और परिजनों आदि पर किया गया/से संबंधित व्यय अनुमत्य है।

4.77 सुरक्षा संबंधी व्यय की योजना (आर आर) के संबंध में जम्मू एवं कश्मीर सरकार को कश्मीरी प्रवासियों के लिए राहत, अनुग्रह राशि के भुगतान तथा उग्रवादी हिंसा में मारे गए नागरिकों की विधवाओं के लिए पेंशन, उग्रवाद से प्रभावित अनाथों को स्कॉलरशिप, कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज पर हुए व्यय की जम्मू एवं कश्मीर सरकार को प्रतिपूर्ति की जा रही है।

4.78 वर्ष 2012-13 में सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) के संबंध में 259.78 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई और राहत एवं पुनर्वास के संबंध में 94.90 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई। वर्ष 2013-14 के दौरान एस आर ई (पुलिस) के संबंध में 286.80 करोड़ रु. तथा

प्रवासियों को राहत एवं पुनर्वास आदि के संबंध में 151.87 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की गई। एस आर ई (पुलिस) के लिए वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान 290.00 करोड़ रु. है तथा एस आर ई (आर एंड आर) के अंतर्गत 160.00 करोड़ रु. है। एक पर्यवेक्षण तंत्र के रूप में एस आर ई व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा के बाद मुख्य लेखानियंत्रक, गृह मंत्रालय की सिफारिश पर की जाती है।

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना:

4.79 भारत के संविधान की VIIवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 2 के अनुसार 'पुलिस' और 'कानून एवं व्यवस्था' राज्य के क्षेत्र में आने वाले विषयों की श्रेणी में आता है। इस प्रकार, इन विषयों के प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, वित्तीय अड़चनों के कारण राज्य अपने पुलिस बलों को अपेक्षित स्तर तक आधुनिकीकरण करने तथा उनहें सुसज्जित करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसी संदर्भ में गृह मंत्रालय 1969-70 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को कार्यान्वित करके समय-समय पर राज्यों के प्रयासों और संसाधनों में सहायता कर रहा है।

उद्देश्य

4.80 इस योजना का उद्देश्य, राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करके तथा उनहें अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान करके, आंतरिक सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थितियों को नियंत्रित करने में सेना तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर राज्य सरकारों की निर्भरता कम करना है। इस योजना में, सुरक्षित पुलिस थानों, प्रशिक्षण केन्द्रों, पुलिस आवास (रिहायशी) के निर्माण पुलिस थानों को अपेक्षित सचलता, आधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों, विधि विज्ञान ढांचे आदि से सुसज्जित करके पुलिस अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के लिए जारी रखना:

4.81 सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 07.02.2013 को हुई अपनी बैठक में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के योजनेत्तर तथा योजनागत के अंतर्गत, योजनेत्तर के अंतर्गत 8628.43 करोड़ रु. (अपनी राज्य पुलिस के लिए अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद,

कोलकाता और बंगलौर के महानगरों की आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए महानगर पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत 432.90 करोड़ रु. सहित) तथा योजनागत के अंतर्गत 3750.87 करोड़ रु. के प्रावधान से, वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखे जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया था। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा यथा अनुमोदित निधियों का वर्ष-वार अनुमान निम्न प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	**योजनागत**	**योजनेतर**	**कुल**
2012-13	562.63	1784.30	2346.93
2013-14	797.06	1928.60	2725.66
2014-15	797.06	1640.00	2437.06
2015-16	797.06	1640.00	2437.06
2016-17	797.06	1635.53	2432.59
कुल	**3750.87**	**8628.43**	**12379.30**

4.82 तथापि, इस योजना के अंतर्गत 'योजनेतर' और 'योजनागत' दोनों के तहत राज्य सरकारों को निधियों का वार्षिक आबंटन प्रत्येक वित्त वर्ष में वित्त मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक बजट संसाधनों पर निर्भर करेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्यों में उपलब्ध निधियों का आबंटन वर्ष 2005 में सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित वितरण के अनुसार यथाअनुपात आधार पर किया जाएगा।

4.83 सचलता, हथियार, उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण, विधि-विज्ञान संबंधी उपकरण आदि घटकों के अंतर्गत राज्य पुलिस के लिए आवश्यक मदें 'योजनेतर' के अंतर्गत वित्तपोषित की जाएंगी। पुलिस थानों/चौकियों, पुलिस लाइंस, पुलिस आवास के निर्माण/उन्नयन, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा प्रशिक्षण अवसंरचना (भवन) के निर्माण को गृह मंत्रालय के 'योजनागत' बजट के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाएगा।

4.84 इस योजना के अंतर्गत 'योजनेतर' और 'योजनागत' दोनों के अंतर्गत वित्तपोषण के प्रयोजन से राज्यों को दो श्रेणियों, अर्थात् श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' के रूप में वर्गीकृत किया गया है 'क' श्रेणी के राज्य अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर तथा सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्य 90:10 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य के हिस्से की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

शेष राज्य श्रेणी 'ख' में होंगे और 60:40 के अनुपात के आधार पर केन्द्र और राज्य से वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

4.85 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए आबंटन नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	योजनागत बजट) (अनुमान	योजनेतर बजट) (अनुमान	कुल बजट) (अनुमान
2012-13	0.00	300.00	300.00
2013-14	1097.00	750.00	1847.00
2014-15	900.00	600.00	1500.00

महानगर पुलिस व्यवस्था

4.86 महानगर पुलिस व्यवस्था 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के घटक के रूप में अनुमोदित की गई है तथा इस प्रयोजन के लिए 432.90 करोड़ रु. का अनंतिम आबंटन दर्शाया गया है। महानगर पुलिस व्यवस्था के लिए आबंटन का प्रयोग गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के तहत तैयार की जाने वाली राज्य कार्य योजना के अनुसार छः महानगरों के लिए किया जाना होगा।

4.87 राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी राज्य कार्य योजनाएं केन्द्रीय संसाधनों की उपलब्धता तथा राज्य संसाधनों के तदनुरूपी हिस्से के आधार पर तैयार करें। राज्य सरकारें अपनी कार्य योजनाएं गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार करती हैं। राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाएं पहले राज्य स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है और तत्पश्चात इन पर अपर सचिव (विदेशी विषयक), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार-प्रापत समिति द्वारा विचार किया जाता है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अन्य सदस्य महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय, संयुक्त सचिव (पी एफ-I), वित्त मंत्रालय तथा संयुक्त सचिव (पी एम), गृह मंत्रालय हैं।

4.88 राज्यों को कुल आबंटन की 5 प्रतिशत राशि विभिन्न राज्यों के लिए योजना के विभिन्न योजनागत और योजनेत्तर घटकों के लिए गृह मंत्री के अनुमोदन से आकस्मिकता रिजर्व के रूप में जारी की जाती है। यदि कोई विशेष राज्य अपने हिस्से की निधियों का उपयोग नहीं कर पाता है तो वह राशि निधियों का उपयोग करने की क्षमता तथा अनुमोदित कार्य योजना की उपलबधता के आधार पर वित्त वर्ष के अंत में अन्य राज्यों को आबंटित कर दी जाती है। निधियां जारी करते समय, वित्त मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट पूर्व शर्तों में से एक शर्त उस वर्ष, जिसके लिए निधियां जारी किया जाना प्रस्तावित होता है, से पहले के वित्त वर्ष तक उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करना है।

अपराध एवं अपराधी का पता लगाने के लिए नेटवर्क एवं प्रणाली परियोजना (सी सी टी एन एस) :

4.89 अपराध एवं अपराधी का पता लगाने के लिए नेटवर्क एवं प्रणाली परियोजना (सीसीटीएनएस) को राष्ट्रीय ई-गर्वनेन्स कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार द्वारा पूर्ण प्रायोजित मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया गया था। इसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना का कार्यान्वयन इस प्रकार से किया जाना है कि इसमें राज्यों की भूमिका प्रमुख हो, ताकि अपेक्षित पण, स्वामित्व और प्रतिबद्धता पूरी हो सके और परियोजना के कार्यान्वयन की सतत् पुनरीक्षा एवं मॉनीटरिंग के अतिरिक्त कतिपय प्रमुख घटकों का नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास होगा।

4.90 सी.सी.टी.एन.एस. की शुरुआत के साथ ही, पूर्ववर्ती कॉमन इंटिग्रेटिड पुलिस एप्लीकेशन (सीआईपीए) कार्यक्रम, जिसे राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनेत्तर स्कीम के एक भाग के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा था, इस परियोजना में इस प्रकार आमेलित हो जाएगा कि उसके अंतर्गत पहले से किए गए कार्यों पर कोई प्रभाव न पड़े। सी.आई.पी.ए. की शुरूआत, पुलिस थानों के स्तर पर की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यों में कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता लाने और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से, पुलिस थानों को कम्प्यूटरीकृत करने और उनके कार्यकरण को आटोमेटिड करने के लिए की गई थी। देश भर के कुल 14,000 पुलिस थानों में से अब तक 2,760 पुलिस थानों को

सी.आई.पी.ए. स्कीम के तहत कवर किया जा चुका है।

4.91 सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना का उद्देश्य, ई-गर्वनेन्स के सिद्धांतों को अंगीकृत करते हुए, पुलिस थानों के स्तर पर पुलिस की कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली का सृजन करना, और निर्धारित समय में "अपराध की जांच एवं अपराधियों का पता लगाने", जो आज के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करने के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्कयुक्त अवसंरचना का सृजन करना है।

4.92 सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के व्यापक उद्देश्यों में – जांच एवं अभियोजन प्रक्रियाओं को सुचारू बनाना; आसूचना एकत्र करने वाले तंत्र को सुदृढ़ बनाना; बेहतर सार्वजनिक सेवा प्रणाली एवं नागरिक-अनुकूल समन्वय; अपराध एवं अपराधियों से संबंधित जानकारी में राष्ट्रव्यापी भागीदारी और पुलिस के कार्यकरण की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता में सुधार करना- शामिल हैं।

4.93 यह परियोजना योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई थी। इस अनुमोदित परियोजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में, गृह मंत्रालय के लिए योजनागत पक्ष में 2,000.00 करोड़ रु. का व्यय बजट शामिल है। गृह मंत्रालय के लिए सी.सी.टी.एन.एस. के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का स्वामित्व और प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और गृह मंत्रालय के मार्ग निर्देशन में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा किया जाना है।

4.94 मिशन मोड परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय में निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:

(i) परियोजना निगरानी एवं समीक्षा समिति जिसमें गृह सचिव अध्यक्ष होंगे।
(ii) अधिकार प्राप्त समिति जिसमें अपर सचिव (सी एस) अध्यक्ष होंगे।
(iii) मिशन टीम जिसमें संयुक्त सचिव (सी एस) मिशन लीडर होंगे।

4.95 ये समितियां, अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना निर्माण एवं समीक्षा संबंधी समस्त मार्गदर्शन, परियोजना के सफल निष्पादन हेतु नीति निर्देशों तथा मार्गदर्शन, परियोजना की

प्रगति की समीक्षा तथा निधियां जारी करने एवं उनके उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगी। इसके अलावा, राज्य/जिला स्तरीय समितियों (राज्य शीर्षस्थ समिति तथा राज्य अधिकार प्राप्त समिति) एवं दलों (राज्य मिशन दल तथा जिला मिशन दल) द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन का राज्य स्तरीय अनुवीक्षण किया जाएगा।

4.96 वर्ष 2009-10 हेतु बजट अनुमानों के अनुसार सी सी टी एन एस परियोजना के लिए 164.43 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी। वर्ष 2009-10 के लिए संशोधित अनुमान 104.00 करोड़ रु. था तथा अंतिम आबंटन 117.00 करोड़ रु. था। वर्ष 2009-10 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 115.7 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। वर्ष 2010-11 के लिए 135.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। कुल जारी किए गए 123.30 करोड़ रु. में से वर्ष 2010-11 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 119.42 करोड़ रु. जारी किए गए थे। वर्ष 2011-12 के लिए बजट अनुमान 384.5 करोड़ रु. था और अनुमोदित संशोधित अनुमान 200.00 करोड़ रु. था। 195.89 करोड़ रु. की राशि जारी/उपयोग की गई, जिसमें से वर्ष 2011-12 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 184.05 करोड़ रु. की राशि जारी की गई। वर्ष 2012-13 के लिए 85.00 करोड़ रु. की आबंटित राशि में से 37.19 करोड़ रु. की राशि जारी/उपयोग की गई जिसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 27.67 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

4.97 वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमान 276.00 करोड़ रु. था। अनुमोदित संशोधित अनुमान 120.00 करोड़ रु. था जिसे बाद में बढ़ाकर मार्च 2014 में 135.00 करोड़ रु. कर दिया गया। 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार, कुल 134.95 करोड़ रु. की राशि जारी/उपयोग की गई थी, जिसमें से वर्ष 2013-14 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 123.55 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है। वर्ष 2013-14 के लिए इस परियोजना के कार्यान्वयन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

(i) इस अवधि के दौरान गोवा, मणिपुर और पुडुचेरी राज्यों में एस आई संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए। कुल मिलाकर 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एस आई संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ii) इस अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पुडुचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एस पी एम यू संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए। कुल मिलाकर 341 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एस पी एम यू संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

(iii) क्षमता निर्माण-अवसंरचना (डी टी सी, आर टी सी, पी टी सी, एस सी आर बी) पूरे किए गए। कुल 902 यूनिटों में 891 यूनिट पूरे कर लिए गए हैं।

(iv) क्षमता निर्माण- प्रशिक्षण (भूमिका आधारित-प्रशिक्षण): इस अवधि के दौरान 156343 भूमिका आधारित प्रशिक्षण पूरे किए गए। कुल 633834 भूमिका आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से मार्च 2014 तक 237541 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं।

(v) इस अवधि के दौरान 2709 स्थलों का स्थल सर्वेक्षण पूरा किया गया। कुल 19277 स्थलों में से 17852 स्थलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान 5075 स्थलों के लिए साइट तैयार किए जाने का कार्य पूरा कर लिया गया। कुल 18022 स्थलों में से 14649 स्थलों के लिए साइट तैयार किए जाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(vi) इस अवधि के दौरान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, केरल और उत्तराखंड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन सी ए एस का प्रतिस्थापन का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(vii) वर्ष 2013-14 के दौरान सी ए एस के एस टी क्यू सी प्रमाणन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। सी ए एस की गोल्डन कॉपी (एस टी क्यू सी प्रमाणित प्रति) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई है।

<u>पुलिस आवास योजना:</u>

<u>केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों के लिए आवास :</u>

4.98 शुरू में, केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए आवास को योजनेतर शीर्ष से बटालियनों तथा अन्य अवस्थापनाओं के निर्माण कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में लिया जा रहा था। तथापि, केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए अतिरिक्त पारिवारिक आवास की जरूरत को महसूस करते हुए सी.ए.पी.एफ. के लिए आवास को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1993-94 से योजनागत स्कीम के रूप में शामिल कर लिया गया।

4.99 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'योजना' के अंतर्गत 'पुलिस आवास' के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2000.00 करोड़ रु. की राशि प्रॉजेक्ट की गई थी। योजना आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1037.50 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की थी। तथापि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ''पुलिस आवास'' के लिए 'योजना' के अंतर्गत वास्तविक आबंटन 689.29 करोड़ रुपए रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 683.02 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

4.100 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पर्याप्त आवास/बैरक मुहैया करवाने के लिए गृह मंत्रालय भरसक प्रयास कर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने रिहायशी भवन (योजनागत) के तहत पुलिस आवास के लिए 2500 करोड़ रु. के आबंटन का अनुमोदन किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर आबंटन 1590.61 करोड़ रु. था और वास्तविक व्यय 1600.77 करोड़ रु. था। जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पूंजीगत निर्माण कार्यों की योजनागत स्कीमों, जिनमें कार्यालय भवन (योजनागत), रिहायशी भवन (योजनागत) और सीमा बाह्य चौकी (योजनागत) शामिल हैं, के लिए 20260.01 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। इससे पहले कार्यालय भवन (योजनागत) और सीमा बाह्य चौकी (योजनागत) योजनेतर शीर्षों के अंतर्गत आते थे, जिसे 2011-12 योजनागत शीर्ष में अंतरित कर दिया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान रिहायशी भवन (योजनागत) के अंतर्गत 987.35 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी और मार्च, 2014 तक 2142 मकानों का निर्माण किया गया है।

4.101 वर्ष 2013-14 के दौरान, बजट अनुमान स्तर पर कार्यालय भवन (योजनागत), रिहायशी भवन (योजनागत) और सीमा बाह्य चौकी (योजनागत) शीर्षों के लिए क्रमश: 2194.91 करोड़ रु., 987.35 करोड़ रु. और 234.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। संशोधित अनुमान स्तर पर आबंटन को संशोधित करके क्रमश: 1611.60 करोड़ रु., 592.44 करोड़ रु. और 191.00 करोड़ रु. कर दिया गया। आबंटन की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 1645.98 करोड़ रु., 577.90 करोड़ रु. और 194.64 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है। कार्यालय भवन और बैरकों की अवसंरचना से संशोधित निर्माण कार्य कार्यालय भवन (योजनागत) शीर्ष के अंतर्गत निष्पादित किए जाते हैं, जबकि रिहायशी भवनों से संबंधित निर्माण कार्य रिहायशी भवन (योजनागत) स्कीम के अंतर्गत निष्पादित किए जाते हैं। सीमा बाह्य चौकियों की संख्या में वृद्धि तथा उनके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य सीमा बाह्य चौकी (योजनागत) शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है।

<u>दिल्ली पुलिस :</u>

<u>अवसंरचना-विकास</u> :

4.102 दिल्ली पुलिस चालू पंचवर्षीय योजना के अंत तक आवासीय सुविधा को पूरा करने के वर्तमान स्तर को सुधार कर 18.60% से 40% तक लाना चाहती है। जहां तक, कार्यालयी भवनों, विशेषकर पुलिस स्टेशनों का संबंध है, कुल 181 पुलिस स्टेशनों में से केवल 109 पुलिस स्टेशनों के अपने स्थायी भवन हैं। शेष पुलिस स्टेशन या तो पुलिस चौकी भवनों या अस्थायी संरचना या किराये के आवासीय भवनों में चल रहे हैं। 19 पुलिस थाना भवनों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे 18 पुलिस स्टेशनों के लिए भूमि का आबंटन कर दिया गया है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान इन पुलिस थानों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

4.103 दिल्ली पुलिस ने 12वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम में 49 परियोजनाएं दर्शाई हैं। 49 परियोजनाओं में से 10 परियोजनाएं 11वीं योजना से 12वीं योजना तक चल रही परियोजनाएं हैं तथा शेष 39 परियोजनाएं नई स्कीमें हैं। चल रही 10 परियोजनाओं में से 05 परियोजनाओं, अर्थात् पुलिस थाना मुखर्जी नगर, पुलिस चौकी, सेक्टर 2, रोहिणी, पुलिस चौकी कोंडली, घरोली, पुलिस चौकी और क्वार्टर, सेक्टर 15 रोहिणी तथा पुलिस चौकी सुखदेव विहार का कार्य पूरा कर लिया गया है। बाकी बची 04 परियोजनाओं अर्थात् पुलिस चौकी मौर्या एनक्लेव, पुलिस चौकी यमुना विहार, पुलिस थाना और क्वार्टर, पंजाबी बाग तथा पुलिस चौकी सी-ब्लॉक जनकपुरी निर्माणाधीन है तथा 01 परियोजना, अर्थात् पुलिस चौकी पॉकेट-V सन सिटी द्वारका बिंदापुर को 12वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम में निधियों की कमी के कारण गृह मंत्रालय द्वारा आस्थगित रखा गया है।

4.104 दिल्ली पुलिस की स्वीकृत नफरी अक्तूबर 2013 तक 84536 है और इस समय दिल्ली पुलिस के पास केवल 15716 स्टॉफ क्वार्टर हैं जो कुल आवश्यकता का लगभग 18.59 प्रतिशत है। इस समय 2336 स्टॉफ क्वार्टर निर्माणाधीन है तथा 328 स्टॉफ क्वार्टर निर्माण की योजना तैयार किए जाने की अवस्था में हैं।

4.105 धीरपुर में 5202 स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण तथा पार्लियामेंट स्ट्रीट में नए पुलिस मुख्यालय का निर्माण करने की प्रक्रिया चल रही है। दिनांक 18.01.2012 को मैसर्स पुंज लॉयड को कार्य सौंपे जाने संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है। दिनांक 04.02.2014 के पत्र सं. 23(27) 2013-डी यू ए सी डी टी के तहत टिप्पणी के साथ डी यू ए सी द्वारा ले आउट प्लान अनुमोदित कर दिया गया है। स्वतंत्र अभियंताओं तथा दिल्ली पुलिस द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित भवन योजनागत, उनको एम सी डी/नोर्थ को प्रस्तुत किए जाने के लिए मैसर्स आई एम डी एल को सौंप दी गई थीं। मैसर्स आई एम डी एल ने भवन योजना 10.3.2014 को अग्निशमन विभाग के अनुमोदनार्थ जमा करा दी है। राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिकरण, दिल्ली द्वारा प्रदान की गई "पर्यावरण संबंधी अनापत्ति" को रद्द करने का अनुरोध करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली में आवेदन सं. 09/14 (एम ए नं. 134 और 135/2014) के तहत महेन्द्र पांडे बनाम भारत संघ द्वारा दिनांक 04.02.2014 की अपील/रिट याचिका दायर की गई। यह मामला 2.4.2014 को सूचीबद्ध किया गया। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने विस्तृत शपथपत्र दायर करने का निदेश दिया है। सुनवाई की अगली तारीख 15.04.2014 निर्धारित की गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा उत्तर तैयार किया जा रहा है।

4.106 संसद मार्ग, नई दिल्ली में नए पुलिस मुख्यालय भवन के निर्माण के संबंध में मैसर्स यूनिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को कार्य सौंपे जाने संबंधी पत्र दिनांक 15.11.2012 को जारी कर दिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जयसिंह रोड पर एम पी डी-2021 के अनुसार भूखंड की फ्रंटेज तथा रिहायशी घटक पर विचार किया तथा दिनांक 27.02.2014 को सिफारिश एन डी एम सी को भेज दी गई है। दिनांक 26.02.2014 को हुई डी पी सी सी (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) की बैठक में समिति ने इस प्रस्ताव का सिद्धांत रूप में अनुमोदन कर दिया है तथा कार्यवृत्त अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

4.107 दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल स्तर के कार्मिकों के आवास संतुष्टि स्तर में कमी निम्नलिखित कारणों से हैं:-

(i) **दिल्ली पुलिस की मानव-शक्ति क्षमता में वृद्धि:** 10वीं योजना के प्रारंभ में अर्थात् 01.04.2002 को दिल्ली पुलिस की स्वीकृत नफरी 58,877 थी जो अब बढ़कर 84536 हो गई है यानी इनकी नफरी में 25659 अर्थात् 43.58% की वृद्धि हुई है

और किसी न किसी कारणवश आवासों के निर्माण की गति, नफरी में हुई वृद्धि के समरूप नहीं रही है।

(ii) भूमि स्वामित्व एजेंसियों द्वारा भूमि आबंटन न किया जाना;

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली अग्निशमन सेवा एवं डी यू ए सी आदि जैसे स्थानीय निकायों द्वारा भवन योजनाओं पर अपनी अनापत्ति देने में विलम्ब करना;

(iv) लोक निर्माण विभाग द्वारा समय से निर्माण-कार्यों को पूरा न किया जाना;

(v) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार निर्मित भवनों का आबंटन न किया जाना।

4.108 दिल्ली पुलिस के रक्षीदल की आवास संख्या में वृद्धि करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी पी पी) मोड के तहत धीरपुर में 5202 क्वार्टरों के निर्माण की योजना प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस की अन्य आवासीय परियोजनाओं में अधिक से अधिक टाइप-।। क्वार्टरों की योजना तैयार की जा रही है।

4.109 तथापि, दिल्ली पुलिस की आवास तथा कार्यालय भवनों से संबंधित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं:-

(क) दिल्ली पुलिस के कार्यालय भवनों तथा रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण सामान्यत: केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। दिल्ली पुलिस अपनी निर्माण परियोजनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को भी देती है। इस समय कोई भी परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को सौंपने से पूर्व दिल्ली पुलिस को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति लेनी होती है। यह वांछित है कि कार्य में शीघ्रता के हित में गृह मंत्रालय की सहमति से दिल्ली पुलिस को निर्माण कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीधे सौंपे जाने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा मामले को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) दिल्ली पुलिस अपनी दो प्रमुख परियोजनाओं, अर्थात् धीरपुर पुलिस आवास परिसर और पुलिस मुख्यालय परिसर, पार्लियामेंट स्ट्रीट का निर्माण, पी पी पी मोड के अंतर्गत शुरू करने जा रही है।

(ग) दिल्ली पुलिस की परियोजनाओं में विलंब का मुख्य कारण ड्रॉइंग्स को पास कराने में स्थानीय निकायों की ओर से होने वाला असाधारण विलंब है। इसके कारण न केवल अधिक असुविधा होती है अपितु इसके परिणामस्वरूप लागत में भी वृद्धि हो जाती है। अनुरोध है कि दिल्ली पुलिस की सभी परियोजनाओं को ''प्रचालनात्मक भवनों'' की श्रेणी में रखा जाए ताकि भवनों के प्लानों को स्थानीय निकायों से पास कराने की जरूरत न पड़े। विकल्प के तौर पर, एम सी डी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, डी यू ए सी, पर्यावरण समिति आदि जैसे स्थानीय निकायों को दिल्ली पुलिस के भवनों के प्लान को पास करने के लिए एक विशिष्ट समय-सीमा अर्थात् तीन माह का समय विनिर्दिष्ट किया जाए, जिसके भीतर प्लानों को पास न किए जाने की स्थिति में दिल्ली पुलिस को अपनी परियोजनाओं पर आगे कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाती है।

(घ) दिल्ली पुलिस को अपनी परियोजनाओं के बिल्डिंग प्लान तैयार करने तथा उन्हें पास कराने के लिए गैर सरकारी वास्तुकारों को किराए पर लगाने की अनुमति दी जाए क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है।

(ङ) भूमि आबंटन के बारे में दिल्ली पुलिस के अनुरोध को दिल्ली विकास प्राधिकरण, एम सी डी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एल एंड डी ओ जैसी भू-स्वामी एजेंसियों द्वारा उचित प्राथमिकता नहीं दी जाती है। अनुरोध है कि भूमि आबंटन के लिए दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर भूस्वामियों एजेंसियों द्वारा प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जाएगी और एक नियत समय-सीमा अर्थात् पंद्रह दिन के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए।

<u>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा बड़े शहरों में यातायात एवं संचार तंत्र का विकास</u>

4.110 बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई एक नई योजनागत योजना अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/बड़े शहरों में यातायात एवं संचार तंत्र का विकास एवं आदर्श यातायात प्रणाली को 200.00 करोड़ रु. के आबंटन से कार्यान्वित करने का दिल्ली पुलिस का प्रस्ताव है। इस स्कीम के दो घटक हैं यानि (i) सूचनाप्रद यातायात प्रणाली (आई टी एस) शुरू करना और (ii) एक एकीकृत डाटा संचार तंत्र (साइबर हाइवे) की स्थापना करना।

4.111 साइबर हाईवे घटक पर मैसर्स एम टी एन एल को पूर्व-निवेश गतिविधियों के लिए 6.73 करोड़ रु., 7.66 करोड़ रु., 9.06 करोड़ रु., 6.20 करोड़ रु., 8.34 करोड़ रु. और 7.51 करोड़ रु.

का भुगतान पहले ही कर दिया गया है और अत: अब तक इस परियोजना पर कुल 45.50 करोड़ रु. का व्यय किया हुआ है।

<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना</u>

4.112 यह एक केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजना है, जो केन्द्र सरकार के सौ प्रतिशत वित्त पोषण से 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शुरू की गई थी तथा इसे संबंधित राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस योजना के लिए 500.00 करोड़ रु. का परिव्यय आबंटित किया गया तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में अवसंरचना संबंधी प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों को 445.82 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित थे:

(क) दुर्गम इलाकों में मौजूदा सड़कों/मार्गों का स्तरोन्नयन करके पुलिस को महत्वपूर्ण सचलता प्रदान करना;

(ख) दूरस्थ एवं बीहड़ इलाकों में सामरिक स्थलों पर सुरक्षित शिविर स्थल और हैलीपैड मुहैया कराना;

(ग) जर्जर स्थिति वाले पुलिस थानों/बाहरी चौकियों, जिन पर हमला किए जाने का खतरा है, को सुदृढ़ बनाकर उन्हें सुरक्षित थाने/बाहरी चौकियों का रूप देना;

(घ) जिन पुलिस थानों/बाहरी चौकियों पर आधुनिक विस्फोटक उपकरणों (आई ई डी) और बारूदी सुरंगों द्वारा हमला होने का खतरा है, उनकी संपर्क सड़कों का स्तरोन्नयन करना और उन्हें सुदृढ़ करना; और

(ङ) विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों/जिलों की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी करना जहां विशेष तरीके से व्यापक रूप से नक्सल-रोधी उपाय किए जा रहे हैं।

4.113 इस योजना को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के विशेष बलों के उन्नयन तथा उनकी गंभीर कमियों को पूरा करने के लिए अवसंरचना, प्रशिक्षण, हथियार, उपकरणों और वाहनों के अतिरिक्त उद्देश्य से 12वीं योजना तक बढ़ाया गया है। 12वीं योजना अवधि में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा 02.04.2013 को 75 (केन्द्रीय):25 (राज्य) अनुपात

के वित्तपोषण पैटर्न पर केन्द्रीय हिस्से के रूप में 280.00 करोड़ रु. तथा राज्य सरकार के हिस्से के रूप में 93.00 करोड़ रु. की कुल लागत अनुमोदित की गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान विशेष बलों के उन्नयन/उनकी गंभीर कमियों को पूरा करने संबंधी नए उद्देश्य के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रभावित आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों को 74.13 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

4.114 इस योजना के लाभ सुरक्षा के क्षेत्र में होंगे जिनसे विकास एवं आर्थिक प्रगति के लिए अनुकूल माहौल बनेगा।

<u>चारदीवारी युक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना:</u>

4.115 सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 2.00 करोड़ रुपये प्रति पुलिस स्टेशन की दर से 400 चारदीवारी युक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की स्कीम का अनुमोदन कर दिया है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(i) केन्द्र, राज्य सरकार को 80:20 के अनुपात में सहायता मुहैया कराएगी (लागत का 80 प्रतिशत, जो कि 1.6 करोड़ रु. से अधिक न होगा, केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा तथा लागत का 20 प्रतिशत एवं अधिक किया गया व्यय, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा)।

(ii) एक पुलिस स्टेशन की अनुमानित लागत 2.00 करोड़ रुपये है।

(iii) राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक पुलिस स्टेशनों में कम से केम 40 पुलिस कार्मिकों की नफरी सुनिश्चित करेगी।

(iv) उन नए पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाएगा जहां राज्य सरकार के पास भूमि उपलब्ध होगी।

4.116 यह योजना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षित पुलिस स्टेशन मुहैया कराएगी जिसके परिणाम स्वरुप विकास का वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी। सभी 400 पुलिस

स्टेशनों को औपचारिक रुप से स्वीकृत किया जा चुका है और 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय हिस्से की 489.65 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा शुरू किया गया नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम</u>

4.117 वामपंथी उग्रवादी छोटे-छोटे प्रोत्साहनों के माध्यम से अथवा एक जबरदस्त रणनीति अपनाकर अपनी तथाकथित गरीब-हितैषी क्रांति का समर्थन करने के लिए स्थानीय लोगों को लुभा रहे हैं। उनका प्रचार सुरक्षा बलों सरकार के प्रशासनिक ढांचे के विरुद्ध होता है। ऐसी परिस्थितियों में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा बलों का मानवीय चेहरा प्रस्तुत किया जाए ताकि वे लोगों का दिल और मन जीत सकें। इसलिए सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 20.06.2010 को हुई अपनी बैठक में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम चलाने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की प्रति कंपनी के लिए 3.00 लाख रु. की दर से राशि स्वीकृत की है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा सकने वाले निर्माण कार्यों की मदें निम्नलिखित हैं:-

(क) मौजूदा अस्पतालों/नर्सिंग होमों को तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा आयोजित किए जाने वाली चिकित्सा शिविरों में चिकित्सा उपकरणों के प्रावधान को शामिल करने के लए स्वास्थ्य, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पशु चिकित्सा शिविर लगाना। रोगियों को दवाओं का वितरण तथा प्रयोगशाला जांचों की लागत को वहन करना। मलेरिया वाले क्षेत्रों में मच्छरदानियों का वितरण। गंभीर रूप से बीमार रोगियों/गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए निकटतम स्वास्थ्य केनद्रों तक पहुंचाना/चिकित्सा सुविधा मुहैया करना।

(ख) व्यावसायिक प्रशिक्षण (पूर्व प्रशिक्षण सहित कौशल विकास) प्रदान किए जाने, कॅरियर काउन्सिलिंग, कोचिंग, आदि आयोजित करने, स्कूली बच्चों को अध्ययन सामग्री प्रदान किए जाने को शामिल करने के लिए मानव संसाधन विकास।

(ग) सहकारी कृषि/पौधा रोपड़ को बढ़ावा देकर अच्छी किस्म के बीज, उर्वरक, फलदार वृक्ष उपलब्ध कराना। ग्रामवासियों को सुअर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि के लिए सहकारी फार्म विकसित करने में सहायता।

(घ) विस्तार सेवाओं और सामाजिक शिक्षा के माध्यम से सफाई एवं स्वच्छता।

(ङ) पेयजल: नल (हैंड पंप) लगाना और वाटर टैंकों की व्यवस्था करना।

(च) सोलर लैम्पों आदि के प्रावधान सहित अपारम्परिक ऊर्जा के स्रोतों का विकास।

(छ) हथकरघा तथा कुटीर उद्योगों का विकास

(ज) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता तेज हवा/वर्षा, बाढ़ आदि से प्रभावित अत्यधिक गरीब, वृद्ध और विकलांग लोगों की छत आदि की मरम्मत के लिए आंशिक सहायता।

(झ) जल संचयन ढांचों का निर्माण।

(ञ) खेलकूल सुविधाएं विकसित करना तथा बच्चों और युवकों के लिए खेलों का सामान उपलब्ध कराना। खेल-कूद प्रतियोगिताएं आयोजित करना।

(ट) ट्रान्जिस्टर मुहैया कराना।

(ठ) अत्यधिक गरीब लोगों, बच्चों तथा वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों को कपड़े मुहैया कराना। कंबल प्रदान करना।

(ड) भारत के स्वतंत्रता संग्राम; भारत के महान नेताओं; भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति; भारत के इतिहास; सामाजिक बुराइयों; प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा; कृषि बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के प्रयोग जैसे विषयों पर फीचर फिल्म दिखाना।

(ढ) निर्धन परिवारों को एल्युमिनियम के बर्तन, चाकू आदि मुहैया कराना।

4.118 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 15.79 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में मीडिया प्लान (विज्ञापन और प्रचार):</u>

4.119 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए यह केन्द्रीय क्षेत्र की प्रायोजित योजना है। विज्ञापन और प्रचार की इस योजना के मुख्य लक्षित समूह (ग्रुप) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित

राज्यों के लोग हैं ताकि उनको माओवादियों द्वारा फुसलाया न जा सके और वे हिंसा का रास्ता छोड़कर राष्ट्र निर्माण में सहायता करें। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सरकार की योजनाओं, नीतियों और पहलों के बारे में अवगत कराना ताकि सामाजिक आर्थिक विकास और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को यह बताना कि वामपंथी उग्रवादी हिंसा उन्हें किस प्रकार सरकार की योजनाओं, नीतियों और पहलों का लाभ उठाने से रोक रही है।

(ग) नक्सलवादियों के इस प्रचार को गलत साबित करना कि जनजातियों सहित निर्धन लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है।

4.120 शुरू की गई मुख्य गतिविधियां विज्ञापनों/पोस्टरों का प्रकाशन, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में गीत एवं नाटक प्रभाग (सांग एंड ड्रामा डिवीजन) के माध्यम से विकास संबंधी विषयों की प्रस्तुति आकाशवाणी के माध्यम से जिंगल्स का प्रसारण, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन वाई के एस) आदि के माध्यम से देश में विभिन्न स्थानों पर युवाओं के लिए ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित करना आदि।

4.121 इस योजना के अंतर्गत आकाशवाणी के माध्यम से जिंगल्स के प्रसारण/डी ए वी पी के माध्यम से लघु फिल्मों के निर्माण तथा नेहरू युवक केन्द्र संगठन के माध्यम से ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्रामों के आयोजन पर वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 5.00 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

<u>जेलों के आधुनिकीकरण की योजना</u>

4.122 केन्द्र सरकार ने जेलों में बढ़ती भीड़-भाड़ को कम करने के लिए नई जेलों के निर्माण तथा मौजूदा जेलों में बैरकों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं अतिरिक्त बैरकों के निर्माण, स्वच्छता एवं जलापूर्ति में सुधार करने और जेल कार्मिकों के निवास भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2002-03 में एक योजनेतर योजना शुरू की थी। जेलों के आधुनिकीकरण के नाम से जानी जाने वाली यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: 75:25 के अनुपात में लागत हिस्सेदारी पर

1800.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से 27 राज्यों में पांच वर्ष की अवधि (2002-07) से क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना, जिसे राज्य सरकारों को अपनी गतिविधियां पूरी करने के लिए, बिना किसी अतिरिक्त निधियों के, 2 वर्ष की अवधि के लिए और विस्तार प्रदान किया गया है तथा यह 31.03.2009 को समाप्त हो गई।

4.123 जेलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा अब तक 125 नई जेलों, मौजूद जेलों में 1579 अतिरिक्त बैरकों और जेल कार्मिकों के लिए 8658 स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निर्मित अधिकांश जेलें वर्ष 2009 के बाद कियाशील हो गईं और इसके परिणास्वरूप पिछले कुछ वर्षों में जेलों में भीड़भाड़ की दर काफी कम हो गई तथा यह वर्ष 2008 में 129.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009 में 122.8 प्रतिशत, वर्ष 2010 में 115.1 प्रतिशत रह गई तथा वर्ष 2011 में 112.1 प्रतिशत और वर्ष 2012 में 112.2 प्रतिशत है।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा मुहैया कराई गई सहायता-अनुदान

4.124 जेलों के उन्नयन के लिए निधियों की आवश्यकता के बारे में राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर तेरहवें वित्त आयोग ने 8 राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा और त्रिपुरा को वर्ष 2011-15 की अवधि में 609.00 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की थी।

4.125 तेरहवें वित्त आयोग की अनुदान के अंतर्गत राज्यों को अब तक जारी की गई निधियां:

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2011-12 के दौरान जारी की गई राशि (करोड़ रु. में)	वर्ष 2012-13 के दौरान जारी की गई राशि (करोड़ रु. में)	वर्ष 2013-14 के दौरान जारी की गई राशि (करोड़ रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	22.50 (प्रथम किस्त)	0.00	22.50 (दूसरी किस्त)
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.50 (दूसरी किस्त)	0.00
3.	छत्तीसगढ़	37.50 (प्रथम किस्त)	22.76 (दूसरी किस्त)	0.00

4.	केरल	38.50 (प्रथम किस्त)	38.50 (दूसरी किस्त)	0.00
5.	महाराष्ट्र	15.22 (प्रथम किशत)	0.00	0.00
6.	मिजोरम	4.9959 (प्रथम किस्त)	8.33 (दूसरी किस्त)	0.00
7.	ओडिशा	18.30 (प्रथम किस्त)	25.00 (दूसरी किस्त)	0.00
8.	त्रिपुरा	10.00 (प्रथम किस्त)	2.50 (दूसरी किस्त)	0.00
	कुल	**147.0159**	**99.59**	**22.50**

क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान :

4.126 जेल प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार ने 1989 में केन्द्र सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता से चण्डीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चण्डीगढ़ सम्पूर्ण भारत के जेल कार्मिकों विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ इत्यादि जैसे पड़ोसी राज्यों के जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस कार्मिकों, डाक्टरों आदि के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

4.127 इसके अलावा, वेल्लौर, तमिलनाडु में जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन अकादमी (ए पी सी ए) नामक एक क्षेत्रीय संस्थान भी कार्यरत है। इस अकादमी का वित्त पोषण संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। संस्थान की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक बारगी अनुदान प्रदान किया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी से हाल ही में कोलकाता में क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की है जिसके लिए भारत सरकार ने संस्थान को 1.55 करोड़ रु. का एक बारगी अनुदान प्रदान किया है।

कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003

4.128 भारत सरकार द्‌वारा भारतीय जेलों में कैद विदेशी राष्ट्रिकों तथा विदेशी जेलों में कैद भारतीय राष्ट्रिकों के प्रत्यावर्तन के लिए कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 का अधिनियमन किया गया ताकि उनकी सज़ा की शेष अवधि को उनके मूल देशों में पूरा किया जा सके। इस अधिनियम का कार्यान्वयन करने के लिए आपसी अभिरूचि रखने वाले देशों के साथ संधि/समझौता किया जाना अपेक्षित है।

4.129 भारत सरकार ने अभी तक 22 देशों, अर्थात् यू.के., मारीशस, बुल्गारिया, कम्बोडिया, मिस्र, फ्रांस, बंगलादेश, कोरिया, सउदी अरब, ईरान, श्रीलंका, यू ए ई, मालदीव, थाइलैंड, तुर्की, इटली, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, इजराइल, रूस, वियतनाम, कुवैत तथा ब्राजील की सरकारों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा, हांगकांग, स्पेन, नाइजीरिया, बहरीन और आस्ट्रेलिया की सरकारों के साथ भी बातचीत को अंतिम रूप दिया गया है।

4.130 इस अधिनियम के अंतर्गत, अपनी शेष सजा अपने देशों में काटने के लिए अब तक प्रत्यावर्तित किए गए कैदियों की सं. निम्न प्रकार है:

विदेशों को प्रत्यावर्तित किए गए कैदी			**विदेशों से प्रत्यावर्तित किए गए भारतीय कैदी**		
क्र. सं.	**देश**	**वापस भेजे गए विदेशी कैदियों की सं.**	**क्र. सं.**	**देश**	**वापस लाए भारतीय कैदियों की सं.**
1.	यू. के.	6	1	यू. के.	2
2.	फ्रांस	1	2	मॉरिशस	13
3.	इस्राइल	1	3	श्रीलंका	
कुल		**8**	**कुल**		**44**

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो :

प्रवर्तन:

4.131 वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014 (मार्च) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्‌वारा जब्त मादक द्रव्यों की प्रमात्रा निम्नवत है :

(किग्रा में)

I. स्वापक ड्रग्स, मन:प्रभावी पदार्थों एवं वस्तुओं की जब्ती (किग्रा में)						
मादक द्रव्य का नाम	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014 (मार्च)**
हेरोइन	190	145	69	265	303	97
अफीम	133	52	74	117	296	201
मॉरफिन	1	0	1	68	0.05	1.2
गांजा	4483	5642	3124	3622	5889	125
हशीश	217	451	791	262	197	82
कोकीन	1	2	1	30	21	0.13
मेथाक्वालोन	5	0	0	28	72	0.01
इफेड्रिन	218	2041	131	4143	1702	278
अम्फेटामाइन	41	36	4	1	34	1
एसिटिक एनहाइड्राइड (लीटर)	340	0	0	360	20	0
II. जब्तियों की संख्या						
मामले	133	115	174	206	229	57
III. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति						
भारतीय	88	107	145	186	231	56
विदेशी	26	34	24	25	31	13

जनवरी, 2013 से मार्च 2013 तक चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान:

(i) वर्ष 2013 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, तिरूवनंतपुरम के अधिकारियों ने तमिलनाडु में मेथाम्फेटेराइन के अवैध विनिर्माण की सुविधा का पता लगाया तथा उसे नष्ट किया और दो ईरानियों सहित पांच व्यक्तियों के गिरफ्तार किया। घटनास्थल से 5.77 किग्रा मेथाम्फेटेमाइन तथा मादक द्रव्य के संश्लेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण जब्त किए गए।

(ii) वर्ष 2013 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोधपुर ने राजस्थान में चोरी छिपे चल रहे मादक द्रव्यों के अवैध निर्माण का पता लगाया तथा उसे ध्वस्त किया तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 28 किग्रा एम्फेटेमाइंस, 11 किग्रा

मेथाक्वालोन (मेन्ड्रेक्स), 9 किग्रा एसेटिक एनहाइड्रिड, 1.480 किग्रा अफीम, 270 किग्रा हेरोइन तथा 39 किग्रा अमोनिया जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त घटना स्थल से मिक्सर मशीन, हॉट सीलिंग मशीन, मिक्सिंग पैन, तराजू तथा पेकिंग सामान भी जब्त किए गए।

(iii) वर्ष 2013 के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, हैदराबाद ने हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में अवैध रूप से चल रही मेथाम्फेटेमाइन सुविधा का पता लगाया तथा इसे ध्वस्त किया और छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। घटना स्थल से 10.945 किग्रा. मेथाम्फेटेमाइन और मादक द्रव्य के संश्लेषण के लिए प्रयुक्त उपकरणों को जब्त किया।

(iv) वर्ष 2013 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, चंडीगढ़ ने सीमा सुरक्षा बल के समन्वय से 28 मामलों में पंजाब सीमा पर 260.254 किग्रा दक्षिण पश्चिम एशियाई हेरोइन जब्त की और इस प्रक्रिया में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

(v) वर्ष 2013 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गुवाहाटी ने 747.49 किग्रा सूडोएफेड्राइन तथा सूडोएफेड्राइन वाली 198000 टेबलेटें जब्त कीं तथा छः मामलों में अट्ठाइस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

(vi) वर्ष 2013 के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली ने 230.1 किग्रा सूडोएफेड्राइन पाउडर तथा 30.48 किग्रा मेथाक्वालोन जब्त किया तथा 10 विदेशी नागरिकों सहित आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

(vii) वर्ष 2013 के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली ने 20.35 किग्रा कोकीन जब्त की तथा छः विदेशी नागरिकों सहित सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

(viii) वर्ष 2013 के दौरान, अंतरराष्ट्रीय समन्वय बढ़ाने के एक प्रयास में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने योजना बनाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित 10 डिलीवरियों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया जिसके परिणामस्वरूप विदेशों में जब्ती तथा गिरफ्तारी की गई।

(ix) वर्ष 2014 (मार्च तक) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, चंडीगढ़ ने सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर पंजाब सीमा पर 04 मामलों में 50.43 किग्रा दक्षिण-पश्चिम एशियाई हेरोइन जब्त की।

(x) वर्ष 2014 (मार्च तक) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली ने 35 किग्रा सूडोएफेड्राइन पाउडर जब्त किया तथा तीन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया।

(xi) वर्ष 2014 (मार्च तक) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जोधपुर ने तीन मामलों में 88.09 किग्रा अफीम जब्त की तथा आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

(xii) वर्ष 2014 (मार्च तक) के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, इंदौर ने दो मामलों में 94.76 किग्रा अफीम जब्त की तथा पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

(xiii) वर्ष 2014 (मार्च तक) के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अहमदाबाद ने एक मामले में 25.31 किग्रा हशीश जब्त की तथा तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

(xiv) वर्ष 2014 के दौरान (मार्च तक) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मुंबई ने दो मामलों में 98.5 किग्रा एफेड्राइन जब्त की तथा दो विदेशी नागरिकों सहित पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

(xv) वर्ष 2014 (मार्च तक) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मुंबई ने एक मामले में 5.400 किग्रा मेथाम्फेटेमाइन जब्त की तथा एक विदेशी नागरिक सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

<u>विनिष्टीकरण</u>

4.132 वर्ष 2013-14 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने राज्य एजेंसियों की मदद से जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, और ओडिशा राज्यों में 1596 एकड़ क्षेत्र में अवैध अफीम पोस्ता की खेती का पता लगाया तथा इसे नष्ट किया। सभी स्टेकहोल्डरों के साथ विनिष्टीकरण अभियानों को समय पर समन्वित करने में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा की गई अग्र सक्रिय पहलों के परिणामस्वरूप फसल वर्ष 2013-14 के दौरान सभी मादक द्रव्य विधि प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा देश भर में 1763 एकड़ भूमि पर पोस्त की अवैध खेती का पता लगाया गया तथा इसे नष्ट किया गया।

<u>दोषसिद्धि</u>

4.133 वर्ष 2013-14 (फरवरी तक) के दौरान राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा अभिहित न्यायालयों के समक्ष दायर शिकायतों के आधार पर जनवरी, 2014 माह तक 104 मामलों में से 73 मामलों में दोषसिद्धि हुई।

<u>मादक द्रव्यों का निष्तारण:</u>

4.134 वर्ष 2013-14 (मार्च तक) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के विभिन्न जोनल यूनिटों द्वारा 89.425 किग्रा हेरोइन, 205.60 किग्रा हशीश, 0.585 किग्रा कोकीन, 1.97 किग्रा एफेड्राइन 1263 किग्रा गांजा, 28.450 किग्रा पॉपी स्ट्रॉ तथा 5 लीटर एसेटिक-एनहाइड्रिड का निपटान किया गया।

राजभाषा विभाग की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

भूमिका:

4.135 संघ सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 तथा राष्ट्रपति के समय समय पर जारी आदेशों के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग एक नोडल विभाग है। इसकी स्थापना जून, 1975 में की गई थी। यह विभाग केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियां चला रहा है । इनमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टंकण व अनुवाद का प्रशिक्षण देना, कार्यालयों का निरीक्षण करना, आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से प्रगति पर निगरानी रखना, राजभाषा कार्यान्वयन के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करना, अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन आदि करना और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों की बैठकों आदि से संबंधित कार्यों का समन्वय करना आदि शामिल है । यह विभाग राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए सहायक साहित्य का प्रकाशन तथा वितरण का कार्य भी करता है । कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले विभिन्न इलैक्ट्रानिक उपकरणों में देवनागरी लिपि के माध्यम से काम करने की सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से ऐसे उपकरणों के विकास तथा उपलब्धता संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने की भूमिका भी राजभाषा विभाग निभा रहा है ।

4.136 राजभाषा विभाग मूलत: राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार और प्रयोग से जुड़ी गतिविधियां निष्पादित करता है । यह विभाग केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देता है । राजभाषा विभाग सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा एंव हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण, सरकारी सामग्री के अनुवाद कार्य, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार, प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार वितरण के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है तथा उनको

पूरा करने का प्रयास किया जाता है । विभाग का यह भरसक प्रयास होता है कि बजट में आवंटित राशि का सदुपयोग कर लिया जाये ।

राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय
केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

4.137 राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 1985 को नीचे लिखे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी :-

(i) केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों, निगमों तथा बैंकों आदि में नए भर्ती, हिंदी न जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का तथा अंग्रेजी टंकण और अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(ii) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिंदी पढ़ाने की नई तकनीक की जानकारी देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ।

(iii) संघ सरकार के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जो हिंदी का ज्ञान तो रखते हैं, किंतु हिंदी में कार्य करने में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के उप-संस्थान

4.138 संस्थान के कार्यकलापों को गति देने और प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार के लिए संस्थान के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, बेंगलूरु, हैदराबाद और चेन्नै में 5 उप-संस्थान काम कर रहे हैं। साथ ही हिंदी शिक्षण योजना के गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता में पांच क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। देश भर में 'हिंदी शिक्षण योजना' के अंतर्गत हिंदी भाषा व हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए 129 पूर्णकालिक प्रशिक्षण केन्द्र व 18 अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

4.139 **केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान** द्वारा हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2012-2013		वर्ष 2013-2014		वर्ष 2014-15
	लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)	*उपलब्धियां (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)*	*लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)*	*उपलब्धियां (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या) (31.12.2013 तक)*	*लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)*
(1) हिंदी भाषा प्रशिक्षण (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ) (क) हिंदी शिक्षण योजना (ख) गहन प्रशिक्षण (ग) भाषा पत्राचार	28,720 4,590 4,000	21,154 1,174 3,874	28,720 3,780 4,000	21,293 469 3,874	31,080 2,700 4,000
योग	37,310	**26,222**	36,500	**25,636**	37,780
(2) हिंदी टंकण प्रशिक्षण (क) हिंदी शिक्षण योजना (ख) गहन टंकण (ग) टंकण पत्राचार	3,010 660 1,000	**1,885** **416** **870**	3,200 660 1,000	1,916 **165** **1,067**	**2,790** 660 1,000
योग	**4,670**	**3,171**	**4,860**	**3,148**	**4,450**
(3) हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण (क) हिंदी शिक्षण योजना (ख) गहन प्रशिक्षण	1,260 **180**	**285** **33**	1,290 180	**235** **30**	1,260 180
योग	**1,460**	**318**	**1,470**	**265**	**1,440**
(4) हिंदी कार्यशालाएँ (क) कार्यशालाएं (ख) प्रशिक्षार्थी	39 1,170	50 1,213	**51** 1,530	24 **453**	**15** **450**
(5) अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (क) कार्यक्रम (ख) प्रशिक्षणार्थी	07 कार्यक्रम नामन पर आधारित	06 कार्यक्रम 157 प्रशिक्षणार्थी	07 कार्यक्रम नामन पर आधारित	04 कार्यक्रम 89 प्रशिक्षणार्थी	07 कार्यक्रम नामन पर आधारित

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (अनुवाद कार्य) :

4.140 01 मार्च, 1971 को स्थापित राजभाषा विभाग का अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य करता है और केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त बैंगलूरू, मुंबई व कोलकाता में अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र है। दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्रशिक्षण लेने के लिए आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्थाएं है।

अनुवाद कार्य

4.141 केन्द्रीय अनुवाद ब्युरो, राजभाषा विभाग का अधीनस्थ कार्यालय, मेँ वर्ष 2012-2013 के दौरान 55,000 मानक पृष्ठों (नियमित स्थापना द्वारा 35,000 पृष्ठों तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 20,000 पृष्ठो) के अनुवाद के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 56,842 मानक पृष्ठों का (नियमित स्थापना द्वारा 35,796 पृष्ठो तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 21,046 पृष्ठो का) अनुवाद किया गया। पुन: वर्ष 2013-14 के दौरान 57,000 मानक पृष्ठो के अनुवाद के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 31 दिसंबर, 2013 तक कुल 44,839 मानक पृष्ठो का (नियमित स्थापना द्वारा 24,802 पृष्ठो का तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 20,037 पृष्ठो का) अनुवाद किया गया। वर्ष 2014-2015 के लिये भी 58,000 मानक पृष्ठो का (नियमित स्थापना द्वारा 35,000 पृष्ठो का तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 23,000 पृष्ठो का) लक्ष्य रखा गया है।

अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमः

4.142 केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

अनुवाद प्रशिक्षण से संबन्धित क्रियाकलाप	वर्ष 2012-2013		वर्ष 2013-2014		वर्ष 2014-2015
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां** (31.12.2013 तक)	**लक्ष्य**
(1) त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम **200** प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी	12 कार्यक्रम **151** प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी
(2) 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम **48** प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी	01 कार्यक्रम **22** प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी
(3) अल्पावधिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी	**17** कार्यक्रम **465** प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी	**13** कार्यक्रम **354** प्रशिक्षणार्थी	**16** कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी
(4) उच्चस्तरीय/ पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	06 कार्यक्रम 90 प्रशिक्षणार्थी	06 कार्यक्रम 126 प्रशिक्षणार्थी	06 कार्यक्रम 90 प्रशिक्षणार्थी	**05** कार्यक्रम **91** प्रशिक्षणार्थी	06 कार्यक्रम 90 प्रशिक्षणार्थी
(5) विशेष अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम वित्त वर्ष 2013-14 से ब्युरो के मुम्बई, बेंगलूरु और कोलकाता केन्द्रों पर आरँभ किया गया ।	—	—	03 कार्यक्रम **45** प्रशिक्षणार्थी	01 कार्यक्रम **20** प्रशिक्षणार्थी	03 कार्यक्रम **45** प्रशिक्षणार्थी
(6) राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अधीन प्रशिक्षण	04 कार्यक्रम 40 प्रशिक्षणार्थी	04 कार्यक्रम **59** प्रशिक्षणार्थी	04 कार्यक्रम 40 प्रशिक्षणार्थी	03 कार्यक्रम **22** प्रशिक्षणार्थी	04 कार्यक्रम **40** प्रशिक्षणार्थी

4.143 त्रैमासिक प्रशिक्षण कार्यकमों में कमी निम्नलिखित विभिन्न कारणों से हुई है :-

(1) नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध

(2) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पदों की 10% कटौती

(3) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये नामित कर्मचारी अनेक बार बुलाए जाने पर अपने संबन्धित विभागों द्‌वारा कार्यमुक्त नहीं किये जाते हैं ।

(4) हिन्दी और अनुवाद से संबन्धित वर्तमान कर्मचारियोँ की अधिकाँश संख्या पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है ।

<u>राजभाषा हिंदी का तकनीकी पहलू</u>

4.144 राजभाषा विभाग का तकनीकी प्रभाग हिंदी प्रयोग के लिए साफ्टवेयर विकसित करवाने एवं प्रशिक्षण दिलवाने के साथ-साथ तकनीकी सम्मेलनों/संगोष्ठियों के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि से सम्पर्क स्थापित करता है तथा इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों व साफ्टवेयर अनुप्रयोग द्वारा हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करता है।

4.145 तकनीकी प्रकोष्ठ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रयोग के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन राजभाषा विभाग के अधीनस्थ, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, के माध्यम से करवाता है । इन कार्यक्रमों में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों के अधिकारी/कर्मचारी निःशुल्क भाग ले सकते हैं । वर्ष 2012-13 में भी उपलब्ध बजट को देखते हुए केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण के कुल 71 कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया । कंप्यूटर प्रशिक्षण के महत्व एवं मांग के मद्देनजर वर्ष 2013-14 में प्रशिक्षण आयोजित कराने वाली संस्थाओं में राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को भी शामिल करते हुए दिसंबर, 2013 तक हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण के 100 कार्यक्रमों के लक्ष्य मेँ से 73 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । वर्ष 2014-15 में 100 हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षणों के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है ।

4.146 तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा प्रत्येक वर्ष चार तकनीकी संगोष्ठियों और कंप्यूटर प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है जिसमें कंम्प्यूटरों में द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) सुविधाओं के बारे में नवीनतम जानकारी दी जाती है । वर्ष 2012-13 में इस प्रकार की चार संगोष्ठियां आयोजित करवायी गयी । वर्तमान वित्त वर्ष 2013-14 में 04 तकनीकी संगोष्ठियों के आयोजन का लक्ष्य है । इस संबन्ध मेँ एक सेमीनार इन्दौर मेँ आयोजित किया गया है। शेष तीन सेमीनार भी वर्ष 2013-14 मेँ करनेँ का प्रस्ताव है। वर्ष 2014-15 मेँ चार सेमीनार करने का लक्ष्य रखा गया है।

<u>अनुसंधान एकक की गतिविधियां:</u>

<u>पत्र-पत्रिकाओं तथा राजभाषा साहित्य के माध्यम से प्रचार-प्रसार</u>

4.147 राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा विकास के पहलू को सरकारी तंत्र में सशक्त रूप से पेश करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में अनुसंधान प्रभाग की स्थापना की गई है। अनुसंधान प्रभाग के पत्रिका एकक द्वारा त्रैमासिक पत्रिका **राजभाषा भारती** का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण किया जाता है । इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित लेखों के साथ, मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों व अन्य संस्थाओं की राजभाषा संबंधी गतिविधियों को स्थान दिया जाता है । दिसंबर, 2013 तक इस पत्रिका के 137 अंक प्रकाशित हो चुके है तथा इसके 138 वें तथा 139 वें अंकों का सम्पादन कार्य शुरू है ।

4.148 राजभाषा विभाग द्वारा किए गए सरकारी कार्यों के विवरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट राजभाषा विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा संबंधी कार्यकलापों से संबंधित प्रकाशन है । विभाग की दूसरी रिपोर्ट वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर उनसे प्राप्त समेकित मूल्यांकन रिपोर्ट का संकलन है। उक्त दोनों रिपोर्टों का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण का कार्य किया जाता है तथा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाती है । वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को संसद के दोनो सदनों के पटल पर रखा जाता है ।

4.149 विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशित की जा रही हिंदी पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने के उद्देश्य से **"हिंदी पत्रिका पुरस्कार योजना"** शुरू की गई है । इस योजना के तहत मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उत्कृष्ट पत्रिका के लिए क्रमश: 02-02 पुरस्कार दिए जाते हैं ।

4.150 अब तक (दिसंबर, 2013) 19 स्तरीय हिंदी पुस्तक सूची, जिसमें लगभग 44,200 पुस्तकें शामिल की गई हैं, जारी की जा चुकी हैं ।

<u>संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन व अनुश्रवण पक्ष</u>

<u>समितियां</u>

4.151 केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्न समितियां गठित हैं :

<u>केन्द्रीय हिंदी समिति</u>

4.152 माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिंदी के प्रचार तथा प्रगामी प्रयोगार्थ सभी कार्यक्रमों के समन्वय हेतु किया गया था । यह राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है । इस समिति की पिछली (30वीं) बैठक दिनांक 28.07.2011 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी । इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

<u>संसदीय राजभाषा समिति</u>

4.153 इस समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत वर्ष 1976 में किया गया । इस समिति में संसद के 30 सदस्य होने का प्रावधान है जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से जो क्रमश: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं । इस समिति का कर्तव्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन कर और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है । अभी तक संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आठ खंड़ों पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित किए जा चुके हैं । संसदीय राजभाषा समिति के नौवे खण्ड में की गयी सिफारिशों संबंधी प्रतिवेदन महामहिम राष्ट्रपति जी को दिनांक 02.06.2011 को प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रतिवेदन के नौंवे खण्ड को संसद के पटल पर मानसून सत्र-2011 में पटल पर रख गया । इसमें की गयी सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त की जा रही है। इनके अध्ययन के पश्चात् इस पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित करने संबंधी कार्रवाई की जायेगी ।

4.154 राजभाषा हिंदी के प्रभावी तथा सुचारू कार्यान्वयन की दिशा में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अपनी स्थापना से अब तक 11,561 सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों आदि का निरीक्षण किया गया है तथा 882 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का साक्ष्य लिया गया है ।

<u>हिंदी सलाहकार समितिः</u>

4.155 केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्री की अध्यक्षता में वर्तमान में 54 मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित है । इस समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करना वांछित है ।

<u>केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समितिः</u>

4.156 केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इसके सदस्य हैं। इस समिति की अब तक 37 बैठकें हो चुकी हैं । 37वीं बैठक, 22 मार्च, 2013 को आयोजित हुई ।

<u>नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां:</u>

4.157 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढावा देना तथा इसके मार्ग में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना है । वर्तमान में देश के विभिन्न नगरों में 339 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं जिनमें से 56 समितियां (42 बैंकों के लिये तथा 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये) गठित की गई हैं । इन समितियों की वर्ष में दो बार बैठकें होनी अपेक्षित हैं |

<u>विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां</u>

4.158 सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है | इसकी बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित होती हैं| बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं |

<u>क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन</u>

4.159 सरकार की राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं जो क्षेत्रीय आधार पर संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखते हैं। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के लिए प्रति अधिकारी प्रति माह 12 निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा इस संबंध में बनाए गए राजभाषा नियमों की अनुपालना की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा वर्ष 2012-13 में 2280 केन्द्रीय कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण के सापेक्ष मेँ 1869 निरीक्षण किये गए । वर्ष 2013-14 में भी 1188 कार्यालयों के निरीक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष में सितम्बर, 2013 तक 995 निरीक्षण किए गए है ।

<u>नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकें</u>

4.160 वर्ष 2012-13 में 634 बैठकों के लक्ष्य के सापेक्ष मेँ 450 बैठकें आयोजित हुई। वर्ष 2013-14 में नराकास की 664 बैठकों के आयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष दिसंबर, 2013 तक 341 बैठकें आयोजित हुईं ।

<u>क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन</u>

4.161 राजभाषा हिंदी के प्रति एक आदर्श वातावरण बनाने, इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों पर चर्चा करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार दिए जाते हैं । एक सम्मेलन दिसंबर, 2013 मेँ इन्दौर मेँ आयोजित किया गया । शेष तीन सम्मेलन जनवरी - अप्रैल, 2014 के दौरान चैन्नई, भुवनेश्वर और श्रीनगर मेँ आयोजित करने का प्रस्ताव है । संघ की राजभाषा के रुप में हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा राजभाषा संबन्धी सांविधिक प्रावधान,

राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम और आदरणीय राष्ट्रपति जी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन विधिवत रुप से करने के लिये इन राजभाषा सम्मेलनों में संघ की राजभाषा नीति संबन्धी विषयों पर विचार मंथन भी किया गया । वर्ष 2014-15 में 04 सम्मेलनों के आयोजन का प्रस्ताव है ।

राजभाषा प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार

4.162 दिनांक 14.09.2013 को नई दिल्ली में वर्ष 2011-12 के लिए मंत्रालयों / विभागों, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन बोर्डों, स्वायत्त निकायों आदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को शील्डें तथा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर **इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार** प्रदान किए गए । इस अवसर पर हिंदी में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए **राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना** 2011 के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार हिंदी दिवस पर राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किए गए ।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा:

4.163 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबंद्ध कार्यालयों में फैले हिंदी पदों को एकीकृत संवर्ग में लाने तथा उनके पदाधिकारियों को समान सेवा शर्त, वेतनमान और पदोन्नति के अवसर दिलाने हेतु वर्ष 1981 में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन केन्द्रीय हिंदी समिति द्वारा वर्ष 1976 में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया है । राजभाषा विभाग इसका संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है । इस सेवा में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों के सभी हिंदी पद कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग यथा सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा आदि को छोड़कर, शामिल हैं । पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की सिफारिशों तथा सवंर्ग समीक्षा के पश्चात केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया है:-

क्र.सं.	पदनाम		कुल पद
1.	निदेशक		**18**
2.	संयुक्त निदेशक		36
3.	उप निदेशक		85
4.	सहायक निदेशक		202
5.	वरिष्ठ अनुवादक		318
6.	कनिष्ठ अनुवादक		320
	कुल	=	979

4.164 **वित्तीय प्रावधान** - राजभाषा विभाग को विभाग की विभिन्न राजभाषायी योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (20**12-13** से 201**6**-1**7)** में **42.06**80 करोड़ रूपए की राशि आंवटित की है । वर्ष 2012-13 में 8.088 करोड़ रूपए, वर्ष 2013-14 में 8.3120 करोड़ रूपए, वर्ष 2014-15 में 10.2420 करोड़ रूपये, वर्ष 2015-16 में 8.4930 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2016-17 में 8.6160 करोड़ रूपये की राशि आवंटित है । इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग के लिए योजनेतर में भी प्रति वर्ष राशि आवंटित की जाती है। वर्तमान वित्त वर्ष 2013-14 में योजनेतर कार्यक्रमों के अंतर्गत 38.67 करोड़ रूपए की राशि आवंटित है ।

<u>पुनर्वास योजनाएं/परियोजनाएं</u>

<u>श्रीलंकाई शरणार्थी</u>

4.165 श्रीलंका में नृजातीय हिंसा और लगातार अशांत स्थितियों के कारण जुलाई, 1983 से 304269 श्रीलंकाई शरणार्थियों ने जुलाई 1983 से अगस्त 2012 तक विभिन्न चरणों में भारत में प्रवेश किया है।

4.166 हालांकि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका में प्रत्यावर्तित किए गए तथापि, मार्च, 1995 के पश्चात कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। यद्यपि, कुछ शरणार्थी वापिस श्रीलंका चले गए या स्वयं अन्य देशों में चले गये। **<u>01 फरवरी, 2014 तक</u>** तमिलनाडु के 113 शरणार्थी शिविरों और उड़ीसा के एक शिविर में **<u>लगभग 65,570</u>** श्रीलंकाई शरणार्थी ठहरे हुए थे।

इसके अतिरिक्त, लगभग 34788 शरणार्थी निकटतम पुलिस थानों में अपना पंजीकरण कराकर, अपनी मर्जी से इन शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

4.167 पहली बार आने पर, शरणार्थियों का संगरोध किया जाता है तथा उनके पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात, उन्हें शरणार्थी शिविरों में भेज दिया जाता है। प्रत्यावर्तन होने तक उन्हें मानवता के आधार पर कुछ जरूरी राहत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं में, शिविरों में आश्रय, नकद भत्ता (कैश डोल्स), कम दरों पर राशन, वस्त्र, बर्तन और चिकित्सा सुविधा एवं शैक्षणिक सहायता शामिल है। श्रीलंकाई शरणार्थियों को दी जाने वाली राहत पर समग्र व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और तदनंतर इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इन शरणार्थियों को राहत और आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने <u>जुलाई, **1983 से मार्च, 2014 तक**</u> की अवधि में 668.00 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि खर्च की है।

<u>तिब्बती शरणार्थी</u> :

4.168 भारत में तिब्बती शरणार्थियों की वर्तमान आबादी लगभग 1,10,095 है ('संत दलाई लामा ब्यूरो' द्वारा आयोजित जनसांख्यकीय सर्वेक्षण पर आधारित, उनके दिनांक 27.02.2008 के पत्र द्वारा सूचित)। इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्वरोजगार द्वारा या कृषि और हस्तशिल्प स्कीमों के अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त करके देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। तिब्बती शरणार्थी मुख्य रुप से कर्नाटक (44,468), हिमाचल प्रदेश (21,980), अरुणाचल प्रदेश (7,530), उत्तराखंड (8,545) पश्चिम बंगाल (5,785) तथा जम्मू और कश्मीर (6,920) में हैं। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2008 तक तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर लगभग 18.81 करोड़ रु. खर्च किए थे। वर्ष 2008 के पश्चात तिब्बती शरणार्थियों पर कोई व्यय नहीं किया गया है। तथापि उत्तराखंड राज्य में एक शेष आवास परियोजना कार्यान्वयन चरण पर है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान उत्तराखंड राज्य सरकार को इस योजना के अंतर्गत 9.00 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित अवशिष्ट कार्य :

4.169 वर्ष 1946 से 1971 की अवधि के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 52.31 लाख लोग विस्थापित होकर भारत आए। इन 52.31 लाख व्यक्तियों में से 37.32 लाख विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल में पुन:स्थापित किया गया। उन्हें पुन:स्थापित करने के लिए विभिन्न राहत एवं पुनर्वास कदम उठाए गए। तथापि जैसे कि इन उपायों को अपर्याप्त पाया गया, 1976 में यह निर्णय किया गया कि विस्थापित व्यक्तियों की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएं। विस्थापित व्यक्तियों की शहरी कॉलोनियों में मूलभूत संरचनाओं का विकास शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 1976 से 2000 के बीच तीन चरणों में पूरा किया गया। शहरी विकास मंत्रालय ने ग्रामीण कालोनियों में मूलभूत संरचना विकास संबंधित कार्य करने के लिए मना कर दिया तथा यह सुझाव दिया कि इस मामले को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है।

4.170 ग्रामीण क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों की कालोनियों में मूलभूत संरचना सुविधाओं के विकास संबंधी मामले को सचिवों की समिति के समक्ष रखा गया। सचिवों की समिति ने सिफारिश की कि इस मामले को गृह मंत्रालय द्वारा प्रोसेस करने की आवश्यकता है। जब यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन था तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों की ग्रामीण कालोनियों में मूलभूत अवसंरचना विकसित करने हेतु अनुदान सहायता का अपना अनुरोध जारी रखा। इस मामले की जांच की गई तथा यह देखा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों की 88 ग्रामीण कॉलोनियों में पहले ही मूलभूत संरचना सुविधाएं विकसित कर ली है। अत: जनवरी, 2011 में यह निर्णय किया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार को विस्थापित व्यक्तियों की 258 कॉलोनियों में अवस्थित 44,000 भूमि खंडों में मूलभूत संरचना सुविधाएं विकसित करने हेतु 79.10 करोड़ रु. उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को मार्च 2013 तक कुल 31 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। बजट अनुमान 2013-14 में 25 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध है तथा बजट अनुमान की राशि को कम करके 6.8 करोड़ रु. कर दिया गया है। तथापि, उपयोग प्रमाणपत्र के अभाव में राज्य सरकार को धनराशि जारी नहीं की जा सकी। इसलिए 26.8 करोड़ रु. की राशि लौटा दी गई। बजट अनुमान 2014-15 में 1.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

<u>1947 में पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों और 1971 में छम्ब-नियाबात क्षेत्र से कैम्प विहीन विस्थापित व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान आदि:</u>

4.171 भारत सरकार ने छम्ब नियाबात क्षेत्र से विस्थापित कैंप-विहीन व्यक्तियों तथा पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के लिए क्रमश: अप्रैल तथा अगस्त, 2000 में राहत पैकेजों की घोषणा की थी। पात्र विस्थापित व्यक्तियों के जायज़ दावों का सत्यापन करने के लिए संभागीय आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अनुमेय लाभों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(क) छम्ब नियाबात क्षेत्र से 1971 में कैंप-विहीन विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000/- रु. की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान।

(ख) पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों (1947) के लिए प्रति परिवार 25,000/- रु. की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान।

(ग) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार अधिकतम 25,000/- रु. की दर के अध्यधीन 5000 रु. प्रति कनाल की दर से भू-भाग की क्षति के लिए नकद प्रतिपूर्ति का भुगतान।

(घ) जम्मू और कश्मीर राज्य में पहले से बस चुके उन विस्थापितों को, जिन्हें विगत में भूखंड आबंटित नहीं किए गए, उन्हें भू-खण्डों के आबंटन के लिए 2.00 करोड़ रु. का भुगतान।

(ङ) राज्य सरकार को 46 नियमित कॉलोनियों में जन सुविधाओं में सुधार के लिए 25.00 लाख रु. का भुगतान।

4.172 अनुग्रह राहत/पुनर्वास सहायता के भुगतान हेतु जायज दावेदारों का सत्यापन करने के लिए संभागीय आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में गठित समिति ने पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के पात्र लाभग्राहियों की पहचान का कार्य शुरू कर दिया है। सत्यापित एवं पात्र परिवारों को संवितरण के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा वर्ष 2002-04 के दौरान 6.17 करोड रु. की कुल राशि जारी की गई थी। जम्मू एवं कश्मीर सरकार को जारी 6.17 करोड़ रुपए की सहायता में से जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 1873 पात्र परिवारों को 423.71 लाख रु. की राशि वितरित

की है। 1947 में पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों को भूमि की कमी के बदले अनुग्रह राशि के भुगतान के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.12.2008 को जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को पुन: 49.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार ने मार्च 2014 तक 1.5 लाख रु. प्रति कनाल की अधिकतम दर के अध्यधीन 25,000 रु. प्रति कनाल की दर से 2537 पात्र लाभार्थियों को 26.7159 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति कर दी है।

4.173 जहां तक छम्ब नियाबत क्षेत्र से कैंप-विहीन विस्थापित व्यक्तियों (1971) का संबंध है, समिति ने 25,000/- रु. प्रति पात्र परिवार की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के लिए कुल 1965 मामलों में से 1502 मामलों का सत्यापन कर लिया है। भारत सरकार ने मार्च, 2004 में पात्र लाभग्राहियों को वितरित करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को 83.00 लाख रु. की राशि जारी की है। राज्य सरकार ने अब तक 1,230 पात्र लाभग्राहियों को 25000/- रु. प्रति परिवार के हिसाब से अनुग्रह भुगतान का वितरण कर दिया है।

4.174 भारत-पाक युद्ध 1965 और 1971 के पश्चात्, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1971 को एक संकल्प सं. 12/1/1971-ई आई एण्ड ई पी पारित किया गया जिसमें उन भारतीय राष्ट्रिकों एवं कम्पनियों, जो पश्चिमी व पूर्वी पाकिस्तान में थी, को खोई सम्पत्तियों के 25% तक के अनुग्रह अनुदान के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई और जिसकी अधिकतम सीमा 25.00 लाख रु. थी। दावेदारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के जरिए 31.3.2014 तक 71.04 करोड़ रु. की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। भुगतान दावों के प्राप्त होने के बाद जारी किए जाते हैं। अत: यदि भुगतान के लिए दावे प्राप्त हों तो 2014-15 के दौरान भुगतान किया जाएगा। वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना के तहत बजट में योजनेतर 4.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। सूचना निर्धारित प्रपत्र में दी जाती है।

<u>पुलिस नेटवर्क (पोलनेट):</u>

4.175 समन्वय पुलिस बेतार (डी सी पी डब्ल्यू), कानून एवं व्यवस्था तथा अन्य महत्वपूर्ण संदेश भेजने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानी, राज्य पुलिस संगठनों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों में डी सी पी डब्ल्यू मुख्यालय और अंतर राज्य पुलिस वायरलैस स्टेशन के बीच एक सैटेलाइट आधारित राष्ट्रीय संचार नेटवर्क कायम कर रहा है।

4.176 समन्वय पुलिस वायरलैस निदेशालय (डी सी पी डब्ल्यू) के स्टेशनों में रिमोट टर्मीनल के रूप में बहुत छोटे अपर्चर टर्मीनल लगे होते हैं। वी सेट से वी सेट तक संप्रेषण सर फोर्ट रोड, नई दिल्ली में स्थित पोलनेट हब के रूप में जाने जाने वाले मुख्य नियंत्रण स्टेशन के माध्यम से होता है।

4.177 पोलनेट, वार्षिक किराया आधार पर इसरों से लीज पर लिए गए इनसेट-3 ई सैटेलाइट ट्रान्सपोन्डर पर कार्य कर रहा है। इस समय पूरे देश में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी, राज्य पुलिस संगठनों में डी सी पी डब्ल्यू स्टेशनों पर 980 वी एस ए टी लगाए गए हैं जो दिल्ली में स्थित एक एच यू बी स्टेशन से नियंत्रित होते हैं।

4.178 समन्वय सदन, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली में स्थापित पोलनेट हब के लिए ट्रान्सपोंडर रेंटल, लायसेंस शुल्क, एन ओ सी सी प्रभारों के संबंध में ''समन्वय पुलिस बेतार निदेशालय के उप-शीर्ष व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं'' के अंतर्गत 9.22 करोड़ रु. की राशि तथा वर्ष 2014-15 के लिए पोलनेट हब के ए एम सी के संबंध में मद शीर्ष ''लघु कार्य'' के अंतर्गत 1.08 करोड़ रु. की राशि का अनुमान लगाया गया है।

<u>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम</u>:

4.179 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदाओं के प्रति समय से और प्रभावकारी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों के निर्धारण का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपनी स्थापना की शुरूआत से ही अधिदेश के कार्यान्वयन तथा एक आपदा-प्रत्यास्थी भारत के सपने को साकार करने हेतु एक कार्रवाई मूलक कार्यक्रम पर जोर दिया है। एन डी एम ए द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्य तथा चालू गतिविधियां इस रिपोर्ट के उत्तरवर्ती भाग में दी गई हैं। उक्त का विस्तृत ब्यौरा निम्नवत है:

(i) आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति।
(ii) आपदा विशिष्ट एवं प्रासंगिक विषयों पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश।
(iii) प्रशमन परियोजनाएं।
(iv) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय पहलें।
(v) चिकित्सा संबंधी तैयारी।

(vi) सी बी आर एन तैयारी।

(vii) राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ।

(viii) नकली अभ्यास।

(ix) जागरूकता अभियान।

(x) शिक्षा।

(xi) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।

<u>आपदा प्रबंधन के बारे में राष्ट्रीय नीति</u>:

4.180 आपदा प्रबंधन के बारे में राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन, एन डी एम ए द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रतिमान परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पूर्व में राहत केन्द्रीय दृष्टिकोण से इतर रोकथाम, तैयारी एवं प्रशमन सहित आपदाओं के व्यापक प्रबंधन की परिकल्पना के साथ किया गया था। यह नीति "रोकथाम, प्रशमन, तैयारी तथा कार्रवाई की संस्कृति के माध्यम से एक व्यापक, अग्र सक्रिय, बहु आपदा मूलक एवं प्रौद्योगिकी समृद्धित रणनीति के विकास द्वारा एक सुरक्षित एवं आपदा प्रत्यास्थी भारत के निर्माण हेतु" राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है एवं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की रूपरेखा तथा पर्याप्त निवारक/प्रशमक उपाय अपनाकर क्षतियों को न्यूनतम करने हेतु रणनीति मुहैया कराती है। इसमें एक अग्र-सक्रिय, बहु-आपदा उन्मुखी तथा तकनीकी आधारित कार्य योजना तैयार करके एक सुरक्षित एवं आपदा प्रत्यास्थी भारत का निर्माण करना है। इसमें संकट के दौरान निवारण, प्रशमन, तैयारी और त्वरित राहत और पुनर्वास के संस्थागत, विधिक और वित्तीय ढांचों जैसे संकट प्रबंधन के क्षेत्र शामिल हैं।

4.181 यह नीति एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक ऐसे व्यापक ढांचे के निर्माण की आशा की गई है जिसके अंदर केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों द्वारा विशिष्ट कार्रवाई की जानी जरूरी होती है।

इस नीति के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं:

i. जानकारी, अभिप्रेरण और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर निवारण, तैयारी और प्रतिरोध की संस्कृति को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी, पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरण को कायम रखने के आधार पर प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना तथा आपदा प्रबंधन को विकास संबंधी योजना की मुख्य धारा में शामिल करना।

ii. इस विनियामक पर्यावरण एवं अनुपालन प्रणाली तैयार करने के लिए उचित तकनीकी-विधिक प्रणाली स्थापित करना; आपदा जोखिमों के निर्धारण, मूल्यांकन और मॉनीटरिंग संबंधी कुशल तंत्र सुनिश्चित करना और तात्कालिक भविष्यवाणी और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना।

iii. समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति समाधान परक दृष्टिकोण तथा सुरक्षित जीवनयापन सुनिश्चित करने के लिए आपदा-रोधी ढांचों का निर्माण करने के रूप में पुनर्निर्माण कार्य करना।

iv. राज्यों को उनके मौजूदा संसाधनों के भीतर विशिष्ट रूप से सुसज्जित राज्य आपदा कार्रवाई बल की बटालियन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

v. कॉर्पोरेट जगत को आपदाओं, जोखिमों और खतरों से निपटने के लिए अपनी व्यावसायिक सामुदायिक योजनाओं को फिर से तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना और कॉर्पोरेट जगत की क्षमता में वृद्धि करने और उन्हें राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच लोक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

vi. आपदा प्रबंधन से संबंधित समकालीन ज्ञान को संबंधित विशेषीकृत क्षेत्रों में शामिल करने के लिए वस्तुकला, इंजीनियरिंग, पृथ्वी विज्ञान और मैडिसिन में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों की समीक्षा करना।

आपदा प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश:

4.182 उद्देश्यों को योजनाओं के रूप में मूर्त रूप देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सक्रिय विभिन्न संस्थानों (प्रशासनिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) की सहायता से अनेक पहलों को शामिल करते हुए एक मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाया है। विशिष्ट आपदाओं और विषयों (जैसे क्षमता विकास और जन जागरूकता) पर आधारित ये दिशानिर्देश योजनाओं की तैयारी का आधार प्रदान करेंगे। दिशानिर्देश तैयार करने के दृष्टिकोण में स्टेकहोल्डरों के साथ भागीदारी और परामर्शी प्रक्रिया को शामिल किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्राकशित दिशानिर्देश तथा अन्य रिपोर्टें अध्याय I में पैरा 1.5 में दी गई हैं।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल

4.183 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एन डी आर एफ का गठन किसी प्रकार की आपदा अथवा संकटपूर्ण आपदा स्थिति के लिए एक विशेषज्ञ बल के रूप में किया गया था। इस बहु प्रशिक्षण एवं बहु-कौशल युक्त बल को अंतर राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षित एवं सुसज्जित किए जाने के कारण देश के विभिन्न अवस्थलों पर अवस्थित किया गया है और इस बल ने देश भर में विभिन्न आपदा घटनाओं में भाग लिया है।

एन डी एम ए वेबसाइट

4.184 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इंटरनेट प्रयोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी वेबसाइट का प्रभावी रूप से उपयोग कर रहा है। इसके संगठनात्मक ढांचे, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में सभी सूचना इस साइट पर डाल दी गई है। इस साइट में मॉक अभ्यास के दौरान दिशानिर्देशों, सीखों और टिप्पणियों, एन डी आर एफ के बारे में सूचना आदि भी दी गई है। इस वेबसाइट को हाल ही में अद्यतन बनाया गया है।

प्रदर्शनियों एवं व्यापारिक मेले

4.185 एन डी एम ए ऐसी विभिन्न प्रदर्शनियों एवं व्यापारिक मेलों में हिस्सा लेता रहा है जहां प्रचार सामग्रियों जैसे-चैनेलों, ब्रोशर्स, इश्तहारों तथा दिशानिर्देशों को दर्शाते स्टाल लगाए जाते हैं।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

4.186 राज्य एवं जिला स्तरों पर विभिन्न पदाधिकारियों को सुग्राही बनाने हेतु एन डी एम ए ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी के साथ एक संयुक्त पहल की शुरूआत की थी। इन कार्यक्रमों में इन संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से, राज्य तथा जिला स्तर पर फील्ड लेवल के अधिकारियों के लिए आरंभिक बुनियादी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ विशेष रूप से आयोजित कार्यशालाएं संचालित की जाती हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 2012-13

4.187 वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 78 फेस-टु-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे। इन कार्यक्रमों में 2081 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन 78 कार्यक्रमों में से 39 कार्यक्रम आपदा प्रबंधन और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के केन्द्रों के साथ मिलकर चलाए गए थे। इस संस्थान ने इस अवधि के दौरान व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचे तथा समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन, वित्तीय रणनीतियां, सुरक्षित शहर, जलवायु परिवर्तन, भूकंप जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम विश्लेषण, जेंडर एवं आपदा तथा जोखिम संवेदनशील भूमि प्रयोग योजना तैयार करने जैसे विशेषीकृत विषयों पर 12 वेब आधारित पाठ्यक्रम भी आयोजित किए। इन पाठ्यक्रमों में कुल 771 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2012-13 के दौरान एन आई डी एम द्वारा आयोजित फेस टू फेस इन-कैंपस और ऑफ-कैंपस कार्यक्रमों का ब्यौरा:

अफ्रीकी पदाधिकारियों के लिए कार्यक्रम:

4.188 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने पी पी प्रभाग, गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के कहने पर 7 से 18 जनवरी, 2013 तक अफ्रीकी देशों के पदाधिकारियों के लिए व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन के बारे में एक कार्यक्रम आयोजित किया। 8 अलग-अलग अफ्रीकी देशों के 19 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस पाठ्यक्रम को 11 विभिन्न मॉड्यूल्स में विभाजित किया गया जिसमें भूकंप, बाढ़ और सूखा जैसी आपदाओं के अतिरिक्त अवधारणाएं, क्षेत्र मामला अध्ययन, भारत में संस्थागत प्रणाली, वित्तीय तंत्र, जलवायु परिवर्तन, नीति, कार्रवाई आदि को शामिल किया गया। इस पाठ्यक्रम में प्रतिभागियों के आगरा और जयपुर दौरे भी शामिल थे, जिनमें जयपुर में प्रतिभागियों को विभिन्न सूखा प्रबंधन और प्रशमन उपायों के बारे में भी बताया गया। इस पाठ्यक्रम की प्रतिभागियों द्वारा सराहना की गई।

सैटेलाइट आधारित कार्यक्रम 2012-13

4.189 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने वर्ष 2012-13 के दौरान विज्ञान प्रसार दिल्ली और ए टी आई कर्नाटक के साथ मिलकर सात सैटेलाइट आधारित कार्यक्रम आयोजित किए। लगभग 12500 बुनियादी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, छात्रों आदि ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

भारत के महारजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं

जनगणना 2011

4.190 भारत में वर्ष 1872 से नियमित दशकीय जनसंख्या जनगणनाएं कराने की लम्बी परम्परा रही है जनसंख्या जनगणना 2011 देश की 15वीं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह 7वीं जनगणना है । जनसंख्या जनगणना देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है जोकि जनसंख्या से संबधित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मानदण्डों के संबध में अत्यावश्यक आंकड़े उपलब्ध कराती है । जनगणना संबंधी कार्य दो चरणों अर्थात् मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना और जनसंख्या की गणना के रूप में किया जाता है । जनसंख्या की जनगणना-2011 का पहला चरण - मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना अप्रैल-सितम्बर, 2010 में और दूसरा चरण – जनसंख्या की गणना फरवरी-मार्च,2011 में संचालित किया गया था । जनगणना 2011 के दो चरणों के दौरान परिवारों और व्यक्तियों के संबंध में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक जनांकिकी मानदण्डों जैसे मकानों की मात्रा और गुणवत्ता, उपलब्ध सुख-सुविधाएं, स्वामित्व वाली सम्पत्तियां, आयु, लिंग, साक्षरता, धर्म, नि:शक्तता, अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां, भाषाएं/मातृभाषाएं,आर्थिक क्रियाकलाप की स्थिति और प्रवास संबंधी आंकड़े एकत्र किए गए हैं।

4.191 जनसंख्या की गणना के अनन्तिम आंकड़े गणना के पूरा होने के तीन सप्ताह के रिकार्ड समय में मार्च, 2011 के अन्त तक जारी कर दिए गए थे । घर के साजो-समान, सुख-सुविधाओं, सम्पत्तियों पर गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़ा देते हुए मकानसूचीकरण और मकान जनगणना 2011 के अंतिम परिणामों को समय-सारणी से एक वर्ष पहले जारी कर दिया गया था । मकान जनगणना पर आधारित स्त्री मुखिया परिवारों और स्लम परिवारों पर आंकड़े भी बिल्कुल पहली बार जारी किए गए हैं । जिला/उप-जिला स्तर के अंतिम आंकड़े देते हुए जनसंख्या गणना पर आधारित प्रारम्भिक जनगणना सार (पी.सी.ए.) को समय-सारणी से पहले जारी किया गया है । जिला स्तर तक के आवास एवं लिंग के संबंध में आयु-वार आंकड़े, स्लम का पी.सी.ए. तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पी.सी.ए. इलेक्ट्रानिक रूप से जारी किया गया है । कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एकल वर्ष आयु वर्ग के आंकड़े और पांच वर्ष तक के आयु-समूह के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। संस्थागत परिवार और बेघर परिवार और जनसंख्या के आंकड़े जारी किए गए हैं । जनसंख्या के आकार के अनुसार गांवों के चार्ट में जारी कर दिए गए हैं। कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की आयुवार और लिंगवार अशक्तता के अनुसार संबंधित आंकड़े में जारी किए गए हैं ।

4.192 जनगणना 2011 की जनसंख्या गणना पर गणना पश्चात सर्वेक्षण का फील्ड कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कवरेज एवं विषयवस्तु में चूक और दोहराव से संबंधित आंकड़ों को संसाधित किया जा रहा है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए जनगणना आयुक्त को स्वर्ण पदक प्रदान किया था ।

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के अधीन योजनागत स्कीमें

1. **जन्म-मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली में सुधार**

सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस):

4.193 देश में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का कार्य, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है । भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा संपूर्ण देश में रजिस्ट्रीकरण के कार्यकलापों का समन्वय और एकीकरण किया जाता है जबकि मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इस अधिनियम के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के निष्पादन के लिए मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं।

4.194 रजिस्टर किए गए जन्म और मृत्यु के मामलों के अनुपात में गत वर्षों के दौरान निरन्तर वृद्धि देखने में आई है । देश में जन्म के मामलों का रजिस्ट्रीकरण स्तर पिछले वर्ष की तुलना में 2010 के आंकडों के अनुसार 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज करते हुए 82.00% तक बढ़ा है । वहीं दूसरी ओर मृत्यु के मामलों के रजिस्ट्रीकरण का स्तर पिछले वर्ष के समान रहा है और 67% तक पहुंचा है । पिछले वर्ष की तुलना में 2010 के दौरान त्रिपुरा, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में मृत्यु के मामलों के रजिस्ट्रीकरण के स्तर में गिरावट के कारण राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु के मामलों के रजिस्ट्रीकरण के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

4.195 रजिस्ट्रीकरण के स्तर के संबंध में राज्यों में व्यापक अंतर विद्यमान रहे । अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों ने जन्म के मामलों के रजिस्ट्रीकरण का शतप्रतिशत स्तर प्राप्त किया है । हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों ने जन्म के रजिस्ट्रीकरण का 90% से अधिक का स्तर प्राप्त किया है । तथापि, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर में यह 60% से कम है ।

4.196 असम (+17.9%), राजस्थान (+5.0%), गोवा (+5.0%), उड़ीसा (+4.8%) और झारखंड (+4.5%)राज्यों में विगत वर्ष की तुलना में जन्म के मामलों के रजिस्ट्रीकरण के स्तर में उल्लेखनीय

वृद्धि हुई है । आंध्र प्रदेश (2.8%), तमिलनाडु (2.5%) और उत्तराखंड (2.6%) में विगत वर्ष की तुलना में जन्म के मामलों के रजिस्ट्रीकरण के स्तर में मामूली वृद्धि हुई है ।

4.197 मृत्यु के मामलों के रजिस्ट्रीकरण के स्तर के दृष्टिकोण से गोवा, मिजोरम राज्य और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने मृत्यु के मामलों के रजिस्ट्रीकरण में शत प्रतिशत स्तर प्राप्त किया है । केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में मृत्यु के 90% से अधिक मामलों का रजिस्ट्रीकरण किया जा रहा है । अरुणाचल प्रदेश और बिहार राज्यों में मृत्यु के मामलों का रजिस्ट्रीकरण 40% से कम है । छत्तीसगढ़, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा दादरा और नगर हवेली को छोड़कर अधिकांश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में मृत्यु के मामलों के रजिस्ट्रीकरण का स्तर जन्म के मामलों के रजिस्ट्रीकरण से कम है । मृत्यु के मामलों के रजिस्ट्रीकरण के कम स्तर का कारण आंशिक रूप से महिला मृत्यु और नवजात मृत्यु के मामलों का रजिस्ट्रीकरण न होना है ।

<u>सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया प्रशिक्षण मैनुअल</u>:

4.198 सिविल रजिस्ट्रीकरण संबंधी रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए प्रशिक्षण मैनुअल को 13 भाषाओं में विकसित किया गया है ।

<u>चिकित्सीय संस्थानों का डाटाबेस:</u>

4.199 रजिस्ट्रीकरण के लिए संस्थागत मामलों का 100% कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सरकारी और निजी अस्पतालों सहित ऐसे चिकित्सीय संस्थानों का डाटाबेस तैयार किया गया है जहां जन्म और मृत्यु होते हैं ।

<u>प्रशिक्षण:</u>

4.200 विभिन्न राज्यों के रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं को प्रत्येक वर्ष जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में शामिल प्रक्रियाओं, सांख्यिकीय सूचना के संकलन, इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

4.201 वर्ष 2013-14 के दौरान सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए 17 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड को कुल 107.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है ।

4.202 डिजिटाइजेशन के लिए वर्ष 2013-14 में मिजोरम, राजस्थान और दिल्ली को कुल 284.00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई थी ।

प्रचार:

4.203 जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के लिए आवासीय घटना (जन्म/मृत्यु संबंधी) की जानकारी देने का उत्तरदायित्व परिवार के मुखिया का है । इसलिए, रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता तथा अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों के विषय में आम जनता में जागरूकता सृजित करने की आवश्यकता थी । दूरदर्शन और निजी टीवी/आकाशवाणी/डिजिटल सिनेमा के माध्यम से जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता संबंधी वीडियो/आडियो स्पॉटों का प्रसारण किया गया । रजिस्ट्रीकरण के कम स्तर वाले राज्यों में रजिस्ट्रीकरण का स्तर सुधारने के लिए अग्रणी स्थानीय समाचारपत्रों में जन्म के रजिस्ट्रीकरण संबंधी विज्ञापन जारी करना एक अन्य ऐसा क्रियाकलाप था जोकि जारी रहा । जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण संबंधी संदेश पोस्टरों/वाल हैंगर्स, स्टिकर्स और स्थानीय समाचार पत्रोंके माध्यम से भी प्रसारित किए गए । जनता की रुचि बनाए रखने के लिए प्रसारण के वास्ते नए वीडियो स्पॉट्स और रेडिया जिंगल्स भी तैयार किए गए । वर्ष 2013-14 के दौरान प्रचार पर 1525.00 लाख रुपये की राशि का व्यय हुआ ।

4.204 वर्ष 2013-14 के दौरान योजना स्कीमों के अंतर्गत सीआरएस को एनपीआर के साथ जोड़ने के लिए मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु के कार्यालय में अनुबंध आधार पर राज्य समन्वयकों और जिला रजिस्ट्रार कार्यालयों के लिए डाटा प्रोसेसिंग सहायकों को नियुक्त करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 1855.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी । सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस) को सुदृढ़ करने के लिए 3 राज्यों अर्थात ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा सभी 7 संघ राजयक्षेत्रों के सभी उप-जिला स्तर पर डाटा एंट्री केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है जिसके लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रारों को 1165.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी ।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस)

4.205 वर्ष 1970 में अपने प्रारंभ से ही सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (सै.र.प्र.) अन्य बातों के साथ-साथ शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और स्त्री मृत्यु दर सहित प्रजनन दर और मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों का निरंतर स्रोत रही है । सैम्पल को सम्पूर्ण जनसंख्या के प्रति अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के मुख्य उद्देश्य से नवीनतम जनगणना परिणामों के आधार पर सै.र.प्र. सैम्पल प्रत्येक दस वर्षों में बदल दिया जाता है । वर्तमान सैम्पल को 2011 की जनगणना फ्रेम के आधार पर बदला गया है और सैम्पल

आकार को 7597 इकाइयों से बढ़ाकर 8861 इकाइयों तक कर दिया गया है और 2014 के अर्ध वार्षिक सर्वेक्षणों के लिए प्रभावी होगा ।

4.206 वर्ष 2008-09 के दौरान, वर्ष 2007 के लिए लिंग और आवास के अनुसार जन्म दरों, मृत्यु दरों और शिशु मृत्यु दरों को समाहित करके सै.र.प्र. बुलेटिन- 2008, वर्ष 2007 की प्रजननता और मृत्यु के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट सहित जन्म-मृत्यु दरों से युक्त सै.र.प्र. सांख्यिकीय रिपोर्ट तथा सै.र.प्र. आधारित संक्षिप्त जीवन सारणियां 2002-06 प्रकाशित किए गए । वर्ष 2009-10 के दौरान, भारत के मातृ मृत्यु के स्तर 2004-06 के संबंध में विशेष बुलेटिन, 2008 की जन्म-मृत्यु दरों सहित सै.र.प्र. बुलेटिन,2009 और भारत के प्रजननता और मृत्यु संबंधी संकेतकों का सार,1971-2007 प्रकाशित किए गए हैं । 2010-11 के दौरान,2009 की जन्म-मृत्यु दरों से युक्त सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली बुलेटिन- 2011 को जारी किया गया । 2011-12 के दौरान, सै.र.प्र. सांख्यिकीय रिपोर्ट- 2009, 2010 की जन्म-मृत्यु दरों से युक्त सै.र.प्र. बुलेटिन-2011, सै.र.प्र.- सांख्यिकी रिपोर्ट-2010 और भारत के मातृ मृत्यु 2007-09 के संबंध में विशेष बुलेटिन प्रकाशित किए गए हैं । 2012-13 के दौरान, 2011 की जन्म-मृत्यु दरों सहित सै.र.प्र. बुलेटिन, सै.र.प्र. सांख्यिकीय रिपोर्ट -2011 और वर्ष 2003-07 से 2006-10 तक के लिए सै.र.प्र. आधारित संक्षिप्त जीवन सारणियां प्रकाशित की गई हैं । 2013-14 के दौरान, 2012 की जन्म-मृत्यु दरों की सै.र.प्र. बुलेटिन जारी कर दी गई है जबकि सै.र.प्र. सांख्यिकीय रिपोर्ट-2012 को प्रकाशित करवाने के लिए आंकड़ों को संसाधित किया जा रहा है ।

4.207 पूर्णत: एकीकृत आनलाइन प्रणाली विकसित करने की समग्र योजना के हिस्से के रूप में सै.र.प्र. के अंतर्गत फील्ड से हैंड हेल्ड उपकरणों के माध्यम से तुरंत आंकड़ा संग्रहण शुरू करने की एक योजना है । इलेक्ट्रानिक डाटाबेस सृजित करने के अतिरिक्त इससे आंकड़ा संग्रहण और रिपोर्टों को जारी करने के बीच के समय के अंतर को कम करने में सहायता मिलेगी । सै.र.प्र. के लिए साफ्टवेयर का विकास अंतिम रूप देने के अधीन है ।

4.208 तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2011 जनगणना फ्रेम पर आधारित सै.र.प्र. सैम्पल को परिशोधित कर दिया गया है । सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यवार सैम्पल चयन का कार्य पूरा हो चुका है । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भौमिक पहचान और खण्डीकरण कार्य समापन के निकट है । इन नए सैम्पल यूनिटों के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण 2013-14 के दौरान किए जाएंगे । बेसलाइन सर्वेक्षण और अर्धवार्षिक सर्वेक्षणों के बाद के दौरोंके दौरान प्राप्त की जाने वाली सूचना की मदों को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जा चुका है । सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली सर्वेक्षण करने के लिए अनुदेशों के मैनुअल को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

4.209 वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में फील्ड कार्यकर्त्ताओं अर्थात पर्यवेक्षकों और अंशकालिक प्रगणकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को मान्यता प्रदान करने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार का सर्वश्रेष्ठ फील्ड कार्यकर्त्ता अवार्ड वितरित किया गया है । वर्ष 2008-09 और 2010-11 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पी टी ई हेतु 11वीं योजनावधि के संबंध द्विवार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण के दो दौर आयोजित किए गए जिससे फील्ड पदाधिकारियों का कार्य-निष्पादन और उनके द्वारा एकत्रित आंकड़ों की गुणवत्ता बेहतर हो सके। वर्ष 2012-13 के दौरान जनगणना-2011 पर आधारित नए नमूने संबंधी बेसलाइन सर्वेक्षण के आयोजन सहित एस आर एस क्रियाकलापों में डी सी ओ पदाधिकारियों को पुन:श्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण (एमसीसीडी)

<u>वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कार्य-निष्पादन</u>

4.210 मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाणीकरण (एमसीसीडी) जैसाकि आरबीडी अधिनियम, 1969 में दिया गया है, का उद्देश्य मृत्यु दरों के कारणों पर विश्वसनीय आंकड़ा प्रदान करना था और इसलिए इसका जन्म-मृत्यु आंकड़े प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है । मृत्यु प्रमाणपत्र में सूचना जनता, स्वास्थ्य योजनाकारों, चिकित्सा पेशेवरों और अनुसंधान कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुमूल्य औजार है । बीमारियों के संबंध में मृत्यु का आकार और भौगोलिक वितरण, विभिन्न आयु की अवस्था पर विभिन्न कारणों से मृत्यु के खतरों का मूल्यांकन बहुत से लोक स्वास्थ्य योजनाकारों, प्रशासकों, चिकित्सा वैज्ञानिकों और अनुसंधान कार्यकर्ताओं की रुचि के कुछ पहलू हैं ।

<u>वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कार्य निष्पादन (अक्तूबर, 2013 तक)</u>

4.211 एमसीसीडी के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों और कोड कर्ताओंके लिए प्रशिक्षण: 22 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एम.सी.सी.डी योजना के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों और सांख्यिकीय कोडकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 62.98 लाख रुपये की राशि की वित्तीय सहायता 2013-14 के दौरान स्वीकृत की गई । इस योजना के सुदृढ़ीकरण और मृत्यु के कारणों के आंकड़ों की बेहतर गुणवत्ता के लिए गुजरात, सिक्किम, केरल और हरियाणा राज्यों में नोसोलोजिस्ट (चिकित्सा सांख्यिकीविद) के पद सृजित किए गए हैं और जन्म-मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रारों के संबंधित कार्यालयों में इन पदों को भर लिया गया है।

4.212 वर्ष 2009 के लिए एम सी सी डी की वार्षिक रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं और वर्ष 2010 की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

जीपीएस आधारित भू-स्थानिक नगर मानचित्रण (जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण के अंतर्गत)

4.213 जी.आई.एस. आधारित नगर मानचित्रण के उद्देश्य हैं (i) वार्ड सीमा रेखाओं और भू-चिह्न संबंधी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं को दर्शाते हुए देश के सभी सांविधिक नगरों (4041) का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना, अन्य प्रमुख वास्तविक लैण्डस्केप, अवसंरचना, प्रमुख सांस्कृतिक/ऐतिहासिक, पर्यटन महत्व के स्थानों इत्यादि के साथ वार्ड स्तर पर नगरों का स्थानिक भौगोलिक डाटाबेस तैयार करना (ii) जनगणना आंकड़ों को जोड़ना और उनकी त्वरित पुन: प्राप्ति के लिए उन्हें चुम्बकीय मीडिया में भंडारित करना (iii) भवनों, मकानों, लेनों, बाइलेनों और महत्वपूर्ण भू-चिह्नों को दर्शाते हुए वार्ड स्तर पर राजधानी शहरों के स्थानिक आंकड़ों की पूर्ण कवरेज मुहैया कराना । भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने गांव की सीमाओं तथा देश के सभी सांविधिक नगरों को दर्शाते हुए सभी प्रशासनिक इकाइयों अर्थात राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, जिलों, उपजिलों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है । अब समग्र डाटाबेस को एक ही प्लेटफार्म पर लाने के लिए ग्रेटीक्यूल्स (अक्षांश और देशान्तर) को ऐसे सांविधिक नगरों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है जोकि भू-संदर्भित नहीं है । इसलिए इस प्लान परियोजना को विस्तारित किए जाने और समग्र डिजिटल डाटाबेस को एक डोमेन में लाने का प्रस्ताव है । इससे संबंधित कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण का वर्णन आगे के पैराग्राफों में किया गया है ।

4.214 इसी प्रकार से मकान सूचीकरण कार्य और जनसंख्या की गणना 2011 के दौरान राजधानी शहरों के इन मानचित्रों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए देश के बड़े शहरों और दस लाख से अधिक की जनसख्ंया वाले अन्य शहरों के विकास ध्रुवों पर जी.आई.एस. आधारित नगर मानचित्रण के कार्य का विस्तार किए जाने का भी प्रस्ताव है । सेटेलाइट नगरों के समग्र विकास को राजधानी शहर के एन.सी.टी. दिल्ली से लेकर समग्र एन.सी.आर. तक नगरीय विकास के समान कवर करने के लिए बड़े शहरों के मौजूदा कार्य का विस्तार करना अधिक सुविधाजनक होगा जिसमें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़ इत्यादि शामिल हैं । इसी प्रकार से आस-पड़ोस के नगरीय कारीडोरों जैसे कि थाणे, कल्याण, वाशी इत्यादि को शामिल करते हुए मुख्य शहर मुम्बई की कवरेज का भी विस्तार किया गया है । जुड़वां शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद का भी कई गुणा विस्तार किया गया है और अब इसे ग्रेटर हैदराबाद के नाम से जाना जाता है । प्रशासनिक तौर यह हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों के क्षेत्र को कवर करता है । बंगलुरु नगरीय शहर का भी कई गुणा विस्तार हो चुका है और अब ये बृहत बंगलुरु के रूप में जाना जाता है । चैन्नई शहर में भी अन्य बड़े शहरों की भांति विगत दशक के दौरान इसी प्रकार की वृद्धि प्रदर्शित हुई है । कोलकाता शहर भी अनेक विकास केन्द्रों से घिरा

हुआ है । अत: इन छह बड़े शहरों को उनके विकास ध्रुव केन्द्रों के लिए विस्तृत मानचित्रण हेतु कवर किया जाना प्रस्तावित है ।

4.215 इस दृष्टिकोण के साथ सांविधिक नगरों की महत्वपूर्ण अवस्थितियों, इण्टर सेक्शनों तथा भू-चिह्न विशेषताओं के सूत्रजाल के चयन हेतु ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली (जी.पी.एस.) (हाथ से पकड़ा जाने वाला उपकरण) का उपयोग किए जाने और इन्हें डिजिटल फाइलों में रूपांतरित किए जाने का प्रस्ताव है । इससे भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में मौजूद सभी डिजिटल फाइलें नगरों में वार्ड और ग्राम स्तर तक **जनगणना के आंकड़ों के प्रसार हेतु** एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगी । मानक प्रपत्र में होने की वजह से यह डाटा किसी अन्य विकासात्मक गतिविधि के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु तैयार मिलेगा । जी.आई.एस. मानचित्रण को इन बड़े शहरों के आसपास के क्षेत्रों में भी चरणबद्ध रूप से विस्तारित किया जाएगा तदनंतर अन्य 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में किया जाएगा ।

<u>पूर्ववर्ती प्लान परियोजना की उपलब्धियां (परिणाम)</u>

4.216 11वी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यालय ने 33 राजधानी शहरों का वार्ड मानचित्रण डिजिटल फार्मेट में पूरा कर लिया था जोकि जनगणना 2011 की तैयारी के एक हिस्से के रूप में मकानों, भवनों, लेनों, बाईलेनों, रोड नेटवर्क तथा अन्य बड़े भू-चिह्न संबंधी विशेषताओं को दर्शाता है । जनगणना गणना ब्लाक मानचित्रों के अभाव में अक्सर हो जाने वाली चूक तथा दोहराव को कम करते हुए इससे ऐसे व्यापक मानचित्रों की उपलब्धता की बेहतर कवरेज सुनिश्चित होगी । ये वार्ड/ईबी स्तरीय मानचित्र मकानसूचीकरण कार्य के दौरान और एक बड़े स्तर पर जनसंख्या की गणना 2011 में भी उपयोग में लाए गए । जनगणना संगठन हेतु इन मानचित्रों की उपयोगिता के अतिरिक्त ये मानचित्र अन्य विकासात्मक गतिविधियों में भी काफी उपयोगी है । परियोजना नियत तिथि पर पूरी हुई है और इस परियोजना के अंतर्गत तैयार किए गए विस्तृत मानचित्रों का सफलता पूर्वक उपयोग किया गया है ।

4.217 उपर्युक्त के अलावा 4041 सांविधिक शहरों से संबंधित डिजिटल डाटाबेस का सृजन, जिसमें वार्डों की सीमाएं और अन्य महत्वपूर्ण भू-चिह्न संबंधी विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं; भी पूरा कर लिया गया । ये सांविधिक शहर मानचित्र विभिन्न नगरीय प्राधिकरणों से अधिप्राप्त किए गए थे और इन्हें वार्ड स्तर तक जनगणना के आंकड़ों के प्रसार हेतु उपयोग में लाया जा रहा है ।

<u>मार्च, 2014 तक उपलब्धियां</u>

4.218 6 बड़े शहरों के 28 सेटेलाइट नगरों के मामले में बाहरी फैलाव, प्रशासनिक इकाइयों की संख्या पर सूचना सरकारी एजेन्सियों से प्राप्त कर ली गई है ।

4.219 बाहरी सीमाओं, वार्ड सीमाओं, महत्वपूर्ण चिह्नों, सड़क/रेल नेटवर्क और स्थान के नामों को दर्शाते हुए 6 बड़े शहरों के 28 सेटेलाइट नगरों के मानचित्र नवीनतम क्षेत्राधिकार के अनुसार अद्यतन कर दिए गए हैं ।

4.220 सूक्ष्म स्तरीय भू-डाटाबेस तैयार करने के लिए राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र (एन.आर.एस.सी.), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, हैदराबाद से 6 बड़े शहरों के 28 सेटेलाइट नगरों से संबंधित सेटेलाइट डाटा प्राप्त करने का कार्य पूरा हो चुका हैं ।

4.221 31 दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के मामले में माइक्रो-लेवल भू-डाटाबेस तैयार करने के लिए हाई रेजुलेशन सेटेलाइट आंकड़े की प्राप्ति का कार्य राष्ट्रीय रिमोट सैंसिंग सेन्टर, अन्तरिक्ष विभाग में प्रक्रियाधीन है ।

<u>जनगणना में आंकड़ों के प्रचार-प्रसार से संबंधित कार्यकलापों का आधुनिकीकरण</u>

4.222 जनगणना 2011 कार्य के पूरा होने के बाद, काफी संख्या में सारणियां प्रचार-प्रसार के लिए तैयार करके जारी की गई हैं । यदि एकत्रित किए गए आंकड़े संसाधित करके सारणियां तैयार नहीं की जाती हैं और उपयोग कर्ताओं को उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो जनगणना को अपूर्ण माना जाता है ।

4.223 एक विशद आंकड़ा प्रसार नीति विकसित की गई है और वह आई.एफ.डी. (गृह) के अनुमोदन के बाद लागू की जाएगी । इस नीति के अंतर्गत जनगणना **1991 से 2011 तक** प्रकाशित सभी डाटा सेट उपयोग के लिए नि:शुल्क डाउनलोड के रूप में जनगणना वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं ।

4.224 आंकड़ा उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए स्परैड-शीटों के रूप में अंतिम सारणियां जारी की जा रही हैं । कुल जनसंख्या, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा मलिन बस्तियों इत्यादि के लिए मकानों, घरेलू सुख-सुविधाओं एवं परिसम्पत्तियों पर और प्राथमिक जनगणना सार पर भी बड़ी संख्या में सारणियां जारी की गई हैं । जनगणना 2011 के परिणामों के प्रसार के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए यू.एन. एजेन्सियों की सहायता से सेन्सस इन्फो के रूप में जाना जाने वाला एक नवीन साफ्टवेयर विकसित किया गया है ।

4.225 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत एक नई पहल की गई है, वह है- लोक निधि का प्रयोग करके एकत्रित किए गए जनगणना डाटा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों और संस्थानों में जनगणना 2001 और जनगणना 2011 की सैम्पल माइक्रो डाटा फाइलों पर अनुसंधान के लिए वर्कस्टेशनों की स्थापना करना । कुल 19 वर्कस्टेशनों की स्थापना करने की

योजना है, जिनमें से 5 वर्कस्टेशन पहले ही चालू किए जा चुके हैं और शेष 11 वर्कस्टेशनों के लिए कार्य प्रगति पर है ।

4.226 1865 से 2001 जनगणना तक की प्रकाशित पुरानी जनगणना रिपोर्टों को डिजिटाइज करने के लिए भी पहल की गई हे ताकि अध्ययनवेता और अन्य उपयोगकर्ता उन्हें प्राप्त कर सकें और उनका उपयोग कर सकें । डिजिटाइज्ड डाटा प्राप्त करने के लिए वर्क स्टेशनों की स्थापना का कार्य सभी जनगणना निदेशालयों में प्रगति पर है ।

4.227 सरकार के निर्णयों के अनुसार राष्ट्रीय आंकड़ा साझा और पहुंच नीति को लागू करने के लिए पहले ही कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है, जिसके अनुसार एन.आई.सी. द्वारा स्थापित सरकारी डाटा पोर्टल अर्थात http://data.gov.in में जनगणना डाटा की प्राप्ति की व्यवस्था की जाएगी ।

4.228 जनगणना आंकड़ों की उपलब्धता के बारे में आगन्तुकों को जागरूक करने के लिए यह कार्यालय विभिन्न पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भी भाग ले रहा है । नवीनतम जनगणना 2011 आंकड़ों की उपलब्धता और उपयोग के बारे में आंकड़ा उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में आंकड़ा प्रसार कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया है ।

<u>प्रशिक्षण एकक की स्थापना</u>

4.229 किसी परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है । राष्ट्रीय तथा खासकर विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों के प्रतिभागियों को जनगणना पद्धति और इसके कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय में एक जनगणना संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीआरटीसी) की स्थापना की गई है ।

4.230 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम में न केवल पहले से ही तैनात कार्मिकों के प्रशिक्षण/पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास प्रशिक्षण शामिल हैं अपितु भर्ती किए गए नए अधिकारियों/कार्मिकों का अभिविन्यास/इनडक्शन प्रशिक्षण भी शामिल है । संगठन का तेजी से कम्प्यूटरीकरण किए जाने के कारण भी गैर-सूचना प्रौद्योगिकी कार्मिकों कोकम्प्यूटर कौशल का प्रशिक्षणदेने की तथा समय-समय पर सूचना प्रौद्योगिकी वाले कार्मिकों की जानकारी को अद्यतन करने की आवश्यकता है ।

<u>प्रशिक्षण एकक द्वारा किए जा रहे मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :</u>

(i) एकसमान प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से संगठन के भीतर प्रतिभागियों और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करना ।

(ii) जनगणना कार्य निदेशालय के स्तर पर आयोजित किए गए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में अनुदेश और दिशानिर्देश तैयार करना तथा उपलब्ध करवाना ।

(iii) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को उपलब्ध करवाए जाने वाली प्रशिक्षण पुस्तिकाएं प्रभागीय प्रमुखों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श से तैयार करना ।

(iv) भिन्न-भिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के सभी प्रभागों तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के जनगणना कार्य निदेशालयों के साथ समन्वय करना ।

(v) राज्यों तथा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में आयोजित किए गए सभी प्रकार के प्रशिक्षणों हेतु केन्द्रीय स्तर पर समग्र मॉनिटरिंग तथा पर्यवेक्षण ।

4.231 अगली जनगणना की चुनौतियों से निपटने के लिए संगठन हेतु तैयारी करने तथा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के कार्मिकों की सक्षमता तथा क्षमता का एकस्तर सुनिश्चित करने के लिए वर्षों चलने वाले प्रशिक्षण कार्यकलापों में उपर्युक्त क्षेत्र शामिल होंगे । वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान, सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-I और फीडर ग्रेड के अन्वेषक (एस.एस.) हेतु दो बैचों में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था,जिनमें मुख्यालय तथा जनगणना कार्य निदेशालयों से 44 (चवालीस) अधिकारियों को विभिन्न विषयों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था । इन-हाउस प्रशिक्षण के अतिरिक्त, सी.आर.टी.सी. के तहत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों हेतु एक प्रशिक्षण आयोजित किया गयाथा । म्यांमार के 10 (दस) प्रतिभागियों को जनगणना पद्धति तथा इसके प्रचालन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था । 2013-14 के दौरान, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय (मुख्यालय) से 10 (दस) प्रतिभागियों को 'जनांकिकी तकनीकों' के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था । पूर्वोत्तर राज्यों से 60 (साठ) प्रतिभागियों को शामिल करके जनांकिकी तकनीक प्रशिक्षण को गुवाहाटी में दो बैचों में आयोजित किया गया था । इसी विषय पर सीडीएस, तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था जिसमें केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के 60 (साठ) प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था । इसी प्रकार, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के 40 (चालीस) प्रतिभागियों को आईएसआई कोलकाता में इसी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था । 53 (तिरपन) सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I को भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों के कम्प्यूटर संबंधी कौशलों की अभिवृद्धि हेतु 139

(एक सौ उन्तालीस) प्रतिभागियों को 5 बैचों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था । अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे । भूटान से 17 (सत्रह) प्रतिभागियों और टिमोर लेस्टे से 8 (आठ) प्रतिभागियों को सीआरटीसी के तहत जनगणना पद्धति तथा इसके प्रचालनों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था ।

4.232 2012-13 में कुल 54 (चौवन) प्रतिभागियों और 2013-14 में कुल 387 (तीन सौ सतासी) प्रतिभागियों को उल्लिखित वित्तीय वर्षों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था ।

भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एम.टी.एस.आई.)

पृष्ठभूमि

4.233 मानव जाति के पास एक सबसे मूल्यवान वस्तु है – भाषा । विभिन्न जातियों की 121 करोड़ जनसंख्या और 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भारत में कई भाषाएं विद्यमान हैं । जनगणना के दौरान परिवार में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी मातृभाषा के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर से भाषा संबंधी आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं । नृजातीय उद्गम के संयोजनों के संबंध में जनसंख्या की संरचना का विश्लेषण करने के लिए मातृभाषा के आंकड़े सर्वाधिक उपयोगी माध्यम हैं ।

4.234 भारत में, देश में बोली जाने वाली मातृभाषाओं/भाषाओंपर आंकड़ों का बुनियादी स्रोत जनगणना है । प्रत्येक जनगणना में बहुत बड़ी संख्या में मातृभाषाएं बताई जाती हैं । इनकी, वास्तविक भाषाओं और मिलती-जुलती भाषाओं के संदर्भ में पहचान और इन्हें वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है ताकि देश का सार्थक भाषायी स्वरूप प्रस्तुत किया जा सके । मातृभाषा का पैटर्न परिवर्ती प्रवृत्ति का होता है । अत: प्रत्येक जनगणना देश की भाषाई अवस्था का परिवर्तनात्मक प्रोफाइल प्रदान करती है । युक्तिकृत और वर्गीकृत मातृभाषाओं के बारे में जानकारी द्वारा भाषाई हलचलों, भाषाई आंदोलन और लोगों की भाषा से संबंधित महत्वाकांक्षाओं के बारे में बहुमूल्य अन्तदृष्टि प्राप्त होती है ।

4.235 आठवीं पंचवर्षीय योजना की एक ऐसी ही सर्वेक्षण परियोजना से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, कार्य पद्धति में कुछ संशोधनों के साथ, एक नया सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता महसूस की गई । तदनुसार, भाषाओं के संबंध में 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक नई परियोजना के रूप में** "**भारत का मातृभाषाई सर्वेक्षण**" नामक एक परियोजना शुरू की गई थी ।

4.236 11वीं पंचवर्षीय योजना में एम.टी.एस.आई. परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में और देश,

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण केप्रमुख भाषाविदोंको शामिल करके एक तकनीकी सलाहकार समिति (भाषा) भी गठित की है जहां एम.टी.एस.आई. सर्वेक्षण की कार्य पद्धति प्रस्तुत की गई थी । फील्ड कार्य करने में फील्ड भाषाविदों की कमी चिंता का एक मुख्य विषय था । विस्तृत रूप से जांच कर लेने के बाद, टी.ए.सी.(एल) ने एक ऐसीप्रक्रिया का परीक्षण करने का प्रस्ताव दिया जिसके अन्तर्गत फील्ड आंकड़ों का एकत्रीकरण प्रशिक्षित गैर-भाषाविदों द्वारा कराया जाए और पूरे साक्षात्कार की व्यावसायिकविडियोग्राफी की जाए जिसेबाद में व्यावसायिक लिप्यंतरणकर्ताओं द्वारा लिप्यंतरित किया जाएगा । लिप्यंत्रित आंकड़ों और श्रव्य-दृश्य सामग्रीका भाषाविदों द्वारा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन के लिए उपयोगकिया जाएगा । प्रक्रिया की फील्ड जांच के बाद, 12वीं योजना की मातृभाषा सर्वेक्षण परियोजना के लिए प्रश्नावली और रिपोर्ट सांचे को बेहतर बनाया गया है ।

4.237 तकनीकी सलाहकार समिति (भाषा) ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए चुनी गई मातृ-भाषाओं की भीजांचकी और पहले से वर्गीकृत कुछ मातृभाषाओं खासतौर पर जिनके बोलने वालों की संख्याकम है और जो सर जॉन अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा स्वतंत्रता पूर्व अवधि में भारत के भाषायी सर्वेक्षण में किए गए फील्ड सर्वेक्षण में शामिल नहीं थीं,को शामिल किए जाने की अनुशंसा की । 11वीं योजना में भारत की मातृभाषा सर्वेक्षण परियोजना से संबंधित मूल्यांकन समिति द्वारा भी ऐसी ही सिफारिश की गई है ।

4.238 तकनीकी सलाहकार समिति (भाषा) और 11वीं योजना के भारत के मातृभाषा सर्वेक्षण से संबंधित मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकृत मातृभाषाओं में तकनीकी सलाहकार समिति (भाषा) द्वारा प्रस्तावित मॉडल का प्रयोग करके विस्तृत अध्ययन में वर्गीकृत मातृभाषाओं में से 12वीं योजना अवधि में भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण परियोजना के लिए अनंतिम रूप से 300 मातृभाषाओं का चयन किया गया है । इसके अतिरिक्त, जनगणना, 2011 की मातृभाषा और अन्य भाषाओं के आंकड़े 2013 तक तैयार हो जाने की आशा है । पूर्ववर्ती जनगणनाओं की तरह, नए नाम उभरने की संभावना है जिन्हें 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनायी गई भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण परियोजना की प्रक्रिया के अनुसार ही वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित है । अनंतिम रूप से लगभग 300 अवर्गीकृत मातृभाषाओं का ऐसा अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है । अत: 12वीं योजना अवधि में कुल 600 मातृभाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण करना शामिल है ।

4.239 तकनीकी सलाहकार समिति (भाषा) की सिफारिशों के आधार पर, सर्वेक्षण की प्रक्रिया और प्रश्नावली आदि संशोधित की गई हैं । संक्षेप में, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत के मातृभाषा सर्वेक्षण की संवर्धित विशेषताएं निम्नवत हैं :-

(i) समुन्नत और संवर्धित प्रश्नावली - जिसमें पुरानी प्रश्नावली के 250 शब्दों और 100 वाक्यों की तुलना में 1000 शब्द, 500 वाक्य और 1 नि:शुल्क व्याख्यान है ।

(ii) किसी मातृभाषा के न्यूनतम 8 बोलने वाले जिनमें युवा,वृद्ध, पुरुष, स्त्री और ग्रामीण/शहरी विविधताओं वाले लोग शामिल हों, से डाटा संग्रहण ।

(iii) गैर-भाषायी कार्मिकों जो ओ.आर.जी.आई. के फील्ड कार्मिक हैं, खासतौर पर इस उद्देश्य के लिए पहले से ही प्रशिक्षित हैं, द्वारा डाटा संग्रहण ।

(iv) पूरी विडियोग्राफी के पश्चात प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा सम्पूर्ण डाटा का लिप्यंतरण । यह भविष्य में प्रयोग के लिए डाटा के नमूनों के परिरक्षण में सहायक होगा ।

(v) वरिष्ठ भाषाविद, प्राय: प्रमुख विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रोफेसरों के पर्यवेक्षण में भाषाविदों द्वारा तदन्तर विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन ।

(vi) गैर भाषाविदों द्वारा संग्रहीत फील्ड डाटा के आधार पर केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा लिप्यंतरण, विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन और पर्यवेक्षण का एक भाग तैयार किया जाएगा और इस प्रकार गृह मंत्रालय के अन्तर्गत ओ.आर.जी.आई. एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा पहली बार इसे सहयोगात्मक प्रयास का रूप दिया जाएगा ।

पूर्ववर्ती प्लान परियोजना की उपलब्धियां (परिणाम)

4.240 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कार्यालय ने ली गई सभी 541 मातृभाषाओं का फील्ड सर्वेक्षण और वर्गीकरण का कार्य पूरा कर लिया है । अभी तक बताई गई इन "अवर्गीकृत" भाषाओं का वर्गीकरण, जनगणना 2011 में प्राप्त भाषा संबंधी अपरिष्कृत उत्तरों की कोडिंग करने में अत्यधिक उपयोगी होगा तथा भविष्य के जनगणना आंकड़ों में अवर्गीकृत बताई गई भाषाओं की संख्या को कम करने में सहायक होगा ।

<u>2013-14 के दौरान उपलब्धियां</u>

4.241 फील्ड कार्य के लिए लगभग 50 गैर-भाषाविद कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है । तत्पश्चात 72 मातृभाषाओं का पूरी विडियोग्राफी सहित फील्ड सर्वेक्षण अब तक पूरा किया जा चुका है । प्रत्येक चयनित मातृभाषा के लिए 4 सूचनादाताओं से डाटा रिकार्ड किया जा रहा है, यदि मातृभाषा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पायी गयी थी और यदि मातृभाषा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से रिपोर्ट की गई थी तो

8 सूचनादाताओं से डाटा रिकार्ड किया गया था । इसके बाद, प्रश्नावली की रिकार्डिंग पूरी करने के लिए इन-हाउस सुविधाओं का प्रयोग करके फील्ड डाटा की जांच की जा रही है और तदुपरांत इन्हें इसके लिप्यंतरण और विश्लेषण के लिए बाह्य स्रोतों से लिए गए विद्वानों को वितरित किया जा रहा है । 2013-14 के दौरान, 221 सैम्पलों का डाटा लिप्यंतरण और 244 सैम्पलों का डाटा विश्लेषण कार्य पूरा किया जा चुका है । फिर भी, डाटा लिप्यंतरण और विश्लेषण की गति अनुमान से काफी धीमी है । चूंकि बाह्य स्रोतों से लिए गए विद्वानों में से अधिकांश विद्वान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के छात्र हैं जो इन संस्थानों/विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं और वे अपने सामान्य कार्यकलापों के अतिरिक्त इस कार्य को भी करते हैं, इसलिए कार्य की गति इस स्तर से अधिक नहीं हो सकी है । इसलिए चुनिन्दा मातृभाषाओं का फील्ड कार्य यथाशीघ्र पूरा करने की योजना बनायी गई है जो इन मातृभाषाओं के परिरक्षण में सहायक होगी । इसके बाद लिप्यंतरण, विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन अनुवर्ती तारीख तक किया जा सकता है । डिजीटल डाटा के समुचित परिरक्षण, समुचित सुविधाओं का सृजन, पहले इनके इन-हाउस प्रोसेस और तदुपरांत उसे एन.आई.सी. में स्टोर करने का काम 2013-14 में शुरू किया जा रहा है । किसी मातृभाषा से जुड़े सभी सैम्पलों के डाटा लिप्यंतरण और विश्लेषणों की जांच के उपरांत प्रत्येक मातृभाषा का समेकित रिपोर्ट-लेखन शुरू किया जाएगा । 6 मातृभाषाओं की समेकित रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है ।

4.242 यह प्रस्ताव है कि 2014-15 के दौरान अन्य 150 मातृभाषाओं को फील्ड सर्वेक्षण हेतु लिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, 2014-15 के दौरान लगभग ऐसी 50 मातृभाषाओं का लिप्यंतरण और विश्लेषण किया जाएगा जिनका फील्ड कार्य 2013-14 की अंतिम तिमाही में पूरा कर लिया जाएगा । फील्ड कार्य पूर्ण होने के पश्चात आउटसोर्स की गई एजेंसियों के माध्यम से (भाषा प्रभाग की इन हाऊस सुविधाओं का उपयोग करके) विडियो डाटा की जांच एवं इसका लिप्यंतरण और एक निगरानी प्रणाली की स्थापना की जाएगी तथा जांचे एवं स्वच्छ किए गए डाटा का भंडारण, लिप्यंतरण और विश्लेषण एन.आई.सी. में किया जाएगा । 2014-15 में अन्य 20 मातृभाषाओं के समेकित रिपोर्ट लेखन का कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा ।

<u>राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर</u>

<u>(क) देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने की योजना</u>

4.243 नागरिकता अधिनियम, 1955 को 2003 में संशोधित किया गया था और धारा 14क जोड़ी गई थी, जिसमें यह प्रावधान है कि “केन्द्रीय सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से रजिस्टर करेगी और उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करेगी” । अधिनियम के तहत भारत के महारजिस्ट्रार को

राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी/नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार के रूप में पदनामित किया गया है । इसके साथ-साथ, इस उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हुए नागरिकता (रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 को लागू किया गया है ।

4.244 जनसंख्या रजिस्टर तत्पश्चात भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एन.आर.आई.सी.) तैयार करने में शामिल जटिलताओं को समझने,देश में राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने और इन प्रक्रियाओं की व्यावहारिकता की जांच करने, प्रौद्योगिकी का चयन करने और कार्यपद्धति निर्धारित करने के लिए 30.96 लाख जनसंख्या को शामिल करते हुए 12 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र के चयनित क्षेत्रों में एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की गई । परियोजना की कुल लागत 44.36 करोड़ रुपये थी। प्रायोगिक क्षेत्रों में नागरिकों को 12.50 लाख से अधिक कार्ड प्रदान किए गए थे । एक वर्ष के रखरखाव चरण के दौरान, स्थानीय स्तर पर नागरिक डाटाबेस को अद्यतन करने और इसके रखरखाव के लिए तालुक स्तर पर एम.एन.आई.सी. केन्द्रों ने सेवाएं उपलब्ध कराईं । प्रायोगिक परियोजना 31.03.2009 को बंद कर दी गई । प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन के परिणास्वरूप डाटाबेस तैयार करने/आंकड़ों के वैधीकरण/आंकड़ों के भंडारण और पारेषण तथा कार्ड के वैयक्तीकरण करने की प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी भली-भांति स्थापित हो गई हैं और इनकी देश में जांच कर ली गई है ।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

4.245 एम.एन.आई.सी. परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने संबंधी प्रस्ताव अक्तूबर, 2006 में सचिवों की समिति (सीओएस) को प्रस्तुत किया गया था । सचिवों की समिति ने इस पर विचार किया और यह टिप्पणी दी कि नागरिकता का निर्धारण करने का मामला उलझा हुआ और जटिल है । इसलिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए 2011 जनगणना के दौरान जनसंख्या को कवर किया जा सकता है ।

4.246 दिसम्बर, 2006 में गठित मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने दो योजनाओं नामत: गृह मंत्रालय की एम.एन.आई.सी. और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की यू.आई.डी. को मिलाने की अनुशंसा की और भारत की जनगणना 2011 के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए देश में बायोमेट्रिक छाप लेने के साथ व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया । इस प्रकार तैयार किया गया एन.पी.आर. मूल डाटाबेस होगा ।

4.247 सरकार ने मार्च, 2010 में देश में एन.पी.आर. तैयार करने का निर्णय लिया । अनुमोदित योजना के अनुसार एन.पी.आर. में देश के सभी सामान्य निवासियों की विशिष्ट जनसांख्यिकीय जानकारी होगी ।

इसमें 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों के फोटो,10 अंगुलियों की छाप और दो आइरिस की छाप भी होगी । एन.पी.आर. तैयार करने के लिए मंत्रिमंडल ने 6649.05 करोड़ रुपए के आबंटन का अनुमोदन कर दिया है ।

4.248 एन.पी.आर. तैयार करने के लिए अपेक्षित आंकड़े 2011 की जनगणना के प्रथम चरण के दौरान एकत्रित किए गए हैं । सभी भरे हुए फार्मों (लगभग 27 करोड़) को स्कैन किया गया है । इस राष्ट्रीय महत्व की योजना के लिए 2.5 मिलियन से अधिक पदनामित सरकारी कार्मिकों को कार्य सौंपा गया ।

4.249 एन.पी.आर. तैयार करने के लिए 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों के आंकड़ों की प्रविष्टि करनेऔर तीन बायोमेट्रिक अर्थात् फोटो, दस अंगुलियों की छाप और आइरिस लेने संबंधी कार्य दो एजेन्सियों अर्थात् सी.पी.एस.यू. और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को सौंपा गया है । आंकड़े प्रविष्टि कार्य के पश्चात स्थानीय क्षेत्रों में दो दौर में कैम्प लगाकर तीन बायोमेट्रिक अर्थात् फोटो, दस अंगुलियों की छाप और आइरिस एकत्रित की जाएंगी । पहले दौर में छूट गए निवासियों को दूसरे दौर में कैम्प में आने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे । दोनों दौर में छूट गए निवासियों को तहसील स्तर पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित कैम्प में नामांकित किया जाएगा ।

4.250 दोहराव समाप्त करने और यू.आई.डी. संख्यांक (आधार) देने के लिए एन.पी.आर. डाटाबेस को यू.आई.डी.ए.आई. भेजा जाएगा । आधार संख्यांक सहित "सामान्य निवासियों" की सूची, दावे और आपत्तियां मंगाने के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशित की जाएगी और आपत्ति (यदि कोई हो) का निराकरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा । देश में 18 वर्ष और अधिक आयु के सभी "सामान्य निवासियों" को पहचान-पत्र जारी किए जाने का प्रस्ताव है । भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, एन.पी.आर. डाटाबेस का रखरखाव और इसे अद्यतन बनाने का कार्य करेगा ।

4.251 अबतक इन रिकार्डों के लगभग 118.09 करोड़ आंकड़ों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है । बायोमेट्रिक संग्रह की प्रक्रिया जारी है । 24.25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का बायोमेट्रिक संग्रहण पूरा कर लिया गया है । 19.34 करोड़ व्यक्तियों के एन.पी.आर. पैकेट दोहराव समाप्त करने और आधार कार्ड बनाने के लिए यू.आई.डी.ए.आई. को भेजे जा चुके हैं । 16.26 करोड़ लोगों के लिए आधार तैयार किए जा चुके हैं ।

4.252 एन.पी.आर. डाटाबेस देश में व्यापक पहचान डाटाबेस तैयार करने में उपयोगी होगा जिसमें पूरी पहचान और अन्य ब्यौरे होंगे जो विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत लाभ और सेवाएं लेने में

काफी सहायक होंगे एवं योजना में सुधार लाने और देश की सुरक्षा, पहचान संबंधी धोखाधड़ी रोकने और आपदा प्रबन्धन में सहायक होंगे ।

(ख) **<u>तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)</u>**

4.253 नवम्बर, 2008 में मुम्बई में हमले के पश्चात, तटीय सुरक्षा के उपाय के तौर पर तटीय क्षेत्रों में एन.पी.आर. तैयार करने और पहचान (स्मार्ट) कार्ड जारी करने का कार्य पहले शुरू किया गया था । इस योजना को 13 तटीय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों में स्थित 3331 गांवों में लागू किया गया था ।

4.254 तटीय क्षेत्रों में 3331 चयनित गांवों और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के सभी नगरों में एन.पी.आर. तैयार करने और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों को पहचान (स्मार्ट) कार्ड जारी करने संबंधी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा 216.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था ।

4.255 तटीय गांवों में आंकड़े एकत्रित करने का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है । पहचान (स्मार्ट) कार्ड तैयार करने और इसके वैयक्तीकरण का कार्य भी पूरा किया जा चुका है और इन क्षेत्रों में 18 वर्ष और अधिक आयु के सामान्य निवासियों के 65 लाख से अधिक कार्डों का वैयक्तीकरण करकेभेजा जा चुका है । यह परियोजना पूरी हो गई है ।

<u>केन्द्रीय क्षेत्र की योजना</u>

<u>केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए पुलिस प्रशिक्षण संस्थान</u>

4.256 इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय सी ए पी एफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को सम्पूरित करता है। इस योजना का मूल उद्देश्य सी ए पी एफ की प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। यह योजना सी ए जी एफ द्वारा अपनी प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचनाओं को उन्नत करने के प्रयत्नों को सम्पूरित करती है। धनराशियां मुख्यत: संस्थानों में कम्प्यूटरों, पुस्तकों, प्रशिक्षण तकनीकों तथा उपकरणों, कक्षा उपकरणों, एल सी डी कलर फोटो प्रिंटरों, इन्टरेक्टिव बोर्ड, जी पी एस, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, डीजिटल कैमरे इत्यादि के लिए होती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु धनराशियां छ: केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस तथा सशस्त्र सीमा बल) को जारी की जानी होती हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय 22.60 करोड़ रु. था जिसमें से 7.80 करोड़ रु. का उपयोग

किया गया।

4.257 इस स्कीम के परिव्यय में से सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अपने बल के कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु कम्प्यूटर, यू पी एस, पुस्तकें, प्रशिक्षण सामग्री तथा उपकरण, कक्षा उपकरण, हैड हेल्ड मेटल डिटेक्टर तथा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स इत्यादि खरीदे गए हैं। छ: सी ए पी एफ में लगभग 55000 सी ए पी एफ कर्मी उनके संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों से प्रशिक्षित किए गए है जिससे वह अपनी ड्यूटी के दौरान तथा प्रचालन क्षेत्र में अपने कार्य निष्पादन में प्रभावी हो सकें। तदनुसार इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2012-13 के दौरान 34.32 करोड़ रु. की लागत से जारी रखने का निर्णय लिया गया है जिसमें से सभी केन्द्रीय पुलिस बलों द्वारा 2.71 करोड़ रु. की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

4.258 इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2013-14 के लिए असम रायफल्स/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सशस्त्र सीमा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को 7.85 करोड़ रु. की राशि आबंटित कर दी गई है, जिसमें से वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 5.96 करोड़ रु. की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

<u>एस वी पी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद:</u>

4.259 एस वी पी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1948 में माउंट आबू में की गई थी तथा 1975 में हैदराबाद में स्थानांतरित होने के बाद अब यह **'उत्कृष्टता केन्द्र'** के रूप में कार्य कर रहा है। अकादमी नियमित भर्ती वाले आई पी एस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए मूल पाठयक्रम आयोजित करने तथा पदोन्नति द्वारा आई पी एस पद पर नियुक्त राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए प्रवेश के समय दिए जाने वाले प्रशिक्षण का आयोजन करने संबंधी कार्य करती है।

4.260 वर्ष 2009 से राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद द्वारा आई पी एस अधिकारियों के लिए कॅरियर के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन (एम सी टी पी), आई पी एस अधिकारियों के बड़े बैचों के लिए प्रशिक्षण, रणनीतिक पाठयक्रमों का आयोजन इत्यादि जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी निभाई जा रही हैं।

4.261 प्रशिक्षण गतिविधियों में हुई वृद्धि के कारण अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से सरकार ने 23 अप्रैल, 2011 को 200.67 करोड़ रु. की लागत की एन पी ए की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु एक व्यापक योजना का अनुमोदन कर दिया है।

4.262 प्रमुख कार्यों में शामिल है:

- 140 कमरों का निर्माण, वरिष्ठ अधिकारियों का भोजनालय चरण-।।
- 100 कमरों वाले नए आई पी एस भोजनालय का निर्माण
- नए इन्डोर प्रशिक्षण परिसर का निर्माण
- एक इन्डोर खेल परिसर का निर्माण 3 भू-खंडों का अधिग्रहण
- आई टी की दो परियोजनाएं

4.263 अनुमोदित परियोजनाओं में से इस 162.88 करोड़ रु. की लागत से मार्च 2013 तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा एन बी सी सी जैसी निष्पादनकर्ता एजेंसियों द्वारा पूरी की जाने वाली 29 सी एन ई अनुमोदित परियोजनाएं विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए इस मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में इन योजनाओं को जारी रखा है तथा इन योजनाओं को 31.12.2014 तक बढ़ाने के लिए दिनांक 06.03.2014 के पत्र के तहत सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन जारी किया गया है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान योजनागत के अंतर्गत 44.00 करोड़ रु. तथा योजनेतर स्कीमों के अंतर्गत 100.30 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी जिसमें से उन्होंने योजनागत शीर्ष के अंतर्गत केवल 34.20 करोड़ रु. तथा योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत 99.99 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया है। चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान योजनागत-पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत 85.58 करोड़ रु. तथा योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत 126.92 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है जिसमें से वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान योजनागत (पूंजीगत) शीर्ष के अंतर्गत 32.73 करोड़ रु. तथा योजनेतर शीर्ष के तहत 80.35 करोड़ रु. की राशि का एन पी ए द्वारा उपयोग कर लिया गया है।

4.264 देश के भारतीय पुलिस अधिकारियों को बुनियादी पाठयक्रमों तथा सेवाकालीन पाठयक्रमों में प्रशिक्षण देने के लिए एन पी ए, हैदराबाद ने विभिन्न प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम अर्थात् मिड-कॅरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष टैक्टीज पाठयक्रम, विस्फोटक तथा डिमोलिशन संबंधी पाठ्यक्रम, आपदा प्रबंधन, वी आई पी सुरक्षा आदि से संबंधित पाठ्यक्रम चलाए हैं। तदनुसार चालू वर्ष के दौरान 65 आर आर (2012 बैच) की 22 महिला कार्मिकों तथा पड़ोसी राज्यों के 12 विदेशी

अधिकारियों सहित 136 आई पी एस अधिकारियों, 16 सेवाकालीन पाठ्यक्रमों में 694 पुलिस अधिकारियों, मिड-कॅरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्य/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 148 वरिष्ठ अधिकारियों, ने भाग लिया है। मिड कॅरिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम यथा समय आयोजित किया जाएगा।

<u>पुलिस शिक्षण एवं प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत विद्रोह- रोधी एवं आतंकवाद-रोधी विद्यालयों की स्थापना</u>

4.265 इस योजना का उद्देश्य उन राज्यों के राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करना है जो वामपंथी उग्रवाद तथा अन्य विद्रोहों से प्रभावित हैं। प्रशिक्षण मुख्यत: आउटडोर होता है।

4.266 11वीं योजना अवधि के दौरान, 52.40 करोड़ रु. की लागत से असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा राज्यों में से प्रत्येक के लिए 4 अर्थात विद्रोह एवं आतंकवाद रोधी कुल 20 स्कूलों की स्थापना हेतु एक योजनागत योजना अनुमोदित की गई थी। इसका मूल उद्देश्य आतंकवाद/नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करना है। गृह मंत्रालय ने प्रत्येक सी आई ए टी स्कूल के लिए 1.5 करोड़ रु. की राशि मुहैया करवाई है। मंत्रालय प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले मानदेय शुल्क पर होने वाले आवर्ती व्यय को भी वहन करता है। इन स्कूलों के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मुहैया करवाई गई थी। यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारें सी आई ए टी स्कूलों को चलाने के लिए प्रशासनिक सहायता तथा आवश्यक प्रशिक्षण उपकरण नामत: हथियार, गोलाबारूद, सहायक मानव शक्ति इत्यादि भी मुहैया करवाएगी; बी पी आर एंड डी ने पहले से ही इस आशय के लिए प्रत्येक राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर तथा अन्य राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर इन सी आई ए टी स्कूलों का जुलाई, 2010 में निम्नानुसार पुनर्वितरण किया गया है:

(i)	असम	-	03
(ii)	बिहार	-	03
(iii)	उड़ीसा	-	03
(iv)	छत्तीसगढ़	-	04
(v)	झारखंड	-	04
(vi)	पश्चिम बंगाल	-	01

(vii)	त्रिपुरा	-	01
(viii)	मणिपुर	-	01
(ix)	नागालैंड	-	01
	कुल	**-**	**21**

4.267 इस योजना के सुगम कार्य संचालन के लिए इस मंत्रालय ने इन स्कूलों की स्थापना/ उन्नयन के लिए तथा राज्य पुलिस कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक शुल्क के भुगतान हेतु उक्त राज्यों को 39.52 करोड़ रु. की राशि जारी की है। तदनुसार, 1 दिसम्बर, 2009 से 26 नवंबर, 2012 तक 35469 से अधिक पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

4.268 इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13) में जारी रखने के लिए इस मंत्रालय ने 99.70 करोड़ रु. के परिव्यय से इस योजना पर 20 सितम्बर, 2013 को विचार किया है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 20.50 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है तथा इसे संशोधित अनुमान 2013-14 के स्तर पर कम करके 10.00 करोड़ रु. कर दिया गया है। संबंधित राज्य सरकार को समस्त राशि जारी कर दी गई है।

वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां पूरी की गईं:

- 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 99.77 करोड़ रु. की लागत से 20/9/2013 को सी आई ए टी का एस एफ सी जारी किया गया है।
- स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य आई आई पी ए, नई दिल्ली को सौंपा गया जो प्रगति पर है।
- 12वीं योजना के लिए संशोधित समझौता ज्ञापन राज्यों की स्वीकृति तथा हस्ताक्षर के लिए भेजा गया (3 राज्यों ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं)
- प्रगति की समीक्षा करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में 9.5.2013 को सी आई ए टी विद्यालयों के नोडल अधिकारियों की एक बैठक की गई।
- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक के रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने सी आई ए टी विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मई/जून 2012 में सभी सी आई ए टी विद्यालयों का दौरा किया।

- 12वीं योजना में 04 नए विद्यालय स्थापित किए गए हैं। ये महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, सीमांध्र तथा तेलंगाना में है।
- इस योजना को सीधे गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

<u>पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग की मूलभूत अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण</u>

4.269 पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से गोरे समिति की अनुशंसाओं पर वर्ष 1978 में पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी की स्थापना की गई थी। यह मेघालय में उमसा, उमियाम में स्थित है तथा 210 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इस अकादमी को, पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस कार्मिकों (ए.एस.आई. एवं इससे ऊपर की श्रेणी) हेतु प्रशिक्षण के सभी मुद्दों को देखने का कार्य सौंपा गया है।

4.270 वर्ष 2006 में यह निर्णय लिया गया था कि 'नेपा' को 'डोनर' से हटाकर गृह मंत्रालय को अंतरित कर दिया जाए। तदनन्तर 'नेपा' को दिनांक 01.04.2007 से गृह मंत्रालय में अंतरित कर दिया गया था। नेपा को सुदृढ़ करने के लिए जनवरी, 2011 में सरकार ने 82.13 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय से एक योजना शुरू की। इसका मूल उद्देश्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के समान बुनियादी ढांचा विकसित करना है।

4.271 प्रशिक्षण आवश्यकताएं पूरी करने हेतु नेपा ने अकादमी में निम्नलिखित मुख्य कार्य शुरू किए हैं :

- तरण ताल का निर्माण
- कांस्टेबल भोजनालय (मैस) का निर्माण
- इनडोर खेलकूद कम्प्लैक्स का निर्माण
- प्रशिक्षण ब्लॉक/कक्षा का निर्माण
- सड़क निर्माण
- क्वार्टर मास्टर तथा इलैक्ट्रिक स्टोर का निर्माण
- ट्रेड्समैन शॉप का निर्माण
- सभागार का निर्माण
- क) 401.90 लाख रु. की दर से 22 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण (टाइप-।। 20, टाइप V-1, टाइप VI-1)
- ख) 277.08 लाख रु. की दर से सामुदायिक भवन का निर्माण

- (ग) 277.04 लाख रु. की दर से 12 आवासीय क्वार्टरों (टाइप-III 8 तथा टाइप IV 4) का निर्माण
- एम.टी. गैराज का विस्तार
- नेपा के लिए चारदिवारी का निर्माण
- शॉपिंग परिसर का निर्माण
- अस्पताल का निर्माण
- अतिरिक्त वाहन की खरीद

निम्नलिखित कार्य पूरे कर लिए गए हैं :

- संपूर्ण पुस्तकालय
- परेड मैदान
- ड्रिल हॉल
- विविध जिम सुविधाएं
- इनडोर एवं आउटडोर फायरिंग रेंज
- मॉडल पुलिस स्टेशन
- युद्ध बाधा पाठ्यक्रम
- लघु विधि विज्ञान प्रयोगशाला
- इनटरनेट सुविधाओं से युक्त कम्प्यूटर लैब
- घुड़सवारी सुविधाएं
- ड्राइविंग सिम्युलेटर

4.272 इन परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात् मार्च, 2013 तक पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग ने 27 कार्यों को पूरा करने के लिए अब तक 30.68 करोड़ रु. की राशि का उपयोग कर लिया है। 51.19 करोड़ रु. की लागत से चल रही शेष 14 परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में शामिल किए जाने पर विचार किया गया है जिसके लिए मंत्रालय ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान 28.50 करोड़ रु. की राशि आबंटित की है जिसमें से नेपा ने योजनागत-पूंजीगत के अंतर्गत 24.00 करोड़ रु. की राशि का उपयोग कर लिया है। तदनुसार, दोनों शीर्षों के अंतर्गत वेतन और अन्य व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नेपा को वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान योजनागत-पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत 36.47 करोड़ रु. तथा योजनागत-राजस्व के अंतर्गत 23.53 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई जिसमें से नेपा ने

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 38.00 करोड़ रु. की राशि (राजस्व-17.14 करोड़ रु. तथा पूंजीगत-20.86 करोड़ रु.) का उपयोग कर लिया है। 44 परियोजनाएं पूरी कर ली गईं हैं तथा शेष 02 परियोजनाओं को 30.06.2014 तक पूरा किए जाने की संभावना है। वाहन के प्रापण की एक परियोजना पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 31.5.2013 के कार्यालय ज्ञापन के तहत रोक लगाए जाने के कारण विचार नहीं किया जा सका।

4.273 पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नेपा ने मूलत: दो पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं अर्थात् (i) डी वाई एस पी (पी) एवं सी/एस आई एस के बुनियादी पाठ्यक्रम (2007-281 प्रशिक्षु, 2008-132 प्रशिक्षु, 2009-414 प्रशिक्षु, 2010-179 प्रशिक्षु, 2011-98 प्रशिक्षु) (ii) सेवाकालीन पाठ्यक्रम (2007-138 प्रशिक्षु, 2008-105 प्रशिक्षु, 2009-68 प्रशिक्षु, 2010-724 प्रशिक्षु और 2011-667 प्रशिक्षु)। बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्क्रमों के अतिरिक्त वर्तमान संदर्भ में पुलिस-मीडिया संबंध, विद्रोह की शुरुआत तथा उपचार, आपदा प्रबंधन, कानून एवं व्यवस्था की जटिलताएं, विद्रोह-रोधी कार्रवाई तथा जंगल युद्ध, मानवाधिकार तथा शरणार्थी कानून, एच आई वी एड्स, बम निपटान, सीमा प्रबंधन, प्रशिक्षक का प्रशिक्षण, रणनीतियां, विभागीय जांच, कम्प्यूटर जागरूकता, साइबर अपराध, अवैध मानव व्यापार, आतंकवादी घटनाओं तथा जांच का प्रबंधन, आर्थिक अपराध, मादक पदार्थ विधि प्रवर्त्तन इत्यादि पर विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। तदनुसार वर्ष 2009 में 1246 पुलिस कर्मी, 2010 में 312, 2011 में 402 तथा 2012 में (नवम्बर, 2012 तक) 532 को विभिन्न प्रशिक्षणों/पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है।

4.274 नेपा में एक वर्ष का बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पुलिस उपाधीक्षक परिवीक्षार्थी तथा उप निरीक्षक कैडेट पुलिस सब डिवीजनलों और पुलिस थानों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तरों पर सक्रिय पुलिस व्यवस्था का कार्य करते हैं। ये वे अधिकारी होते हैं जो आम लोगों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आते हैं और इस प्रकार वे एक ऐसे दर्पण के रूप में कार्य करते हैं जिसके माध्यम से समूचे पुलिस प्रशासन को जनता द्वारा देखा जाएगा। अपेक्षित पेशेगत कौशल, सक्षमता और दृष्टिकोण रखने वाले ऐसे पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता का विशेष उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। "प्रशिक्षण मानवजाति को मानव संसाधनों में तथा मानव को मानवशक्ति में परिवर्तित करता है।" प्रशिक्षण से किसी व्यक्ति को निष्पादन के उच्च स्तर तक लाने में मदद मिलती है। बुनियादी प्रशिक्षण के अनुमोदित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, नेपा में प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों को जंगल शिविर, चट्टान पर चढ़ने, पुलिस-जनता संबंध, जेंडर संबंधी जानकारी आदि जैसे मुद्दों पर अतिरिक्त जानकारी दी गई है। यह अकादमी परिवीक्षार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने में नवीनतम प्रशिक्षण सामग्रियों को भी अपना रही है।

पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो की योजनागत स्कीम :

4.275 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को दिनांक 28 अगस्त, 1970 के संकल्प संख्या 8/136/68/पी-I (पेस I) के तहत अगस्त, 1971 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया :

(क) पुलिस समस्याओं पर अध्ययन करना

(ख) पुलिस कार्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग

(ग) पुलिस प्रशिक्षण संबंधी प्रबंधों की समीक्षा करना तथा प्रशिक्षण नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करना तथा उनका समन्वय करना

(घ) पुलिस कार्य तथा प्रचालनात्मक मामलों के तकनीकी पहलओं पर गृह मंत्रालय को सलाह देना

(ङ) देश में विधिविज्ञान के विकास को बढ़ावा देना, वर्ष 1973 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रशिक्षण प्रभाग जोड़ा गया

(i) पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना एवं उन्हें सलाह देना तथा देश में पुलिस कर्मियों की भावी प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना

(ii) देश में पुलिस बलों को आवश्यक सामग्री, बौद्धिक एवं संगठनात्मक संसाधनों से सुसज्जित करके उन्हें आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने तथा भावी चुनौतियों से निपटने के प्रभावी साधनों के रूप में परिवर्तित करना

(iii) पुलिस के लिए एक विजन तैयार करना।

4.276 वर्ष 2007 में योजना आयोग ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में अवसंरचना के संवर्धन संबंधी योजनाओं के लिए 130.14 करोड़ रु. का प्रस्ताव अनुमोदित किया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

(i) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मुख्यालय का निर्माण

(ii) दो नए खुफिया प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण

(iii) भोपाल में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना

(iv) अनुसंधान एवं विकास

(v) प्रशिक्षण पहल

(vi) सी डी टी एस, हैदराबाद के लिए नए प्रशिक्षण ब्लॉक, हॉस्टल और व्यायामशाला भवन की अवसंरचना के उन्नयन संबंधी नई योजनाएं।

<u>योजना सं. 1: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मुख्यालय का निर्माण तथा दो नए गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना</u>

4.277 (क) **<u>पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मुख्यालय का निर्माण:</u>** भारत सरकार गृह मंत्रालय ने महिपालपुर, नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय के कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2009 को 19.20 करोड़ रु. की लागत का योजनागत परिव्यय अनुमोदित किया। उसी भूखंड में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुख्यलाय को शामिल किए जाने के कारण, गृह मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अब 30.07.2012 को 117.34 करोड़ रु. का संशोधित लागत अनुमान स्वीकृत किया है।

4.278 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा एन बी सी सी के बीच 27/09/2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एन बी सी सी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणामस्वरूप एन बी सी सी को उक्त परियोजना शुरू करने के लिए 23.19 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। यह परियोजना कार्य सौंपे जाने की तारीख से 36 माह के भीतर पूरी की जानी है।

4.279 85.76 करोड़ रु. की लागत से निर्माण कार्य मैसर्स मार्ग लिमिटेड को सौंपा गया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 21.49 करोड़ रु. की राशि का उपयोग कर लिया है। एन बी सी सी ने अक्तूबर, 2013 तक निम्नलिखित निर्माण कार्य शुरू किए हैं:-

<u>कॉमन सुविधा ब्लॉक-ढांचा-</u>

(क) बुनियाद का कार्य पूरा कर लिया गया है

(ख) बेसमेंट स्लैब का कार्य पूरा कर लिया गया है

(ग) लॉअर ग्राउंड फ्लोट के स्लैब का कार्य पूरा कर लिया गया है

<u>राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ब्लॉक</u>

(क) बुनियाद कार्य पूरा कर लिया गया है

(ख) बेसमेंट स्लैब का कार्य पूरा कर लिया गया है

<u>पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो</u>

(क) नींव खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है

<u>रिहायशी आवास</u>

(क) नींव खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है

4.280 (ख) **<u>दो नए केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना:</u> (i) केन्द्रीय गुप्तचर विद्यालय गाजियाबाद:** इस समय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों तथा मित्र देशों के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए चंडीगढ़, हैदराबाद और कोलकाता में तीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय कार्य कर रहे हैं। चूंकि ये तीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय राज्यों/संघ राज्य खेत्रों और मित्र देशों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए 1 अप्रैल, 2009 को नए केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया।

4.281 शहरी विकास मंत्रालय ने कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद में 2.18 करोड़ रु. की लागत से 8.37 एकड़ भूमि आबंटित की है। इस संस्थान को स्थापित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:-

- केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय गाजियाबाद भवन के निर्माण के लिए एन बी सी सी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- एन बी सी सी को 25 प्रतिशत मोबाइलइजेशन एडवांस जारी किया गया

- इस समय यह संस्थान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के भवन से कार्य कर रहा है और अब तक 21 पाठ्यक्रमों में 396 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- एन बी सी सी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 8.93 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया है
- इस योजना के लिए वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान 37.00 करोड़ रु. है।

4.282 (ii) **केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, जयपुर की स्थापना:** राजस्थान सरकार ने 23.10.2012 को जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी के समीप 10 एकड़ भूमि आबंटित की है।

4.283 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को पूरा करने के लिए, इस मंत्रालय ने केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, गाजियाबाद और जयपुर के निर्माण और अन्य मदशीर्ष वेतन/मजदूरी आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए योजनागत शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के लिए 59.00 करोड़ रु. (पूंजीगत 51.00 करोड़ रु. तका राजस्व-8.00 करोड़ रु.) और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 130.00 करोड़ रु. की निधियां आबंटित की हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, हैदराबाद, चंडीगढ़ में स्थित तीन मौजूदा केन्द्रीय गुप्तचार प्रशिक्षण विद्यालय भी योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तथा उनको वर्ष 2013-14 में वेतन, मजदूरी और अन्य मद शीर्ष के अंतर्गत अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 14.23 करोड़ रु. पूंजीगत शीर्ष 0.75 करोड़ रु. की निधियां आबंटित की गई हैं। इस योजना की स्थिति निम्न प्रकार है:-

- राजस्थान में भूमि का निर्धारण कर लिया गया है। राजस्थान सरकार 3.6 करोड़ रु. की दर पर धमीकलां गांव, जिला जयपुर में 8.09 हैक्टेयर भूमि मुहैया करने के लिए सहमत हो गई है।
- गृह मंत्रालय ने भूमि की खरीद के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को 18 मार्च, 2014 को 3.60 करोड़ रु. की राशि जारी की है।
- इस समय यह संस्थान केन्द्रीय लोक निर्माण भवन से कार्य कर रहा है तथा अब तक 17 पाठ्यक्रम आयोजित करके 258 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

<u>योजना सं. 2: केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल की स्थापना (281.00 करोड़ रु. की लागत पर)</u>

4.284 भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य से भोपाल में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना के लिए 04/03/2009 को 47.14 करोड़ रु. का योजनागत परिव्यय अनुमोदित किया:-

(क) राज्यों के सीधी भर्ती के पुलिस उपाधीक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ख) राज्यों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना

(ग) राज्यों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अपर पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस उपाधीक्षकों के लिए सेवाकालीन और विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करना

4.285 उक्त पुलिस अकादमी की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के निकट 400 एकड़ मुफ्त भूमि आबंटित की है। प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए गृह मंत्रालय 7.60 करोड़ रु. की धनराशि, भोपाल में प्रि-फैब ढांचे के निर्माण हेतु जून, 2011 में स्वीकृत की है।

4.286 ई एफ सी ने 14/09/2012 को 281.00 करोड़ रु. की लागत से यह योजना अनुमोदित की है। वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न गतिविधियां शुरू करने के लिए 21.60 करोड़ रु. की राशि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई हैं, जिसमें से उन्होंने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 12.56 करोड़ रु. (राजस्व-2.57 करोड़ रु. तथा पूंजीगत-9.99 करोड़ रु.) की राशि का उपयोग कर लिया है।

4.287 गृह मंत्रालय ने उक्त अकादमी के लिए 243 पद भी स्वीकृत किए हैं। केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल ने 19 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें अब तक 355 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल 20 पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।

योजना सं. 3: अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो संबंधी परियोजनाएं:-

4.288 10.12 करोड़ रु. तथा 3.26 करोड़ रु. के परिव्यय से एक योजना स्वीकृत की गई। इस योजना के माध्यम से पुलिस व्यवस्था और सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास शुरू किया जाना है। चल रही अनुसंधान परियोजनाएं तथा XIIवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किए जाने के लिए पुलिस अनुसंधान संबंधी स्थाई समिति, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नई योजनागत परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं:-

(क) चल रही योजनाएं (पुलिस अनुसंधान एवं सुधारात्मक प्रशासन)

(i) पूर्वोत्तर में महिलाओं के प्रति अपराध तीसरी किश्त+समन्वयक शुल्क

(ii) पूर्वी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध तीसरी किश्त+समन्वयक शुल्क

(iii) उत्तरी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध तीसरी किश्त+समन्वयक शुल्क

(iv) पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध तीसरी किश्त+समन्वयक शुल्क

(v) 8 घंटे की पारी के लिए पुलिस हेतु तीसरी किश्त मानवशक्ति की राष्ट्रीय आवश्यकता

(vi) ऊंचे क्षेत्रों में तैनाती तीसरी किश्त+समन्वयक शुल्क

(vii) पुलिस बलों/केन्द्रीय अर्ध सैनिक दूसरी और तीसरी किश्त+समन्वयक शुल्क बलों में तनाव प्रबंधन

(viii) अपराधों को पंजीकृत किया जाना: समस्याएं और समाधान दूसरी और तीसरी किश्त+समन्वयक शुल्क

(ix) जिला और स्तर पर पुलिस नेतृत्व के विषयों को निर्धारित करना तथा उनके मापन के साधन विकसित करना तीसरी किश्त+समन्वयक शुल्क

(x) संतुलित कॅरिअर विकास के लिए कांस्टेबलों से लेकर आई पी एस अधिकारियों तक की सभी रैंकों का प्रशिक्षण संबंधी आावश्यकताओं का निर्धारण तीसरी किश्त 2013-14+समन्वयक शुल्क

(xi) शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए सख्त कानून तथा यातायात प्रबंधन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया वर्ष 2013-14 में तीसरी किश्त+समन्वयक शुल्क

(xii) कैदियों के सुधार और पुनर्वास के बारे में जेल उद्योगों सहित सुधारात्मक कार्यक्रमों की स्थिति वर्ष 2013-14 में तीसरी किश्त+समन्वयक शुल्क

(ख) <u>नई योजनाएं (पुलिस अनुसंधान एवं सुधारात्मक प्रशासन)</u>

(i) जनसांख्यिक परिवर्तन तथा प्रभावी पुलिस कार्रवाई के उपाय

(ii) अधीनस्थ रैंकों में मानव संसाधनों में क्षमता निर्माण

(iii) भारत में महिला पुलिस नेतृत्व का विकास

(iv) प्रभावी तटीय पुलिस व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

(v) पुलिस भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए कार्य योजना

(vi) साइबर सुरक्षा के विशेष संदर्भ में साइबर अपराध

(vii) भारतीय पुलिस: विजन 2025

(viii) उग्रवाद और आतंकवाद के बारे में तुलनात्मक विश्लेषण

(ix) भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियां-वर्तमान स्थिति और भावी चुनौतियां और मुद्दे।

(x) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विकास गतिविधि में पुलिस की भूमिका तथा वामपंथी उग्रवाद और विद्राहियों का मुकाबला करने के लिए सहायता के रूप में प्रौद्योगिकी का विकास

(xi) पुलिस थाना स्तर पर आसूचना संग्रहण की प्रभावकारिता और उन्नयन

(xii) जांच अधिकारी स्तर पर दक्षता और विशेषता

(xiii) पुलिस कार्य में ई-गवर्नेंस के क्षेत्रों का निर्धारण

(xiv) बुनियादी स्तर पर पुलिस की जवाबदेही

(xv) पर्यावरण संबंधी अपराध और पुलिस कार्रवाई

(xvi) ग्रामीण पुलिस व्यवस्था में सर्वोत्तम प्रणाली प्रणालियां

(xvii) शहरी पुलिस व्यवस्था में सर्वोत्तम प्रणालियां

(xviii) अपारंपरिक युद्ध के बारे में कार्य योजना तैयार करना

(xix) अपराध की जांच को कानून एवं व्यवस्था से अलग करना

(xx) पुलिस थाना स्तर से लेकर जिला पुलिस मुख्यालय स्तर तक रिकॉर्डों का प्रबंधन

(xxi) राज्य पुलिस में टीथ-टु-टेल अनुपात सुनिश्चित करने के लिए भर्ती (पुलिस सुधार संबंधी समिति की मद 12)

(xxii) पुलिस कार्रवाई को सुकर बनाने में भारत सरकार की प्रभावी भूमिका के बारे में अध्ययन (49 सिफारिशों की मद सं. 17) पुलिस सुधारों के बारे में गृह मंत्रालय की समीक्षा समिति द्वारा

(xxiii) जमीनी स्थितियों के आधार पर किसी पुलिस थाने की पुनर्संरचना से संबंधित मानदंडों का निर्धारण (49 सिफारिशों की मद सं. 17) पुलिस सुधारों के बारे में गृह मंत्रालय की समीक्षा समिति द्वारा निर्धारित

(xxiv) भूकंप जोनों में त्वरित आपदा प्रबंधन और राहत को सुकर बनाने के लिए पुलिस कार्रवाई के बारे में एक अध्ययन

(xxv) कैदियों के परिवार पर कारावास का प्रभाव

(xxvi) रिहा हुए कैदियों के लिए उनका रिहाई के बाद देखभाल संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

(xxvii) जेल अधिकारियों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना तथा उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण

(xxviii) भारत में जेल कर्मचारियों का विकास

(xxix) भारत में जेल प्रबंधन में ई-गवर्नेंस

(xxx) भारत कारावास के विकल्प

(xxxi) भारत में जेल प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के बारे में राष्ट्रीय सर्वेक्षण

(xxxii) भारत में रिहा हुए अपराधियों का अनुवर्ती अध्ययन

(xxxiii) भारतीय जेल: विजन 2025

(xxxiv) जेल प्रबंधन में मानवाधिकार पहलों को लागू करना

(xxxv) भारत में जेलों प्रबंधन में विभिन्न गतिविधियों की आउटसोर्सिंग।

<u>योजना सं. 4: प्रशिक्षण कार्रवाई योजनाएं (36.96 करोड़ रु. की लागत पर)</u>

4.289 (क) 25.00 करोड़ रु. के परिव्यय से प्रशिक्षण कार्रवाई की योजना गृह मंत्रालय द्वारा नवंबर, 2008 अनुमोदित की गई। इस योजना के 11 घटक थे। तदनुसार, वर्ष 2011 में इस योजना के प्रस्ताव का अनुरोध किया गया तथा योजना के विचारार्थ विषय तैयार किए गए और 2011 में परिचालित किए गए। इस योजना के सात घटकों के लिए कोर ग्रुप कमैटी किए गए तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकनों के आधार पर पांच परामर्शी फर्में छांटी गईं।

4.290 (ख) 11वीं योजना (2011-12) के दौरान केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थानों तथा देश में विभिन्न पुलिस अकादमियों में संचालित किए गए 202 पाठ्यक्रमों में विशेषीकृत क्षेत्रों में लगभग 3866 जांच अधिकारी प्रशिक्षित किए गए जिसके लिए 3.93 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई। इसके अतिरिक्त्, 1.29 करोड़ रु. की लागत से कांस्टेबलों के लिए हिंदी में पुस्तक एक लाख प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों को परिचालित की गईं। इस योजना का आई आई पी ए, नई दिल्ली द्वारा अलग से मूल्यांकन कराया गया।

4.291 (ग) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण पहलू योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के लिए 23.9.2013 को 36.96 करोड़ रु. का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। संशोधित योजना के निम्नलिखित 13 घटक तथा गतिविधियां हैं जिन्हें 2013-14 और 2014-15 में संचालित किया जाना हैं:-

क्र. सं.	घटक	2013-14	2014-15
i.	मानव संसाधन योजना का विकास	4 राज्य (आंध्र प्रदेश राज्य के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई)	5 राज्य
ii.	अपेक्षित दृष्टिकोण तथा मौजूदा दृष्टिकोण के बीच अंतर का विश्लेषण	2 राज्य	2 राज्य
iii.	प्रत्येक रैंक की विशेषताएं और क्षमताएं तथा उचित लिखत तैयार करना और इन लिखतों का वैधीकरण	क) विशेषताओं और क्षमताओं की सूची (इन्वेंट्री) तैयार करना तथा पुलिस कार्मिकों का आकलन। ख) निर्धारित गैपों के आधार पर प्रशिक्षण और विकास पहलों का सुझाव देना	2 राज्यों में पायलट योजना लागू करना
iv.	प्रत्येक राज्य में प्रत्येक रैंक के	3 राज्य	3 राज्य

	वांछित निष्पादन तथा वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन तथा उचित प्रशिक्षण पहल का मूल्यांकन		
v.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण तथा प्रशिक्षण क्षमता अंतर का निर्धारण	सौंपा जाएगा	10-12 राज्य
vi.	प्रशिक्षण के लिए मॉक अभ्यास करना	सौंपा जाएगा	4 अभ्यास
vii.	एस एच ओ के लिए सॉफ्ट स्किल्स (सुनना, परामर्श, संप्रेषण आदि) का प्रशिक्षण।	100 एस एच ओ	1900 एस एच ओ
viii.	प्रत्येक राज्य में जांच की गुणवत्ता का मूल्यांकन और कार्रवाई करना तथा सुझाव देना	सौंपा जाएगा	4 राज्य
ix.	विभिन्न रैंकों के लिए पदोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम तैयार करना	5 राज्य	10 राज्य
x.	विशेषज्ञ जांचकर्ता योजना विकसित करना (विदेशी प्रशिक्षण सहित)	100 पाठ्यक्रम भारत में तथा 2 पाठ्यक्रम विदेशों में आयोजित किए जाएंगे	150 पाठ्यक्रम भारत में तथा 6 पाठ्यक्रम विदेशों में आयोजित किए जाएंगे
xi.	राज्यों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों द्वारा संचालित प्रशिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन	सौंपा जाएगा	4 राज्य
xii.	विभिन्न रैंकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण सामग्री के उत्पादन और उसे अद्यतन बनाए जाने में अंतर का निर्धारण	सौंपा जाएगा	अंतर का अध्ययन 10-12 राज्यों में पूरा किया जाएगा
xiii.	फिल्में, इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स,	10 फिल्में	25 फिल्में

	ऑनलाइन मॉड्यूल्स तथा अभ्यास पुस्तिकाएं/मैनुअल्स तैयार करना		

(घ) निम्नलिखित दो नए घटक जोड़कर प्रशिक्षण पहल के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है:-

(i) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण तथा प्रशिक्षण क्षमता अंतरों का निर्धारण

(ii) विभिन्न पुलिस रैंकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण सामग्री के उत्पादन और अपडेशन में अंतर का निर्धारण

(ङ) योजना की मॉनीटरिंग तथा कार्यान्वयन के लिए एक पी एम यू अनुमोदित की गई है।

(च) प्रशिक्षण पहल योजना के मानव संसाधन विकास घटक के अंतर्गत मैसर्स रेमस्टाड ने एक राज्य (आंध्र प्रदेश) का अध्ययन किया है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का वैधीकरण चल रहा है। फर्म ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की एच आर डी योजना शुरू की है जो प्रगति पर है।

(छ) **प्रशिक्षण पहल योजना के अंतर्गत कोर सुविज्ञता विकसित करना:**

4.292 वर्ष 2013-14 के दौरान विशेषीकृत क्षेत्रों में कोर सुविज्ञता विकसित करने संबंधी घटक (घटक सं. सं. 11) के अंतर्गत वैज्ञानिक जांच के 10 विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ जांचकर्ता तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए।

4.293 वर्ष 2013-14 के दौरान (01.04.2013 से अब तक) विभिन्न केन्द्रीय और राज्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों में 52 पाठ्यक्रम संचालित किए गए जिनमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 938 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। इस वर्ष से प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित दो नए विषय शामिल किए गए हैं:

(क) आसूचना कौशल

(ख) स्टेशन हाउस प्रबंधन

4.294 इसके अतिरिक्त 150 प्रशिक्षणार्थी प्रति वर्ष के हिसाब से प्रत्येक पाठ्यक्रम के 2-3 शीर्ष पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक प्रति वर्ष बैचों में प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा जाएगा। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो विदेशों में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों का पता लगा रहा है।

4.295 इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो वित्त वर्ष के दौरान 0.24 करोड़ रु. की राशि का उपयोग कर लिया है।

योजना सं. 5: सी डी टी एस, हैदराबाद के नए प्रशिक्षण ब्लॉक, छात्रावास और जिम भवन की अवसंरचना का स्तरोनयन

(क) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैदराबाद के नए प्रशिक्षण ब्लॉक, हॉस्टल और जिम के शेष कार्य को पूरा करना

4.296 नए प्रशिक्षण ब्लॉक, होस्टल और जिम के शेष कार्य को पूरा करने के लिए 23.9.2013 को 9.33 करोड़ रु. की राशि का पुनवैधीकरण किया गया है। कार्य सितम्बर 2014 तक पूरा होने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 6.66 करोड़ रु. की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

(ख) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, चंडीगढ़ को एक नए स्थान पर अवस्थित करना तथा भूमि का आबंटन

4.297 केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, चंडीगढ़ को 2.7 एकड़ के भूखंड में केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के साथ स्थित किया गया है तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार की और गुंजाइश नहीं है। इस समय हॉस्टल केवल 25-30 प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकता को ही पूरा कर सकता है।

4.298 केन्द्रीय प्रशिक्षण विद्यालय चंडीगढ़ को ''साइबर अपराध जांच के उत्कृष्ट केन्द्र'' के रूप में विकसित करने के लिए एक समय में 100 प्रशिक्षणार्थियों को ठहराने के लिए कम से कम तीन कक्षाओं (क्लासरूप) वाला एक पृथक और स्वतंत्र परिसर अपेक्षित है।

(ग) <u>केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, कोलकाता को एक नए स्थान पर स्थित करना तथा भूमि का आबंटन</u>

4.299 केनद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, कोलकाता का अपना कोई परिसर नहीं है और यह एक पुराने भवन में बहुत ही छोटे से क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसी भवन केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी है। इस समय हॉस्टल केवल 40-50 प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकता को ही पूरा कर सकता है।

4.300 केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, कोलाकाता को वांछित स्तर तक विकसित करने और इसे **''महिलाओं के प्रति अपराध''** और **''अवैध मानव व्यापार''** जैसे विषयों के लिए एक **''उत्कृष्टता केन्द्र''** बनाने के लिए एक समय में 100 प्रशिक्षाणार्थियों को बैठाने के लिए कम से कम तीन कक्षाओं और असवंरचना से युक्त एक पृथक और स्वतंत्र परिसर अपेक्षित है।

<u>घरेलू पाठ्यक्रम</u>:

4.301 वर्ष 2013-14 में प्रशिक्षण प्रभाग निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रायोजित करेगा क) आई पी एस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए वी आई सी - 22; ख) एम डी पी पाठ्यक्रम- 30 ग) दीर्घकालिक पाठ्यक्रम-6; घ) सैन्य सेना प्रशिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम-49; ङ) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम 39; च) ''बम एवं विस्फोटक'', ''हथियार एवं रणनीतियां'' ''वी आई पी सुरक्षा'' ''यातायात दुर्घटना मामलों की जांच तथा यातायात प्रबंधन'', ''पूछताछ तकनीकें'' आदि जैसे विषयों पर योजनागत स्कीम के अंतर्गत विशेषज्ञ जांचकर्ता पाठ्यक्रम विकसित करना; छ) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों में 'स्व-विकास एवं संघर्ष प्रबंधन' जैसे विषय पर अनन्य रूप से महिला पुलिस अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम-7 इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रभाग पुलिस अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र में सुविज्ञ बनाने के लिए निम्नलिखित नौ विषयों पर कार्यशालाएं भी आयोजित करेगा:

1. जेंडर सेंसिटाइजेशन और महिलाओं के प्रति अपराध
2. सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को बचाना
3. तनाव प्रबंधन
4. अल्पसंख्यकों तक पहुंचना
5. किशोर न्याय और मानवाधिकार
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध
7. अवैध मानव-व्यापार का मुकाबला करना
8. पुलिस-जनता संपर्क में सुधार
9. वी आई पी सुरक्षा: चुनाव परिदृश्य

प्रशिक्षण निदेशालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अधीन कार्यरत पांच केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय निम्नलिखित पाठ्यक्रम तथा कार्यशालाएं भी संचालित कर रहा है:

- ''अपराध की जांच तथा उसका पता लगाने'' (13 सप्ताह का फ्लैगशिप पाठ्यक्रम), ''आतंकवादी अपराध की जांच'', ''साइबर अपराध की जांच'', ''मोबाइल फोरेंसिक'', आर्थिक अपराधों की जांच'', ''राष्ट्र के प्रति अपराध'', ''विदेशों में जांच'', ''एन डी पी एस मामलों की जांच'', ''हत्या/मानव वध के मामलों की जांच'', ''महिलाओं के प्रति अपराध और जेंडर सेंसिटाइजेशन'' आदि जैसे विषयों पर वैज्ञानिक जांच से संबंधित 120-125 पाठ्यक्रम
- ''जेंडर सेंसिटाइजेशन'', ''अल्पसंख्यकों तक पहुंच'', ''महिलाओं के प्रति अपराध'', ''किशोर न्याय एवं मानवाधिकार'', तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों पर अत्याचार आदि जैसे विषयों पर 60-65 कार्यशालाएं
- 05-06 टी ओ टी

(क) <u>अमेरिकन दूतावास द्वारा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में ए टी ए पाठ्यक्रम:</u>

4.302 डिजिटल विधि विज्ञान एवं जांच के बारे में जानकारी विस्फोटक दुर्घटना-रोधी उपायों के बारे में पाठ्यक्रम, विस्फोट उपरान्त जांच, विस्फोट दुर्घटना-रोधी उपायों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, टेक्नीकल कमांडर आदि जैसे विषयों भारत और अमेरिका में भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो/गृह मंत्रालय के साथ मिलकर अमेरिकी दूतावास द्वारा

लगभग 13 ए टी ए पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे जिनमें लगभग 200 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

(ख) भारत में विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम

4.303 भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान में जैसे मित्र देशों के विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए भारतीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में वी आई पी सुरक्षा पाठ्यक्रम, पीड़ित विज्ञान तथा पीड़ित न्याय, विधि विज्ञान तथा फोरेंसिक मेडिसिन और ओ ई डी बम निपटान पाठ्यक्रमों आदि जैसे विषयों पर लगभग 35 पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे जिनमें लगभग 3 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

1. योजना सं. 6 दो विशेषीकृत प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना (95.37 करोड़ रु. की लागत पर)

क. राष्ट्रीय यातायात प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान:

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सड़क यातायात शिक्षण संस्थान (आई आर टी ई), फरीदाबाद को सौंपा गया है।
- संस्थान हेतु भूमि के आबंटन के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है।

ख. राष्ट्रीय तटीय पुलिस व्यवस्था संस्थान:

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने का कार्य मैसर्स ऑरकाश सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव को सौंपा गया है।
- गृह मंत्रालय यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि क्या इस परियोजना को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो संचालित करेगा। यदि हां तो 400 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी।

1. **दो नए केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना (130 करोड़ रु.)**

2. योजना सं. 7 आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाएं (15.06 करोड़ रु. की लागत पर)

(i) **राज्यों में मॉडल पुलिस थानों का निर्माण:-**

4.304 आधुनिकीकरण प्रभाग, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के यू ओ सं. 52/06/प्रशा.मॉड/पी पी/2013 के तहत वर्ष 2012-17 के दौरान निम्नलिखित ग्रेड 3 मॉडल पुलिस थानों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था। इस परियोजना के लिए आबंटित निधि 3.00 करोड़ रु. है:-

क) चंपी पुलिस थाना, चंपी जिला, मिजोरम

ख) पोरोम्पत पुलिस थाना, इम्फाल पूर्वी जिला, मणिपुर

ग) अलवर, राजस्थान

उक्त परियोजना पर वित्तीय प्रभाव निम्न प्रकार है:-

चरण	वित्त वर्ष	बजट आबंटन	सारणी
चरण-1	2013-2014	1.00 करोड रु.	मिजोरम, मणिपुर और राजस्थान सरकारों में से प्रत्येक को 33.33 लाख रु. की प्रथम किश्त का भुगतान
चरण-2	2014-2015	2.00 करोड़ रु.	कार्य की प्रगति के अध्यधीन धनराशि के दूसरी और अंतिम किश्त का भुगतान

योजना का कार्यान्वयन शुरू करने के लिए मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य को 1.00 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

(ii) **महानगरों में प्रौद्योगिकी अपराध यूनिटों/साइबर अपराध जांच सैल की स्थापना**

उक्त परियोजना को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने दिया है और अब यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अधीन है।

(iii) **राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी एवं विकास केन्द्र की स्थापना**

4.305 चूंकि राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (एन पी टी डी सी) की स्थापना के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है, इसलिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की मौजूदा स्थापना में एक भूखंड निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

4.306 12वीं पंचवर्षीय योजना में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (एन पी टी डी सी) की स्थापना के लिए 12.06 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

<u>अंतरराष्ट्रीय</u> <u>द्विपक्षीय</u> **<u>प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>**

4.307 ''अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों'' के अंतर्गत एक अलग योजना पर इस प्रभाग में कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2009-10 में क्षमता निर्माण के लिए गृह मंत्रालय में ''अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से एक अलग शीर्ष सृजित किया गया था। अब तक मंगोलियन, नेपाली, वियतनामी, मालदीव, सार्क पुलिस कार्मिकों आदि को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2013-14 में अनुदान सं.55-पुलिस राजस्व भाग, 2055-पुलिस (मुख्य शीर्ष), 00.03-शिक्षा एवं प्रशिक्षण (लघु शीर्ष), 08-08.00.20- अन्य प्रशासनिक व्यय (मद शीर्ष) के अंतर्गत 53 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है। इस वर्ष के दौरान, रूसी सरकार द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की संभावना है, जिसके लिए अतिरिक्त बजट के रूप में 53,39,712/- रु. की राशि भी अपेक्षित है:-

(i) विस्फोटक एवं ब्लास्टिंग के बारे में बुनियादी पाठ्यक्रम
(ii) आई ई डी को डिफ्यूज करना
(iii) विस्फोटक स्थल का निरीक्षण, फोरेंसिक तथा बेलास्टिक जांच
(iv) विस्फोटकों से युक्त विशेष प्रकार के उपकरणों के बारे में विशेष कार्य दलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण

इस प्रकार वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 1,06,39,712/-रु. (लगभग) की आवश्यकता है।

4.308 वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों पर व्यय को वहन करने के लिए 6,02,65,335/-रु. की राशि अपेक्षित है:-

(i)	सार्क	: 15,00,000.00
(ii)	मंगोलियन	: 20,00,000.00
(iii)	वियतनाम	: 15,00,000.00
(iv)	यू एस ए के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग संबंधी पाठ्यक्रम	: 5,47,65,335.00
(v)	अप्रत्याशित व्यय	: 05,00,000.00
	कुल	**: 6,02,65,335.00**

4.309 उपर्युक्त बजट के आबंट की मांग संशोधित अनुमान 2013-14 और बजट अनुमान 2014-15 के अंतर्गत परामर्शदाता (बजट), गृह मंत्रालय को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

आप्रवासन सेवा:

क्र. सं.	परियोजना	प्रगति
1.	40 मिशनों/पोस्टों में ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली लागू करना	वर्ष 2013-14 के दौरान विदेशों में स्थित 30 भारतीय मिशनों में नया सॉफ्टवेयर प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। नया सिस्टम कार्यानिवत कर दिया गया है तथा इसे 2010 से मार्च 2014 तक 139 भारतीय मिशनों में क्रियाशील बना दिया गया है
2.	सी-एफ आर ओ मॉड्यूल को लागू करना जिसमें 500 जिला विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालयों (एफ आर ओ) में ऑनलाइन पंजीकरण, वीजा विस्तार प्रणाली आदि की परिकल्पना की गई है।	वर्ष 2013-14 में सी-एफ आर ओ 180 विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालयों, 4 पुलिस मुख्यालयों, 4 एकीकृत जांच चौकियों, 7 राज्य गृह कार्यालयों में लागू कर दिया गया है।
3.	विदेशों में स्थित 40 भारतीय दूतावासों में दो बॉयोमेट्रिक ट्रेट (अंगुलिछाप और चेहरा) सहित बायोमेट्रिक्स को लागू करना	वर्ष 2013-14 में वी आवेदकों की बायोमेट्रिक विशेषताओं (ट्रेट) को कैप्चर करने के लिए विदेशों में स्थित 29 भारतीय मिशनों में बायोमेट्रिक एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर लागू कर

		दिया गया है
4.	40 भारतीय मिशनों/पोस्टों तथा सभी हवाई अड्डों पर एकीकृत जांच चौकियों, मिशनों/पोस्टों के लिए वी पी एन कनेक्टिविटी	वर्ष 2013-14 में 30 भारतीय मिशनों में वी पी एन कनेक्टिविटी स्थापित कर दी गई है
5.	सभी हवाई अड्डों तथा एफ आर आर ओ में सी सी टी वी कैमरा लगाना	आप्रवासन ब्यूरो के परामर्श से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है
6.	एकीकृत जांच चौकियों के लिए 371 पी आर एम का प्रापण और प्रतिष्ठापन	कार्य पूरा किया गया
7.	भारत आने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक के संबंध में यू सी एफ मॉड्यूल का कार्यान्वयन	कार्य पूरा किया गया
8.	सभी एफ आर आर ओ तथा 20 एफ आर ओ में ऑनलाइन सी-फॉर्म भरे जाने संबंधी मॉड्यूल का कार्यान्वयन	वर्ष 2013-14 में 200 एफ आर ओ में सी-फॉर्म लागू कर दिया गया है
9.	सभी एफ आर आर ओ तथा 20 एफ आर ओ में विदेशी छात्र सूचना प्रणाली मॉड्यूल को लागू करना	वर्ष 2013-14 में 180 एफ आर ओ में एस-फार्म लागू कर दिया गया है

आशा है कि इन सभी उपायों से सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त भारत आने वाले वैध विदेशी यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

अध्याय - 5

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियां

5.1 अनुदान मांग-खण्ड I में गृह मंत्रालय संबंधी 5 अनुदान और खण्ड II में पाँच संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी 5 अनुदान शामिल हैं। गृह मंत्रालय के नियंत्रण वाली 10 अनुदानों के संबंध में बजट अनुमान 2013-14; संशोधित अनुमान 2013-14 और बजट अनुमान 2014-15 का सार निम्नानुसार है:-

राजस्व (करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	बजट अनुमान 2013-2014			संशोधित अनुमान 2013-2014			बजट अनुमान 2014-2015		
	योजना	योजना भिन्न	कुल	योजना	योजना भिन्न	कुल	योजना	योजना	कुल
53- गृह मंत्रालय	1358.31	750.20	2108.51	624.50	698.39	1322.89	742.64	791.80	1534.44
54- मंत्रिमंडल	0.00	403.00	403.00	0.00	375.00	375.00	0.00	433.52	433.52
55- पुलिस	1746.30	41410.63	43156.93	1493.67	43145.60	44639.27	2994.78	46666.58	49661.36
56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	467.00	1502.14	1969.14	324.00	1557.14	1881.14	118.00	2112.29	2230.29
57-संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	1747.79	515.00	2262.79	1305.00	514.00	1819.00	1139.00	515.50	1654.50
कुल राजस्व (अनुदान सं. 53-57)	**5319.40**	**44580.97**	**49900.37**	**3747.17**	**46290.13**	**50037.30**	**4994.42**	**50519.69**	**55514.11**
98 – अंडमान एवं निकोबार	1211.99	1311.88	2523.87	1217.13	1452.16	2669.29	1565.79	1314.42	2880.21
99 – चंडीगढ़	407.70	2349.50	2757.20	343.24	2286.75	2629.99	473.95	2394.46	2868.41
100 – दादरा और नागर हवेली	428.38	119.47	547.85	422.40	112.04	534.44	430.90	123.16	554.06
101 – दमण एवं दीव	263.92	126.24	390.16	231.68	122.73	354.41	309.38	128.85	438.23
102 – लक्षद्वीप	196.08	487.61	683.69	196.08	468.69	664.77	236.20	506.90	743.10
कुल राजस्व (अनुदान सं. 98-102)	**2508.07**	**4394.70**	**6902.77**	**2410.53**	**4442.37**	**6852.90**	**2866.22**	**4467.79**	**7484.01**
कुल अनुदान - 10 (राजस्व)	**7827.47**	**48975.67**	**56803.14**	**6157.70**	**50732.50**	**56890.20**	**7860.64**	**54987.48**	**62998.12**

पूंजीगत

(करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	बजट अनुमान 2013-2014			संशोधित अनुमान 2013-2014			बजट अनुमान 2014-2015		
	योजना	योजना भिन्न	कुल	योजना	योजना भिन्न	कुल	योजना	योजना भिन्न	कुल
53- गृह मंत्रालय	2.67	62.68	65.35	2.50	26.61	29.11	51.36	58.87	110.23
54- मंत्रिमंडल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55- पुलिस	6914.72	2193.16	9107.88	4667.33	2054.60	6721.93	7432.22	2357.18	9789.40
56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	11.00	85.03	96.03	11.00	42.86	53.86	200.00	59.54	259.54
57-संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00
कुल राजस्व (अनुदान सं. 53-57)	**6928.39**	**2412.87**	**9341.26**	**4680.83**	**2196.07**	**6876.90**	**7683.58**	**2547.59**	**10231.17**
98 – अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	650.50	13.72	664.22	380.09	12.66	392.75	534.21	30.39	564.60
99 – चंडीगढ़	468.35	-156.18	312.17	256.76	-104.48	152.28	338.90	-97.15	241.75
100 – दादरा और नागर हवेली	244.00	2.81	246.81	195.33	2.31	197.64	272.02	2.86	274.88
101 – दमण एवं दीव	366.13	0.67	366.80	273.61	0.67	274.28	347.40	0.67	348.07
102 – लक्षद्वीप	246.25	-2.50	243.75	241.09	-2.50	238.59	227.90	-2.55	225.35
कुल पूंजीगत (अनुदान सं. 98-102)	**1975.23**	**-141.48**	**1833.75**	**1346.88**	**-91.34**	**1255.54**	**1720.43**	**-65.78**	**1654.65**
कुल – 10 अनुदान (पूंजीगत)	**8903.62**	**2271.39**	**11175.01**	**6027.71**	**2104.73**	**8132.44**	**9404.01**	**2481.81**	**11885.82**
कुल योग 10 अनुदान (राजस्व + पूंजीगत)	**16731.09**	**51247.06**	**67978.15**	**12185.41**	**52837.23**	**65022.64**	**17264.65**	**7969.29**	**74883.94**

नोट:- उपरोक्त आकलन निवल वसूलियॉं हैं।

5.2 अनुदान संख्या 54-मंत्रिमंडल, हालांकि गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में शामिल है परन्तु यह उनके मंत्रालय द्वारा प्रशासित नहीं है। इसी प्रकार, गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों के खण्ड ।। में शामिल विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी पाँच अनुदानों तथा अनुदान सं. 57- संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण के संबंध में योजनाओं की जांच एवं स्वीकृति देने का कार्य उन मंत्रालयों द्वारा किया जाता है जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह योजना आती है। केवल तीन अनुदान ही ऐसे हैं जिन पर गृह मंत्रालय का पूर्ण नियंत्रण और प्रशासन है। ये निम्नलिखित हैं :-

1. **अनुदान सं. 53 –गृह मंत्रालय**
2. **अनुदान सं. 55 – पुलिस**
3. **अनुदान सं. 56– गृह मंत्रालय का अन्य व्यय**

5.3 विगत दो वर्षों का वास्तविक व्यय, बजट अनुमान/संशोधित अनुमान 2012-2013, 2013-14 और बजट अनुमान 2014-15 तथा इन तीनों अनुदानों में पूर्ववर्ती वर्षों में प्रतिशतता का अन्तर निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

अनुदान	**वास्तविक 2011-2012**	**बजट अनुमान 2012-2013**	**संशोधित अनुमान 2012-2013**	**वास्तविक 2012-2013**	**विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता अंतर (वास्तविक)**	**बजट अनुमान 2013-2014**	**संशोधित अनुमान 2013-2014**	**बजट अनुमान 2014-2015**	**विगत वर्ष (बजट अनुमान) की तुलना में प्रतिशतता अंतर**
53-गृह मंत्रालय	3125.07	2974.70	2239.23	1622.28	-48.09	2173.86	1352.00	1644.67	-24.34
55-पुलिस	39586.79	46632.25	43739.18	44003.78	11.16	52264.81	51361.20	59450.76	13.75
56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	1630.89	1873.28	1658.32	1618.33	-0.77	2065.17	1935.00	2489.83	20.56

5.4 आगामी पृष्ठों में जो ग्राफ दिए गए हैं, वे गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रमुख योजनाओं के संबंध में विगत तीन वर्षों 2012-13, 2013-14 और 2014-15 (31.03.2014 तक) के बजटीय आबंटन और उसके उपयोग को दर्शाते हैं।

बजट एक नजर में

(करोड़ रु. में)

मांग संख्या		बजट अनुमान 2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14			बजट अनुमान 2014-15		
		योजना	योजनाभिन्न	कुल	योजना	योजनाभिन्न	कुल	योजना	योजनाभिन्न	कुल
53- गृह मंत्रालय	राजस्व	1358.31	750.20	2108.51	624.50	698.39	1322.89	742.64	791.80	1534.44
	पूंजीगत	2.67	62.68	65.35	2.50	26.61	29.11	51.36	58.87	110.23
	कुल	**1360.98**	**812.88**	**2173.86**	**627.00**	**725.00**	**1352.00**	**794.00**	**850.67**	**1644.67**
54-मंत्रिमंडल	राजस्व	0.00	403.00	403.00	0.00	375.00	375.00	0.00	433.52	433.52
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**0.00**	**403.00**	**403.00**	**0.00**	**375.00**	**375.00**	**0.00**	**433.52**	**433.52**
55-पुलिस	राजस्व	1746.30	41410.63	43156.93	1493.67	43145.60	44639.27	2994.78	46666.58	49661.36
	पूंजीगत	6914.72	2193.16	9107.88	4667.33	2054.60	6721.93	7432.22	2357.18	9789.40
	कुल	**8661.02**	**43603.79**	**52264.81**	**6161.00**	**45200.20**	**51361.20**	**10427.00**	**49023.76**	**59450.76**
56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	राजस्व	467.00	1502.14	1969.14	324.00	1557.14	1881.14	118.00	2112.29	2230.29
	पूंजीगत	11.00	85.03	96.03	11.00	42.86	53.86	200.00	59.54	259.54
	कुल	**478.00**	**1587.17**	**2065.17**	**335.00**	**1600.00**	**1935.00**	**318.00**	**2171.83**	**2489.83**
57- संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	राजस्व	1747.79	515.00	2262.79	1305.00	514.00	1819.00	951.35	515.50	1466.85
	पूंजीगत	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00
	कुल	**1747.79**	**587.00**	**2334.79**	**1305.00**	**586.00**	**1891.00**	**951.35**	**587.50**	**1538.85**
कुल अनुदान सं.53-57	**राजस्व**	**5319.40**	**44580.97**	**49900.37**	**3747.17**	**46290.13**	**50037.30**	**4806.77**	**50519.69**	**55326.46**
	पूंजीगत	**6928.39**	**2412.87**	**9341.26**	**4680.83**	**2196.07**	**6876.90**	**7683.58**	**2547.59**	**10231.17**
	कुल	**12247.79**	**46993.84**	**59241.63**	**8428.00**	**48486.20**	**56914.20**	**12490.35**	**53067.28**	**65557.63**
98 – अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	राजस्व	1211.99	1311.88	2523.87	1217.13	1452.16	2669.29	1565.79	1314.42	2880.21
	पूंजीगत	650.50	13.72	664.22	380.09	12.66	392.75	534.21	30.39	564.60
	कुल	**1862.49**	**1325.60**	**3188.09**	**1597.22**	**1464.82**	**3062.04**	**2100.00**	**1344.81**	**3444.81**
99– चंडीगढ़	राजस्व	407.70	2349.50	2757.20	343.24	2286.75	2629.99	474.10	2394.46	2868.56
	पूंजीगत	468.35	-156.18	312.17	256.76	-104.48	152.28	338.90	-97.15	241.75
	कुल	**876.05**	**2193.32**	**3069.37**	**600.00**	**2182.27**	**2782.27**	**813.00**	**2297.31**	**3110.31**
100 – दादरा और नगर हवेली	राजस्व	428.38	119.47	547.85	422.40	112.04	534.44	430.90	123.16	554.06
	पूंजीगत	244.00	2.81	246.81	195.33	2.31	197.64	272.10	2.86	274.96
	कुल	**672.38**	**122.28**	**794.66**	**617.73**	**114.35**	**732.08**	**703.00**	**126.02**	**829.02**
101 – दमण एवं दीव	राजस्व	263.92	126.24	390.16	231.68	122.73	354.41	309.60	128.85	438.45
	पूंजीगत	366.13	0.67	366.80	273.61	0.67	274.28	347.40	0.67	348.07
	कुल	**630.05**	**126.91**	**756.96**	**505.29**	**123.40**	**628.69**	**657.00**	**129.52**	**786.52**
102 – लक्षद्वीप	राजस्व	196.08	487.61	683.69	196.08	468.69	664.77	236.10	506.90	743.00
	पूंजीगत	246.25	-2.50	243.75	241.09	-2.50	238.59	227.90	-2.55	225.35
	कुल	**442.33**	**485.11**	**927.44**	**437.17**	**466.19**	**903.36**	**464.00**	**504.35**	**968.35**
कुल अनुदान सं. 98-102	**राजस्व**	**2508.07**	**4394.70**	**6902.77**	**2410.53**	**4442.37**	**6852.90**	**3016.49**	**4467.79**	**7484.28**
	पूंजीगत	**1975.23**	**-141.48**	**1833.75**	**1346.88**	**-91.34**	**1255.54**	**1720.51**	**-65.78**	**1654.73**
	कुल	**4483.30**	**4253.22**	**8736.52**	**3757.41**	**4351.03**	**8108.44**	**4737.00**	**4402.01**	**9139.01**
10 अनुदानों का कुल योग	**राजस्व**	**7827.47**	**48975.67**	**56803.14**	**6157.70**	**50732.50**	**56890.20**	**7823.26**	**54987.48**	**62810.74**
	पूंजीगत	**8903.62**	**2271.39**	**11175.01**	**6027.71**	**2104.73**	**8132.44**	**9404.09**	**2481.81**	**11885.90**
	कुल	**16731.09**	**51247.06**	**67978.15**	**12185.41**	**52837.23**	**65022.64**	**17227.35**	**57469.29**	**74696.64**

अनुदान सं. 53 –गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
विगत वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

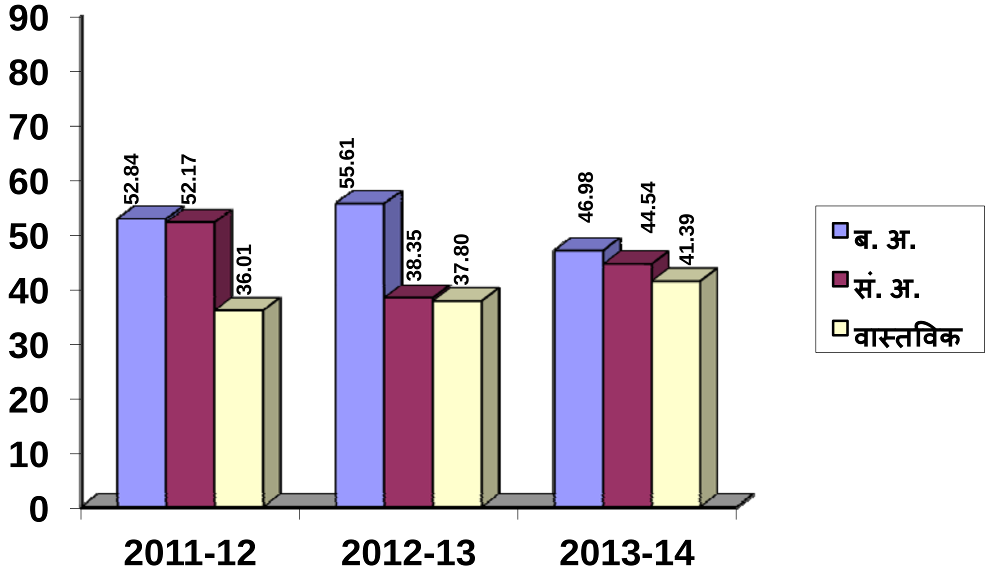

31-03-2014 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 53 – गृह मंत्रालय
भारत के महारजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं
विगत वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

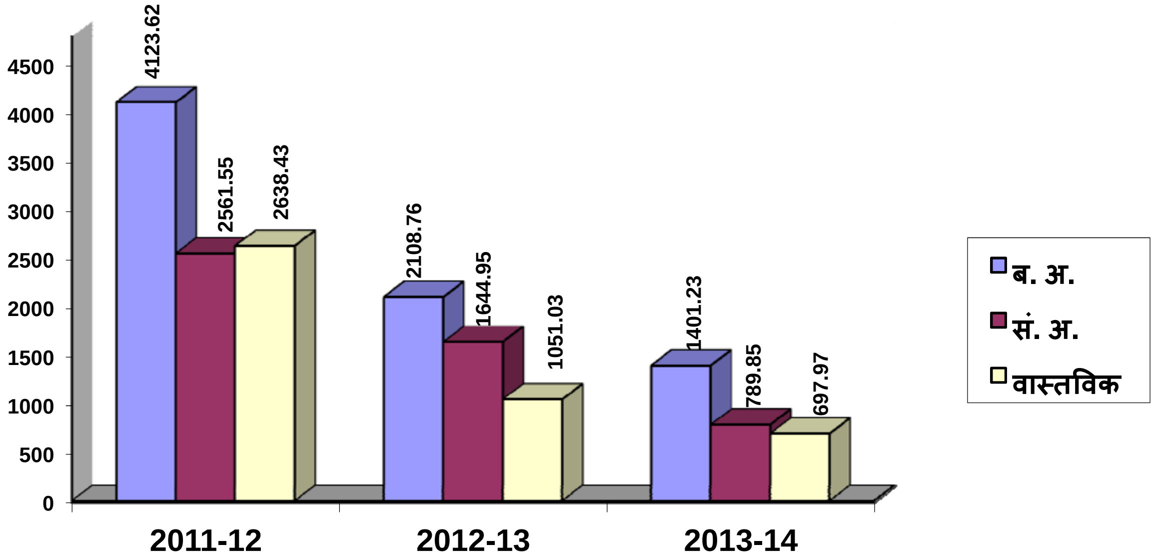

3

31-03-2014 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 55 – पुलिस
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
विगत वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

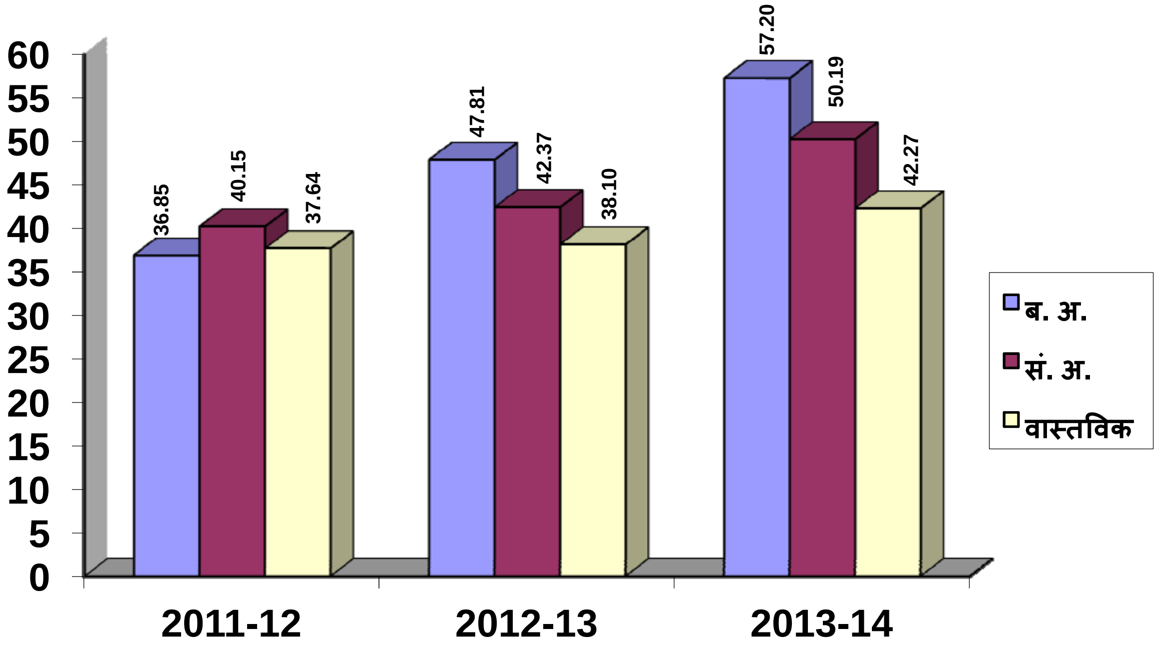

31-03-2014 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 55 –पुलिस
भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती निर्माण कार्य
विगत वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

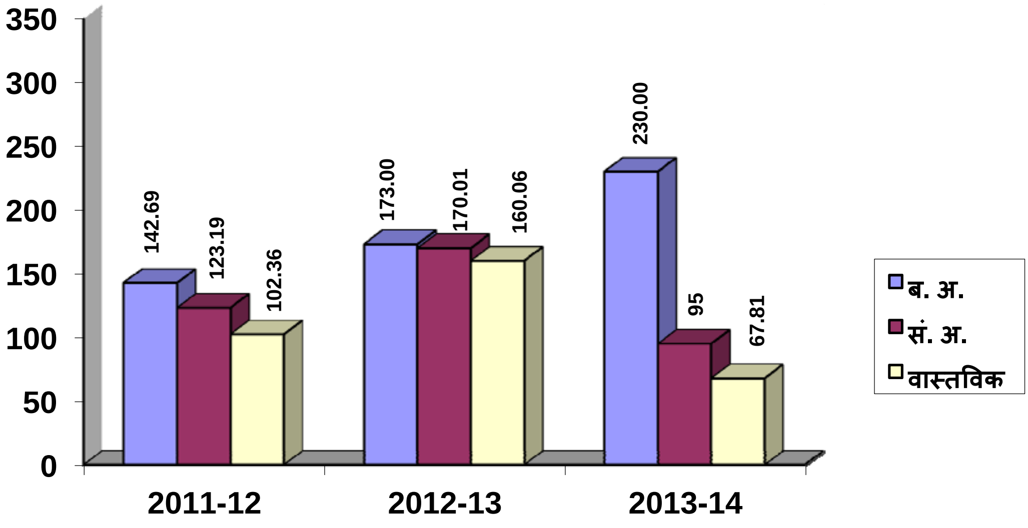

31-03-2014 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. **55** – पुलिस
भारत बांगलादेश सीमा (सड़क एवं बाड़) परियोजना
विगत वर्षों अर्थात् **2011-12, 2012-13** और **2013-14** के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

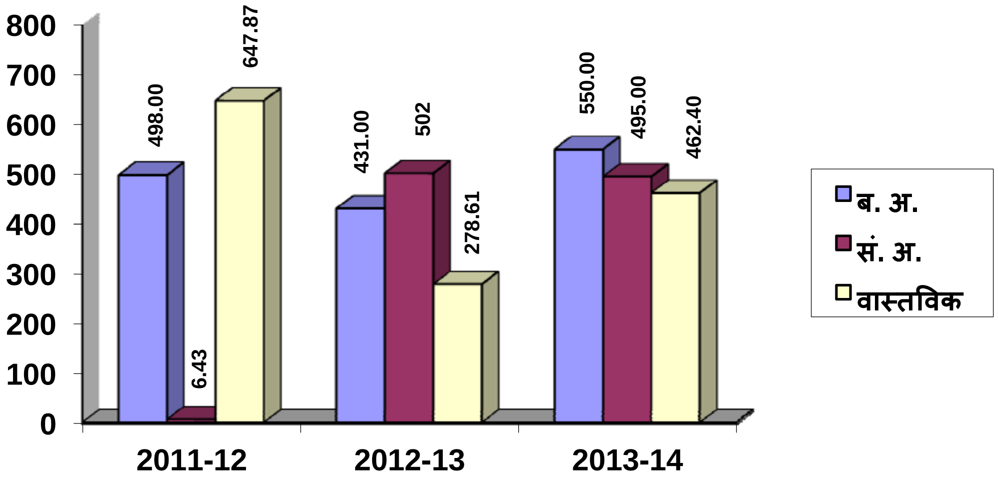

31-03-2014 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं.**55** – पुलिस
राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
विगत वर्षों अर्थात् **2011-12, 2012-13** और **2013-14** के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

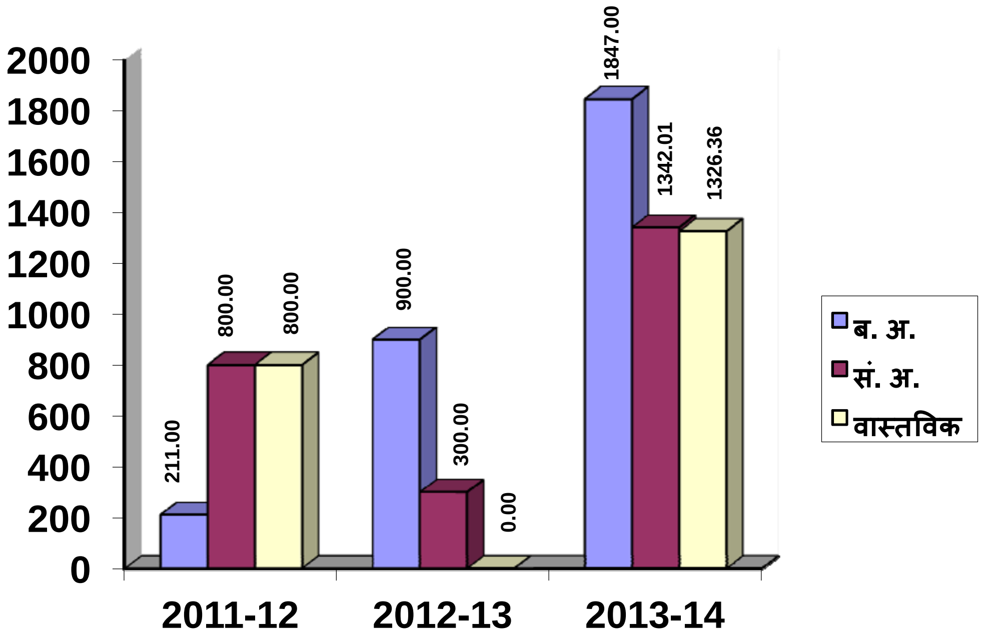

31-03-2014 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. **55** – पुलिस
राज्यों को विशेष सहायता
विगत वर्षों अर्थात् **2011-12, 2012-13** और **2013-14** के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

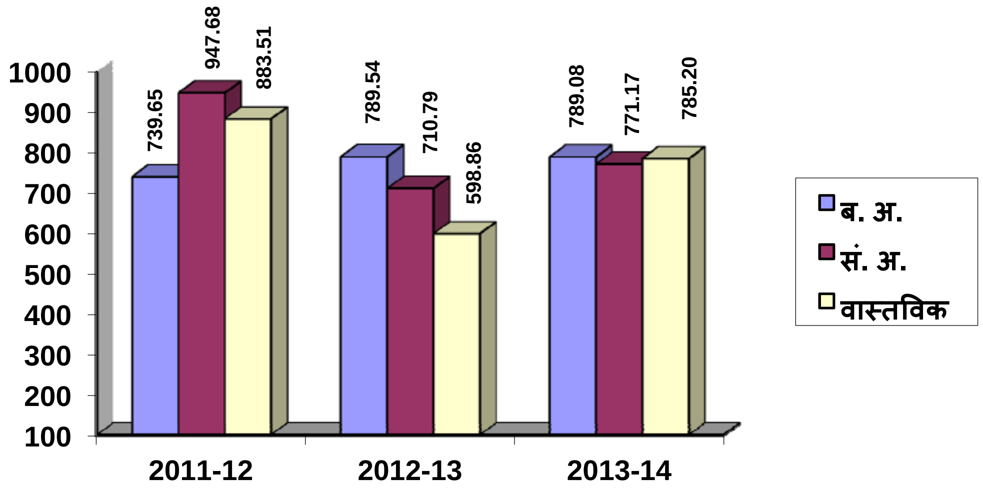

31-03-2014 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. **55** – पुलिस
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निर्माण कार्यों पर व्यय
विगत वर्षों अर्थात् **2011-12, 2012-13** और **2013-14** के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना
कार्यालय भवन

(करोड़ रु.)

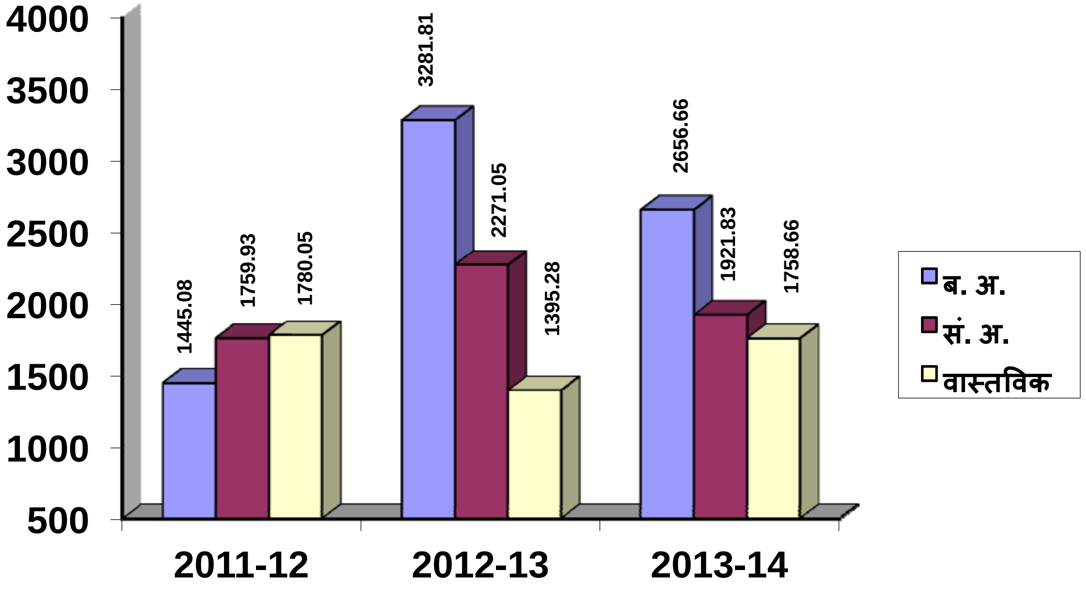

31-03-2014 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 55 – पुलिस
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निर्माण कार्यों पर व्यय
विगत वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

रिहायशी भवन

(करोड़ रु. में)

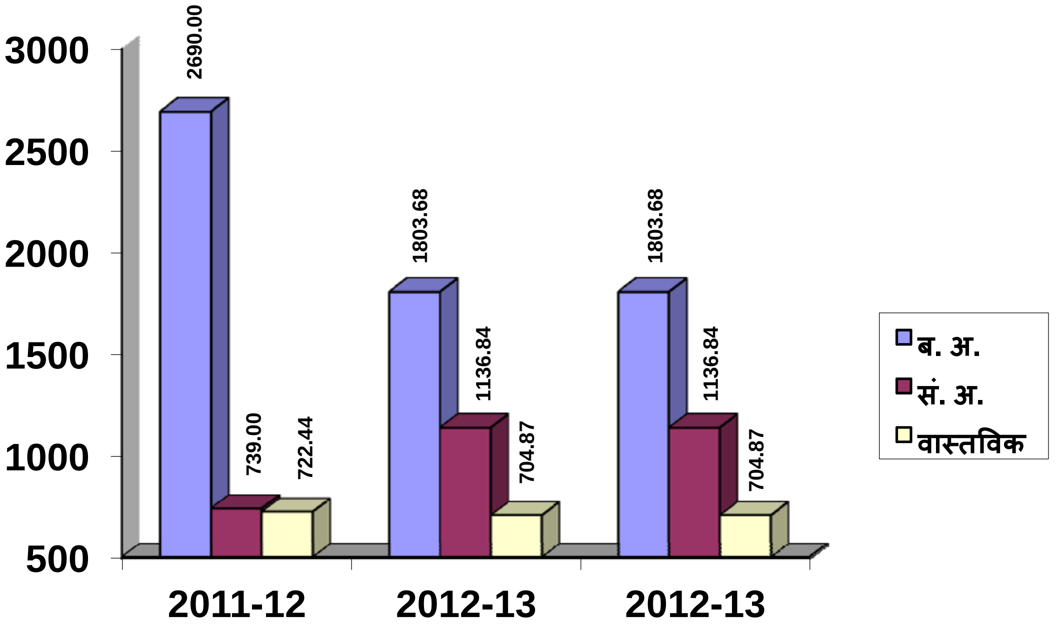

31-03-2014 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 55 – पुलिस
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निर्माण कार्यों पर व्यय
विगत वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

सीमा बाह्य चौकी

(करोड़ रु. में)

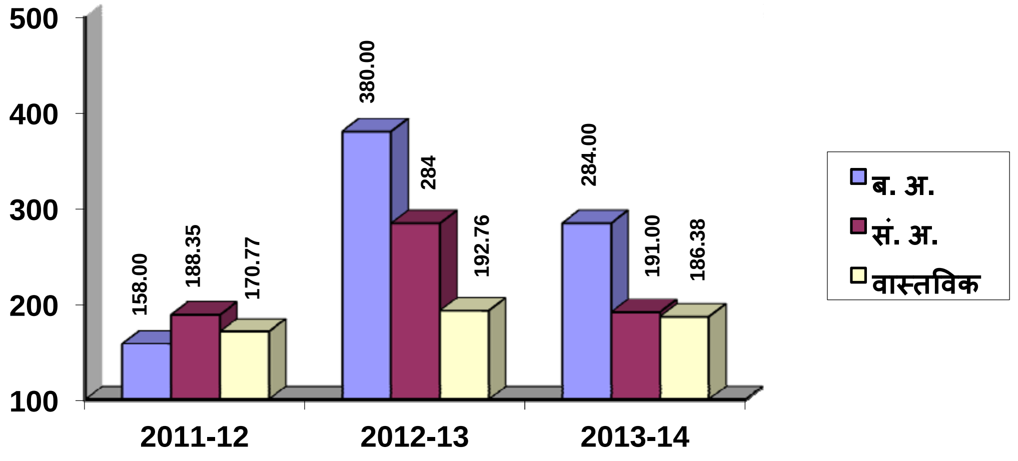

31-03-2014 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 56 –गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

विस्थापित व्यक्तियों और प्रत्यावासियों की राहत और पुनर्वास योजनाएं

विगत वर्षो अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान

आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

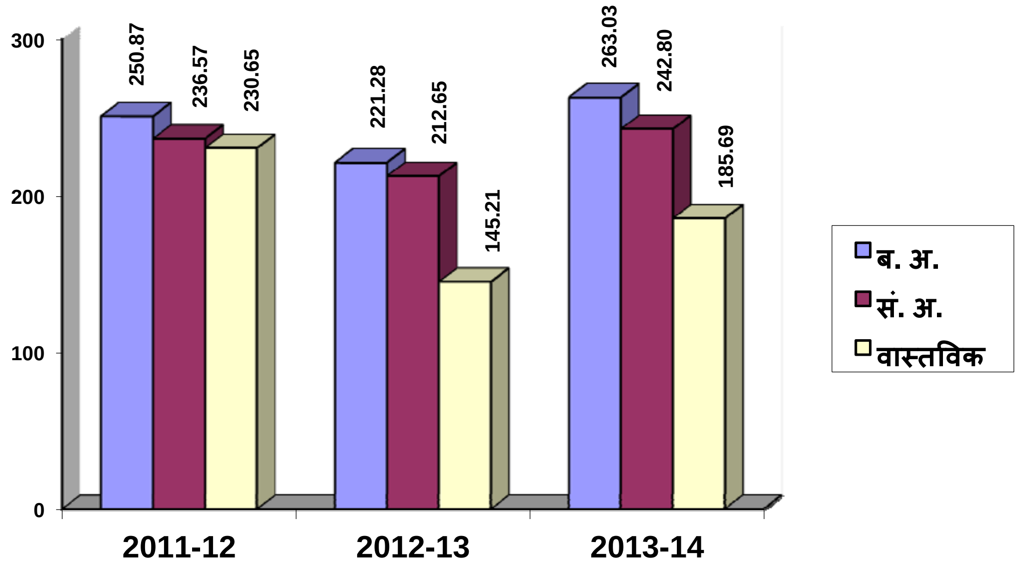

31-03-2014 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 56 – गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन

विगत वर्षो अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान

आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

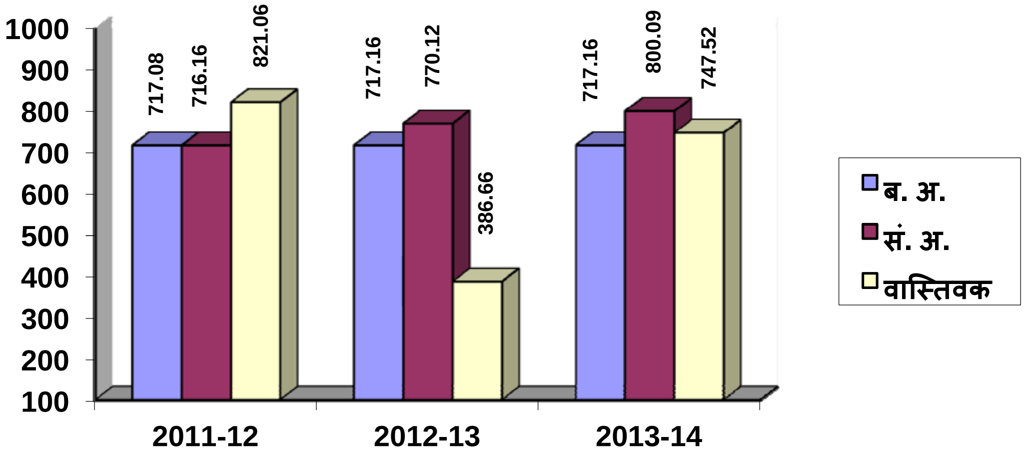

31-03-2014 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. **56** –गृह मंत्रालय का अन्य व्यय
स्वतंत्रता सेनानियों को नि:शुल्क रेलवे पास
विगत वर्षों अर्थात् **2011-12, 2012-13** और **2013-14** के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

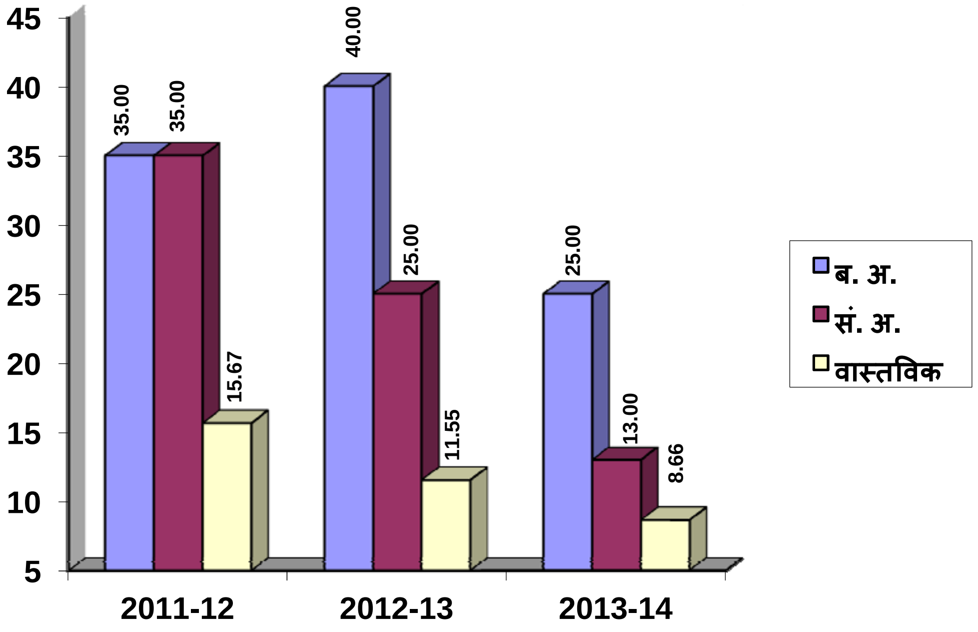

31-03-2014 तक वास्तविक (अनंतिम)

गृह मंत्रालय

पुलिस

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल

2010-2011 से 2012-2013 तक बजटीय प्रावधान एवं वास्तविक व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

विभाग	वर्ष 2010-2011 की प्रवृत्तियां				वर्ष 2011-2012 की प्रवृत्तियां				वर्ष 2012-2013 की प्रवृत्तियां			
	बजट अनुमान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	अंतिम अनुदान और वास्तविक में अन्तर	बजट अनुमान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	अंतिम अनुदान और वास्तविक में अन्तर	बजट अनुमान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	अंतिम अनुदान और वास्तविक में अन्तर
राजस्व												
के.रि.पु.बल	6765.39	6909.00	6901.32	-7.68	7624.93	8597.30	8587.31	-9.99	8969.04	9595.67	9696.23	100.56
सी.सु.बल	6292.18	6431.10	6429.97	-1.13	7368.79	7914.71	7896.52	-18.19	8415.58	8861.28	8934.45	73.17
के.औ.सु.बल	2637.79	2829.86	2829.53	-0.33	2909.77	3168.03	3204.89	36.86	3766.27	3965.08	3990.55	25.47
भा.ति.सी.पु.	1481.18	1633.61	1632.78	-0.83	1797.89	1970.17	1937.02	-33.15	2320.75	2411.75	2457.61	45.86
दिल्ली पुलिस	2812.49	2806.16	2604.60	-201.56	3245.75	3328.02	3318.41	-9.61	3514.83	3681.71	3642.70	-38.01
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	276.80	308.45	305.02	-3.43	422.96	472.30	465.24	-7.06	455.70	442.83	443.46	0.63
असम राइफल्स	2209.11	2326.97	2320.46	-6.51	2451.88	2683.20	2724.24	41.04	2872.55	2821.41	2812.11	-9.30
आसूचना ब्यूरो	657.10	779.63	757.60	-22.03	909.92	914.53	857.14	-57.39	1028.50	991.00	963.96	-27.04
सशस्त्र सीमा बल	1416.01	1359.29	1338.94	-20.35	1547.74	1708.09	1694.36	-13.73	1845.28	2074.65	2114.13	39.48
कुल	**24548.05**	**25384.07**	**25120.22**	**-263.85**	**28279.63**	**30756.35**	**30685.13**	**-71.22**	**33188.50**	**34845.38**	**35056.20**	**210.82**
पूंजीगत												
के.रि.पु.बल	566.47	686.36	682.71	-3.65	1017.39	1083.59	1075.58	-8.01	1741.27	1389.55	1343.78	-45.77
सी.सु.बल	819.36	924.17	937.62	13.45	1332.31	905.37	845.16	-60.21	816.23	797.37	781.04	-16.33
के.औ.सु.बल	49.69	65.94	66.02	0.08	288.00	192.50	177.84	-14.66	223.61	204.37	193.26	-11.11
भा.ति.सी.पु.	227.35	224.82	253.46	28.64	419.00	305.35	271.07	-34.28	560.36	488.36	460.46	-27.90
दिल्ली पुलिस	151.04	163.70	157.13	-6.57	95.00	99.15	98.76	-0.39	350.5	435.78	380.53	-55.25
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	132.60	135.80	120.31	-15.49	156.20	117.69	113.35	-4.34	246.34	156.69	100.41	-56.28
असम राइफल्स	330.00	379.05	378.70	-0.35	881.00	475.60	483.77	8.17	246.07	231.08	226.10	-4.98
आसूचना ब्यूरो	60.96	64.48	53.47	-11.01	89.28	146.47	80.65	-65.82	219.57	116.92	93.64	-23.28
सशस्त्र सीमा बल	297.09	224.15	195.91	-28.24	678.00	380.09	378.72	-1.37	791.33	662.48	573.98	-88.50
कुल	**2634.56**	**2868.47**	**2845.33**	**-23.14**	**4956.18**	**3705.81**	**3524.90**	**-180.91**	**5195.28**	**4482.60**	**4153.20**	**-329.40**
कुल योग	**27182.61**	**28252.54**	**27965.55**	**-286.99**	**33235.81**	**34462.16**	**34210.03**	**-252.13**	**38383.78**	**39327.98**	**39209.40**	**-118.58**

2012-13 के लिए बजट और का सारांश

(करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	बजट अनुदान	अनुपूरक	कुल अनुदान	31 मार्च 2012 तक व्यय	+ आधिक्य - बचत	कुल अनुदान के संदर्भ में बचत/आधिक्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
53 –गृह मंत्रालय	2974.70	4.27	2978.97	1625.75	(-) 1353.22	(-) 45.43
55– पुलिस	46862.25	20.97	46883.22	43859.68	(-) 3023.54	(-) 6.45
56- गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	1873.28	0.03	1873.31	1619.54	(-) 253.77	(-) 13.55
कुल	51710.23	25.27	51735.50	47104.97	(-) 4630.53	(-)8.95

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए (31 मार्च 2014 तक) मद शीर्ष वार व्यय की तुलना अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय, 55-पुलिस और 56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

(करोड़ रु. में)

लेखा शीर्ष		गृह मंत्रालय			पुलिस			गृह मंत्रालय का अन्य व्यय			सभी अनुदानों का वर्षवार योग		
		2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1	वेतन	1419.72	361.59	369.73	24364.82	28256.28	32986.92	209.39	237.28	318.08	25993.93	28855.15	33674.73
2	पारिश्रमिक	0.63	0.33	0.23	22.92	29.04	31.36	0.00	0.00	0.01	23.55	29.37	31.60
3	समयोपरि	0.27	0.20	0.20	0.61	0.55	0.53	0.00	0.00	0.00	0.88	0.75	0.73
4	पेंशन प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.04	772.60	747.44	821.04	772.60	747.44
5	पारितोषिक	0.00	0.00	0.00	11.95	13.12	12.60	0.14	0.20	0.15	12.09	13.32	12.75
6	चिकित्सा उपचार	4.92	5.05	4.68	158.09	208.75	216.98	2.04	2.34	3.61	165.05	216.14	225.27
7	घरेलू यात्रा व्यय	14.93	13.30	12.58	975.97	980.31	971.97	8.59	10.42	11.36	999.49	1004.03	995.91
8	विदेश यात्रा व्यय	1.10	1.59	1.33	10.58	9.25	11.85	0.81	1.13	0.56	12.49	11.97	13.74
9	कार्यालय व्यय	999.42	759.76	374.17	587.44	587.50	705.61	8.29	9.98	12.80	1595.15	1357.24	1092.58
10	किराया, दरें एवं कर	24.64	30.90	59.97	37.88	50.97	59.95	0.05	0.40	0.44	62.57	82.27	120.36
11	प्रकाशन	12.65	3.85	2.45	8.97	11.00	9.79	0.17	0.42	0.61	21.79	15.27	12.85
12	बी सी टी टी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	अन्य प्रशासनिक व्यय	5.01	4.59	5.38	24.19	26.54	25.61	2.08	2.74	1.53	31.28	33.87	32.52
14	आपूर्ति एवं सामग्री	0.00	0.00	0.00	14.06	11.77	14.40	0.00	0.00	0.00	14.06	11.77	14.40
15	शस्त्र एवं गोलाबारूद	0.00	0.00	0.00	1571.31	1072.82	931.50	0.00	0.00	0.00	1571.31	1072.82	931.50
16	राशन की लागत	0.00	0.00	0.00	1677.29	2098.54	2209.96	14.41	16.82	20.64	1691.70	2115.36	2230.60
17	पेट्रोल तेल एवं स्नेहक	3.27	2.26	1.18	435.99	443.19	602.77	2.49	2.98	4.43	441.75	448.43	608.38
18	वस्त्र एवं तम्बू	0.00	0.00	0.00	441.26	491.50	566.15	3.97	11.47	12.03	445.23	502.97	578.18
19	विज्ञापन एवं प्रचार	90.90	33.68	23.26	37.75	33.97	42.52	22.99	18.36	13.35	151.64	86.01	79.13
20	लघु कार्य	6.74	7.44	5.29	329.74	367.64	399.16	0.78	1.64	1.53	337.26	376.72	405.98
21	व्यावसायिक सेवाएं	219.90	12.43	11.76	259.70	250.53	253.44	4.75	7.90	8.01	484.35	270.86	273.21
22	सहायता अनदान	226.18	280.42	156.66	2373.90	1287.65	1822.97	282.69	272.64	218.05	2882.77	1840.71	2197.68
23	पूंजी के सृजन के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00	210.00	215.00	816.65	69.85	78.00	193.65	279.85	293.00	1010.30
24	अंशदान	1.93	2.26	1.72	0.00	0.00	0.00	0.14	0.15	1.08	2.07	2.41	2.80
25	आर्थिक सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.18	25.00	37.49	59.18	25.00	37.49
26	छात्रवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.43	0.40	0.11	0.02	0.01	0.01	0.45	0.41	0.12
27	गुप्त सेवाएं	0.00	0.00	0.00	106.15	118.36	111.00	0.00	0.00	0.00	106.15	118.36	111.00

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए (31 मार्च 2014 तक) मद शीर्ष वार व्यय की तुलना अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय, 55-पुलिस और 56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

(करोड़ रु. में)

लेखा शीर्ष		गृह मंत्रालय			पुलिस			गृह मंत्रालय का अन्य व्यय			सभी अनुदानों का वर्षवार योग		
		2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
28	एकमुश्त प्रावधान	1.76	2.04	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	2.04	2.38
29	अन्य प्रभार	52.83	40.24	150.14	1338.29	1339.17	1604.61	50.45	68.69	65.72	1441.57	1448.10	1820.47
30	मोटर वाहन	0.06	1.04	0.10	337.40	385.06	379.71	1.51	1.31	2.61	338.97	387.41	382.42
31	मशीनें एवं उपस्कर	16.45	21.06	3.52	789.73	651.96	653.29	26.83	29.77	19.29	833.01	702.79	676.10
32	मुख्य कार्य	21.77	41.72	31.26	3795.82	4797.40	4109.65	25.14	47.29	12.63	3842.73	4886.41	4153.54
33	निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.18	0.00	0.00	13.18	0.00	0.00
34	ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	4.47
35	विविध	0.00	0.00	5.08	0.00	116.71	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	116.71	216.83
कुल योग		**3125.08**	**1625.75**	**1223.07**	**39922.24**	**43859.68**	**49767.28**	**1630.98**	**1619.54**	**1707.11**	**44678.30**	**47104.97**	**52697.46**

अनुदान संख्या 53-गृह मंत्रालय; अनुदान संख्या 55-पुलिस, अनुदान सं. 56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय के संबंध में प्रस्तावित/सहमत बजट अनुमान 2014-15 का मद शीर्ष-वार विवरण						
योजनेत्तर						(हजार रु. में)
मद शीर्ष	गृह मंत्रालय		पुलिस		गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	
	ब.अ. 2014-15 (प्रस्तावित)	ब.अ. 2014-15 (सहमत)	ब.अ. 2014-15 (प्रस्तावित)	ब.अ. 2014-15 (सहमत)	ब.अ. 2014-15 (प्रस्तावित)	ब.अ. 2014-15 (सहमत)
राजस्व भाग						
वेतन	4331295	4039600	377261600	364549000	3600000	3403500
वेतन (प्रभार)	0	0	5100	5100	0	0
मजदूरी	3900	3470	444700	446800	310	110
समयोपरि भत्ता	4703	4598	9500	9400	0	10
पुरस्कार	0	0	166600	166600	2200	2200
चिकित्सा उपचार	71460	68854	2832200	2463300	40000	35000
पेंशन संबंधी प्रभार	0	0	0	0	8500150	7170750
घरेलू यात्रा व्यय	143666	142275	12398900	10653300	127000	117000
विदेश यात्रा व्यय	41750	41705	404700	359700	18000	18000
कार्यालय व्यय	609470	485772	7434100	6482900	140000	140000
किराया, दर एवं कर	773606	441736	708000	729500	66310	10010
प्रकाशन	79320	77520	138600	114400	9200	8600
अन्य प्रशासनिक व्यय	70250	69650	456400	372400	23100	23100
आपूर्तियां एवं सामग्री	0	0	184500	171500	10	10
शस्त्र एवं गोलाबारूद	0	0	14190600	8915200	200	200
शस्त्र एवं गोलाबारूद (एम)	0	0	4777400	400000	0	0
राशन की लागत	0	0	27665100	21355500	313100	250700
पेट्रोल, तेल, स्नेहक	5000	5000	9436700	7402600	60050	40050
वस्त्र एवं तम्बू	0	0	10820500	5307100	200100	200100
वस्त्र एवं तम्बू (एम)	0	0	1283200	100000	0	0
विज्ञापन एवं प्रचार	90500	90500	463800	412300	125000	122500
लघु कार्य	166280	156280	6887700	4879700	36000	36000
पेशेवर सेवाएं	227800	249800	9710900	2918900	46100	46100
सामान्य सहायता अनुदान	1681425	1575725	20288000	15380100	3642300	8074800
सामान्य सहायता वेतन	0	0	0	41000		
पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के लिए	0	0	3100000	2600000	0	0
अंशदान	23700	23700	0	0	15000	15000
आर्थिक सहायता	0	0	50000	100	764500	764500
छात्रवृत्ति एवं वजीफा	0	0	10500	10500	150	150
गुप्त सेवा व्यय	0	0	1124500	1198600	0	0
एकमुश्त प्रावधान	34045	0	0	0	0	0
अन्य प्रभार (स्वीकृत)	850330	310710	48816700	18232500	671020	629010
अन्य प्रभार (प्रभारित)	0	0	121300	123300	0	0
सूचना प्रौद्योगिकी	132000	131105	2121900	1701700	22500	15500
भर्ती (कार्यालय व्यय)	0	0	449000	526500	0	0
भर्ती (विज्ञापन एवं प्रकाशन)	0	0	66300	66300	0	0
मोटर वाहन (स्वीकृत)	20100	15100	12649500	5146700	121900	95100
मोटर वाहन (प्रभारित)	0	0	25000	20000	0	0
मोटर वाहन (एम.ओ.डी.)	0	0	5096200	722400	100	0
मशीनरी एवं उपकरण (एम)	0	0	12273100	1051500	100	0
मशीनरी एवं उपकरण	67100	67100	15184900	7786400	570000	320100
कार्यालय भवन (स्वीकृत)	1006500	506500	1554600	344800	0	0
कार्यालय भवन (प्रभारित)	0	0	0	0	0	0
रिहायशी भवन	0	0	170000	20000	0	0
सीमा चौकियां	0	0	0	0	0	0
ऋण एवं अग्रिम	0	0	50000	50000	0	0
मुख्य कार्य (आईबीबी/आईपीबी आदि)	0	0	0	0	0	0
मुख्य कार्य	0	0	16200	0	650100	180200
निवेश	0	0	0	0	0	0
कुल जोड़	**10434200**	**8506700**	**610848500**	**493237600**	**19764500**	**21718300**

31 मार्च, 2012 तक निर्मुक्त ऋणों/अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

मार्च, 2012 तक जारी अनुदानों के संबंध में देय उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	शामिल राशि (करोड़ रु. में)	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों के संबंध में शामिल राशि (करोड़ रु. में)	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों में शामिल राशि (करोड़ रु.में)
1	2	3	4	5	6
990	13563.17	743	12800.32	247	762.85

31.3.2014 की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष

क. राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेष

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना	राशि
1.	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	504.65
2.	जेलों के आधुनिकीकरण की योजना	12.30
3.	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना योजना	182.98
4.	किलेबंद पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए योजना	215.33
5.	सी सी टी एन एस योजना के तहत क्षमता निर्माण, सिस्टम इंटीग्रेटर तथा प्रोजैक्ट मैनेजमेंट कंस्लटेंसी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	213.64
6.	ए टी आई को सहायता अनुदान	0.05
7.	एन पी सी बी ए ई आर एम/एन पी सी बी ई ई आर एम	3.08
8.	देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे को चुस्त दुरूस्त बनाने के लिए योजना	45.98
9.	अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण संबंधी योजना	59.70
10.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी)	108.91
11.	राज्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (एस डी एम पी)	2.17
12.	विद्रोहरोधी एवं आतंकवाद रोधी विद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता	12.53
13.	मिजोरम में शरणार्थियों का पुनर्वास	7.87
14.	वर्ष 1941 के पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों को भूमि की कमी की एवज में अनुग्रह/नकद राशि	22.28
15.	2002 में गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को अतिरिक्त राहत एवं पुनर्वास	0.87
16.	भागलपुर दंगा पीड़ितों को अतिरिक्त राहत	0.16
17.	निबंध प्रतियोगिता	0.01
18.	पश्चिम बंगाल में ग्रामीण भूखंडों में अवसंरचना सुविधाओं का विकास	13.82
19.	राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम	33.98

ख. 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित बकाया

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना	अभिकरण	राशि
1.	नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल)	16.22
2	क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां (सी सी टी एन एस)	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी), आर के पुरम, नई दिल्ली	1.44
3	जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	8.73
4	शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली	गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग	0.13
5	शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग	0.07
	कुल		26.59

अध्याय - 6

सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) :

6.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का गठन भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा दिनांक 30 मई, 2005 को किया गया था। तत्पश्चात आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसम्बर, 2005 को अधिनियमित किया गया और इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण को 27 सितम्बर, 2006 को अधिसूचित किया गया। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं एवं दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जिससे आपदा आने पर समयोचित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। यह आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं से, विशेष रूप से रोकथाम, तैयारी और प्रशमन का कार्य, निपुणता और बेहतर समन्वित तरीके से करने में गहन रूप से लगा हुआ है।

आपदा प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय नीति (एन पी डी एम)

6.2 आपदा प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय नीति को दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस नीति में "रोकथम, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई संबंधी बातों को अपना कर समग्र, पहले से तैयारी, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी आधारित कार्यनीति तैयार कर सुरक्षित और आपदा मुक्त भारत बनाने" का राष्ट्रीय विजन परिलक्षित होता है।

<u>पहले जारी किए गए तथा प्रक्रियाधीन दिशानिर्देश</u>

6.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण परामर्शदात्री प्रक्रिया के माध्यम से दिशानिर्देश तैयार करने में लगा हुआ है जिसमें सरकार, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संस्थान कार्पोरेट क्षेत्र तथा समुदाय सहित सभी पणधारियों को शामिल किया गया है। जारी किए गए दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टों का वितरण अध्याय I में 'नीतिगत पहलें' शीर्षक के अंतर्गत (पैरा 1.5) दिया गया है।

<u>जागरूकता अभियान</u>

6.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दृश्य-श्रृव्य स्पॉट्स, समाचार पत्रों में विज्ञापन, मुद्रित सामग्री, आदि जैसे संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा विभिन्न आपदाओं के बारे में जोखिम, आकलन तैयारी और आत्म-निर्भरता में सुधार लाने के लिए अभियान चलाए हैं। इस वर्ष के दौरान की गई कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

- चक्रवात, बाढ़ अपदा प्रबंधन और प्रतिमान परिवर्तन के लिए श्रव्य-दृश्य स्पॉट्स तैयार करना;

- भूकम्प, बाढ़, चक्रवात और शहरी बाढ़ के बारे में श्रव्य-दृश्य स्पॉट्स को निजी टेलीविजन चैनलों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, लोक सभा टी वी, एफ एम रेडियो चैनलों पर प्रसारित करना;

- विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन;

- रेलवे आरक्षण टिकटों पर संदेशों का मुद्रण;

- बाढ़ एवं चक्रवात आपदा प्रबंधन जागरूकता पर पोस्टरों तथा पर्चों का मुद्रण

मॉक अभ्यास:

6.5 कई बहु-राज्य मॉक अभ्यास किए गए हैं।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) ने आई आई टी बंबई एवं मद्रास के साथ मिलकर एम डब्ल्यू 8 मंडी, भूकंप, परिदृश्य: बहु राज्य अभ्यास नामक परियोजना शुरू की। मोहाली, पंचकूला, चंडीगढ़ एवं शिमला शहरों में दिनांक 13 फरवरी, 2013 को एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया।
- दिल्ली में भूकंप से निपटने की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए, डी डी एम ए ने एन डी एम ए के साथ मिलकर दिसम्बर, 2011 से मध्य फरवरी, 2012 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जिनके अंत में दिनांक 15 फरवरी, 2012 को पहल राज्य-व्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किया गया।

- 1897 भूकंप के लिए परिदृश्य विकास तथा अन्य क्रियाकलापों अर्थात् त्वरित दृश्य स्क्रीनिंग कार्यशाला, स्कूली बच्चों के लिए सुग्राही-करण कार्यशालाओं, जागरूकता सृजन, क्षमता, विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों के साथ समन्वय कार्य सी एस आई आर एन ई आई एस टी के माध्यम से किए गए हैं जिनके अंत में दिनांक 10 एवं 13 मार्च 2014 को दो व्यापक मॉक अभ्यास किए गए। परियोजना की कुल लागत 5.6036 करोड़ रु. है जिसको 18 महीने की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है।

प्रशमन परियोजनाएं:

6.6 निम्नलिखित विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा अध्याय ।। एवं ।।। में दिया गया है।

- एन डी एम ए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/अन्य संस्थानों के समन्वय से राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन ई आर एम पी) कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना को 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान/ अरुणाचल प्रदेश/ असम/ बिहार/ चंडीगढ़/ दिल्ली/ गुजरात/ हरियाणा/ जम्मू एवं कश्मीर/ हिमाचल प्रदेश/ महाराष्ट्र/ मेघालय/ मिजोरम/ नागालैंड/ मणिपुर/ पंजाब/ सिक्किम/ त्रिपुरा/ उत्तर प्रदेश/ उत्तराखंड/ पश्चिम बंगाल) के 25 शहरों में कार्यान्वित किया जाएगा जो देश के भूकंप जोन IV एवं V में पड़ते हैं।

- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन परियोजना (एन सी आर एम पी), जो कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना है, इस समय आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

- राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एन एस एस पी) इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है।
- अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ डी एम पी): कई स्कीमें इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं।

<u>प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

6.7 वर्ष 2013-14 के दौरान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) ने 84 फेस-टु-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 2322 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 44 पाठ्यक्रम राज्य ए टी आई और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन केन्द्र के सहयोग से आयोजित किए गए हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान एन आई डी एम द्वारा परिसर के अंदर एवं परिसर के बाहर आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा अनुलग्नक ।।। और IV में दिया गया है। फेस-टु-फेस कार्यक्रमों के अतिरिक्त, संस्थान ने वर्ष 2013-14 के दौरान 15 वेब आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जिनमें 650 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

<u>अन्य क्रियाकलाप</u>

6.8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा एन आई डी एम ने वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान कुछ अन्य क्रियाकलाप आयोजित किए। इन क्रियाकलापों का ब्यौरा निम्नवत है:

<u>राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एन सी आर एम पी) के अंतर्गत भारत के लिए आपदा उपरांत आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन के भाग के रूप में उत्तराखंड का 23-25 मार्च, 2014 के दौरान क्षेत्र दौरा।</u>

6.9 भारत के लिए आपदा उपरांत आवश्यकता मूल्यांकन (पी डी एन ए) अध्ययन देश में आपदा उपरांत उबरने संबंधी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रमुख पहल है। यह इस समय शुरूआती अवस्था में है जिसमें परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसे सुगम बनाने के लिए इस अध्ययन के अंतर्गत राज्यों का अध्ययन किए जाने वाले राज्यों के कई दौरे इस अध्ययन अवधि के दौरान किए जाने थे।

6.10 प्रारंभ में यह निर्णय लिया गया कि एन आई डी एम परियोजना दल के प्रतिनिधियों के साथ परामर्शदाता दल वर्ष 2013 की हाल की आपदा के बाद राज्य में किस प्रकार आपदा उपरांत आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा रहा है, इसके बारे में मौके पर जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड राज्य का दौरा करेगा। उत्तराखंड अध्ययन के लिए 10 प्रतिनिधि राज्यों में से एक हैं। परामर्शदाता दल के नेता श्री रोबर्टो जोवल के नेतृत्व वाले दल और साथ ही सुश्री प्रियंका चौधरी, विशेषज्ञ, पी डी एन ए, एन आई जी एम ने 23-25 मार्च, 2014 के दौरान उत्तराखंड का दौरा किया। इस दौरे के दौरान आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (डी एम एम सी) राजस्व कृषि विभाग के प्रतिनिधियों से इस विषय और संबद्ध मुद्दों पर उनके इंपुट के लिए परामर्श किया गया। इस दौरे से दल को आपदा उपरांत आवश्यकताओं के लिए अपनाई जा रही मौजूदा प्रक्रियाओं तथा उनके इर्द-गिर्द के मुद्दों को समझने में सहायता मिली। क्रियाविधि से संबंधित प्रारूप आरंभिक रिपोर्ट तथा दिनांक 17.3.2014 को प्रस्तुत अध्ययन संबंधी विस्तृत कार्य योजना को प्रमुख स्टेकहोल्डरों एवं समीक्षा समिति के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। उत्तराखंड दौरे का अनुभव राज्यों में पी डी एन ए में वर्तमान प्रणाली को समझने के लिए उपयोगी होगा तथा अनुभव के साथ-साथ संग्रह किए गए एवं विश्लेषण किए गए आंकड़े पर 7 अप्रैल, 2014 को आयोजित की जाने वाली आगामी राष्ट्र स्तरीय परामर्शदात्री कार्यमाला में चर्चा की जाएगी जिसमें अन्य राज्य अपनी प्रतिक्रिया देंगे तथा अनुभव साझा करेंगे।

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामला अध्ययनों के जरिए शिक्षा में जोखिम एवं आपात स्थितियों के प्रबंधन के संबंध में कार्यशाला के लिए अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा प्रतिभागियों का 20 मार्च, 2014 को दौरा।

6.11 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामला अध्ययनों के जरिए शिक्षा में जोखिम एवं आपात स्थितियों के प्रबंधन के संबंध में कार्यशाला के लिए अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा प्रतिभागियों का 20 मार्च, 2014 को दौरा एन आई डी एम में आयोजित किया गया जिसमें 17 राष्ट्रों के 27

प्रतिभागी थे। इस कार्यशाला में शिक्षा प्रणालियों, विशेषकर स्कूलों पर जोर देते हुए, के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यकता के बारे में सभी प्रतिभागियों को सुग्राही करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

6.12 आपदा प्रबंधन एवं संस्थागत कार्य ढांचे की बुनियादी संकल्पना तथा स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम पर प्रस्तुतियां दी गईं। विभिन्न खतरों, आपदाओं, संबद्ध जोखिमों, असुरक्षा संवेदनशीलताओं, क्षमताओं की पहचान एवं संवर्धन को संक्षेप में स्पष्ट किया गया तथा संकट प्रबंधन से जोखिम प्रबंधन की ओर प्रतिमान परिवर्तन पर जोर दिया गया।

6.13 स्कूलों के संबंध में खतरों; सुभेद्याताओं, जोखिमों एवं क्षमता निर्माण पहलुओं के बारे में चर्चा की गई। स्कूल आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने की आवश्यकता एवं महत्ता, स्कूल सुरक्षा योजना बनाते समय अपेक्षाओं को स्पष्ट किया गया।

<u>"उत्तराखंड आपदा 2013: सीखी गई बातें और आगे की राह" विषय पर दिनांक 13-14 मार्च, 2014 को राष्ट्रीय कार्यशला एवं प्रदर्शनी</u>

6.14 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली ने संबंधित एजेंसियों, संसाधन व्यक्तियों और विशेषज्ञों की राज्य टिप्पणियां एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए उनके साथ रिपोर्ट की विषय-वस्तु तथा उत्तराखंड आपदा के बाद के मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से ''उत्तराखंड आपदा-2013: सीखी गई बातें और आगे की राह'' विषय पर दिनांक 13-14 मार्च 2014 को एन आई डी एम में एक राष्ट्रीय कार्यशाला एवं प्रदर्शनी आयोजित की। कार्यशाला के अंतर्गत दो पेनल चर्चाओं को कवर किया गया: (i) उत्त्राखंड आपदा रिपोर्ट-2013; और (ii) आपदा एवं विकास।

6.15 कार्यशाला के दूसरे दिन क्षतिग्रस्त सड़कों, शहरों, केदारनाथ श्राइन परिसर, एस एस बी-श्रीनगर परिसर, नदी तट संस्थापनाओं, पुलों, बांधों आदि के स्थाई पुनर्निर्माण से संबंधित विभिन्न तकनीकी मुद्दों/निराकरणों को भी चर्चा में शामिल किया गया। पहाड़ी सड़कों में विभिन्न प्रौद्योगिकीयों पर कार्रवाई करने वाले छः संगठनों ने अपने उत्पाद

प्रदर्शित किए तथा ढलान क्षरण की चुनौतियों के लिए विशिष्ट निराकरणों को भी प्रस्तुत किया।

<u>बांस शिल्प के बारे में चमौली, पिथौरागढ़, मुनशियारी, एवं श्रीगनर के शिल्पकारों के पुनर्वास" विषय पर 12-13 मार्च, 2014 को देहरादून, उत्तराखंड में सेमिनार-सह-कार्यशाला में एन आई डी एम की भागीदारी</u>.

6.16 बांस शिल्प के बारे में चमौली, पिथौरागढ़, मुशियारी एवं श्रीनगर के शिल्पकारों के पुनर्वास विषय पर एक सेमिनार-सह-कार्यशाला 12-13 मार्च, 2014 के दौरान देहरादून, उत्तराखंड में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित की गई तथा अम्बपाली (हैडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड) द्वारा आयोजित की गई है।

6.17 इस कार्यशाला में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया में जीविका संबंधी मुद्दों पर जोर देने तथा कुटीर उद्योग (हथकरघा एवं हस्तशिल्प), खेती/कृषि संबंधी पद्धतियों एवं पर्यटन पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए सिलसिलेबार तंत्र विकसित करने की जरूरत को उजागर किया गया है।

<u>राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम मूल्यांकन परियोजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण अध्ययन के लिए 27 फरवरी, 2014 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में राज्य परामर्श कार्यशाला</u>.

6.18 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एन सी आर एम पी) के अंतर्गत 'भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण रणनीति तैयार करना' विषय पर अध्ययन के लिए एक राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला 27 फरवरी, 2014 को हावड़ा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तथा आपदा प्रबंधन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य इस अध्ययन के निष्कर्षों को साझा करना तथा राज्य प्रतिनिधियों से अध्ययन के प्रमुख लक्ष्यों पर इनपुट प्राप्त करना था। 'अध्ययनों के सिंहावलोकन', क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण और संस्थागत व्यवस्था'', 'प्रत्यायन प्रक्रिया' और इस अध्ययन के भाग के रूप में विकसित नीति' के बारे में एन आई डी एम तथा परामर्शदातओं द्वारा प्रस्तुतियां दी

गईं। उसके बाद आगे की राह सहित पश्चिम बंगाल राज्य में इस अध्ययन के उपयोग पर खुली चर्चा हुई।

<u>क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र (आर एस एम सी), नई दिल्ली के प्रशिक्षणार्थियों के लिए 26 फरवरी, 2014 को अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन.</u>

6.19 क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र (आर एस एम सी), नई दिल्ली के नौ प्रशिक्षुओं ने 'क्षमता निर्माण के माध्यम से चक्रवात आपदा प्रबंधन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 26 फरवरी, 2014 को एन आई डी एम का दौरा किया। प्रशिक्षणार्थियों में श्रीलंका, म्यांमार, थाइलैंड तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी केंद्रों के प्रतिभागी शामिल थे। इस अभिमुखीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन कार्य ढांचे के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराना था। ''आपदा प्रबंधन तथा भारत में संस्थागत व्यवस्था का परिचय'' तथा ''चक्रवात का अनुभव-मुद्दे एवं सीखी गईं बातें'' विषय पर प्रस्तुतियां दी गईं।

<u>राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत प्रभावकारी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विज्ञान-मीडिया इंटरफेस पर 19 फरवरी, 2014 को परामर्शदात्री कार्यशाला.</u>

6.20 ''आपदा रिपोर्टिंग के सिद्धांतों की पुन: जांच'' पर प्रायोगिकी टी ओ टी के उद्देश्य को संपूरित करने के लिए प्रभावकारी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विज्ञान मीडिया इंटरफेस पर एक अर्ध दिवसीय परामर्शदात्री कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य विज्ञान, मीडिया एवं आपदा प्रबंधन व्यवसायियों के बीच और अधिक सहयोगी संबंध को बढ़ावा देना था।

<u>आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस: नोडल अधिकारियों की 19 फरवरी, 2014 को बैठक.</u>

6.21 सचिवों की समिति ने देश में आपातकालीन प्रबंधन के संबंध में आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस की रूपरेखा तैयार करने, इसे विकसित करने और कार्यान्वित करने का कार्य अंतरिक्ष विभाग को सौंपा है। अंतरिक्ष विभाग से राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र (एन आर एस सी) एन डी ई एम को कार्यान्वित एवं प्रचालित करने के लिए अग्रणी एजेंसी है। एन आर एस सी ने एन आई डी एम की सहायता से 19 फरवरी, 2014 को एन आई डी एम में एन डी ई

एम के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य परियोजना की स्थिति के बारे में मूल्यांकन करना तथा नोडल मंत्रालयों एव एजेंसियों के साथ उपलबध आंकड़ा एवं सूचना प्रदान करने/साझा करने के लिए सार्थक सहयोग एवं तंत्र स्थापित करना है। केन्द्रीय विभागों के 26 अधिकारियों तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राज्य प्रतिनिधि, एन आर एस सी, अंतरिक्ष विभाग तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अधिकारियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। विभिन्न सहभागी विभागों तथा एन आई डी एम के नोडल अधिकारियों ने इसमें भाग लिया, आंकड़ों की उपलबधता, साझा करने के तौर-तरीके तथा वांछित फार्मेट में आंकड़ा साझा करने में चुनौतियों तथा आपात स्थितियों के दौरान उनके उपयोग के बारे में चर्चा की। सहभागियों ने सही समय पर परिदृश्य में उपयोग में सुधार के लिए सुझाव भी दिए।

<u>प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण तथा वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन, 6-7 फरवरी, 2014</u>.

6.22 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) का प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण एवं वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन (ए टी सी) 6-7 फरवरी, 2014 को एन आई डी एम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का प्रथम दिन प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण तथा दूसरा दिन वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन को समर्पित किया गया। वर्तमान वर्ष में जोर और अधिक आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पहलों की शुरूआत तथा संबंधित विभागों/एजेंसियों के कार्यक्रमों में इसे मुख्य धारा में शामिल करने पर था दो दिवसीय सम्मेलन के प्रथम दिन प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन पर सकेन्द्रित रहा जहां टी एन ए की आवश्यकता तथा मांग आधारित प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। क्षमता निर्माण तथा जागरूकता स्तर में अंतराल को इस सम्मेलन के दौरान कई व्यक्तियों द्वारा उजागर किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्राय: टी एन ए किया जाता है और फीडबैक लिया जाता है, किंतु फीडबैक का अद्यतन एवं विश्लेषण नहीं किया जाता है। कुछ नए क्षेत्रों, जहां ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत है, को भी उजागर किया गया अर्थात् पशुधन की देखभाल, संकट के समय आई डी आर एन का उपयोग, बचाव कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य मुद्दे आदि। परिसर से बाहर सहयोगी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहित क्रियाकलाप संबंधी कैलेंडर को दूसरे दिन अंतिम रूप दिया गया।

<u>राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण अध्ययन के लिए प्रत्यायन प्रक्रिया और नीति तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल के बारे में 5 फरवरी, 2014 को कार्यशाला</u>

6.23 कंसल्टेंसी फर्म - सीड्स टेक्निकल सर्विसेज एवं नॉलेज लिंक के माध्यम से एन आई डी एम द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे एन सी आर एम पी के अंतर्गत 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण रणनीति तैयार करने' संबंधी अध्ययन हेतु एक कार्यशाला दिनांक 5 फरवरी, 2014 को एन आई डी एम में आयोजित की गई। परामर्शी कार्यशाला का उद्देशय आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रत्यापन प्रक्रिया तथा इस अध्ययन के भाग के रूप में प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए अपनाई जा रही नीति के बारे में चर्चा करना तथा गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरों से इंपुट प्राप्त करना है। इंपुट से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रत्यायन प्रक्रिया एवं नीति को अंतिम रूप देने में सहायता मिलेगी जो इस अध्ययन का प्रमुख परिणाम होगा।

<u>"लोच के खतरे: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को विकास योजनाओं की मुख्य धारा में शामिल करना" विषय पर दिनांक 28 जनवरी, 2014 को एन आई डी एम में राष्ट्रीय कार्यशाला</u>

6.24 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम, गृह मंत्रालय), गोरखपुर (पर्यावरण कार्य समूह (जी ई ए जी) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड एन्वायरमेंट ट्रांसमिशन (आई एस ई टी) ने ''लोच के खतरे: जलवायु परिवर्तन अनुकूलनऔर आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को विकास योजनाओं की मुख्य धारा में शामिल करना'' विषय पर दिनांक 28 जनवरी, 2014 को एन आई डी एम में राष्ट्रीय कार्यशाला संयुक्त रूप से आयोजित की।

6.25 कार्यालय में हाइड्रो मौसम विज्ञानी आपदाओं तथा विकेन्द्रीकृत योजना एवं भारत में आवास विषयों के निहितार्थ पर विशेष रूप से जोर दिया गया तथा सरकार, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा दानदाताओं के लगभग 60 नीति निर्माताओं तथा प्रैक्टिशनरों को साथ लाया गया। ''जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण को जिला स्तरीय विकास योजनाओं की मुख्य धारा में शामिल करने'' संबंधी मॉड्यूल भी कार्यशाला के दौरान जारी किया गया।

<u>एन आई डी एम के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए प्रत्याशित योजना पर 17 जनवरी, 2014 को विचारमंथन कार्यशाला</u>

6.26 एन आई डी एम के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए प्रत्याशित योजना पर 17 जनवरी, 2014 को विचारमंथन कार्यशाला एन आई डी एम में आयोजित की गई। भारत में आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर क्षमता विकास की अत्यधिक मांग के मद्देनजर एन आई डी एम के विस्तार की जरूरत व्यक्त की गई। संकाय सदस्यों के मानव संसाधन विकास और संवर्धनात्मक पहलुओं पर संस्थागत स्थायित्व एवं विकास के प्रमुख पहलुओं पर जोर दिया गया तथा इसके अलावा विषय की बहु-विधात्मक प्रकृति पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

<u>एन आई डी एम ने गोकाराजू रंगाराजू इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलोजी इंस्टीट्यूट, हैदराबाद के तीसरे वर्ष के बी. टेक (सिविल इंजीनियरिंग) के छात्रों के लिए 16 दिसम्बर, 2013 को संकाय सदस्य-छात्र के बीच परस्पर वार्ता कार्यक्रम आयोजित किया।</u>

6.27 शैक्षणिक दौरे के भाग के रूप में गोकाराजू रंगाराजू इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलोजी इंस्टीट्यूट, हैदराबाद के तृतीय वर्ष सिविल इंजीनियरिंग के 75 छात्रों ने 16 दिसम्बर, 2013 को एन आई डी एम का दौरा किया।

6.28 ''भूकंप जोखिम न्यूनीकरण तथा आपदा न्यूनीकरण में व्यावसायिक सुविज्ञता'' के बारे में एक परस्पर चर्चा सत्र आयोजित किया गया। ''आपदा मुक्त भारत'' की दिशा में एन आई डी एम के मिशन को ले जाने के लिए आज के सिविल इंजीनियर की भूमिका की व्याख्या की गई। समाज को गुणवत्ता युक्त निर्माण से अवगत कराने के लिए ठोस आनुप्रायोगिकी सुविधाओं तथा भौतिक मोडलों पर जोर दिया गया ताकि भारत में बने सिविल इंजीनियर भूकंप बाढ़, भू-स्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों के विरुद्ध निर्मित सुविधाओं के महत्व की गारंटी सुनिश्चित करना शुरू कर सकें।

6.29 यद्यपि एन आई डी एम वेब संसाधनों का ब्यौरा सभी छात्रों को दिया गया, तथापि सिविल इंजीनियरिंग के स्नातक छात्रों के लिए व्यावसायिक उत्साह के बारे में कई दृष्टांत दिए गए।

साधु वासवानी नर्सिंग कॉलेज, पुणे, महाराष्ट्र के छात्रों का 6 दिसम्बर, 2013 को शैक्षणिक दौरा।

6.30 साधु वासवानी नर्सिंग कॉलेज, पुणे, महाराष्ट्र के 20 प्रतिभागियों ने 6 दिसम्बर, 2013 को एन आई डी एम का दौरा किया। आपदा प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांतों तथा भारत में आपदा प्रबंधन के संस्थागत कार्य ढांचे के बारे में प्रस्तुति दी गई। छात्रों का यह शैक्षणिक दौरा 3 बजे से लेकर 5.30 बजे अपराह्न तक ढाई घंटे चला जो चर्चा सत्र के साथ समाप्त हुआ।

असम राज्य सचिवालय के अधिकारियों का 28 नवंबर, 2013 को एन आई डी एम का दौरा।

6.31 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान के 28 असम राज्य सचिवालय अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों ने 28.11.2013 को एन आई डी एम का दौरा किया। आपदा प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत तथा भारत में आपदा प्रबंधन के संस्थागत कार्य ढांचे और आपातकालीन प्रचालन केन्द्र के बारे में दो प्रस्तुतियां दी गईं।

एन आई डी एम ने क्योटो, जापान में 18-22 नवंबर, 2013 को आयोजित आई सी एल-आई पी एल क्योटो सम्मेलन 2013 में भाग लिया।

6.32 इंटरनेशनल कंसोर्टियम लैण्डस्लाइड्स (आई सी एल) ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा एक सुरक्षित भू-पर्यावरण सृजित करने के लिए भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु रणनीतिक चर्चा करने के लिए 18-22 नवंबर, 2013 के दौरान क्योटो, जापान में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के दौरान 2-6 जून, 2014 के दौरान बीजिंग, चीन में आयोजित किए जाने वाले विश्व लैण्डस्लाइड्स फोरम 3 के लिए कार्यान्वयन योजना और साथ ही आई सी एल के बोर्ड प्रतिनिधियों के नियमित 12वें सत्र तथा लैंडस्लाइड्स ग्लोबल प्रमोशन कमेटी संबंधी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के 8वें सत्र तथा आई पी एल संगोष्ठी 2013 पर भी चर्चा की गई। एन आई डी एम ''भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए प्रलेखन, प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास'' के बारे में आई पी एल परियोजना-172 पर कार्य करता रहा है तथा भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन के बारे में आई सी एल के थिमेटिक नेटवर्क का समन्वय करता रहा है।

<u>एन आई डी एम ने "पर्यावरण आयोजना तथा आपद जोखिम प्रबंधन (ई पी डी आर एम): भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन (डी आर एम) के क्षेत्र में भारत-जर्मन सहयोग के 6 वर्ष" विषय पर दिनांक 22 अक्तूबर, 2013 को एक परिणाम चर्चा एवं रणनीति कार्यशाला आयोजित की।</u>

6.33 'डयूच जेशेलचाफ्ट फर इंटरनेशनल जुसामिनारबेट' ने भारत-जर्मन पर्यावरण भागीदारी कार्यक्रम (आई जी ई पी) की सहायता से पर्यावरण आयोजना और आपदा जोखिम प्रबंधन (ई पी डी आर एम) परियोजना के साथ वर्ष 2008 से आपदा जोखिम प्रबंधन में मानव क्षमता विकास हेतु भारत के राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान दिया। यह परियोजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राजनैतिक सहयोग तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं गृह मंत्रालय के समन्वय से चली। परिणामी चर्चा एवं रणनीति कार्यशाला के उद्देश्य निम्नवत थे:

i. ई पी डी आर एम परियोजना के कार्य इंपुट तथा आपदा जोखिम प्रबंधन में भविष्य में मानव क्षमता विकास की संभावनाओं तथा अवरोधों के संबंध में प्रत्यक्ष प्रभावों के बारे में अनुभवों को साझा करना तथा उन पर प्रकाश डालना।

ii. आपदा से निपटने की तैयारी तथा कार्रवाई एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के क्षेत्र में मानव क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण की भूमिका एवं योगदान।

iii. आपदा जोखिम प्रबंधन में विभिन्न लक्ष्य समूहों (शैक्षणिक, प्रशासनिक, प्रचालनात्मक, प्रथम कार्रवाईकर्ता, उद्योग, प्लानर, स्वयं सेवक आदि) के लिए पर्यावरणिक अभियान की भूमिका। एन आई डी एम, डी एन आई, एन सी डी सी, एन डी एम ए, गृह मंत्रालय तथा जी आई जैड के 24 प्रतिनिधिमंडल सदस्यों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

6.34 निदेशक, आई जी ई आर, जी आई जैड ने उल्लेख किया कि जर्मन सरकार कमी वाले क्षेत्रों के बारे में सहयोग करने तथा मिलकर कार्य करने के लिए इच्छुक होगी, जिसके लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय संस्थान द्वारा बनाये जाने की जरूरत है तथा इनको डी ई ए के माध्यम से जर्मन सरकार को अग्रेषित किया जाना है। एन डी एम ए ने उल्लेख किया कि एन डी एम ए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, तथापि सहभागी एजेंसियों को पहल करते रहने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए तथा आवश्यकता एवं कमी वाले क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए। इसी आधार पर प्रस्ताव तैयार करने की जरूरत है।

<u>प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण, प्रशिक्षण अंतराल विश्लेषण, प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मात्रा निर्धारण एवं प्राथमिकता निर्धारण, अल्पकालिक आपदा प्रबंधन प्रशिक्षणों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रत्यायन विधि के कार्यान्वयन संबंधी रणनीति के बारे में 3 अक्तूबर 2013 को राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला।</u>

6.35 एन सी आर एम पी के घटक ''ग'' के अंतर्गत 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण रणनीति' संबंधी अध्ययन के लिए एन आई डी एम में एक राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला/परामर्श आयोजित किया गया। यह कार्यशाला आवश्यकता मूल्यांकन, प्रशिक्षण अंतराल विश्लेषण, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की मात्रा एवं प्राथमिकता निर्धारण, प्रशिक्षण कार्यान्वयन संबंधी रणनीति तथा अल्पकालिक आपदा प्रशिक्षणों की प्रत्यायन विधि के बारे में थी जो 3 अक्तूबर, 2013 को एन आई डी एम में आयोजित की गई थी। इस अध्ययन में कुल 17 डेलीवरेवल्स शामिल थे और यह कार्यशाला आठवां डेलीवरेवल्स था। इसका उद्देश्य परियोजना में शामिल मुद्दों को वैधता प्रदान करने के लिए क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायियों तथा राज्य प्रतिनिधियों से उपयोगी टिप्पणियां एवं फीडबैक, अद्यतन तथ्य एवं सूचना प्राप्त करने के लिए चर्चा को सुगम बनाना था। इस कार्यशाला के परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई तथा प्रतिभागियों से कुछ महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त हुए। इस कार्यशाला में एक इंट्रेक्टिव वेब पोर्टल भी शुरू किया गया जहां परियोजना के अंतर्गत सभी रिपोर्टों को अपलोड किया जाता है तथा पाठक अपनी टिप्पणियां भी पोस्ट कर सकते हैं।

<u>'क्षमता निर्माण अनुदान' के बारे में राज्य राहत आयुक्तों के साथ दिनांक 26.08.2013 को राष्ट्रीय कार्यशाला</u>

6.36 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा एन आई डी एम द्वारा एन आई डी एम परिसर में 26 अगस्त, 2013 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 32 राज्य प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यशाला के दौरान चर्चा किए गए मुद्दे निम्नवत थे:

i. तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत सिफारिश किए गए विशिष्ट अनुदानों अर्थात् क्षमता निर्माण अनुदान का उपयोग

ii. अग्निशमन सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए अनुदान
iii. 14वें वित्त आयोग के लिए मुद्दे

iv. राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं/जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं

v. राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (एन ई आर एम पी)

6.37 इसके अतिरिक्त एन आई डी एम से संबंधित कुछ विशिष्ट मुद्दों को भी प्रस्तुत किया गया और उन पर चर्चा की गई।

- राष्ट्रीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आई डी आर एन);
- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना;
- प्रशिक्षणार्थी डाटाबेस;
- आपदा प्रबंधन संसाधन व्यक्तियों की डायरेक्ट्री;
- राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण पोर्टल ; तथा
- ए टी आई के लिए वित्तीय सहायता।

एन आई डी एम ने "उत्तराखंड आपदा 2013: सीखी गईं बातें" के बारे में 19 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की

6.38 बचाव राहत एवं पुनर्वास में शामिल सभी संगठनों की सीखी गई बातों एवं अनुभव को साझा करने के लिए एन आई डी एम ने दिनांक 19 अगस्त, 2013, सोमवार को अपने ही परिसर में "उत्तराखंड आपदा 2013: सीखी गईं बातें" के बारे में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की।

6.39 विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से 130 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यशाला के सत्रों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा त्रासदी के दौरान कार्रवाई तथा पुनर्वास और बहाली की रणनीति शामिल थी।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जेनेवा, स्विटजरलैंड में वैश्विक मंच के चौथे सत्र में दिनांक 19-23 मई, 2013 को एन आई डी एम की सहभागिता

6.40 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जेनेवा, स्विटजरलैंड में वैश्विक मंच का चौथा सत्र दिनांक 19-23 मई, 2013 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन यू एन आई एस डी आर द्वारा किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री ए के. मंगोत्रा, सचिव, (बी एम), गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों के 100 प्रतिनिधिमंडल सदस्यों ने बूथ का दौरा किया तथा संस्थान, देश में आपदा प्रबंधन के ढांचे तथा डी आर आर की पहलों के बारे में पूछा। इस प्रश्नों का उत्तर बूथ का प्रबंधन कर रहे एन आई डी एम के अधिकारियों द्वारा दिया गया। पहली बार भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच पर किसी प्रदर्शनी में भाग ले रहा है और इसका श्रेय एन आई डी एम तथा इसके संकाय सदस्यों को जाता है।

दिनांक 22-23 मार्च, 2014 को उत्तरी-पश्चिमी जिला, दिल्ली के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित "आपदा प्रबंधन फेयर-आगाज" के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की भागीदारी

6.41 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 22-23 मार्च, 2014 को दिल्ली हाट, पीतमपुरा, नई दिल्ली में ''आपदा प्रबंधन फेयर-आगाज'' के माध्यम से दो दिन के जन जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए), उत्तर पूर्व जिला, दिल्ली द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के बारे में जन-जागरूकता पैदा करना था।

6.42 कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने उदघाटन भाषण दिया और आपदा तैयारी, प्रशमन और प्रबंधन के महत्व के बारे में बताया। इस मेले के दौरान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने पोस्टर, कलैंडर, प्रशिक्षण मॉड्यूल, पर्चे आदि जैसी विभिन्न प्रकार की आई ई सी सामग्री प्रदर्शित की। इस मेले के दौरान विभिन्न आगन्तुकों, स्टेकहोल्डरों, छात्रों और शिक्षकों में आई ई सी सामग्री वितरित की गई।

6.43 एन डी आर एफ, नागरिक सुरक्षा, दिल्ली मेट्रो, शिक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग, नगर निगम दिल्ली, सी ए टी एस, शीड्स इंडिया, पारस, दिल्ली जल बोर्ड जैसे अन्य अनेक गैर-

सरकारी संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मेले के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। मंच नाटकों, गीतों, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से आपदा प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का चित्रण किया गया।

<u>शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 10-11 मार्च, 2014 को आयोजित "एन्युअल कॉलेज फीस्ट-क्रिसेंडो 2014" में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की भागीदारी।</u>

6.44 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने ''शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज'' दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 10-11 मार्च, 2014 को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय ''एन्युअल कॉलेज फीस्ट-क्रिशेंडो 2014'' में भाग लिया।

6.45 इस कार्यक्रम का उदघाटन 10 मार्च, 2014 को डॉ. पूना वर्मा, प्राचार्य ''शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय'' द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा सूचना का प्रसार करने के लिए एक स्टॉल स्थापित की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की टीम ने छात्रों को एन आई डी एम के ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों से अवगत कराया जिनके माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को आपदा प्रबंधन के बारे में सीखने को मिल सकता है तथा इससे वे इस क्षेत्र में अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। इन दोनों दिन छात्रों, शिक्षकों तथा अन्य आगन्तुकों को भूकंप सुरक्षा, बाढ़ सुरक्षा, आग से सुरक्षा, विद्यालय सुरक्षा तथा अन्य आपदा प्रबंधन विषयों के बारे में रीडिंग मेटेरियल, पोस्टर, कलैंडर और पर्चों के अतिरिक्त विभिन्न आई ई सी सामग्री वितरित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान, पुस्तकों, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा दिशानिर्देशों आदि के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रकाशित सामग्री भी वितरित की गई। 75 विभिन्न कॉलेजों के 5000 से अधिक छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की गतिविधियों और आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता से लाभान्वित हुए।

<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगर के शिक्षा विभाग द्वारा 26-28 फरवरी, 2014 को आयोजित "विज्ञान मेले" में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की भागीदारी</u>

6.46 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 26-28 फरवरी, 2014 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ''विज्ञान मेले'' में भाग लिया। इस कार्यक्रम में

ग्लोबल रेस्क्यू कन्सलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने सहायता की तथा यह निम्नलिखित छः स्कूलों में आयोजित किया गया:

1. एम सी पी स्कूल, जहांगीरपुरी, ई ब्लॉक (जोन-सी एल जेड)

2. एम सी पी स्कूल, बलजीत नगर (जोन-के बी जोड)

3. एम सी पी स्कूल ज्वालापुरी कॉम्प नं. 5 (जोन-रोहिणी)
4. एम सी पी स्कूल गुलाबी बाग (जोन-एस पी जेड)

5. एम सी पी स्कूल मुन्डका गांव (जोन-नरेला)

6. एम सी पी स्कूल फूल मंडी (सिटी)

6.47 अधिकारियों और शिक्षकों को भूकंप-रोधी विद्यालय भवनों पर विशेष बल देते हुए विद्यालयों में आपदा प्रबंधन के महत्व के विषय में जानकारी दी गई। बाद में विद्यालय के छात्रों लगाई गई मॉडल प्रदर्शनियां देखी तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कुछ विद्यालय मॉड्यूल्स प्रदर्शित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भी अपनी आई ई सी सामग्री और संस्थान द्वारा निष्पादित गतिविधियों के बारे में बताया।

<u>दिनांक 6.01.2014 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का कलैंडर-2014 तथा भारतीय आपदा रिपोर्ट-2012 का विमोचन</u>

6.48 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कलैंडर 2014 तथा भारतीय आपदा रिपोर्ट का विमोचन 6 जनवरी, 2014 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सम्मेलन कक्ष में किया गया। इस कार्यक्रम में कुछ अति विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया। कलैंडर 2014 तथा भारतीय आपदा रिपोर्ट 2012 के सफल विमोचन के लिए मंच पर उपस्थित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने ई. डी., राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का अभिनंदन किया।

<u>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 14-27 नवंबर, 2013 को भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आई आई टी एफ-2013) में भाग लिया।</u>

6.49 आम जनता में आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा एन डी आर एफ के साथ मिलकर भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया। फूलवाड़ी कनवेंशन सेंटर में अपने स्टॉल के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने समुदाय के साथ जागरूकता संबंधी विभिन्न सामग्री साझा की, लिक्विफेक्शन टेस्टिंग के लिए शेक टेबल प्रदर्शित की, भूकंप प्रतिरोध के लिए भवन निर्माण मॉड्यूल्स का प्रदर्शन किया, आपदा प्रबंधन के बारे में स्ट्रीट प्ले (नक्कड़ नाटक) का आयोजन किया, विद्यालय सुरक्षा के बारे में स्कूली बच्चों के एक प्रहसन का आयोजन किया तथा विभिन्न आपदाओं के बारे में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने अपने उत्पादों तथा गतिविधियों का प्रदर्शन किया तथा विभिन्न प्रशिक्षण सम्मेलन तथा संस्थान द्वारा प्रकाशित मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने वितरण के लिए विभिन्न प्रकार की आई ई सी सामग्रियों तथा प्रकाशनों का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष श्री एम. शशिधर रेड्डी ने उदघाटन समारोह के दौरान माह वार विभिन्न आपदाओं के बारे में करने योग्य तथा न करने योग्य बातों की जानकारी देने वाला एक कलेंडर भी जारी किया।

<u>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 9 अक्तूबर, 2013 को "आपदा न्यूनीकरण दिवस" मनाया।</u>

6.50 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, जो प्रतिवर्ष अक्तूबर में मनाया जाता है, की तर्ज पर 9 अक्तूबर, 2013 को ''आपदा न्यूनीकरण दिवस'' मनाया।

6.51 इस अवसर पर ए एस एन स्कूल, मयूर विहार, नई दिल्ली के छात्रों द्वारा विद्यालय सुरक्षा के बारे में एक प्रहसन पेश किया जिसके बाद में उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदा तथा शिक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में स्कूली छात्रों ने अनुभव का आदान-प्रदान किया। एन डी एम ए तथा एन आई डी एम द्वारा आयोजित स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशभर के विभिन्न स्कूली बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया।

साइंस एक्सपो में भाग लेना

6.52 राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भारतीय वैज्ञानिक संस्थाओं की नवीनतम अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को दर्शाने के लिए साइंस एक्सपो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान लोकप्रिय विज्ञान व्याख्यान, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में कॅरिअर के बारे में बातचीत सत्र उपकरणों/औजारों का प्रदर्शन तथा छात्रों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आपदा प्रबंधन शिक्षा और जागरूकता को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से एन आई डी एम देश के 12 और प्रतिष्ठित संगठनों के साथ इस एक्सपो में भाग लेता है।

6.53 इस प्रदर्शनी की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भूकंप और भवनों के विशेष संदर्भ में भौतिक मॉडलों, सजीव वीडियो और डिसप्ले सामग्री के प्रदर्शन के माध्यम से आपदा प्रबंधन परिदृश्य के बारे में बताया विशेष रूप से आपदा प्रबंधन के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करने और उनकी जानकारी में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा व्यापक तौर पर विकसित आई ई सी सामग्री आगन्तुकों में वितरित की गई। विकसित की गई। मुख्य आई ई सी सामग्री में विद्यालय सुरक्षा योजना, आग की रोकथाम, सामान्य प्रकार की आपदाओं के समय करने योग्य तथा न करने योग्य बातों के बारे में पर्चे, भूकंप जागरूकता, लूडो गेम किट, सुरक्षा संबंधी नुस्खे दर्शाने वाले दीवार और डेस्क कलैंडर आदि शामिल हैं। प्रदर्शनी के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वृत्त चित्र भी दिखाए गए। लगभग 25,000 छात्रों ने इस एक्सपो को देखा।

अनुसंधान और प्रलेखन

6.54 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, सीख लेने तथा मामला अध्ययनों (केस स्टडीज) का प्रयोग संबंधी संसाधन सामग्री के रूप में करने के लिए देश में आने वाली प्रत्येक आपदा को प्रलेखित करता है। पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में ऐसे केस स्टडीज किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने अनेक संगठनों को अपनी रणनीतियां, योजनाएं तथा ढांचे विकसित करने में परामर्शी सेवाएं मुहैया कराई हैं। वर्ष 2011 में शुरू की गई इंडिया डिजास्टर रिपोर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ऐसी गतिविधियों में से एक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड में 2013 में आई बाढ़, चक्रवात 'फेलिन' और रतनगढ़ मंदिर में हुई भगदड़ का

प्रलेखन करने की प्रक्रिया में है। इस संस्थान ने उत्तराखंड आपदा 2013: ली गई सीख के बारे में इस परिसर में एक कार्यशाला विकसित की है।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी)

अध्ययन 1: भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की रणनीति तैयार करना:

उद्देश्य

6.55 गुणवत्ता, प्रत्यायन प्रक्रिया, अनुसंधान एवं शिक्षण पहलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण मॉड्ल्स की रणनीति तैयार करना तथा सुझाव देना, संगठनों और संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना तथा रणनीतिक जन जागरूकता पहलों को बढ़ावा देना।

6.56 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 'भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की रणनीति तैयार करने' के लिए एक अध्ययन (स्टडी) किया है। यह अध्ययन राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना के घटक ग के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

6.57 उक्त अध्ययन बहु-आपदा दृष्टिकोण सहित स्टेकहोल्डरों के क्षमता निर्माण से संबंधित है। इसका उद्देश्य एक क्षमता निर्माण ढांचे में योगदान करना है जिसमें शामिल हैं: भूकंप, भू-स्खलन, चक्रवात, बाढ़ और सूखा सहित सभी प्रमुख आपदाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं,/स्थानीय निकायों सहित कुछ प्रमुख क्षेत्रों तथा पंचायती राज संस्थाओं से लेकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकताएं। रिपोर्टों, मॉड्यूल्स और कार्यशालाओं के रूप में इसके विभिन्न लाभ हैं जिनकी परिणति अंतिम समेकित रिपोर्टों और श्वेत पत्रों में होती है।

6.58 सभी छः परियोजना राज्यों में क्षेत्र सर्वेक्षण का प्रथम दौर पूरा कर लिया गया है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं। प्रथम तीन राज्यों की प्रारंभिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

6.59 क्षेत्र सर्वेक्षण ''प्रशिक्षण गेप विश्लेषण'' का अभिन्न भाग था। इसमें मौजूदा संस्थागत क्षमता, विधिक ढांचे का विश्लेषण करना, प्रशिक्षण आवश्यकता का विश्लेषण आदि शामिल था ताकि क्षमता निर्माण के क्षेत्र में मार्ग प्रशस्त किया जा सके। उचित प्रशिक्षण रणनीति विकसित करने के उद्देश्य से देश और निर्धारित राज्यों के लिए प्रत्येक निर्धारित क्षेत्र में और प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण कमियों का पता लगाना तथा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना था। इस विश्लेषण से प्रशिक्षण आवश्यकताओं का परिमाण निर्धारण हुआ जिससे संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संख्या और प्रकार, इन प्रशिक्षणों को संचालित कर सकने वाली संस्थाओं, प्रशिक्षकों की आवश्यकता, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, एक अविध में प्रशिक्षण अवसंरचना और पुन:प्रशिक्षण का निर्धारण किया जा सके और तदनुसार उचित निवेश का निर्णय लिया जा सके।

<u>अध्याय ||: भारत में आपदा उपरान्त आवश्यकताओं का आकलन (पी डी एन ए)</u>

<u>उद्देश्य</u>

6.60 आपदा उपरान्त आवश्यकताओं के आकलन के लिए ऐसे मानक साधन, जो भारत के लिए प्रासंगिक हो, विकसित करना, आपदा उपरान्त आवश्यकताओं के आकलन के नए साधनों के अनुसार भारत में आपदा उपरान्त आवश्यकताओं के आकलन की समस्त प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाना, पी डी एन ए के नए साधनों को मौजूदा प्रक्रिया में शामिल करने की सिफारिशें करना और प्रासंगिक स्टेकहोल्डरों का निर्धारण तथा क्षमता निर्माण/समर्थन और भविष्य में यथा समय विकसित किए जाने वाले पी डी एन ए के नए साधनों का प्रयोग करते हुए आकलन करने के लिए विशेषज्ञों का पैनल गठित करना।

6.61 इस अध्ययन का उद्देश्य भारत के लिए वैज्ञानिक और उद्देश्य-परक साधनों का विकास करना है। यह अध्ययन निम्नलिखित दस प्रतिनिधि राज्यों के लिए किया जाएगा- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र। इस अध्ययन से ऐसे साधन विकसित करने में मदद मिलेगी जिनसे भारत में अपनाई जा रही मौजूदा पी डी एन ए प्रणाली में मौजूदा कमियों को दूर किया जा सकेगा जिसके परिणामस्वरूप आपदा उपरान्त क्षति और आवश्यकताओं के आकलन का एक मजबूत तंत्र तैयार होगा।

6.62 इस अध्ययन को सौंपने के लिए तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस पर विश्व बैंक ने अनापत्ति दे दी है तथा यह अध्ययन ए डी पी सी, बैंकॉक को सौंपा गया है। ए डी पी सी ने अध्ययन शुरू कर दिया है और आरंभिक रिपोर्ट पर चर्चा पहले ही हो चुकी है।

<u>बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा की स्थिति का आकलन और प्रशमन विश्लेषण</u>

6.63 बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा की स्थिति का आकलन तथा प्रशमन विश्लेषण के नाम से आई सी एस एस आर द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान परियोजना जून 2011 में शुरू हुई। इस परियोजना का उद्देश्य सूखा से बचने की विशिष्ट रणनीतियों के लिए जिला और उप जिला स्तर पर सूखे की स्थिति का विश्लेषण करना है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी (वर्षा), हाइड्रोलोजीकल (भू जल) तथा कृषि (एस पी ओ टी वेजीटेशन का प्रयोग) का प्रयोग करके सूखा आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता का ठीक प्रकार से विश्लेषण किया गया है। इसमें ''सूखा'' शब्द को समझने और मौसम संबंधी, जल संबंधी और कृषि संबंधी सूखे के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। टाइपोलोजीकल, स्पेटियल तथा टेम्पोरल विश्लेषण के बाद सुभेद्यता का व्यापक विश्लेषण किया गया। ललितपुर जिले के लए मौजूदा विकास कार्यक्रमों (विशेष रूप से बुंदेलखंड पैकेज) और सूखा के प्रभाव को कम करने के बारे में उनके निहितार्थ अर्थात् सूखा प्रशमन महत्व का विस्तृत विश्लेषण किया गया। ललितपुर और टीकमगढ़ जिले के व्यापक विश्लेषण के लिए क्षेत्र दौरा तथा जिला स्तर पर नोडल विभागों के साथ बातचीत करने के लिए बैठक की गई। परियोजना रिपोर्ट आई सी एस एस आर को प्रस्तुत कर दी गई है।

<u>प्रकाशन</u>

6.64 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान न केवल आई ई सी सामग्री बल्कि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण मॉड्यूल्स, अपने जर्नल 'डिजास्टर एंड डेवलपमेंट' तथा अपने न्यूजलेटर 'टाइडिंग्स' का भी प्रकाशन कर रहा है। इसने विभिन्न रिपोर्टें, कार्यशाला कार्यवाहियां तथा इस प्रकार के अन्य दस्तावेज भी प्रकाशित किए हैं। यह इंडिया डिजास्टर रिपोर्ट 2013 को प्रकाशित करने की प्रक्रिया में है जो वर्ष 2013 में देश में आई विभिन्न बड़ी आपदाओं तथा इन आपदाओं से ली गई सीखों का प्रलेखन है।

अनुलग्नक – I

वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा परिसर के अंदर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	**पाठ्यक्रम का नाम**	**स्थान**	**तारीख**	**फैकल्टी**	**प्रतिभागियों की सं.**
1.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रति पारिस्थितिकी दृष्टिकोंण	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	8-12 अप्रैल	अनिल गुप्ता	17
2.	एन डी आर एफ कमांडरों के लिए पाठ्यक्रम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	15-18 अप्रैल	पी. के. पाठक	13
3.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विधिक ढांचा	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	25-27 अप्रैल	श्रीजा नैयर	24
4.	शिक्षकों के लिए विद्यालय सुरक्षा	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	29 अप्रैल -3 मई	ऋतु राज	39
5.	शिक्षकों के लिए विद्यालय सुरक्षा	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	10-14 जून	ऋतु राज	29
6.	आपदा प्रबंधन में भू- सूचना	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन	8-12 जुलाई	श्रीजा नैयर	14

		संस्थान			
7.	शिक्षकों के लिए विद्यालय सुरक्षा	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	29 जुलाई -2 अगस्त	ऋतु राज	14
8.	बुनियादी आपदा प्रबंधन के बारे में शिक्षक प्रशिक्षण	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	19-23 अगस्त	सुषमा गुलेरिया	18
9.	आई आर एस: बेसिक इंटरमीडिएट कोर्स	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	19-23 अगस्त	पी. के. पाठक	13
10.	आपदा में बच्चों की आवश्यकताएं	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	2-6 सितम्बर	अजिन्दर वालिया	32
11.	मीडिया और आपदा प्रबंधन	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	11-13 सितम्बर	सी. बंदोपाध्याय	25
12.	नर्सिंग कॉलेज, पुणे के छात्रों के लिए आपदा प्रबंधन के बारे में अभिविन्यास कार्यक्रम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	23 सितम्बर	के. जे. अनंद कुमार तपश रॉय	33
13.	विद्यालय सुरक्षा	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	23-27 सितम्बर	ऋतु राज	23

14.	आई आर एस-इंसीडेंट कमांडर कोर्स	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	7-8 अक्तूबर	पी. के. पाठक	18
15.	आई आर एस-ऑपरेशन सेक्शन चीफ	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	9-11 अक्तूबर	पी. के. पाठक	18
16.	ए एफ एम सी पुणे के छात्रों के लिए आपदा प्रबंधन के बारे में अभिविन्यास कार्यक्रम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	11 अक्तूबर	सूर्य प्रकाश के. जे. अनंद कुमार तनुश्री वर्मा	15
17.	आई आई पी ए के साथ मिलकर ए पी पी पी ए के प्रतिभागियों के लिए आपदा प्रबंधन के बारे में अभिविन्यास कार्यक्रम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	8 नवंबर	सूर्य प्रकाश	33
18.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ मिलकर संयुक्त सचिव के स्तर तक के अधिकारियों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास की मुख्य धारा में लाने के	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	11-12 नवंबर	अनिल के. गुप्ता सी. बंदोपाध्याय	18

	बारे में पाठ्यक्रम				
19.	भारतीय साक्षरता मिशन के सहयोग से आपदा प्रबंधन	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	11-14 नवंबर	एस. चतुर्वेदी	32
20.	नागरिक सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	18-22 नवंबर	पी. के. पाठक	16
21.	जेंडर और आपदा प्रबंधन	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	18-22 नवंबर	अजिन्दर वालिया	11
22.	दीर्घकालिक बहाली	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	25-27 नवंबर	अनिल के. गुप्ता एस. चतुर्वेदी अशोक शर्मा	21
23.	डी एस टी के अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन के बारे में अभिविन्यास कार्यक्रम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	26 नवंबर	अनिल गुप्ता सी चतुर्वेदी	30
24.	आई एस टी एम के साथ मिलकर असम सचिवालय के अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन के बारे में अभिविन्यास कार्यक्रम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	28 नवंबर	के. जी. अनंद कुमार तपश रॉय	26

25.	साधु वासवानी नर्सिंग कॉलेज, पुणे के छात्रों के लिए आपदा प्रबंधन के बारे में अभिविन्यास कार्यक्रम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	6 दिसम्बर	के जे अनंद कुमार राहुल गवाहने	22
26.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिए आपदा प्रबंधन के बारे में अभिविन्यास कार्यक्रम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	16 दिसम्बर	सी घोष	29
27.	आई आर एस-प्लानिंग सेक्शन के चीफ	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	16-20 दिसम्बर	पी के पाठक	15
28.	आई आर एस-लॉजिस्टिक सेक्शन के चीफ	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	6-10 जनवरी	पी के पाठक	14
29.	आपदा डाटाबेस प्रबंधन	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	20-23 जनवरी	श्रीजा नैयर	34
30.	द्रुत दृश्य सर्वेक्षण द्वारा भूकंप से भवनों की सुरक्षा का आकलन	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	28-30 जनवरी	सी घोष	25
31.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण को	राष्ट्रीय आपदा	29-31 जनवरी	के जे अनंद कुमार	47

	विकास की मुख्य धारा में शामिल करना	प्रबंधन संस्थान		परामर्शदाता	
32.	व्यापक भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	3-7 फरवरी	सूर्य प्रकाश	10
33.	एन सी सी और एन वाई के एस के अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	3-7 फरवरी	पी के पाठक परामर्शदाता	11
34.	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन में बुनियादी पाठ्यक्रम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	10-14 फरवरी	सुषमा गुलेरिया परामर्शदाता	22
35.	बाढ़ आपदा प्रबंधन	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	17-21 फरवरी	ए डी कौशिक के जे अनंद कुमार	28
36.	आपदा की सूचना देने के सिद्धांतों की पुन: जांच करने के बारे में शिक्षक प्रशिक्षण	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	17-22 फरवरी	के जे अनंद कुमार सी बंदोपाध्याय	11
37.	दिल्ली पब्लिक स्कूल,दिल्ली के साथ के सहयोग से विद्यालय सुरक्षा	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	19-21 फरवरी	ऋतु राज	23
38.	समुदाय आधारित	राष्ट्रीय	10-14 मार्च	सी बंदोपाध्याय	5

	जोखिम प्रबंधन	आपदा प्रबंधन संस्थान			
39.	विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	3-5 मार्च	ऋतु राज	28
कुल					**856**
भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम					
40	प्रथम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	17 अप्रैल	श्रीजा नैयर अनुपम	48
कुल योग					904

अनुलग्नक – II

<u>वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा कैम्पस से बाहर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	तारीख	फैकल्टी	प्रतिभागियों की सं.
	आई आर एस-प्रशिक्षण और सिमुलेशन	शिमला नगर निगम	1-5 अप्रैल	अरुण सहदेव	52
1.	ग्राम आपदा विकास योजना तैयार करना	एस आई आर डी, उत्तर प्रदेश	15-19 अप्रैल	सुषम गुलेरिया अजिन्दर वालिया	30
2.	द्रुत दृश्य सर्वेक्षण द्वारा भवनों की भूकंप से सुरक्षा का आकलन	अगरतला	16-18 अप्रैल	सी घोष	26
3.	शहर आपदा प्रबंधन योजना	राजकोट, गुजरात	29 अप्रैल - 3 मई	सूर्य प्रकाश सी घोष	25
4.	बाढ़ प्रबंधन योजना एवं कार्रवाई	जी आई डी एम, गुजरात	14-18 मई	के जे अनंद कुमार	26
5.	आई आर एस बेसिक एंड इंटरमीडिएट कोर्स	वाई ए एस एच ए डी ए, पुणे	16-18 मई	अरुण सहदेव	29
6.	व्यापक भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन	नागालैंड	20-24 मई	सूर्य प्रकाश	25
7.	बांध की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन योजना	कोलडेम, हिमाचल प्रदेश	31 मई – 1 जून	सी घोष	19
8.	द्रुत दृश्य सर्वेक्षण	गौतम बुद्ध	19-21 जून	सी घोष	30

	द्वारा भवनों की भूकंप से सुरक्षा का आकलन	विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा			
9.	सुरक्षित पर्वतीय क्षेत्रीय विकास	ए टी आई मिजोरम	25-28 जून	सूर्य प्रकाश	21
10.	आपदा प्रबंधन में वानिकी की भूमिका	एफ आर आई देहरादून	15-19 जुलाई	ए डी कौशिक अनिल के गुप्ता	13
11.	कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना	यू टी सी एस दिल्ली	24-26 जुलाई	सुषमा गुलेरिया	13
12.	आपदा प्रबंधन के बारे में शिक्षक प्रशिक्षण	यू पी ए ए एम लखनऊ	29 जुलाई -2 अगस्त	एस चतुर्वेदी	20
13.	पुलिस के लिए आपदा प्रबंधन	सी डी टी एस, गाजियाबाद	10-12 सितम्बर	पी के पाठक एस चतुर्वेदी	13
14.	विद्यालय सुरक्षा के बारे में शिक्षक प्रशिक्षण	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश	23-27 सितम्बर	एस चतुर्वेदी	41
15.	औद्योगिकी (रासायनिक) खतरे-जोखिम, योजना एवं कार्रवाई	जी आई डी एम, गुजरात	23-27 सितम्बर	अनिल के गुप्ता श्रीजा नैयर	41
16.	सुरक्षित पर्वतीय क्षेत्रीय विकास	यू ए ए, उत्तराखंड	24-26 सितम्बर	सूर्य प्रकाश	35
17.	भूकंप जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	एच आई पी ए, हिमाचल प्रदेश	25-27 सितम्बर	सी घोष	38
18.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम	सिक्किम	3 अक्तूबर	सूर्य प्रकाश अशोक शर्मा	45

	प्रबंधन				
19.	व्यापक भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन	सिक्किम	4-5 अक्तूबर	सूर्य प्रकाश अशोक शर्मा	45
20.	जी एल ओ एफ एंड एल एल ओ एफ	सिक्किम	7-8 अक्तूबर	सूर्य प्रकाश अशोक शर्मा	36
21.	वन आग प्रशमन एवं प्रबंधन	एफ आर आई देहरादून	7-11 अक्तूबर	ए डी कौशिक अनिल के गुप्ता	25
22.	एस डी एम ए, तमिलनाडु के सहयोग से एस डी एम पी तैयार किए जाने के बारे में प्रशिक्षण कार्यशाला	ए आई एम, तमिलनाडु	13 नवंबर	श्रीजा नैयर	55
23.	विद्यालय सुरक्षा के बारे में अभिविन्यास कार्यक्रम	रॉकवैल्ड स्कूल, नोएडा	25 नवंबर	तनुश्री वर्मा सूर्य प्रकाश	150
24.	शहरी क्षेत्रों में वन आग का सहभागी प्रबंधन	एफ आर आई देहरादून	25-29 नवंबर	सी बंदोपाध्याय ए डी कौशिक	10
25.	भगदड़ जोखिम प्रबंधन	ए टी आई, पश्चिम बंगाल	4-6 दिसम्बर	एस चतुर्वेदी पी के पाठक	27
26.	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन	एम डी सी फॉर एस एच ई, ओडिशा	16-20 दिसम्बर	अनिल के गुप्ता श्रीजा नैयर	38
27.	सी बी डी आर एम	एस आई आर डी, तमिलनाडु	16-20 दिसम्बर	के जे अनंद कुमार	56
28.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण को	ए टी आई, पश्चिम	6-9 जनवरी	सी बंदोपाध्याय	17

	विकास की मख्य धारा में शामिल करना	बंगाल			
29.	द्रुत दृश्य सर्वेक्षण द्वारा भूकंप से भवनों की सुरक्षा का आकलन	एन आई टी सिल्चर, असम	8-10 जनवरी	सी घोष	28
30.	भगदड़ जोखिम न्यूनीकरण	वाई ए एस एच ए डी ए, महाराष्ट्र	21-23 जनवरी	एस चतुर्वेदी पी के पाठक	51
31.	द्रुत दृश्य सर्वेक्षण द्वारा भूकंप से भवनों की सुरक्षा का आकलन	मुंबई	21-22 जनवरी	सी घोष	20
32.	पंचायती राज संस्थाओं के लिए आपदा प्रबंधन	एस आई आर डी, छत्तीसगढ़	28-31 जनवरी	एस चतुर्वेदी परामर्शदाता	24
33.	जल क्षेत्र पर जोर देते हुए जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन	आई आई पी ए	10-14 फरवरी	के जे अनंद कुमार परामर्शदाता	19
34.	द्रुत दृश्य सर्वेक्षण द्वारा भूकंप से भवनों की सुरक्षा का आकलन	चंडीगढ़	17-19 फरवरी	सी घोष	55
35.	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन	यू पी ए ए एम, लखनऊ	19-21 फरवरी	एस चतुर्वेदी अनिल के पाठक	19
36.	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में आजीविका के रूप	एफ आर आई देहरादून	3-7 मार्च	ए डी कौशिक सी बंदोपाध्याय	14

	में वानिकी				
37.	सूखा परिदृश्य के निर्धारण और मूल्यांकन के तरीके और इंडीसिस	एन आई एच, रुड़की	10-14 मार्च	के जे अनंद कुमार ए डी कौशिक	19
38.	आपदा प्रबंधन के बारे में शिक्षक प्रशिक्षण	सी जी ए ए, छत्तीसगढ़	24-26 मार्च	एस चतुर्वेदी एस गुलेरिया	30
39.	सूखा प्रबंधन	सी ए जेड आर आई, जोधपुर	24-28 मार्च	के जे अनंद कुमार परामर्शदाता	25
40.	आई आर एस- कुंभ मेला को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन में एक साधन	नासिक	26-28 मार्च	एस चतुर्वेदी पी के पाठक	32
				कुल	**1337**
भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम					
42.	दूसरा	एम सी आर एच आर डी संस्थान, हैदराबाद	21 जून	श्रीजा नैयर अनुपम	24
43.	तीसरा	जी आई डी एम, गुजरात	30 अगस्त	श्रीजा नैयर अनुपम	28
44.	चौथा	रांची	30 नवंबर	श्रीजा नैयर अनुपम	29
				कुल	81
				कुल योग	1418

अध्याय-7

<u>परिणाम बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई</u>

7.1 वर्ष के दौरान वित्तीय प्रगति की निगरानी करने के लिए गृह मंत्रालय का विभागीय लेखाकरण संगठन लेखाओं के संकलन के बाद मासिक व्यय विवरण तैयार करता है। यह संगठन व्यय की प्रगति के बारे में कार्यक्रम प्रभागों को अवगत कराने के लिए मासिक आधार पर भी व्यय रिपोर्टें प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्टों में गृह मंत्रालय के कार्य संचालन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है तथा वास्तविक और वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। इन रिपोर्टों से मंत्रालय के व्यय की गति को समान रखने तथा आबंटित निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में मदद के रूप में एम आई एस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) रिपोर्टों का प्रयोजन भी पूरा होता है।

7.2 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रशासनिक प्रभागों को किए गए बजटीय आबंटनों को एम आई एस जोडा जाता है और प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों, अनुपूरकों तथा पुनर्विनियोजन की गणना करने के लिए वित्त प्रभाग के अधीन विभागीय लेखाकरण संगठन प्रशासनिक प्रभागों के साथ मिलकर कार्य करता है। विभागीय लेखा संगठन प्रशासनिक प्रभागों को विभिन्न कार्यक्रम उद्देश्यों को हासिल करने में सहयोग करता है तथा यह वित्त मंत्रालय के साथ इंटरफेस का कार्य करता है। विभागीय लेखाकरण संगठन उत्तम बजट प्रक्रिया के सिद्वांतों का अनुपालन करने के बारे में उनका मार्गदर्शन करता है। विभागीय लेखा संगठन अलर्ट और सलाह के माध्यम से सुशासन में सहायता करता है ताकि यह सुनिश्तिच किया जा सके कि निधियां समान रूप से जारी की जाएं तथा वित्त वर्ष के अंत में व्यय की बहुतायत न हो।

7.3 चूंकि पूंजीगत कार्य बड़ी तादाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य निर्माण संगठनों द्वारा किया जाता है, इसलिए उनके साथ भी अलग बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि व्यय की गति की समीक्षा की जा सके और वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

7.4 उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभागीय लेखा संगठन, गृह मंत्रालय वेबसाइट पर वित्तीय आंकड़े भी जारी करता है जिनमें निम्नलिखित को दर्शाया जाता है :

(i) प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण;

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि को अंतरण का विवरण ;

(iii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं/राज्य योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई राशियों का विवरण; और

(iv) प्रमुख योजनावार व्यय का विवरण।

7.5 इन विवरणों को मासिक आधार पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जिसमें संबंधित माह तक के वास्तविक आंकड़े तथा पूर्व वर्ष के तदनुरूपी आंकड़े दर्शाये जाते हैं ताकि तुलना करने में आसानी हो सके। वेबसाइट सी पी एस एम एस (सेन्ट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम) पर योजनागत व्यय संबंधी वास्तविक समय (रियल टाइम) रिपोर्टें भी उपलब्ध हैं। इस तरीके से, विभागीय लेखाकरण संगठन, गृह मंत्रालय अपने कार्यक्रमों/योजनाओं आदि के कार्यान्वयन से संबंधित वित्तीय आंकड़ों का अधिक व्यापक रूप में प्रस्तुतीकरण करता है।

7.6 विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी अनुदानों की निगरानी और उनके उपयोग को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि जारी निधियों से वांछित परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। क्षेत्र स्तर पर बजट निष्पादन के संबंध में आन्तरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के लिए एक फीड बैक तंत्र के रूप में कार्य करती है। आंतरिक लेखा संगठन को अध्याय **(परिशिष्ट-I)** के अनुसार अधिदेश प्राप्त है। इसमें जोखिम आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया है और कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति में बड़े खतरों को अभिज्ञात करने का प्रयास किया गया है। साथ ही लेखापरीक्षा परिणाम बजट के इस पहलु का आकलन करने के लिए की जाती है कि क्षेत्र स्तर पर वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। इस कार्य को सुकर बनाने के लिए सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा समिति गठित की गई है जिसका कार्य आंतरिक लेखा परीक्षा के संबंध में समग्र निर्देशन देना है। अपर सचिव वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय इस लेखा परीक्षा समिति के उपाध्यक्ष हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक, गृह मंत्रालय को मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक के रूप में पदनामित किया गया है। मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक गृह मंत्रालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की लेखापरीक्षा की है जिससे कि मूल्यवर्धन के लिए परिकल्पित स्वतंत्र और उद्देश्यपरक आश्वासन दिया जा सके और इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके। आई ओ ए ने पुडुचेरी सरकार के सार्वजनिक लेखाओं की लेखा परीक्षा भी की है। आन्तरिक लेखा परीक्षा में आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए सूचना प्रोद्योगिकी के प्रयोग पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रमुख लेखापरीक्षा कार्यों के लिए डाटा

माइनिंग साफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जा रहा है। आन्तरिक लेखा संगठन के अधिकारियों तथा कर्मचारी वर्ग को अपने कौशलों में सुधार करने तथा वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस संगठन के बहुत से सदस्यों नें सर्टिफाइड इंटर्नल ऑडिटर (सी आई ए) सर्टिफाइड इनफर्मेशन सिस्टम ऑडिटर (सी आई एस ए) सर्टिफाइड इनफर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर (सी आई एस एम) इत्यादि जैसे प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं।

7.7 सर्विस डिलीवरी में सुधार करने के लिए इस मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा संवितरण का कार्य अधिकतर जी ई पी जी (गवर्नमेंट इलैक्ट्रोनिक पेमेंट गेटवे) के माध्यम से किया जाता है ताकि निधियों के उचित तथा वास्तविक अंतरण को सुगम बनाया जा सके। इस समय इस मंत्रालय के सेंतालीस भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में से चोंतीस जी ई पी जी प्लेटफार्म में चले गए हैं।

परिशिष्ट-I

आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर:

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की भूमिका:

आंतरिक लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, वस्तुपरक विश्वास और परामर्शदात्री गतिविधि है जो किसी संगठन के कार्य की उपयोगिता सिद्ध करने तथा उसे और बेहतर बनाने की दृष्टि से की जाती है। इससे संगठनों को, जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासित करने संबंधी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करके तथा उसे बेहतर बनाते हुए एक सुव्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाकर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आंतरिक लेखापरीक्षा, उन नियंत्रणों से संबंधित होती है जिनसे निम्नलिखित सुनिश्चित होता है:

- वित्तीय और प्रचालन संबंधी सूचना की विश्वसनीयता और समग्रता
- कार्य की प्रभावकारिता और दक्षता
- परिसंपत्तियों की सुरक्षा
- कानूनों, विनियमों और संविदाओं का अनुपालन

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली, लेखापरीक्षा संबंधी कार्य करेंगी जिससे कि यह जांच की जा सके कि विभिन्न कार्यालय सामान्य तौर पर भारत सरकार तथा विशेषरूप से गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यकारी कार्यालयों की लेखा और वित्तीय अभिलेखों की परिशुद्धता की जांच करेगी और पालन किए जाने वाले नियमों और विनियमों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी। वह मंत्रालय की नीतियों की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र-स्तर पर वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन करेगी। लेखापरीक्षा, निष्पादन संबंधी पहलुओं को देखने के अलावा जारी की गईं निधियों के वास्तविक निष्पादन और कार्यान्वित की गई स्कीमों का मूल्यांकन यह जानने के लिए करेगी कि क्या निर्धारित लक्ष्य हासिल हो रहे हैं। वह योजना बनाने तथा अन्य संबंधित पहलुओं को भी देखेगी। आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण से जुड़ी कमजोरियों पर ध्यान देगी तथा नियंत्रण संबंधी तंत्रों में सुधार लाने के लिए विचार प्रकट करेगी।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का उद्देश्य गृह मंत्रालय के कार्यक्रमों की समग्र परिचालन प्रभावकारिता को बेहतर बनाना है। वह नीतिगत दिशानिर्देशों, योजना संबंधी प्रावधानों और लक्ष्यों से संबंधित कार्यकलापों का निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी तथा सुझाव देगी जिनसे कार्यकलाप और बेहतर हो सकें। आंतरिक लेखापरीक्षा के अधिदेश में व्यय संबंधी इकाइयों के कार्यकरण से जुड़े

सभी पहलू शामिल हैं और यह केवल वित्तीय लेखापरीक्षा तक ही सीमित नहीं होगी बल्कि यह मूल्यांकन करेगी और सिफारिशें देगी जिससे कि राजकोष से जारी धनराशि का इष्टतम सदुपयोग सुनिश्चित हो सके। गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन को प्राधिकृत किया जाएगा कि वह मंत्रालय से जारी प्रतयेक रुपये की जांच और लेखापरीक्षा करे और उसके अनुरूप ही अपनी लेखापरीक्षा संबंधी योजना बनाए। लेखापरीक्षा संबंधी योजना अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के व्यापक दायरे पर ध्यान केन्द्रित करेगी और जोखिम आकलन और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लेखापरीक्षा संबंधी प्राथमिकताएं और दायरा निर्धारित करेगी।

<u>उत्तरदायित्व:</u>

कार्यक्रम से जुड़े प्रभाग संगठन से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण की एक समुचित प्रणली बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। आन्तरिक नियंत्रण की इन प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करने की दृष्टि से आंतरिक लेखारीक्षा व्यय संबंधी इकाइयों, कार्यक्रमों से संबंधित प्रभागों और लेखापरीक्षा समिति को आश्वासन संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। आंतरिक लेखापरीक्षा जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावी प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें सुगम बनाने में परामर्शदाता की भूमिका भी निभाएगी। इसके अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन लेखापरीक्षा धोखाधड़ी, सत्यनिष्ठा और अनुपालन के मामलों की जांच करने से संबंधित कार्यक्रम संबंधी प्रभागों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगी।

<u>योजनाएं:</u>

आंतरिक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा, समिति के समक्ष वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रस्तुत करेगी और लेखापरीक्षा मैनुअल में निर्धारित मानकों के अनुसार उक्त योजना में निहित लेखापरीक्षाएं करेगी। वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाएं प्रभागों द्वारा किए गए जोखिम आकलनों पर आधारित होंगी तथा लेखापरीक्षा द्वारा अनुमोदित मौजूदा लेखापरीक्षा, रणनीति से सामने आए लेखा संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखेगी।

<u>रिपोर्टें:</u>

सभी लेखापरीक्षा रिपोर्टें मुख्य लेखापरीक्षा कार्यपालक के अनुमोदन से जारी की जाएंगी। रिपोर्टें, जिनमें महत्वूपर्ण मुद्दे निहित होंगे, लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन से परिचालित की जाएंगी इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा किए गए कार्य पर आधारित प्रमुख विचारों के सार उल्लेख मंत्रालय की वार्षिक लेखापरीक्षा समीक्षा में किया जाएगा

तथा उक्त को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम प्रभागों से यह अपेक्षित होगा कि वे लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करें और गैर-अनुपालना के मुद्दों को पर्याप्त कार्रवाई के लिए लेखापरीक्षा समिति की ध्यान में लाया जाएगा।

<u>पहुंच:</u>

लेखापरीक्षा के निष्पादन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा सभी अधिकारियों, भवनों से संपर्क कर सकती है तथा अपेक्षित सूचना, स्पष्टीकरण और प्रलेखन की मांग कर सकती है।

<u>स्वतंत्रता:</u>

पेशेवर लेखापरीक्षा मानकों (लेखापरीक्षा मैनुअल में समाहित) तथा लेखा परीक्षक की आचार संहिता के अनुसार वस्तुनिष्ट लेखा परीक्षा सेवा की व्यवस्था करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा अपेक्षित होगी। आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन की स्वतंत्रता गृह मंत्रालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा को स्पष्ट अधिदेश सौंपकर सुनिश्चित की जाएगी। पेशेवर और आचार संबंधी मानकों के संबंध में आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य की लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

<u>आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन का ढांचा:</u>

<u>लेखापरीक्षा समिति:</u>

लेखापरीक्षा समिति एक शीर्ष निकाय होगी जिसका प्रयोजन निम्नलिखित का पर्यवेक्षण करना होगा:

(i) संस्था के वित्तीय विवरणों और खुलासों की विश्वसनीयता
(ii) संस्था के नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावकारिता।
(iii) संस्था के कार्य संचालन संहिता, विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन
(iv) बाहरी लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता, योग्यताएं और निष्पादन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य का निष्पादन।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्नप्रकार होगी:

- सचिव (गृह), अध्यक्ष
- अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (गृह) उपाध्यक्ष

- मुख्य लेखा नियंत्रक (गृह), सदस्य सचिव
- निदेशक(वित्त) सदस्य
- निदेशक (वित्त-पर्स), सदस्य
- लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा संगठन के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा चार्टर को अंतिम रूप देने और उसे अनुमोदित करने तथा संगठन के भीतर इसकी भूमिका, जिम्मेदारी और ढांचा स्थापित करने के लिए जिम्मदार हागी।
- लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के प्रशासन की आवधिक रूप से समीक्षा करेगी तथा वह दिशा तय करेगह जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य चलने चाहिए।
- लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षाओं का जायजा भी लेगी तथा उन मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगी जिनमें कुछ गंभीर मुद्दे निर्धारित किए गए हैं।

- आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन लेखा परीक्षा समिति के समक्ष आतंरिक लेखा परीक्षा कार्य की तिमाही समीक्षा प्रस्तुत करेगा तथा लेखा परीक्षा समिति गंभीर मुद्दों को आन्तरिक लेखा परीक्षा टिप्पणी के लिए लिखित रूप में तथा समीक्षा बैठकों के माध्यम से संबंधित प्रभागों के साथ उठाएगी।

प्रबंधन दल:

(i) आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों के प्रबंधन दल के अध्यक्ष मुख्य लेखा नियंत्रक, मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी होंगे जो मंत्रालय के आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

(ii) प्रबंधन दल प्रमुख जोखिम क्षेत्रों के संबंध में विचार-विमर्श करेगा तथा लेखापरीक्षा संबंधी प्राथिमिकताओं की योजना बनाएगा। प्रबंधन दल आन्तरिक लेखा-परीक्षा के सभी चरणों, वार्षिक लेखा परीक्षा योजना, लेखापरीक्षा कार्यों का नियोजन, लेखापरीक्षा, रिपोर्टें तैयार करना एवं उन्हें जारी करना तथा लेखापरीक्षा किए जाने वाले कार्यालयों की मॉनीटरिंग तथा उनके साथ अनुवर्ती कार्रवाई का पर्यवेक्षण करेगा।

(iii) प्रबंधन दल उपलब्ध लेखापरीक्षा संसाधनों एवं उनके उपयोग को अंतिम रूप प्रदान करेगा। प्रबंधन दल लेखापरीक्षा दल के लिए लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शियों का अनुमोदन करेगा तथा लेखापरीक्षा के विभिन्न प्रकारों के संबंध में निर्णय लेगा। प्रबंधन दल

विभिन्न लेखापरीक्षा दलों के साथ लेखापरीक्षाओं के केन्द्र बिन्दुओं, निर्देशन तथा महत्व के विषय में विचार विमर्श करेगा।

(iv) प्रबंधन दल विभिन्न योजनाओं के लिए मानक लेखापरीक्षा कार्यक्रम विकसित करेगा तथा इन्हें इन लेखापरीक्षा दलों को मुहैया करवाएगा जो कार्य योजना के अनुसार लेखापरीक्षा करेंगे। उन्हें प्रत्येक लेखापरीक्षा दल से यह उम्मीद की जाती है कि वह कम से कम उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करे तथा इसके अलावा ये लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा कार्यों को पूरा करने के पश्चात अपना निर्णय लागू करेंगे।

प्रबंधन दल में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- मुख्य लेखा नियंत्रक (अध्यक्ष)
- लेखा नियंत्रक (उपाध्यक्ष)
- निदेशक (लेखा), सीमा सुरक्षा बल (सदस्य)
- निदेशक (लेखा), के.रि.पु.ब. (सदस्य)
- उप लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक, आई ए (सदस्य सचिव)
- विभिन्न फील्ड कार्यालयों में उप लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक(सदस्य)
- आई एफ ए, दिल्ली पुलिस

आई ए प्रबंधन दल सम्पूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा तथा यह लेखापरीक्षा दलों का गुणवत्तापूर्ण लेखापरीक्षा सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में मार्गदर्शन करेगा।

<u>मुख्य लेखापरीक्षा कार्यकारी:</u>

(i) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक सम्पूर्ण लेखा परीक्षा प्रक्रिया के सम्पूर्ण प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा तथा यह लेखापरीक्षा समिति तथा लेखापरीक्षा संगठन के बीच की कड़ी होगा।

(ii) प्रबंधन दल के मुखिया के रूप में मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा दल के सम्मुख आने वाले विभिन्न मुद्दों के संबंध में प्रबंधन दल के अन्य सदस्यों से इनपुट लेने के पश्चात अंतिम निर्णय लेगा।

(iii) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक किसी विशेष लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा संसाधनों तथा लेखापरीक्षा दल के सदयों के बारे में निर्णय लेगा। वह वार्षिक लेखा परीक्षा योजना को

भी अनुमोदित करेगा। वह विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए कवरेज के दायरे तथा गंभीरता संबंधी मार्गदर्शन करेगा।

(iv) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों को इस संबंध में परामर्श देगा कि किसी विशेष लेखापरीक्षा में किसी विशिष्ट मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित किस प्रकार किया जाए। ग्राहक तथा मंत्रालय को जारी किए जाने से पूर्व लेखापरीक्षा दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को अनुमोदनार्थ मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक तथा प्रबंधन दल नियमित रूप से लेखापरीक्षा दलों से मिलेंगे ताकि आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य में ध्यान केन्द्रण के संबंध में उनका मार्गदर्शन किया जा सके। यदि लेखापरीक्षा ग्राहक द्वारा रिकॉर्ड मुहैया करवाए जाने से संबंधित कोई मुद्दे हैं तो मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक किसी उपयुक्त स्तर पर लेखापरीक्षा ग्राहकों से मिलकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

(vi) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट के सामान्य प्रारूप को और उस प्रारूप जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान कार्य संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाना है को भी अंतिम रूप प्रदान करेगा तथा इसका अनुमोदन करेगा।

(vii) मुख्य लेखा नियंत्रक (गृह मंत्रालय) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक होगा।

लेखापरीक्षा निष्पादन दल में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी होंगे:

- केन्द्रीय पुलिस बलों के आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठनों सहित गृह मंत्रालय के आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन
- गृह मंत्रालय के अन्य भुगतान एवं लेखा कार्यालय
- गृह मंत्रालय के अन्य प्रभागों से
- विभिन्न स्थानों पर अस्थाई अटैचमेंट पर अन्य सिविल मंत्रालय के अन्य भुगतान एवं लेखा अधिकारी तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय से लगाए गए परामर्शदाता।

इरेटा-A

पेज 275 पर "राजस्व" उपर्युक्त तालिका निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है: -

राजस्व

(करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	बजट अनुमान 2013-2014			संशोधित अनुमान 2013-2014			बजट अनुमान 2014-2015		
	योजना	योजना भिन्न	कुल	योजना	योजना भिन्न	कुल	योजना	योजना	कुल
53- गृह मंत्रालय	1358.31	750.20	2108.51	624.50	698.39	1322.89	742.64	791.80	1534.44
54- मंत्रिमंडल	0.00	403.00	403.00	0.00	375.00	375.00	0.00	433.52	433.52
55- पुलिस	1746.30	41410.63	43156.93	1493.67	43145.60	44639.27	2994.78	46666.58	49661.36
56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	467.00	1502.14	1969.14	324.00	1557.14	1881.14	118.00	2112.29	2230.29
57-संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	1747.79	515.00	2262.79	1305.00	514.00	1819.00	1139.00	515.50	1654.50
कुल राजस्व (अनुदान सं. 53-57)	**5319.40**	**44580.97**	**49900.37**	**3747.17**	**46290.13**	**50037.30**	**4994.42**	**50519.69**	**55514.11**
98 – अंडमान एवं निकोबार	1211.99	1311.88	2523.87	1217.13	1452.16	2669.29	1565.79	1314.42	2880.21
99 – चंडीगढ़	407.70	2349.50	2757.20	343.24	2286.75	2629.99	474.10	2394.46	2868.56
100 – दादरा और नागर हवेली	428.38	119.47	547.85	422.40	112.04	534.44	430.90	123.16	554.06
101 – दमण एवं दीव	263.92	126.24	390.16	231.68	122.73	354.41	309.60	128.85	438.45
102 – लक्षद्वीप	196.08	487.61	683.69	196.08	468.69	664.77	236.10	506.90	743.00
कुल राजस्व (अनुदान सं. 98-102)	**2508.07**	**4394.70**	**6902.77**	**2410.53**	**4442.37**	**6852.90**	**3016.49**	**4467.79**	**7484.28**
कुल अनुदान - 10 (राजस्व)	**7827.47**	**48975.67**	**56803.14**	**6157.70**	**50732.50**	**56890.20**	**8010.91**	**54987.48**	**62998.39**

इरेटा-B

पेज 276 पर " पूंजीगत " उपर्युक्त तालिका निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है: -

पूंजीगत

(करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	बजट अनुमान 2013-2014			संशोधित अनुमान 2013-2014			बजट अनुमान 2014-2015		
	योजना	योजना भिन्न	कुल	योजना	योजना भिन्न	कुल	योजना	योजना भिन्न	कुल
53- गृह मंत्रालय	2.67	62.68	65.35	2.50	26.61	29.11	51.36	58.87	110.23
54- मंत्रिमंडल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55- पुलिस	6914.72	2193.16	9107.88	4667.33	2054.60	6721.93	7432.22	2357.18	9789.40
56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	11.00	85.03	96.03	11.00	42.86	53.86	200.00	59.54	259.54
57-संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00
कुल राजस्व (अनुदान सं. 53-57)	**6928.39**	**2412.87**	**9341.26**	**4680.83**	**2196.07**	**6876.90**	**7683.58**	**2547.59**	**10231.17**
98 – अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	650.50	13.72	664.22	380.09	12.66	392.75	534.21	30.39	564.60
99 – चंडीगढ़	468.35	-156.18	312.17	256.76	-104.48	152.28	338.90	-97.15	241.75
100 – दादरा और नागर हवेली	244.00	2.81	246.81	195.33	2.31	197.64	272.10	2.86	274.96
101 – दमण एवं दीव	366.13	0.67	366.80	273.61	0.67	274.28	347.40	0.67	348.07
102 – लक्षद्वीप	246.25	-2.50	243.75	241.09	-2.50	238.59	227.90	-2.55	225.35
कुल पूंजीगत (अनुदान सं. 98-102)	**1975.23**	**-141.48**	**1833.75**	**1346.88**	**-91.34**	**1255.54**	**1720.51**	**-65.78**	**1654.73**
कुल – 10 अनुदान (पूंजीगत)	**8903.62**	**2271.39**	**11175.01**	**6027.71**	**2104.73**	**8132.44**	**9404.09**	**2481.81**	**11885.90**
कुल योग 10 अनुदान (राजस्व + पूंजीगत)	**16731.09**	**51247.06**	**67978.15**	**12185.41**	**52837.23**	**65022.64**	**17415.00**	**57469.29**	**74884.29**

नोट:- उपरोक्त आकलन निवल वसूलियॉ हैं।

इरेटा-C

पेज 278 पर "बजट एक नजर में" उपर्युक्त तालिका निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है: -

बजट एक नजर में

(करोड़ रु. में)

मांग संख्या		बजट अनुमान 2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14			बजट अनुमान 2014-15		
		योजना	योजनाभिन्न	कुल	योजना	योजनाभिन्न	कुल	योजना	योजनाभिन्न	कुल
53- गृह मंत्रालय	राजस्व	1358.31	750.20	2108.51	624.50	698.39	1322.89	742.64	791.80	1534.44
	पूंजीगत	2.67	62.68	65.35	2.50	26.61	29.11	51.36	58.87	110.23
	कुल	**1360.98**	**812.88**	**2173.86**	**627.00**	**725.00**	**1352.00**	**794.00**	**850.67**	**1644.67**
54-मंत्रिमंडल	राजस्व	0.00	403.00	403.00	0.00	375.00	375.00	0.00	433.52	433.52
	पूंजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**0.00**	**403.00**	**403.00**	**0.00**	**375.00**	**375.00**	**0.00**	**433.52**	**433.52**
55-पुलिस	राजस्व	1746.30	41410.63	43156.93	1493.67	43145.60	44639.27	2994.78	46666.58	49661.36
	पूंजीगत	6914.72	2193.16	9107.88	4667.33	2054.60	6721.93	7432.22	2357.18	9789.40
	कुल	**8661.02**	**43603.79**	**52264.81**	**6161.00**	**45200.20**	**51361.20**	**10427.00**	**49023.76**	**59450.76**
56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	राजस्व	467.00	1502.14	1969.14	324.00	1557.14	1881.14	118.00	2112.29	2230.29
	पूंजीगत	11.00	85.03	96.03	11.00	42.86	53.86	200.00	59.54	259.54
	कुल	**478.00**	**1587.17**	**2065.17**	**335.00**	**1600.00**	**1935.00**	**318.00**	**2171.83**	**2489.83**
57- संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	राजस्व	1747.79	515.00	2262.79	1305.00	514.00	1819.00	1139.00	515.50	1654.50
	पूंजीगत	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00
	कुल	**1747.79**	**587.00**	**2334.79**	**1305.00**	**586.00**	**1891.00**	**1139.00**	**587.50**	**1726.50**
कुल अनुदान सं.53-57	**राजस्व**	**5319.40**	**44580.97**	**49900.37**	**3747.17**	**46290.13**	**50037.30**	**4994.42**	**50519.69**	**55514.11**
	पूंजीगत	**6928.39**	**2412.87**	**9341.26**	**4680.83**	**2196.07**	**6876.90**	**7683.58**	**2547.59**	**10231.17**
	कुल	**12247.79**	**46993.84**	**59241.63**	**8428.00**	**48486.20**	**56914.20**	**12678.00**	**53067.28**	**65745.28**
98 – अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	राजस्व	1211.99	1311.88	2523.87	1217.13	1452.16	2669.29	1565.79	1314.42	2880.21
	पूंजीगत	650.50	13.72	664.22	380.09	12.66	392.75	534.21	30.39	564.60
	कुल	**1862.49**	**1325.60**	**3188.09**	**1597.22**	**1464.82**	**3062.04**	**2100.00**	**1344.81**	**3444.81**
99– चंडीगढ़	राजस्व	407.70	2349.50	2757.20	343.24	2286.75	2629.99	474.10	2394.46	2868.56
	पूंजीगत	468.35	-156.18	312.17	256.76	-104.48	152.28	338.90	-97.15	241.75
	कुल	**876.05**	**2193.32**	**3069.37**	**600.00**	**2182.27**	**2782.27**	**813.00**	**2297.31**	**3110.31**
100 – दादरा और नगर हवेली	राजस्व	428.38	119.47	547.85	422.40	112.04	534.44	430.90	123.16	554.06
	पूंजीगत	244.00	2.81	246.81	195.33	2.31	197.64	272.10	2.86	274.96
	कुल	**672.38**	**122.28**	**794.66**	**617.73**	**114.35**	**732.08**	**703.00**	**126.02**	**829.02**
101 – दमण एवं दीव	राजस्व	263.92	126.24	390.16	231.68	122.73	354.41	309.60	128.85	438.45
	पूंजीगत	366.13	0.67	366.80	273.61	0.67	274.28	347.40	0.67	348.07
	कुल	**630.05**	**126.91**	**756.96**	**505.29**	**123.40**	**628.69**	**657.00**	**129.52**	**786.52**
102 – लक्षद्वीप	राजस्व	196.08	487.61	683.69	196.08	468.69	664.77	236.10	506.90	743.00
	पूंजीगत	246.25	-2.50	243.75	241.09	-2.50	238.59	227.90	-2.55	225.35
	कुल	**442.33**	**485.11**	**927.44**	**437.17**	**466.19**	**903.36**	**464.00**	**504.35**	**968.35**
कुल अनुदान सं. 98-102	**राजस्व**	**2508.07**	**4394.70**	**6902.77**	**2410.53**	**4442.37**	**6852.90**	**3016.49**	**4467.79**	**7484.28**
	पूंजीगत	**1975.23**	**-141.48**	**1833.75**	**1346.88**	**-91.34**	**1255.54**	**1720.51**	**-65.78**	**1654.73**
	कुल	**4483.30**	**4253.22**	**8736.52**	**3757.41**	**4351.03**	**8108.44**	**4737.00**	**4402.01**	**9139.01**
10 अनुदानों का कुल योग	**राजस्व**	**7827.47**	**48975.67**	**56803.14**	**6157.70**	**50732.50**	**56890.20**	**8010.91**	**54987.48**	**62998.39**
	पूंजीगत	**8903.62**	**2271.39**	**11175.01**	**6027.71**	**2104.73**	**8132.44**	**9404.09**	**2481.81**	**11885.90**
	कुल	**16731.09**	**51247.06**	**67978.15**	**12185.41**	**52837.23**	**65022.64**	**17415.00**	**57469.29**	**74884.29**